प्रकाशक
विदेश मंत्रालय
भारत सरकार
साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली - ११००११
दूरभाष : ०११-२३०१५७६८
वेबसाइट : www.mea.gov.in

भोपाल से मॉरीशस

संपादक
अशोक चक्रधर

भोपाल से मॉरीशस

संपादक-मंडल

संपादक
अशोक चक्रधर

प्रबंध-संपादन
डॉ. गिरिराजशरण अग्रवाल

संपादन-सहयोग
प्रो. एम. ज्ञानम
विजय देव शर्मा
नरेंद्र कुमार वर्मा
राजीव वत्स

आवरण एवं सज्जा
रंजन निगम

टंकण एवं शोध सहयोग
मोहम्मद वसीम
नीलिमा खरे

प्रकाशक
विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, साउथ ब्लॉक
नई दिल्ली 110011

प्रकाशक : विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, साउथ ब्लॉक,
नई दिल्ली-110011
दूरभाष : 011-23015768
वैबसाइट : www.mea.gov.in
मुद्रक : नाइन वेस्ट इंफोटेक प्रा.लि.
290, एशियाड विलेज कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली-110049,
संस्करण : प्रथम, 2018

Title of the book : Bhopal Se Mauritius, **Publisher** : Ministry of External Affairs, Govt. of India, South Block, New Delhi 110011 **Phone** : 123015768, **Website** : www.mea.gov.in **Printer** : NINE WEST INFOTECH PVT. LTD. 290, Asiad Village Complex, New Delhi-110049, ahuja290@yahoo.com **Edition** : First, 2018

विदेश मंत्री
भारत

Minister of External Affairs
India

सुषमा स्वराज
Sushma Swaraj

संदेश
विश्व हिंदी भारतीय संस्कृति की धुरी

भोपाल के दसवें विश्व हिंदी सम्मेलन के संपन्न होने के तीन वर्ष पूरे होने से बीस दिन पूर्व ही मॉरीशस में ग्यारहवां विश्व हिंदी सम्मेलन होने जा रहा है, इस अवसर पर मैं सभी को बधाई देती हूं। मॉरीशस ने पहले भी इन सम्मेलनों को दो बार आतिथ्य दिया है।

विश्व हिंदी सम्मेलनों के माध्यम से दुनियाभर में फैले हिंदी भाषाभाषियों के बीच भाईचारे की भावना और हिंदी को बढ़ावा देने में मॉरीशस का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब तो यहां विश्व हिंदी सचिवालय भी गर्वोन्नत होकर खड़ा है, इसलिए मॉरीशस अब विश्व हिंदी की धुरी है, जहां पर हम तीसरी बार सम्मेलन आयोजित करके भारतीय संस्कृति पर चर्चाएं करने जा रहे हैं। दोनों देश इस सम्मेलन को सफल बनाने के लिए तीन वर्ष से सक्रिय हैं। परिणाम अच्छे आएंगे ही।

'भोपाल से मॉरीशस' पुस्तक भोपाल में हुए दसवें विश्व हिंदी सम्मेलन से लेकर ग्यारहवें विश्व हिंदी सम्मेलन तक की यात्रा को दर्शाती है। इस पुस्तक में यह जानने को मिलेगा कि पिछले तीन साल में हमने किस गति से काम किया। दसवें

सम्मेलन की अनुशंसाओं को हम कितना पूरा कर पाए हैं। अनुशंसा अनुपालन समिति के सभी सदस्यों के अलावा हमारी अनेक संस्थाओं के वरिष्ठ सहयोगियों से हमें मूल्यवान परामर्श मिले, जिन्हें प्रो. अशोक चक्रधर ने यहां अपनी टिप्पणियों के साथ संकलित-संपादित किया है। मैं पिछले चार दशक से साहित्य, संस्कृति और मीडिया के क्षेत्र में उनकी रचनात्मक ऊर्जाओं से परिचित हूं। भोपाल सम्मेलन में उनकी भूमिका सराहनीय रही। इस बार के सम्मेलन के लिए भी वे विगत तीन वर्षों में निरंतर सक्रिय रहे और अपने सकारात्मक विचारों से लाभान्वित करते रहे। वे जिस काम का बीड़ा उठाते हैं, कर दिखाते हैं। 'भोपाल से मॉरीशस' पुस्तक के प्रकाशन पर मैं उन्हें और उनके संपादक मंडल को साधुवाद देती हूं। उन्होंने बड़ी लगन और निष्ठा से इतने कम समय में अपना कार्य पूर्ण कर दिखाया है। आशा है यह पुस्तक 'भोपाल से मॉरीशस' तक की हिंदी विकास-यात्रा का दिग्दर्शन कराएगी और एक ऐतिहासिक दस्तावेज सिद्ध होगी। अस्तु, उन्हें भी बधाई।

सुषमा स्वराज

(सुषमा स्वराज)

भूमिका

भारत का मोर मॉरीशस की डोडो

ग्यारहवें विश्व हिंदी सम्मेलन में मॉरीशस की सतरंगी भूमि पर यह पुस्तक भी आपका स्वागत कर रही है। पुस्तक आपके हाथ में है, पर मैं सौगंधपूर्वक एक बात कह सकता हूं कि ऐसी कोई पुस्तक, अब तक हुए किसी भी विश्व हिंदी सम्मेलन के प्रारंभ में, आपने न देखी होगी, जिसमें विगत सम्मेलन में खाई गई कसमों और किए गए वादों को कितना निभाया गया, यह लेखा-जोखा सामने रखा गया हो।

यह पुस्तक भोपाल में लिए गए संकल्पों को मॉरीशस आने तक हम कितना पूरा कर पाए, उसी का इतिवृत्त है। भोपाल से मॉरीशस तक की अनुशंसा अनुपालना यात्रा है। भोपाल में मंच से बाक़ायदे घोषित की गई पहली अनुशंसा थी कि आगामी सम्मेलन मॉरीशस में हो और देखिए उसकी सफल अनुपालना हुई, हम मॉरीशस में हैं। मॉरीशस की डोडो भारत के मोर को न्योता देने भोपाल आई। मोर ने तत्काल मंज़ूरी दे दी।

भारत का है मोर और मॉरीशस की डोडो,
आ गई, आ गई, सतरंगी माटी से आ गई डोडो।

यह बात मैं बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पिछले सम्मेलनों में जिन्होंने भी नेतृत्व किया, उन्होंने बाद में इतनी सघन रुचि नहीं दिखाई, जितनी

हमारी अध्यक्ष श्रीमती सुषमा स्वराज ने। ऐसा नहीं है कि अनुशंसा अनुपालन समितियां पहले गठित न की गई हों। न्यूयॉर्क के बाद भी गठित की गई थी। उसकी एक सभा भी हुई थी। उसके बाद पता नहीं क्यों, सबको लगा कि इस सभा की तब तक आवश्यकता नहीं है, जब तक कि अगला सम्मेलन न हो। लेकिन, भोपाल का सम्मेलन एक समझ और तैयारी के साथ हुआ था। सुषमा जी भोपाल के सम्मेलन को परिणाममूलक बनाना चाहती थीं। एक गंभीरता थी कि जो हम कर रहे हैं, उसका फलित चाहिए। जो भी हो, विश्व हिंदी सम्मेलन महज तीन वर्ष में एक बार संपन्न होने की औपचारिकता से अलग हटकर हो। ऐसा सोचकर पहले से ही चला गया था। दृष्टि एकदम साफ़ थी। नतीजे चाहिए थे।

यही सोचकर दसवें विश्व हिंदी सम्मेलन की बुनियाद रखी गई कि उसका स्वरूप कैसा होगा। चलिए अब तक वह मेला था या कभी-कभार का झमेला था। कभी-कभी जब सुर बड़े अच्छे लग जाते थे, तो बातें भी सुरीली होती थीं। कभी-कभी रस्साकसम और कश्मकशम भी हो जाती थी, लेकिन सन पिचहत्तर से विश्व हिंदी सम्मेलन में आए हुए साहित्यकारों, गुणीजनों और विद्वानों ने एक ईमानदार चेतना के साथ हिंदी के संवर्द्धन पर विचार-मंथन किए। मैं अधिकांश का साक्षी रहा हूं। पर इस बार तो कमाल ही हो गया। सुषमा जी ने प्रारंभ से ही हिंदी के सर्वतोन्मुखी विकास को लेकर एक रणनीति और कार्यनीति बनाई। साहित्यिक, सांस्कृतिक, भाषागत एवं प्रशासनिक सभी दृष्टियों से समग्रता में सोचना प्रारंभ किया। मैं समझता हूं, जो पहला काम उन्होंने सम्मेलन के संदर्भ में किया, वह था विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के एक नए पद का सृजन करना। संयुक्त सचिव, हिंदी एवं संस्कृत।

मैं आपको बताऊंगा कि भोपाल के सम्मेलन की पूर्वपीठिका के तौर पर सुषमा जी ने जो पहला वक्तव्य दिया था, वह कितना वस्तुवादी था और कितना साफ़-सुथरा था, अपनी नज़र और अपने नज़रिए में। विविध क्षेत्रों के अनेक लोग उसमें उन्होंने बुलाए थे। सभी राजनीतिक दलों के सांसद थे। पत्रकार, साहित्यकार, मीडियाकर्मी, तकनीकी विशेषज्ञ और विविध वैज्ञानिक एवं

मानविकी विषयों के बुद्धिजीवी थे। वे उन सबके बीच न केवल अपना पक्ष बताना चाहती थीं, बल्कि दूसरों से जानना भी चाहती थीं कि हिंदी की महत्ता की पुनर्प्राप्ति कैसे की जा सकती है। उनके अंदर किसी प्रकार का पूर्वाग्रह या दुराग्रह मैंने नहीं देखा। उन्होंने परामर्शों को महत्व दिया और जिनसे काम कराया, उन पर भरोसा किया। उनको छूट दी कि वे अपने क्षेत्र में जो करना चाहते हैं, करें। मैं आगामी पृष्ठों में अपनी बात उस पहली सभा से ही शुरू करूंगा, जिसमें श्रीमती सुषमा स्वराज ने भोपाल सम्मेलन की भूमिका में अपना पहला उद्बोधन दिया था।

फिलहाल, मैं उन्हें हृदय से धन्यवाद दे रहा हूं कि उन्होंने अपने विषम स्वास्थ्य और विदेश मंत्रालय की अन्य व्यस्तताओं के बावजूद इस सम्मेलन के माध्यम से देश में हिंदी के प्राप्य को उसे वापस दिलाने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वे इसे नहीं जानती हैं। इसे जानेगी हमारी नई पीढ़ी।

इस पुस्तक की निर्माण-प्रक्रिया में सम्मान्य डॉ. गिरिराजशरण अग्रवाल ने मेरे साथ काफ़ी श्रम किया और मेरा मनोबल बढ़ाया। मैं उनका आभारी हूं। डॉ. ज्ञानम, श्री विजयदेव शर्मा और प्रिय राजीव वत्स ने समय की चिंता किए बिना सामग्री समेटने में मुझ बिखरे हुए व्यक्ति को जितना सहयोग किया, उसे धन्यवाद कहकर बराबर नहीं किया जा सकता। श्री नरेंद्र वर्मा ने पुस्तक के कलेवर को विधिवत् संजोने में सहायता की, उनका आभारी हूं। रंजन ने कला-सज्जा में अनेकानेक विकल्प दिखाए, मेरी संतुष्टि का बिंदु आने तक उन्होंने अपनी मेहनत नहीं छोड़ी, यह मुझे बहुत अच्छा लगा। आभारी हूं वसीम और नीलिमा का, जिन्होंने जितना टाइप किया, शोध किया, अगर सारा का सारा प्रयोग में ले लिया होता तो यह पुस्तक तिगुनी बड़ी हो जाती, क्योंकि पिछले तीन वर्षों में निराशा के घटाटोप के बावजूद हिंदी में जितना काम हुआ है, वह अकल्पनीय है। सबका बखान करना कठिन था। डॉ. मोहनलाल छीपा ने 'विज्ञान में हिंदी' विषय की अनुशंसाओं के अनुपालन पर इतना बड़ा प्रतिवेदन भेजा कि पांच सौ पृष्ठों में भी न समाता। मैंने उनसे अनुरोध किया कि आपका यह कार्य एक स्वतंत्र पुस्तक के रूप में आना चाहिए। मुझे संक्षिप्त करके भेज दें। उन्होंने श्रमपूर्वक अपने लिखे को

बारंबार कम किया। अंततः इस टिप्पणी के साथ सामग्री भेजी—'अशोक जी, अब अंतिम प्रतिवेदन 53 पृष्ठ का हो गया है। आपने बेरहमी से कलम चलाना सिखा दिया। अब आपको अपनी सुविधा से जो संशोधन करना है, कर लीजिए।' वे 53 पृष्ठ ए-फोर आकार के थे। पुस्तक में आकर दुगने से अधिक हो जाते। अलग-अलग विभागों से संपर्क करके श्रम उन्होंने बहुत किया था, उनके प्रतिवेदन की तो पूरी एक पुस्तक प्रकाशित होनी चाहिए। लेकिन, हमारे पास तो जितनी बड़ी चादर थी, उतने ही आखर पसारने थे। बहरहाल, सबके सहयोग से इस पुस्तक को समय पर निकालना संभव हो पाया, इसके लिए मैं नेपथ्य में सक्रिय उन मित्रों का भी धन्यवादी हूं, जो मुझसे धन्यवाद की अपेक्षा नहीं रखते हैं। आशा है, आप हिंदी की प्रगति की तथ्यात्मकता में अपना विश्वास बनाए रखेंगे।

(अशोक चक्रधर)

भोपाल से मॉरीशस

अनुक्रम

विश्व हिंदी सम्मेलन

संपादकीय

विश्व हिंदी सम्मेलन सिलसिले

—अशोक चक्रधर

बच्चे क्यों जल्दी सीख जाते हैं? क्योंकि अपनी जिज्ञासाओं को तत्काल शांत कर लेते हैं। वयस्क होते ही व्यक्ति दस बार सोचता है कि मन में जो सवाल उठा है उसे पूछें कि न पूछें। पूछ लिया तो हेठी तो न हो जाएगी, अज्ञानी तो न माने जाएंगे। इसी चक्कर में मैंने डॉ. इंद्रनाथ चौधुरी से वह जिज्ञासा नहीं रखी, जो एक संगोष्ठी में उन्हें सुनकर मेरे अंदर कुलबुला रही थी। उन्होंने कहा था—'हिंदी एल.डब्ल्यू.सी. है'। मुझे नहीं मालूम था कि एल.डब्ल्यू.सी. क्या होता है। संगोष्ठी के बाद मिले, पूछने को हुआ तो उन्हें किसी और ने घेर लिया। अपने अगले किसी भाषण में उन्होंने फिर वही बात दोहराई कि हिंदी एल.डब्ल्यू.सी. है। भला हो उनका कि उन्होंने खुद ही बता दिया— एल.डब्ल्यू.सी. का मतलब है 'लैंग्वेज ऑफ़ वाइड सर्कुलेशन'।

सचमुच हिंदी 'लैंग्वेज ऑफ़ वाइड सर्कुलेशन' है। इस समय विश्व में काफ़ी फैली-पसरी भाषा। मीडिया-प्रभु के हाथों में शंख, चक्र, गदा, कमल, परशु, वीणा और स्वर्ण-मुद्राओं के विविध रूपों में हिंदी विराजमान है। मीडिया-प्रभु के चेहरे पर हिंदी की वैश्विक मुस्कान है।

उन्नीस सौ पिचहत्तर से विश्व हिंदी सम्मेलनों का सिलसिला चला। पहला नागपुर में हुआ। दूसरा सम्मेलन उन्नीस सौ छिहत्तर में मॉरीशस में हुआ। फिर सात वर्ष के अंतराल के बाद सन उन्नीस सौ तिरासी में नई दिल्ली में

आयोजित हुआ। चौथा इसके दस साल बाद उन्नीस सौ तिरानवे में पुन: मॉरीशस में हुआ। पांचवां उन्नीस सौ छियानवे में त्रिनिडाड में, छठा, उन्नीस सौ निन्यानवे में लंदन में, सातवां दो हज़ार तीन में सूरीनाम में आयोजित हुआ और आठवां न्यूयार्क में। नवां दो हज़ार बारह में जोहान्सबर्ग में हुआ और पिछला दो हज़ार पंद्रह में भोपाल में हुआ। अब ग्यारहवां होने जा रहा है मॉरीशस में। सरकार इस बात का ध्यान रखने लगी है कि विश्व हिंदी सम्मेलनों का अंतराल तीन वर्ष से अधिक न हो।

दस सम्मेलनों का क्या लाभ हुआ

सवाल यह है कि क्यों जाते हैं लोग विश्व हिंदी सम्मेलनों में? क्यों होते हैं विश्व हिंदी सम्मेलन? यह ग्यारहवां है। दस सम्मेलनों का क्या निचोड़ निकला, क्या लाभ हुआ? इस बात के उत्तर में सवाल किया जा सकता है कि किसी मेले, त्योहार या पर्व का क्या लाभ होता है। अगर लाभ-हानि उसी तरह से देखेंगे जिस तरह से विभिन्न अनुदान आयोग देखते हैं, तब तो बात न बनेगी। वस्तुत: विश्व हिंदी सम्मेलन के अवसर पर पूरी दुनिया में हिंदी बोलने, समझने, लिखने और पढ़ने वाले लोगों का मेला जुड़ता है। उन लोगों से मिलने का मौक़ा मिलता है, जो भारत से सुदूर स्थित देशों में किसी न किसी प्रकार से हिंदी से जुड़े हुए हैं। वे भारतवंशी मिलते हैं, जो आज से ड़ेढ़ सौ वर्ष पहले ये भूमि छोड़ कर गए थे और साथ ले गए थे रामचरितमानस का एक गुटका और पोटली में सत्तू। इन सम्मेलनों का घोषित उद्देश्य विदेशों में हिंदी का प्रचार-प्रसार करना है। हां, लाभ-हानि का प्रश्न उठाया जा सकता है, अगर विगत सम्मेलनों में पारित प्रस्तावों और अनुशंसाओं के अनुपालन का गुणनफल निकालें।

हिंदी का बरगद

देखना यह है कि हिंदी जिन जड़ों से निकली है, उसका बरगद पूरे विश्व में कहां-कहां तक फैला है और उसने कहां-कहां पुन: अपनी जड़ें जमाई हैं । हिंदी का यह बरगद सात समंदर पार तक अपनी डालों को ले गया। कुछ मज़बूत डालों ने केरेबियन देशों में अपनी जड़ें गिराईं, कुछ ने गल्फ़ में तो कुछ ने एशिया में। अब

उन जड़ों को वहां विकसित वृक्ष के तनों के रूप में देखा जा सकता है। वे जड़ें जहां गिरीं, वहीं से खाद-पानी लेने लगीं।

पिछले तीस बरस में मैंने काफ़ी दुनिया देखी है। इस दौरान प्रवासी भारतीयों में धीरे-धीरे एक चिंता को विकसित होते देखा है। पश्चिम की दुनिया में अब लोगों को ख्याल आ रहा है कि उनके बच्चे बड़े हो गए और अफ़सोस कि वे उन्हें अपनी भाषा न सिखा पाए। अफ़सोस कि उन्हें अपनी संस्कृति न दे पाए। इस मरोड़ का तोड़ क्या हो? विश्व हिंदी सम्मेलनों में इस प्रकार की सामूहिक चिंताएं एक मंच पर आती हैं और निदान खोजती हैं। निदान का अर्थ संस्थाएं चलाने के लिए केवल आर्थिक मदद करना नहीं होता।

ऑस्ट्रेलिया में माला मेहता अगर हिंदी स्कूल चला रही हैं, तो उसके लिए भारत का कोई संस्थान उनकी आर्थिक मदद नहीं करता है। अपने संसाधन स्वयं जुटाती हैं। दरअसल, हिंदी स्कूल वहां के लोगों की निजी आवश्यकता है। वे जिस भाषा और संस्कृति से प्यार करते हैं, अपने बच्चों को भी सिखाना चाहते हैं। 'हिंदी समाज' की डॉ. शैलजा चतुर्वेदी और 'भारतीय विद्या भवन' के गंभीर वाट्स न केवल हिंदी-शिक्षण से जुड़े हैं, बल्कि स्थानीय संसाधनों से सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित कराते रहते हैं। इसी तरह अमरीका में 'भारतीय विद्या भवन', 'अंतरराष्ट्रीय हिंदी समिति' और 'हिंदी न्यास' के तत्वावधान में हिंदी के बहुमुखी कार्यक्रम चलते रहते हैं। रूस, नेपाल और गल्फ़ के कई देशों में 'केंद्रीय विद्यालय' हिंदी सिखाते हैं। इनका खाद-पानी भारत की जड़ों से जुड़ा है। भारत सरकार की सहायता से मॉरीशस में 'विश्व हिंदी सचिवालय' की स्थापना हो गई है। खाद-पानी एकल भूमि से मिले या संयुक्त मिट्टियों से, दुनिया भर में हिंदी की हरियाली फैलाने के प्रयत्न निरंतर बढ़ रहे हैं।

मॉरीशस, त्रिनिडाड और सूरीनाम ऐसे देश हैं, जहां भारतवंशी बहुतायत में रहते हैं। उन्होंने हिंदी को अपने पूर्वजों से प्राप्त करके सुरक्षित रखा। स्थानीय भाषाओं के प्रभाव में कितनी सुरक्षित रख पाए, यह अलग बात है। नई पीढ़ी को भाषा-प्रदान की यह प्रक्रिया सहज ही घटित होती रही। इसमें माताओं की भूमिका अधिक रही, क्योंकि परंपरागत रूप से महिलाओं ने भाषा नहीं छोड़ी। इन

तीनों ही देशों के भारतवंशी परिवारों में भोजपुरी बोली जाती है। उनकी भोजपुरी ठीक वैसी भोजपुरी नहीं है जैसी भारत के भोजपुरी अंचल की है। उनकी भोजपुरी में उनकी स्थानीय भाषाओं के शब्द भी घुल-मिल गए हैं। मॉरीशस में बोली जाने वाली भोजपुरी में फ्रेंच और क्रियोल भाषा के शब्द हैं।

विदेशों में हिंदी से रागात्मक लगाव को बढ़ाने में हिंदी फ़िल्मों और हिंदी गानों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हिंदी गाने अपनी मधुर धुनों और पारंपरिक तरानों के कारण भारतवंशियों को बहुत अच्छे लगते हैं। गाना एक बार नहीं, बहुत बार सुना जाता है, और जो बंदिश अनेक बार सुनी जाती है, वह कंठस्थ हो जाती है। मैंने पाया कि भले ही पूरे गीत का अर्थ वे नहीं समझते हैं, लेकिन त्रिनिडाड और सूरीनाम के युवा मस्ती से ये गाने गाते हैं। 'सुहानी रात ढल गई, ना जाने तुम कब आओगे' एक ऐसा गीत है, जिसे त्रिनिडाड में इस आस्था से गाते हैं, जैसे वह उनका दूसरा राष्ट्र-गीत हो। कोई एक व्यक्ति गाना प्रारंभ करता है, सभी सुर मिलाने लगते हैं। हिंदी सम्मेलनों ने भारतवंशियों के अंदर आत्मविश्वास का सुरीला संचार किया है।

आज के ज़माने में टीस की बात यह है कि आदमी तीस दिन में बदल जाता है, सूरीनाम के भारतवंशी तो एक सौ तीस साल पहले जो लोकभाषा और लोक-संस्कृति लेकर गए थे, आज भी वहां उन्हीं धुनों में गा रहे हैं और भारत को प्यार करते हैं बेशुमार। युग बीत गए पर वे ज़्यादा नहीं बदले। ऐसे भारतवंशियों को देखकर मन में अपार स्नेह उमड़ता है।

विश्व हिंदी सम्मेलन की पृष्ठभूमि

विश्व हिंदी सम्मेलन की संकल्पना राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा द्वारा 1973 में की गई थी। संकल्पना के फलस्वरूप, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा के तत्त्वावधान में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10-12 जनवरी, 1975 को नागपुर, भारत में आयोजित किया गया था।

सम्मेलन का उद्देश्य इस विषय पर विचार-विमर्श करना था कि तत्कालीन वैश्विक परिस्थिति में हिंदी किस प्रकार सेवा का साधन बन सकती है, महात्मा

गांधी जी की सेवाभावना से अनुप्राणित हिंदी संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रवेश पाकर विश्वभाषा के रूप में समस्त मानवजाति की सेवा की ओर अग्रसर हो। साथ ही यह किस प्रकार भारतीय संस्कृति का मूलमंत्र 'वसुधैव कुटुंबकम्' विश्व के समक्ष प्रस्तुत करके 'एक विश्व एक मानव-परिवार' की भावना का संचार करे।'

सम्मेलन के आयोजकों को विनोबा भावे का शुभाशीर्वाद तथा केंद्र सरकार के साथ-साथ महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश आदि राज्य सरकारों का समर्थन प्राप्त हुआ। नागपुर विश्वविद्यालय के प्रांगण में विश्व हिंदी नगर का निर्माण किया गया। सम्मेलन में काका साहेब कालेलकर ने हिंदी भाषा के सेवाधर्म को रेखांकित करते हुए कहा कि 'हम सबका धर्म सेवाधर्म है और हिंदी इस सेवा का माध्यम है-- हमने हिंदी के माध्यम से आज़ादी से पहले और आज़ाद होने के बाद भी समूचे राष्ट्र की सेवा की है और अब इसी हिंदी के माध्यम से विश्व की सारी मानवता की सेवा करने की ओर अग्रसर हो रहे हैं।'

पहले विश्व हिंदी सम्मेलन का प्रमुख मुद्दा

पहला विश्व हिंदी सम्मेलन किसी सामाजिक या राजनीतिक प्रश्न अथवा संकट को लेकर नहीं, बल्कि हिंदी भाषा तथा साहित्य की प्रगति और प्रसार से उत्पन्न प्रश्नों पर विचार के लिए आयोजित किया गया।

माना कि हिंदी राजभाषा है, लेकिन राजभाषा के रूप में उसका कितना महत्व है और राजकाज में कितना प्रयोग में आती है, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जिन्हें हम दबा लेते हैं। हिंदी अपने ही देश में अपने अधिकार खोने लगी थी और हम बात कर रहे थे संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी की आधिकारिकता की। ऐसा हमारे मोहल्ले-समाज में भी होता है। जब घर में कोई कमतरी हो तो हम मोहल्ले के सामने अपनी अंदरूनी कमज़ोरियां नहीं बताते। मोहल्ले से अपनी अपेक्षा बनाए रखते हैं कि वह हमारी श्रेष्ठता स्वीकार करे।

संयुक्त राष्ट्र संघ में भाषा की 'श्रेष्ठता' स्वीकार कराने के लिए कुछ निर्धारित मानक थे। हिंदी से जुड़े आंकड़ों को लेकर हम वहां खरे नहीं उतरे।

आचार्य विनोबा भावे ने पहले सम्मेलन में ही अपने देश की भाषागत विडंबनाओं का उल्लेख किया था—'यूएनओ में स्पेनिश को स्थान है, अगरचे स्पेनिश बोलने वाले पंद्रह-सोलह करोड़ ही हैं। हिंदी का यूएनओ में स्थान नहीं है, यद्यपि उसके बोलने वालों की संख्या लगभग छब्बीस करोड़ है। इसका कारण यह है कि बिहार वालों ने अपनी भाषा जनगणना के समय मैथिली, भोजपुरी लिखी है। राजस्थान वालों ने अपनी भाषा राजस्थानी बताई है। इन कारणों से हिंदी बोलने वालों की संख्या पंद्रह करोड़ रह गई। अगर हम इन सबकी गिनती करते तो हिंदी बोलने वालों की संख्या कम-से-कम बाईस करोड़ होती। इसके अलावा उर्दू भी एक प्रकार से हिंदी ही है, जिसे बोलने-वालों की संख्या करीब चार करोड़ है।' आचार्य ने इस बात पर भी अपनी हैरानी जताई कि यूएनओ ने चीनी मंदारिन जानने वालों की संख्या सत्तर करोड़ कैसे दर्ज करा दी।

दरअसल, हुआ क्या कि चीन में भाषा के प्रति राजनीतिक सदिच्छा रही और लाल झंडे तले लालफ़ीताशाही ने देश के सारे नागरिकों से भाषा के कॉलम में एक ही नाम भरवा लिया—'मंदारिन'। हालांकि, वहां भी तीस-चालीस भाषाएं अस्तित्व और चलन में थीं। सत्तर के दशक के प्रारंभ में उनकी आबादी लगभग सत्तर करोड़ थी। जनगणना के भाषागत सर्वेक्षण के आधार पर यूएनओ ने स्वीकार कर लिया कि चीनी बोलने वाले सत्तर करोड़ हैं। और उन्होंने 'मंदारिन' को मान्यता दे दी।

अनेक महनीय विद्वान् मानते हैं कि हिंदी की महनीयता तभी मानी जाएगी, जब वह संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता पा जाएगी।

दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन : बालक भी नहीं शिशु

मैं सन सतासी में मॉरीशस में गया था। दूसरे विश्व हिंदी सम्मेलन में तो शरीक नहीं हुआ, लेकिन महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट के हिंदी विभाग में जाने का अवसर मिला। नए-नए बने प्रधानमंत्री श्री अनिरुद्ध जगन्नाथ के निजी न्योते पर हम दो कवि, मैं और श्री ओम प्रकाश आदित्य वहां गए और यह पाया कि पूरा

मॉरीशस इस बात पर गर्व करता था कि हमारे देश में दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ।

दूसरे विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन मॉरीशस की राजधानी पोर्टलुई में हुआ। 28 अगस्त से 30 अगस्त 1976 तक चले इस विश्व सम्मेलन में भारत से कैबिनेट मंत्री डॉ. कर्णसिह के नेतृत्व में 23 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया। भारत के अतिरिक्त सम्मेलन में 17 देशों के 181 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

उस सम्मेलन में हमारे देश के हिंदी के बड़े-बड़े विद्वान् गए थे, कवि और लेखक गए थे। डॉ. हजारीप्रसाद द्विवेदी का सम्मेलन की अंतिम गोष्ठी में दिया गया भाषण अद्भुत था। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत यह कहते हुए की कि आप इतनी देर से धैर्य के साथ सुन रहे हैं। मुझे आप पर दया भी आ रही थी। आपको भी मेरे ऊपर थोड़ी-थोड़ी दया आती होगी। प्राय: ऐसा कुछ छूटा नहीं है, जो विद्वानों ने आपको बताया न हो। उनसे अछूती कौन सी बात कहूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उनकी इस प्रस्तावना से लगता था जैसे वे अधिक नहीं बोलेंगे लेकिन वे लगभग एक घंटा बोले और सबने बहुत एकाग्रता से सुना। उन्होंने कहा—'यह जो विश्व हिंदी सम्मेलन है, इसका अभी दूसरा ही वर्ष है। बहुत बालक भी नहीं शिशु है। अभी तो यह पैदा ही हुआ है, एक दो साल का बच्चा है। लेकिन इसको देखकर लगता है कि एक महान भविष्य का द्वार उन्मुक्त हो रहा है।'

द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन को हुए अब बयालीस वर्ष हो चुके हैं। आचार्य द्विवेदी की भविष्य-दृष्टि सब कुछ जानती थी। ग्यारहवां विश्व हिंदी सम्मेलन अब तेंतालीस वर्ष का परिपक्व जवान होने वाला है। यह युवक अनुभवी और ऊर्जावान है। इसकी क्षमताएं अपार हैं।

तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन

तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन भारत की राजधानी दिल्ली में 28 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 1983 तक आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन की राष्ट्रीय

आयोजन समिति के अध्यक्ष तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष डॉ. बलराम जाखड़ थे। सम्मेलन में कुल 6,566 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, जिनमें विदेशों से आए 260 प्रतिनिधि शामिल थे। सम्मेलन का सुखद संयोग यह था समापन-समारोह की मुख्य अतिथि महादेवी वर्मा थीं।

चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन

चौथे विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन 2 दिसंबर से 4 दिसंबर, 1993 तक पुनः 17 साल बाद, मॉरीशस की राजधानी पोर्टलुई में किया गया। आयोजन की जिम्मेदारी मॉरीशस के कला, संस्कृति मंत्री मुकेश्वर चुन्नी ने निभाई थी। भारत के प्रतिनिधिमंडल के नेता थे मधुकर राव चौधरी। तत्कालीन गृह राज्यमंत्री श्री रामलाल राही प्रतिनिधिमंडल के उपनेता थे। इसमें 200 विदेशी प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

पांचवां विश्व हिंदी सम्मेलन

पांचवां विश्व हिंदी सम्मेलन त्रिनिडाड एवं टोबेगो की राजधानी पोर्ट ऑफ़ स्पेन में 4 अप्रैल से 8 अप्रैल, 1996 तक हुआ। भारत की ओर से इस सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधिमंडल के नेता अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री माताप्रसाद थे। सम्मेलन का केंद्रीय विषय था— प्रवासी भारतीय और हिंदी। इसके अलावा अन्य विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया, वे थे—हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, कैरेबियाई द्वीपों में हिंदी की स्थिति एवं कंप्यूटर युग में हिंदी की उपादेयता। सम्मेलन में भारत से 17 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने हिस्सा लिया। अन्य देशों के 257 प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए।

छठा विश्व हिंदी सम्मेलन

छठा विश्व हिंदी सम्मेलन लंदन में 14 सितंबर से 18 सितंबर, 1999 तक आयोजित किया गया। इसके अध्यक्ष थे डॉ. कृष्णकुमार और संयोजक डॉ. पद्मेश गुप्त। सम्मेलन का केंद्रीय विषय था— हिंदी और भावी पीढ़ी। विदेश राज्यमंत्री वसुंधरा राजे के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया। प्रतिनिधिमंडल

के उपनेता थे प्रसिद्ध साहित्यकार डॉ. विद्यानिवास मिश्र। इस सम्मेलन का ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि यह हिंदी को राजभाषा बनाए जाने के 50वें वर्ष में आयोजित किया गया था। यही वर्ष संत कबीर की छठी जन्मशती का भी था। सम्मेलन में 21 देशों के 700 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इनमें भारत से 350 और ब्रिटेन से 250 प्रतिनिधि शामिल हुए।

लंदन में काफ़ी अफ़रा-तफ़री रही। मैं भी गया था, मेरी तो तफ़री रही। न तो मुझे किसी सत्र में बोलना था, न कोई शैक्षिक ज़िम्मेदारी थी, मात्र एक कवि-सम्मेलनी कवि की हैसियत से बुलाया गया था। जग का मुजरा लेता रहा और लोगों को सुनता रहा। कैमरा साथ ले गया था, फ़ोटो खींचता रहा। लंदन की हिंदी की ख़ूबसूरती पर मैंने ग्यारह रोल ख़र्च कर दिए। किन्हीं विद्वान् को, जिन्होंने उस सम्मेलन में भाग लिया हो और अपना फ़ोटो न मिला हो, मुझसे संपर्क कर सकते हैं, शायद मैं उन्हें उनका चित्र दे पाऊं। मेरे पास डॉ. नामवर सिंह और डॉ. विष्णुकांत शास्त्री के घुट-घुट कर बतियाते हुए चित्र हैं। शिवानी जी के ऐसे चित्र हैं जिन्हें पाकर डॉ. मृणाल पांडे ख़ुश हो सकती हैं।

तो, छठे विश्व हिंदी सम्मेलन में मैंने फ़ोटोग्राफ़र की हैसियत से भाग लिया। और वहीं से मेरी रुचि सम्मेलनों में बढ़ी। लगा, जैसे यह है हिंदी का एक अद्भुत मेला, एक कुंभ। जहां आप अपने हिंदीगत, व्यावहारिक, सांस्कृतिक उद्गार व्यक्त कर सकते हैं। कह सकते हैं, सुन सकते हैं और अपनी कलंगी में एक पंख जोड़ सकते हैं— देखा हम भी गए थे कुंभ करने, हम भी वहां थे।

वहां मैंने देखा कि आयोजक प्रिय पद्मेश गुप्त, तितीक्षा शाह, उषा राजे सक्सेना, के.बी.एल. सक्सेना, कृष्ण कुमार, महेन्द्र वर्मा और ब्रज गोयल परेशान थे, क्योंकि सम्मेलन में 'पांच बुलाए पंद्रह आए', मुहावरा बेमानी हो गया। वहां तो पांच सौ से ज़्यादा आ गए। इतने प्रतिभागियों की व्यवस्था कैसे हो? कहां टिकाया जाए? कहां खिलाया जाए? लेकिन मैंने देखा कि नौजवान अगर किसी चीज़ में लग जाएं तो हर समस्या हल हो सकती है। बड़ी ही निष्ठा से उन लोगों ने अधिकांश के ठहरने, खाने और मनोरंजन का इंतजाम किया। सारा पैसा भारत

सरकार ने दिया हो, ऐसा तो नहीं था। उन्होंने अपने-अपने संसाधनों और संपर्क का इस्तेमाल किया। किसी से भोजन स्पौन्सर कराया, किसी से स्टेशनरी। स्वयं कितना करते! जहां से फोकट में मिल सकता था, हिंदी के हित में लिया।

सातवां विश्व हिंदी सम्मेलन

5 जून से 9 जून, 2003 तक सुदूर सूरीनाम की राजधानी पारामारिबो में सातवें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ। 21वीं सदी में आयोजित यह पहला विश्व हिंदी सम्मेलन था। आयोजक थे जानकी प्रसाद सिंह। केंद्रीय विषय था-विश्व हिंदी नई शताब्दी की चुनौतियां। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश राज्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने किया। भारत के 200 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इसमें 12 से अधिक देशों के हिंदी विद्वान् शामिल हुए।

सूरीनाम के सम्मेलन में जो काम मुझे दिया गया, उसमें मुझे श्रम तो ख़ूब करना पड़ा, लेकिन आनंद भी बहुत आया। पिछले विश्व हिंदी सम्मेलनों में प्रायः मुझे लगता था कि मैं इससे ज़्यादा कुछ कर सकता हूं। कवि सम्मेलन तो एक रात में कुछ घंटों का मामला होता है और सम्मेलन चलता है तीन-चार दिन। बाक़ी समय में क्या करिए! सिर्फ़ प्रतिभागी बनकर फ़ाइलें उठाए-उठाए घूमने में भला क्या मज़ा!

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् ने मेरे सामने एक प्रस्तावनुमा सवाल रखा कि क्या मैं सम्मेलन के दौरान, प्रतिदिन, एक चार पेज की न्यूज़-बुलेटिन निकाल सकता हूं? सुनकर मैं तो परम प्रसन्न हो गया। उत्साह से भरकर मैंने कहा— 'जी, चार पृष्ठ क्या, मैं प्रतिदिन सोलह-पृष्ठीय समाचारपत्र निकाल दूंगा। मेरे पास अपना लैपटॉप है। साथ में डिजिटल कैमरा, जिससे मैं तस्वीरें खींचकर सीधे कंप्यूटर पर डाउनलोड कर सकता हूं। स्कैनिंग का कोई झंझट नहीं। एक टाइपिस्ट मिल जाए तो अच्छा है, वैसे मुझे टाइपिंग भी आती है। पेजमेकर और फ़ोटोशॉप का पिछले कुछ वर्षों से इस्तेमाल कर रहा हूं। चित्र बना सकता हूं, बाइंडिंग भी जानता हूं। अपने बारे में ये मैं जानता हूं कि सब जानता हूं, लोगों का मानना है कि मैं लिख भी लेता हूं।'

बहरहाल, प्रस्ताव पाकर मैं उल्लास से भरा हुआ था। एक चुनौतीपूर्ण कार्य मिला तो मैं अपनी पूर्व तैयारियों के साथ इस सम्मेलन में गया। मुझे ख़ुशी है यह बताते हुए कि पांच तारीख़ से लेकर दस तारीख़ तक श्री घनशाम दास, अनिल जोशी, राजमणि, के.बी.एल. सक्सेना और बहुत सारे साथियों के सकर्मक सहयोग से मैंने न्यूज़-बुलेटिन के पांच अंक निकाले। नाम रखा 'सम्मेलन समाचार'। पांच जून को 'सम्मेलन समाचार' का स्वागतांक निकाला, छः जून को निकाला उद्घाटन के समाचारों को प्राथमिकता देते हुए। कोई दस पेज का, कोई बारह पेज का, कोई चौदह पेज का। सामग्री हर दिन आवश्यकता से अधिक होती थी। सोचते थे कि बची हुई सामग्री को अंतिम दिन के 'विदाई अंक' में डाल देंगे। ये पांच अंक निकालकर मुझे बहुत-बहुत आनंद आया। आनंद आया रिपोर्टिंग का, फ़ोटोग्राफ़ी का, पेज-सैटिंग का, प्रस्तुति-कला का, नई टीम के गठन का, घनघोर श्रम का और थकान का।

मेरे अचानक जन्मे इस उत्साह और उल्लास के पीछे कुछ कारण और भी थे। पहला तो यह कि मैं विगत सम्मेलन की अख़बारी रिपोर्टों से मन ही मन थोड़ा खिन्न था। मुझे वे एकांगी लगी थीं। अगर मैं उस सम्मेलन में नहीं गया होता तो मुझे क्या पता चलता कि सचमुच क्या हुआ! मैं तो अख़बारों की रिपोर्ट को ही अंतिम मान लेता। लेकिन मैं तो वहां था। सब कुछ मैंने देखा था, सुना था। और सब कुछ वैसा नहीं था जैसा कि कुछ ख़ास अख़बारों में बताया गया था। मैंने उस सम्मेलन में लगभग दस रोल फ़ोटो खींचे। व्यक्तिगत वितरण के अतिरिक्त वे कहीं छपे नहीं। तब मन करता था कि इन चित्रों के साथ एक विस्तृत रिपोर्ट बनाऊं ताकि सम्मेलन की पूरी झांकी दिखा सकूं। उस दबी हुई कामना को पूरा होने का मौक़ा मिला तो फिर मैं ख़ुश क्यों न होता।

कई बार जब दाल में कंकड़ी आ जाती है तो मुंह में किरकिराहट भर जाती है। लेकिन जैसा मैंने बचपन से देखा है हम दाल नहीं फेंकते, कंकड़ी थूक देते हैं। पल दो पल खाना बनाने वाले पर नाराज़ होते हैं और भूल जाते हैं। छठे विश्व हिंदी सम्मेलन के मामले में दाल-भात का तो ज़िक्र नहीं हुआ, कंकड़ी पुराण पर रोदन

चलता रहा। मैं जानता था कि दाल में एक-दो कंकड़ियां थीं, लेकिन भोजन सुस्वादु था। ज़माने ने तो यही जाना कि सारा गुड़-गोबर था।

एक और भी पीड़ा थी मेरी। इस पीड़ा को वर्तमान पत्रकारिता से मेरी शिकायत भी माना जा सकता है कि प्रायः सारे अख़बार दृश्य के एक बहुत बड़े हिस्से को अनदेखा कर देते हैं। ऐसे जैसे—'मूंदहु नयन कतहुं कछु नांही'। पत्रकारिता निर्णयात्मक ज़्यादा हो जाती है विवरणात्मक कम। पाठकों का अधिकार है कि पहले उन्हें संपूर्ण दृश्य दिखाया जाए। मुझे लगा कि मुझे यह मौक़ा मिल रहा है। सो अंदर ही अंदर बहुत प्रसन्न था।

तीसरी बात यह कि जामिआ मिल्लिया इस्लामिया के हिंदी विभाग में हम पिछले दो दशक से किसी-न-किसी रूप में पत्रकारिता पढ़ाते आ रहे थे। यह अवसर था जब मुझे पत्रकारिता के सैद्धांतिक पक्ष के साथ व्यावहारिक प्रयोग करने का अवसर मिल रहा था। 'सम्मेलन समाचार' प्रतिदिन शाम को छापना बड़ा रोमांचकारी लगा। सोचा, पहले यह काम कर दिया जाए, फिर विद्यार्थियों को उदाहरण के रूप में दिखाया जाए। कह सकता हूं कि 'सम्मेलन समाचार' की परिकल्पना से मेरे अंदर का विद्यार्थी सजग हो गया, जो मेरे अंदर के गुरु को बहुत सारे नंबर लाकर दिखाना चाहता था। यानी मेरा उत्साह मेरे अंदर के विद्यार्थी का उत्साह था।

चौथा कारण भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। पिछले एक दशक से कंप्यूटर के साहचर्य में रहते-रहते यह बात शिद्दत से महसूस होने लगी थी कि नई सूचना प्रौद्योगिकी का पूरा-पूरा लाभ अभी हम हिंदी में नहीं उठा पा रहे हैं। कंप्यूटर और नई तकनीकों के प्रति हम सहज नहीं हो पाए हैं और न ही समझ पाए हैं कि कंप्यूटर कलम जैसा ही एक औज़ार है, जो आपकी क्रियाशीलता को कई गुना बढ़ा देता है। प्रतिदिन अख़बार निकालने के पीछे मुझे अपने कंप्यूटर जैसे साथी पर बड़ा भरोसा था। 'सम्मेलन समाचार' के रूप में मैं कंप्यूटर की क्षमताओं का एक 'डैमो' देना चाहता था।

कई बार ऐसा हुआ कि टाइप करने तक का समय नहीं मिला। डिजिटल

कैमरे ने अलादीन के जिन्न की तरह हुकुम बजाया। आठ जून को सायंकालीन सत्र के बाद सम्मेलन में गए बारह सांसदों ने 'सूरीनाम संकल्प' के रूप में एक प्रस्ताव का प्रारूप बनाया। लिखा था—

'सूरीनाम में आयोजित सातवें विश्व हिंदी सम्मेलन में भारतीय संसद की ओर से अधिकृत रूप से उपस्थित हुए संसद सदस्यों का यह प्रतिनिधि मंडल विश्व हिंदी सम्मेलन के समग्र परिवेश का अध्ययन करने के पश्चात भारत सरकार से यह आग्रह करता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी को आधिकारिक भाषा की मान्यता दिलाने के लिए संसद एक संकल्प पारित करे और उसे शीघ्रातिशीघ्र क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक क़दम उठाए'।

संकल्प के नीचे सर्वश्री लक्ष्मी पांडे, नवलकिशोर राय, बालकवि बैरागी, वरलु, दीनानाथ मिश्र, सरला माहेश्वरी, एपीजे, राम रघुनाथ चौधरी और सत्यव्रत चतुर्वेदी के हस्ताक्षर थे। पत्र का चित्र खींचा, आधा घंटे बाद अंक लोगों के हाथ में था।

आठवां विश्व हिंदी सम्मेलन

आठवां विश्व हिंदी सम्मेलन 13 जुलाई से 15 जुलाई, 2007 तक संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी न्यूयॉर्क में हुआ। इसका आयोजन भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा किया गया।

संसार का मुश्किल से ही ऐसा कोई देश होगा, जहां कोई हिंदी-भाषी न हो। हिंदी के विकास में सरकार और स्वैच्छिक संस्थाओं से अधिक योगदान आज बाज़ार और मनोरंजन-कर्मियों का है। संभवत: यही सोचकर आठवें विश्व हिंदी सम्मेलन का केंद्रीय विषय रखा गया था—'विश्व मंच पर हिंदी'।

उद्घाटन यू.एन. की इमारत में हुआ। 'संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी नहीं है' का दर्द पालने वालों की चिंता कुछ कम हुई यह सोचकर कि जिस इमारत में आठवें हिंदी विश्व सम्मेलन का उद्घाटन होना है, उसी इमारत में शायद ये मधुर घोषणा सुनने को मिले कि हिंदी संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा है।

आधिकारिक भाषा क्यों नहीं हो भला? बताइए! जब बुश, भले ही अपनी सुरक्षा के लिए, अपने पूरे देश को प्राथमिक स्तर से हिंदी सिखाने पर आमादा रहे, जब सारे मल्टीनेशनल्स बहुत बड़ा बाज़ार देखकर हिंदी के सॉफ़्टवेयर निर्माण में अपनी पूरी ताक़त झोंकते रहे, जब प्रयोक्ताओं के सूचना प्रौद्योगिकी के सद्य:विकसित ज्ञान के कारण हिंदी में सूचना समाचारों का आदान-प्रदान और प्रेमाचार हो रहा है और जब हमारे पास माशाअल्ला पैसे की भी वैसी कमी नहीं है, तो फिर हिंदी क्यों नहीं होगी संयुक्त राष्ट्र में एक आधिकारिक भाषा। पहले विश्व हिंदी सम्मेलन के समय हमारे देश के सामने विदेशी मुद्रा की उपलब्धि का सवाल था। तब वैसी चिंताएं नहीं थीं।

अब जबकि हम इंटरनेट के युग में हैं, पूरा विश्व अपनी भौगोलिक दूरियां समाप्त करते हुए बकौल डॉ. सुधीश पचौरी एक ग्लोकुल बन चुका है—'ग्लोबल गोकुल'। गोकुल एक गांव है, पर गांव से कुछ ज़्यादा है। मुहब्बत फैलाता है। 'ग्लोकुल' बनने के बाद एक अच्छी बात यह हुई है कि अब से सात-आठ साल पहले हिंदीवादियों का जो अहंकार था, वह अब युवा-शक्ति की नई आशाओं और आकांक्षाओं के कारण धीरे-धीरे नमित हुआ है। प्रारंभ में जो लोग कंप्यूटर और तकनीक को साहित्य-विरोधी, संस्कृति-विरोधी और पाश्चात्य सभ्यता का आक्रमण मानते थे, वे भी अब मानने लगे हैं कि कंप्यूटर तो एक माध्यम भर है। यह संस्कृति नहीं है, इसके माध्यम से संस्कृतियां आ-जा सकती हैं। दूसरी संस्कृति को रोकने का प्रयास करेंगे तो अपनी संस्कृति को अन्यत्र कैसे पहुंचाएंगे।

हिंदी को लेकर जो कुंठाएं थीं, वे समाप्त हो गई हों, ऐसा नहीं कह सकते। कई बार घर की कलह को बाहर की ताक़तें ठीक करती हैं। अपना महत्व तब पता चलता है जब बाहर के लोग बताएं। हम हनुमान जी के देश के लोग हैं और अतुलित बल धामा है हिंदी। इसको जाना माइक्रोसोफ़्ट ने, गूगल ने, एपल ने, याहू ने। इंटरनेट पर सूचना भंडारण कोई समस्या नहीं रही थी। गति इतनी कि आप मिली सैकिंड में सूचनाएं पा सकते हैं। सर्च की जो सुविधा हिंदी में आई है उसने हिंदी के परिवार को अचानक बहुत बड़ा किया है। आज अपनी संस्कृति और

भाषा को व्यापकतम स्तर पर फैलाने का माध्यम है— नई सूचना प्रौद्योगिकी। दिन ब-दिन नए-नए जनसंचार-माध्यमों से, प्रौद्योगिकी से, हिंदी का पाट चौड़ा हो रहा था, उसका प्रवाह तीव्र हो रहा था और लगने लगा था कि वह इस भूमंडल की एक महत्वपूर्ण संपर्क भाषा बन सकती है। भारतवंशी पूरे विश्व में फैले हुए हैं, वे हिंदी के चलन को विश्वव्यापी बना सकते हैं।

कहना न होगा कि आठवां विश्व हिंदी सम्मेलन भव्य था। मैंने फिर से प्रतिदिन 'सम्मेलन समाचार' निकाला। तत्कालीन विदेशमंत्री आनंद शर्मा ने उसमें गहन रुचि ली। बालेंदु दाधीच की निष्काम भाव सेवा से सम्मेलन की आधिकारिक वैबसाइट पूरी तरह यूनिकोड में बनी, जो उस समय तक उपलब्ध नवीनतम तकनीक पर आधारित थी।

सबको बताते थे कि अगर किसी को जानना है कि आठवें विश्व हिंदी सम्मेलन में क्या हुआ, शेष सात सम्मेलनों में क्या हुआ था, तो देखिए वैबसाइट। कितने सत्र हुए, उनका विषय क्या था, तो कृपया अपना कंप्यूटर खोलें, नेट पर जाएं और स्वयं को सूचना-संपन्न कर लें।

उद्घाटन सत्र के बाद चले नौ समानांतर शैक्षिक सत्र। शैक्षिक सत्रों के विषय थे, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी, विदेशों में हिंदी-शिक्षण समस्याएं और समाधान, विदेशों में हिंदी साहित्य सृजन (प्रवासी हिंदी साहित्य), हिंदी के प्रचार-प्रसार में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका, वैश्वीकरण, मीडिया और हिंदी, हिंदी के प्रचार-प्रसार में हिंदी फ़िल्मों की भूमिका, हिंदी, युवा पीढ़ी और ज्ञान-विज्ञान, हिंदी भाषा और साहित्य : विभिन्न आयाम, साहित्य में अनुवाद की भूमिका, हिंदी और बाल साहित्य और देवनागरी लिपि।

श्री शरद सभरवाल के नेतृत्व में डॉ. मधु गोस्वामी और उनकी टीम ने बहुत मेहनत की। समापन सत्र में देश और विदेश के हिंदी विद्वानों का सम्मान हुआ तथा पुराने अधूरे संकल्पों को दोहराया गया, नए संकल्प पारित किए गए।

अनुशंसा अनुपालन समिति बनी।

लेकिन...... ख़ैर....!

नवां जोहान्सबर्ग नया ही अनुभव था

नवां विश्व हिंदी सम्मेलन, 22 सितंबर से 24 सितंबर, 2012 तक दक्षिण अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में संपन्न हुआ। सम्मेलन-स्थल का नाम 'गांधीग्राम' रखा गया था। विभिन्न सत्र 'नेल्सन मंडेला सभागार' सहित अन्य सभागारों में संचालित किए गए। इन सत्रों के नाम शांति, सत्य, अहिंसा, नीति और न्याय रखे गए।

लोग फिर से फ़ायदे-नुकसान देखने लगे। हमारी आलोचनात्मक निन्दा-दृष्टि हर चीज़ में बुराई देखने की अभ्यासी है। अगर-मगर में अगर न जाएं, तो यही सोचें कि हमारा देश मेलों-त्योहारों का देश है। हिंदी का कुंभ लगे, तो बुराई क्या है? हिंदी तेज़ी से ग्लोबल हो रही है।

मैं गया था, पर वहां कोई विशेष ज़िम्मेदारी नहीं थी। जो काम दिया जाएगा, करूंगा, विद्वानों की चर्चाएं सुनूंगा, यह सोचकर गया था। सम्मेलन चूंकि जोहान्सबर्ग में हुआ, इसलिए ज़ाहिर सी बात है कि महात्मा गांधी के भाषा, शिक्षा, संस्कृति, साहित्य से जुड़े हुए विचारों को खंगाला गया। केंद्रीय हिंदी संस्थान के हमारे प्रो. ज्ञानम ने एक बड़ी अच्छी पुस्तक बनाई, जिसमें गांधी जी की शिक्षा और भाषाविषयक सूक्तियों को इकट्ठा किया गया था। इस काम में मैंने भी उनको सहयोग दिया। एक बड़ी प्यारी सी भूमिका लिखी।

फ़िल्म, रंगमंच और मंचीय कविता, प्रस्तुति कलाओं की भाषा, संप्रेषण की बातें हुईं। मीडिया, प्रवासी साहित्य, अनुवाद और शिक्षण प्रविधियों पर बातें हुईं। कवि सम्मेलन हुआ, सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। सूचना प्रौद्योगिकी का सत्र मेरी अध्यक्षता में हुआ, जहां मैंने 'निकष' की चर्चा की। निकष माने कसौटी। विशेष रूप से विदेशियों के लिए, हिंदी भाषा की दक्षता का एक ऑनलाइन टैस्ट। परीक्षा का पूरा नाम अंग्रेज़ी में है, 'नेशनल एंड इंटरनेशनल नॉलिज एक्रेडीटेशन स्टैंडर्ड्स फॉर हिंदी'। इसी का लघु नाम है 'निकष'। एक ऐसी कसौटी बनाई जाए, जिससे हिंदी बोलने, सुनने, लिखने और पढ़ने की दक्षताओं की परीक्षा हो सके।

'निकष' की प्रस्तावना का स्वागत हुआ। सोचा, इस परिकल्पना को

केंद्रीय हिंदी संस्थान के प्रोफ़ेसर साहेबान से साकार कराएंगे। लेकिन काम टेढ़ा था, क्योंकि चारों प्रकार की दक्षताओं के लिए जिस प्रकार के सॉफ़्टवेयर हमें चाहिए, वे अपनी पूर्णता में उपलब्ध नहीं थे। बोलने, सुनने, लिखने और पढ़ने की ऑनलाइन परीक्षा के लिए एक टैक्स्ट टू स्पीच, दूसरा स्पीच टू टैक्स्ट और एक ओसीआर यानी ऑप्टिकल करैक्टर रिकग्नाइज़र चाहिए था। ई-लर्निंग के नए सॉफ़्टवेयर भी बनाने थे। सारी बातें संकल्पों में शामिल हुईं, पूरी एक न हुई। पूरी तो तब होतीं जब अनुशंसाओं की अनुपालना पर कोई ध्यान दिया जाता। हालांकि विभिन्न सरकारी उपक्रमों में कार्य अपनी गति से चलता रहा। विदेशी कंपनियां हिंदी का बाज़ार देख रही थीं। हिंदी-संवर्धन के क्षेत्र में उन्होंने ज़्यादा कार्य किया।

अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय हिंदी सम्मेलन भी हुए

विदेश मंत्रालय ने प्रारंभ से अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय हिंदी सम्मेलन की ज़िम्मेदारी उठाई है। जिस देश में सम्मेलन होता है, वहां का कोई एक स्थानीय निकाय मेज़बानी करता है और विदेश मंत्रालय उसे न केवल वित्तीय सहायता देता है, बल्कि आयोजन में सकर्मक रूप से सक्रिय रहता है। पिछले छः-सात बरस में अनेक देशों से इस प्रकार की मांग उठी कि अगला विश्व हिंदी सम्मेलन उनके देश में कराया जाए।

विश्व हिंदी सम्मेलन अगर किसी देश के अनुरोध पर वहां नहीं किया जा सका, तो उस देश के लोगों ने अंतरराष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन आयोजित कर लिए। त्रिनिडाड में एक बार विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। दोबारा न हो सका, तो वहां के विश्वविद्यालय ने 2002 में अंतरराष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया। इसी प्रकार कुछ देशों की मांग पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम विश्व हिंदी सम्मेलन तो नहीं करा सकते, पर क्षेत्रीय हिंदी सम्मेलन करा सकते हैं। विगत वर्षों में अबूधाबी, दुबई, जापान, आस्ट्रेलिया और मॉस्को में हिंदी सम्मेलन हुए। ये समझिए कि महाकुंभ से पहले होने वाले अर्द्धकुंभ थे। इन क्षेत्रीय सम्मेलनों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

जितने भी क्षेत्रीय सम्मेलन हुए उनमें हिंदी-शिक्षण को लेकर गंभीर चर्चाएं हुईं । जापान के क्षेत्रीय सम्मेलन में नाट्य विधा रेखांकित हुई। वहां प्रो. मिज़ोकामी और प्रो. तनाका ने नाटकों के माध्यम से हिंदी को फैलाया है। उज़्बेकिस्तान के लोग भारतीय धारावाहिकों से हिंदी को संवर्धित कर रहे हैं। डॉ. फैज़ुल्लायेव ने रामानंद सागर की रामायण का रूसी में अनुवाद किया और पूरा धारावाहिक लोगों ने बड़े मज़े से देखा। कहना न होगा कि फ़िल्मी गीत, फ़िल्मी संवाद और धारावाहिकों ने हिंदी को संपूर्ण विश्व की भाषा बना दिया।

दसवां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ भोपाल में

दसवां सम्मेलन उन लोगों के पास था, जो हिंदी और भारतीय भाषाओं से वाकई प्यार करते थे। अब आगामी पृष्ठों में 'भोपाल से मॉरीशस' की बात करेंगे।

2015

भोपाल के लिए दिल्ली में बिगुल

08 मई, विदेश मंत्रालय (हिंदी व संस्कृत प्रभाग)

दिल्ली के जनपथ तथा मौलाना आज़ाद मार्ग के चौराहे पर जवाहरलाल नेहरू भवन। लाल बलुआ पत्थर तथा धौलपुर पत्थर की कारीगरी से निर्मित एक गौरवपूर्ण भव्य संरचना। भारत के विदेश मंत्रालय का नया आवास मैंने पहली बार 8 मई, 2015 को अंदर से देखा। जिस सेमिनार कक्ष में भोपाल में होने वाले दसवें विश्व हिंदी सम्मेलन के लिए पहली सभा होने वाली थी, वह आधुनिक संचार-सुविधाओं से लैस था। मंत्री, सांसद, पत्रकार, साहित्यकार, बुद्धिजीवी, मीडियाकर्मी एक-एक करके आ रहे थे और खोज रहे थे कि गोलाकार विराट मेज के किस ओर लगी है उनके नाम की पट्टिका।

मुझे मेरी नाम-पट्टिका मिल गई। इन नाम पट्टिकाओं का लाभ यह होता है कि जिसे आप न जानते हों, उसे जान जाते हैं, जिससे आपको परस्पर आत्मीयता बढ़ाने का लाभ मिल जाता है। सामने मेज़ पर लेखन-सामग्री, चने-मुरमुरे और पानी की बोतल थी, जिनके पीछे इंटरैक्टिव माइक्रोफ़ोन स्पीकर सिस्टम लगा हुआ था। मैं अनेक आगंतुकों से परिचित था। जो नाम अपरिचित से लगे, वे नोट किए। व्यर्थ का श्रम किया, क्योंकि सूची तो फोल्डर में विद्यमान थी।

10वां विश्व हिंदी सम्मेलन संदर्भित

पहली सभा

सूची/उपस्थित

श्रीमती सुषमा स्वराज, विदेश मंत्री, अध्यक्ष

जनरल वी.के. सिंह, विदेश राज्यमंत्री

श्री अनिल माधव दवे, उपाध्यक्ष

श्री के.सी. त्यागी, सांसद

श्री मनोहर पुरी, साहित्यकार

प्रो. अशोक चक्रधर, साहित्यकार, मीडियाकर्मी

डॉ. कमलकिशोर गोयनका, उपाध्यक्ष, केंद्रीय हिंदी संस्थान

श्री वीरेन्द्र यादव, राजनेता

श्री अतुल कोठारी, राष्ट्रीय सचिव, संस्कृति शिक्षा उत्थान न्यास

डॉ. भारत अग्रवाल, समाजसेवी

डॉ. हरिसुमन बिष्ट, सचिव, हिंदी अकादमी दिल्ली

श्री चन्दन मित्रा, संपादक पायनियर, सदस्य राज्यसभा

श्री राजेन्द्र शर्मा, संपादक स्वदेशी

श्री राजीव शुक्ला, सांसद राज्यसभा

श्री गजेन्द्र सोलंकी, कवि-साहित्यकार

श्री चिराग पासवान, सांसद लोकसभा

श्री रमेश पोखरियाल निशंक, सांसद

श्री विजय कुमार मल्होत्रा, पूर्व सांसद

श्री सन्नध, पूर्व सांसद

अधिकारीगण तथा अन्य

चेहरे पर स्वागत वाली मुस्कान

निश्चित समय से कुछ सैकिंड पहले ही सुषमा जी सभागार में आ गईं। अपनी कुर्सी पर बैठने तक उनके हाथ जुड़े हुए थे और चेहरे पर स्वागत वाली मुस्कान थी। देर नहीं लगाई उन्होंने, उद्बोधन प्रारंभ कर दिया।

सम्मेलन भोपाल में होगा

उन्होंने अनौपचारिक ढंग से सूचना दी—

इस बार यह सम्मेलन भोपाल में होगा और हम चाह रहे थे कि इसमें 14 सितंबर आ जाता, चूंकि 14 सितंबर को राजभाषा विभाग द्वारा बहुत कार्यक्रम किए जाते हैं, उसमें व्यवधान होता, इसलिए हमने 10-11-12 सितंबर को यह कार्यक्रम रखा है, ताकि जो-जो वहां जा रहे हैं, लौटना चाहें तो 13 तक दिल्ली वापस आ सकें। 10-11-12 सितंबर तिथि है। भोपाल इसका स्थान है।

उन्होंने यह भी बताया

आमतौर पर विश्व हिंदी सम्मेलनों के लिए एक ही समिति का गठन होता है। लेकिन इस बार हमने दो अलग-अलग कारणों से दो समितियों का गठन किया है, एक प्रबंध समिति और एक कार्यक्रम समिति। मैंने यह देखा कि प्रबंध समिति में जिस तरह के लोगों की आवश्यकता होती है, वे ज़्यादातर सरकारी अधिकारी होते हैं। उनको तय करना है कि सभास्थल पर पंडाल कैसे बनाना है, कक्ष कितने बनाने हैं, भोजन का प्रबंध कैसे करना है। आवास का प्रबंध कैसे करना है। होटल के कमरे कैसे बुक करने हैं। उसका सम्मेलन की विषय-वस्तु से कोई नाता नहीं होता और सम्मेलन की विषय-वस्तु में वे लोग आकर बैठ जाएं तो उनका कोई रुचि-रुझान उसमें नहीं होता।

श्रीमती सुषमा स्वराज इस सभा को बुलाने से पहले ही काफ़ी काम कर चुकी थीं। उन्होंने बताया कि वे अलग-अलग ढंग से दोनों चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देकर काम कर सकें, इसीलिए प्रबंध समिति अलग बनाई, जिसकी सभा हो चुकी। उसके लोग भोपाल जाकर सारी जगह देख आए। सभास्थल उन्होंने देख

लिया, सभाकक्ष कैसे बनने हैं, वे सारी जगह देख ली। आवास की व्यवस्था करने का काम कर दिया। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में जो विषय लिए जाने वाले हैं, वे इस सम्मेलन के प्राण होंगे और उस प्राण में आत्मा डालने के लिए ये समिति है, जिसमें आप लोगों को मैंने यहां आमंत्रित किया है।

एक स्वीकारोक्ति के साथ उन्होंने बात आगे बढ़ाई

इससे पहले मैं किसी सम्मेलन में शामिल नहीं हो सकी हूं। सभी लोगों से पूछ-पूछकर जो जानकारी मिली है, उससे यह पता चला कि सम्मेलन ज़्यादातर साहित्य केंद्रित होकर रह जाते हैं, हम चाहते हैं कि अगला सम्मेलन एक परिणाममूलक सम्मेलन साबित हो। विश्व हिंदी सम्मेलन की, यहां से एक नई परंपरा चले।

उन्होंने सम्मेलन का प्रमुख विषय बताया

'हिंदी जगत, विस्तार एवं संभावनाएं'

इसमें सब कुछ समाहित हो जाता है। व्यापक रूप में हिंदी के विस्तार और उसकी क्या संभावनाएं हैं, उसका विस्तारण कहां-कहां और कैसे-कैसे कर सकते हैं और इस प्रमुख विषय के नीचे फिर बहुत से उपविषय आ जाते हैं। फिर हम चाहेंगे 'विदेश नीति में हिंदी', 'विदेशों में हिंदी अध्ययन'। आज अगर मैं ये कहूं कि विदेश नीति पर अंग्रेज़ी का वर्चस्व ही नहीं है, आधिपत्य है, तो ग़लत नहीं होगा।

इंडियन काउंसिल ऑफ़ वर्ल्ड अफ़ेयर्स का अनुभव

हिंदी के काम के नाम पर शून्य

उन्होंने अपना एक अनुभव सभा के साथ साझा किया—

आई.सी.ड्ब्ल्यू.ए.. अर्थात हमारी इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स है। उसकी सभा में गई, तो वे अपना पूरा ब्यौरा दे रहे थे। मैंने उनसे केवल एक प्रश्न पूछा कि आपके यहां आज तक हिंदी में कोई एक मौलिक पुस्तक निकली है? निकली है तो बता दीजिए। उन्होंने कहा, कोई नहीं निकली। मैंने पूछा, आपने

किसी पुस्तक का अनुवाद कराया हो, वह बता दीजिए। उन्होंने कहा, कोई अनुवाद नहीं कराया। फिर मैंने पूछा, अच्छा कोई लेख हिंदी में आपके यहां आया हो? उन्होंने कहा कोई नहीं आया। कोई शोध-पत्र आपने हिंदी का लिखवाया हो या किसी ने लिखा हो ? कोई नहीं लिखा। यानी हिंदी के काम के नाम पर शून्य था।

वह आई.सी.ड्ब्ल्यू.ए., जहां पूरा का पूरा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय आकर पढ़ता है, वहां का ये हाल! मैंने कहा कि क्या आप यह समझते हैं कि कोई हिंदी जानने वाला विदेश नीति न पढ़े, तो न सही। अगर आप उनको विदेश नीति के बारे में कोई साहित्य ही उपलब्ध नहीं कराएंगे, तो कैसे समझते हैं कि विदेश नीति उन तक भी पहुंचेगी, जो अंग्रेज़ी नहीं जानते हैं। कोई उत्तर नहीं था उनके पास।

इसलिए 'विदेश नीति में हिंदी' एक उपविषय बने। 'प्रशासन में हिंदी', 'विज्ञान में हिंदी' पर बात हो। हम आज कहते हैं कि हमारे सारे शास्त्र संस्कृत में लिखे गए हैं, जिनमें सारी चीज़ें, विमान कैसे बनता है, नक्षत्रों की क्या चाल है, यह भी हमारे यहां है। काल-गणना कैसे होती है, यह भी हमारे यहां है। संस्कृत के तो अध्येता बहुत कम हैं। लेकिन हिंदी में अगर वे सारी चीज़ें हों, तो हमारे वैज्ञानिक उसको पढ़ पाते, इसलिए 'विज्ञान में हिंदी'। इसी तरह सूचना प्रौद्योगिकी और हिंदी, जो सबसे ज़्यादा आज के समय में आवश्यक लगती है। आज सारा का सारा ज्ञान आई.टी. में आकर केंद्रित हो गया है। वहीं के माध्यम से पूरा विश्व एक डब्बा बन गया है।

सूचना प्रौद्योगिकी हमारे यहां अगर हिंदी में नहीं होगी, तो हमारे लोग विश्व के उस ज्ञान तक कैसे पहुंच पाएंगे, जो केवल अंग्रेज़ी या अन्य भाषाओं में उपलब्ध हैं। यह जो एक भावना बनी हुई है कि हिंदी में ये चीज़ें पढ़ाई नहीं जा सकतीं या हिंदी में आ नहीं सकतीं। उन लोगों से मैं केवल एक प्रश्न करती हूं कि चायनीज चीनी में पढ़ सकते हैं, जैपनीज जापानी में पढ़ सकते हैं, रशियन रूसी में पढ़ सकते हैं, जर्मंस जर्मनी में पढ़ सकते हैं, पूरा का पूरा अरब वर्ल्ड अरबी में पढ़

सकता है, कितने देश आज विश्व के फ्रेंच और स्पैनिश में पढ़ते हैं, वे देश कोई अंग्रेज़ी का सहारा नहीं लेते हैं। वे अपने यहां का सारा ज्ञान अपनी भाषाओं में रख सकते हैं, तो हमें क्यों ये हीनभावना है कि हम हिंदी में नहीं पढ़ सकते। मुझे लगता है कि इस सम्मेलन से यह एक गति मिलेगी। जो हर बार हम संयुक्त संघ में हिंदी का एक प्रस्ताव पारित कर देते हैं या आपस में साहित्य पर बोलकर या एक-दूसरे की धारा पर, एक-दूसरे का विरोध करके उठ जाते हैं उसके बजाय कुछेक चीज़ें आएं, जिन पर विषय बनें और उन पर ख़ूब अच्छी चर्चा हो, वहां से बाकायदा रिपोर्ट्स निकलें, जो वहां पढ़ी जाएं और दी जाएं कि इन सत्रों की ये रिपोर्ट्स निकली हैं।

इसी तरह से 'हिंदी पत्रकारिता में भाषा की शुद्धता' पर बात होनी चाहिए। मैं हैरान हूं, हम क्या हिंदी पढ़ाएंगे! अभी पांच दिन पहले की बात है, अपना सबसे बड़ा चैनल हिंदी का, जो सबसे पहले आया था, उस पर एक शीर्षक आ रहा था, 'एक लेडी डॉक्टर की डैथ मिस्ट्री'। अब एक लेडी डॉक्टर की डैथ मिस्ट्री के बजाय क्या एक महिला डॉक्टर की मौत का रहस्य नहीं कहा जा सकता था! आम औरत या हिंदी जानने वाली ये जान लेगी कि लेडी डॉक्टर का मतलब महिला डॉक्टर होता है। चिकित्सक लिखो। डॉक्टर शब्द का समावेश हो गया है हिंदी में। वह डेथ समझ जाएगी, लेकिन मिस्ट्री उसकी समझ में नहीं आएगा। यदि लिखेंगे, एक महिला डॉक्टर की मौत का रहस्य, वह सबकी समझ में आएगा। मतलब व्याकरण हिंदी का होता है, शब्द सारे अंग्रेज़ी के होते हैं। हिंदी-पत्रकारिता में भाषा की शुद्धता, एक इस तरह का विषय सोचा है, ये केवल एक खुलासा कर रही हूं प्रस्तावना के तौर पर।

एक परिणाममूलक सम्मेलन बने

मेरा यह कहना है कि ये विश्व हिंदी सम्मेलन, एक परिणाममूलक सम्मेलन बने, एक दिशा देने वाला सम्मेलन बने। केवल एक शुरुआत यहां से हो जाए, लेकिन उसके आगे हम इन तमाम चीज़ों को ले जाएं और हिंदी जगत में व्याप्त संभावनाएं देखें। देखें कि हिंदी जगत का विस्तार कहां तक हो सकता है? एक

असीम सीमा है इसकी।

और इस बार मेरा यह प्रयास रहा है कि राज्यसभा, लोकसभा दोनों को मिलाकर सभी राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व इस कमेटी में हो, ताकि जो कुछ आए, वह सर्वसम्मति से आए। एक आम सहमति उस पर बने। सभी राजनीतिक दलों के लोग राज्यसभा और लोकसभा से भी हैं, प्रसिद्ध पत्रकार, हिंदी-सेवी, साहित्यकार, प्रकाशक उन सबको भी इसमें लिया है, तो नीति-निर्धारक भी यहां हैं। इस तरह से मिलाकर के एक कमेटी गठित करने का काम जो किया है, मैं चाहूंगी कि एक प्रस्तावना के नाते मैंने विषय का खुलासा भर किया है।

कार्यक्रम तीन दिन का

कार्यक्रम तीन दिन का है। पहले दिन सुबह एक उद्घाटन-सत्र होगा 10 से 11.30 बजे तक, 11.30 से 12 तक हम लोग चाय के लिए उठेंगे, 12 से 1.30 फिर एक सत्र होगा, फिर भोजन और थोड़े विश्राम के लिए हम डेढ़ घंटे का अवकाश करेंगे। उसके बाद 3 बजे से 4.30 बजे तक हम एक सत्र रखेंगे। 4.30 बजे हम चाय पिलाकर चाहेंगे कि भोपाल एक ऐसी जगह है, जहां बहुत ज़्यादा अच्छे संग्रहालय और देखने लायक दर्शनीय स्थल हैं, 5 से 7 तक वे दिखा दें। 7.30 बजे एक सांस्कृतिक कार्यक्रम और उसके बाद भोजन। दोनों दिन का कार्यक्रम इस तरह से चलेगा।

समानांतर सत्र

समानांतर सत्र चलाएंगे हम चार, और ज़्यादा सत्र हो जाते हैं, तो पांच भी समानांतर सत्र कर सकते हैं। लाल परेड का स्थल प्रबंध समिति ने तय किया है। बहुत ही सुंदर स्थल है, विशाल स्थान है, किसी तरह की कमी उस स्थान में पड़ने वाली नहीं है। सारे कार्यक्रम को प्रबंध समिति देख रही है, लेकिन जैसे मैंने कहा सम्मेलन का जो प्राण है, वह यह कार्यक्रम है। इसके विषय के बाद उपविषय उसके हिसाब से उप-समितियां गठित होंगी। जैसा आप जानते हैं कि इसमें बीस-बीस विद्वान् को सम्मानित करने की भी परंपरा है, बीस भारतीय हिंदी विद्वानों

और बीस विदेशी हिंदी विद्वान्।

बाद में मैं चाहूंगी कि आप अपनी-अपनी तरफ़ से लिखकर के मुझे ऐसे नाम भी भेज दें, विदेशों में भी जिनको आप जानते हों और देश में भी जिनको आप जानते हों। एक चयन समिति बनेगी, जो उसमें से चयन करेगी। इतना ही मुझे अपनी ओर से कहना है। मैं चर्चा के लिए रखती हूं, इसी परिधि के अंदर कि यह सम्मेलन एक अनूठा, एक अनोखा सम्मेलन बन सके।

उनका दृष्टिकोण वाकई विस्तृत था

मुझे उनका प्रारंभिक उद्बोधन सुनकर अच्छा लगा। उनका दृष्टिकोण वाकई विस्तृत था। समझ में आ रहा था कि उनकी परिकल्पना किस स्तर तक हिंदी का विस्तार करने की है। अपने उद्बोधन के बाद उन्होंने एक-एक करके सभी से उनकी राय मांगी। कुछ विचार मुझे महत्वपूर्ण लगे, प्रस्तुत कर रहा हूं।

—संपादक

चिकित्सा, अभियांत्रिकी, विधि और प्रबंध

प्रो. मोहन लाल छीपा :

विदेश मंत्रालय को बधाई। बहुत ही अच्छा ये प्रयास है। मैं केवल इसमें एक विषय जोड़ना चाहता हूं कि अड़सठ वर्षों के बावजूद हम चिकित्सा, अभियांत्रिकी, विधि और प्रबंध; इन विषयों का आज तक अंग्रेज़ी में ही अध्ययन करा रहे हैं। इसलिए इन विषयों को भी जोड़ा जाना चाहिए। आज काफ़ी डॉक्टर्स हैं, वे हिंदी में लिखने में रुचि रखते हैं। अभियंता, यांत्रिकी के जितने एक्सपर्ट के विचार जाने हैं और अटल बिहारी विश्वविद्यालय ने इसमें प्रयास शुरू भी कर दिया है। अगर यहां से इजाजत मिलती है, तो एक अच्छा संदेश देश व विश्व में जाएगा।

उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में अनिवार्य हो हिंदी

श्री अतुल कोठारी :

हिंदी और अपनी भारतीय भाषाएं आगे नहीं बढ़ पा रही हैं अपने ही देश में। आज हिंदी की सर्वसम्मत स्वीकार्यता देश में है, लेकिन फिर भी हिंदी पिछड़ रही है। उसका कारण है कि महत्वपूर्ण स्तरों पर आज हिंदी नहीं है। है तो बहुत कम है, अंग्रेज़ी की अनिवार्यता के कारण। पहली बात, पहला विषय होना चाहिए उच्च शिक्षा में हिंदी। मूल आधार शिक्षा है। वहां हिंदी नहीं होगी, तो दूसरे किसी क्षेत्र में हिंदी का आना बहुत मुश्किल है। दूसरा विषय, प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में हो, जो अधिकतर अंग्रेज़ी में हो रही हैं। तीसरा विषय है प्रशासन में हिंदी। शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा में हिंदी नहीं होगी तो फिर प्रशासन सारा हिंदी में कैसे चलेगा? इस पर विचार करने की आवश्यकता है। हिंदी को हमें विश्वभाषा बनाना है, इस दिशा में कदम आगे बढ़ाने की पूरी योजना होनी चाहिए।

अंग्रेज़ी विरोध हमारा ध्येय नहीं होना चाहिए

श्री राजीव शुक्ला :

हिंदी का प्रसार कैसे हो, ये हमारा ध्येय होना चाहिए। अंग्रेज़ी-विरोध हमारा कोई ध्येय नहीं होना चाहिए। प्रतियोगिताओं जो इंग्लिश में चल रही हैं, वे अंग्रेज़ी में चलती रहें, लेकिन कोई हिंदी का छात्र, अंग्रेज़ी वाले की वजह से वंचित न रह जाए, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए।

दूसरा, जो सबसे बड़ा काम सम्मेलन के ज़रिए किया जा सकता है, वह है विदेशों में हिंदी सिखाने का। आज भारत में अगर आपको जर्मन सीखनी है, फ्रेंच सीखनी है, तो छोटे-छोटे शहरों में भी आपको जर्मन और फ्रेंच के इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे। जो डी ग्रेड सिटी हैं, उन तक में मिल जाएंगे। लेकिन क्या विदेशों में अगर कोई हिंदी सीखना चाहे, तो उसके लिए सुविधा उपलब्ध है? अगर है तो, बहुत कम है। मैं चीन गया तो एक चीनी सज्जन मुझसे हिंदी में बात करने लगे। हमें कितना अच्छा लगता है। हम चौंक जाते हैं। इस सम्मेलन के ज़रिए यह प्रयास होना चाहिए कि हम विदेशों में, तमाम शहरों में, तमाम विश्वविद्यालयों में, तमाम

कॉलेजों में हम हिंदी कैसे ले जा सकते हैं। हिंदी-शिक्षण की कितनी पीठ स्थापित कर सकते हैं। जो प्रतिनिधि सम्मेलन में विश्वभर से आएंगे, उनके माध्यम से हम बाहर हिंदी का काम कैसे करा सकते हैं। इस सम्मेलन में हम हिंदी के सभी प्रमुख समाचारपत्रों के प्रकाशकों और संपादकों को बुलाएं और वे जो भाषा के साथ अन्याय कर रहे हैं, उनके सामने रखने का मौक़ा रहेगा। इसी प्रकार से जो चैनल्स के मालिक हैं उनको भी बुलाया जाए कि आप भाषा के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं। विश्वविद्यालयों में पत्रकारिता का जो विषय पढ़ाया जा रहा है उसमें अंग्रेज़ी के शब्दों को सम्मिलित करना एक फ़ैशन में परिवर्तित हो रहा है। उसको रोकने के लिए क्या कुछ नीति बनाई जा सकती है, इस पर विचार करने के लिए इन तीनों वर्गों के लोगों को भी विशेष सत्र के रूप में सम्मिलित किया जाए। मुझे लगता है कि इस दिशा में व्यापक प्रयास करना चाहिए, इस सम्मेलन के जरिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने यह जो पहल की है, आपके नेतृत्व में इससे बहुत बड़ा फ़ायदा हिंदी को मिलने वाला है।

ग़लत सड़क पर यू-टर्न लेना पड़ता है

और यह मुझ अशोक चक्रधर ने कहा :

हम किसी ग़लत सड़क पर निकल आते हैं और सही पीछे छूट जाती है तो यू-टर्न लेना पड़ता है। वापस लौटना होता है, क्योंकि जिस बिंदु तक पहुंच गए हैं, वहां से मुड़कर आने में कष्ट होता है। हिंदी को हम इतना पीछे छोड़ आए हैं कि वहां तक जाने के लिए हमें फिर से नए संकल्प के साथ कुछ ऐसे कार्य करने पड़ेंगे, जो छोटे-मोटे विरोध से परास्त न हों।

गांधी जी की नीति को अगर सरकार ने उस ज़माने से ही अपनाया होता, तो शायद हम आगे बढ़ गए होते। हमारे संविधान में राष्ट्रभाषा जैसा कोई शब्द नहीं है। गांधी जी ने कहा था कि बिना राष्ट्रभाषा के कोई भी देश गूंगा होता है। जिन चीन, जापान, स्पेन का ज़िक्र आप कर रही हैं, सबके पास उनकी राष्ट्रभाषाएं हैं। क्या आज हम-आप इस सुविधा में हैं? इतना बहुमत आपके पास है, तो हैं। आज संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का संकल्प लेने की दिशा

में सोचें तो सही।

पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, तब यह बात आई थी कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाएंगे। हमें उम्मीद है कि आपके नेतृत्व में वह भी हो जाएगा। राष्ट्रभाषा शब्द किसी प्रकार अगर हमारे देश की अस्मिता से जुड़ जाए कि हमारे अपने देश की आधिकारिक भाषा क्या है? हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? तय कर लेंगे तो राह सुगम हो जाएगी। वह हिंदी है। मातृभाषाएं अलग-अलग हैं। आप रखिए तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बांग्ला। सब अलग-अलग भाषाएं मातृभाषाएं हैं, जो मां की गोदी में सीखीं। संपर्क भाषा हिंदी अपने आप बनी हुई है। राजभाषा कैसी है, उसकी पीड़ा राजीव शुक्ला जी को है, जो समझ में ही नहीं आती है। ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारे पारिभाषिक शब्दकोश इस प्रकार के बनाए गए हैं कि अनेक शब्द हमारी समझ से परे हो जाते हैं। युवाओं को आज अगर हम साथ लाएंगे, उनसे हिंदी की बात करेंगे तो वही हमारा मज़ाक बनाएंगे। हमारे सामने, अपने ही घर में। हम अपने घर में अगर हिंदी की बात करेंगे तो बच्चे नहीं मानेंगे। तो मुझे इन सारी चिंताओं के बीच में मुड़कर वहीं आकर, जहां संविधान खड़ा था, वहीं से अगर हम शुरू करें और एक ताक़त बनाकर दिखाएं कि इस देश की भाषा है, हिंदी, तो कोई भी विरोध करने का साहस न करेगा। मेरा विनम्र निवेदन यह है कि यह सम्मेलन हिंदी को अपने घर में, संयुक्त राष्ट्र संघ में बने न बने, हमारे अपने घर में, अगर यह राष्ट्रभाषा के तौर पर संवैधानिक स्तर पर स्वीकार की जाती है, तो अच्छा होगा।

मेरा दूसरा एक सुझाव यह था कि जर्मन-फ्रेंच हम यहां पढ़ा सकते हैं, उनके इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन विश्वभर में हिंदी-शिक्षण के अभी बहुत बोदे प्रयत्न हैं, मैं स्वयं केंद्रीय हिंदी संस्थान का उपाध्यक्ष रहा। वर्तमान में हैं डॉ. कमल किशोर गोयनका साहब। एक ऐसी परीक्षा जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऑनलाइन परीक्षा ले सके, हमारी एक परिकल्पना थी, 'निकष' नाम से। चूंकि यह परीक्षा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होगी, इसलिए उसका नाम अंग्रेज़ी में रखा गया। 'निकष' एक्रोनिम का अंग्रेज़ी में अर्थ है National and International Knowledge

Accreditation Standards for Hindi, हिंदी की एक मानक परीक्षा, जैसे टोफेल टेस्ट होता है अंग्रेज़ी के लिए। वैश्विक धरातल पर एक मानक परीक्षा हम हिंदी के लिए स्थापित कर सकें। यह मेरा दूसरा सुझाव है।

तीसरा यह है कि गत बार जब यह सम्मेलन हुआ था तो कवि सम्मेलन को बहुत पीछे छोड़ दिया यानी समापन समारोह के बाद कविसम्मेल्लन आयोजित किया गया। यहां अनेक कवि बैठे हुए हैं, जो मेरा समर्थन भी करेंगे कि कवि सम्मेलन हमारी वाचिक परंपरा का एक स्वस्थ अंग है, उसके प्रति उपेक्षा-भाव न बरता जाए। सत्रों की समाप्ति के बाद कवि सम्मेलन और उसके बाद समापन समारोह हो।

अंतिम बिंदु मेरा यह है कि विश्व हिंदी सम्मेलन के व्यापक प्रचार व प्रसार के लिए हमारे सोशल मीडिया के मंच और हमारी वैबसाइट बहुत सशक्त हो। हम युवाओं को अभी से उससे जोड़ने का उपक्रम करें।

सत्रों की रिकॉर्डिंग हो

श्री वीरेंद्र यादव :

विद्वानों की उपसमिति बनाई जानी चाहिए, जो सत्र का निर्धारण करे। सत्र किस-किस विषय के होंगे। उनकी अध्यक्षता कौन करेंगे? इनका एक क्रम भी होना चाहिए। ऐसा न हो कि विश्व हिंदी सम्मेलन में भाग लेने का मौक़ा मिला है तो सत्र ही सत्र चलता रहे। और सत्र का क्या होता है उस वक्त, क्या क्रियान्वयन होता है उसका खास पता हिंदी विभाग रख नहीं पाता है। उसकी रिकॉर्डिंग हो। उसके क्रियान्वयन पर कार्यवाही हो। यह मैं चाहता हूं।

युवाओं का प्रोत्साहन हमारी भाषा की तरफ़ हो

श्री चिराग पासवान :

मेरा एक छोटा-सा सुझाव है, जो मैं देना चाहूंगा जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मैं महसूस करता हूं। मैं चाहता हूं कि उसे अगर विषय के तौर पर जोड़ा जाए, युवाओं का प्रोत्साहन किस तरीक़े से हमारी भाषा की तरफ़ हो। ये मेरे हिसाब से

एक महत्वपूर्ण विषय है। आजकल एक फ़ैशन बन गया है। मुझे हिंदी नहीं आती। 'आई एम नॉट कंफ़र्टेबल इन हिंदी', ये अक्सर युवाओं को कहते, बोलते नेशनल टेलीविजन्स पर, चैनल्स पर सुना गया है। मैं चाहूंगा कि किस तरीक़े से युवाओं को प्रोत्साहित किया जाए ताकि अपनी मातृभाषा से जुड़ें। गर्व महसूस करें जब वे हिंदी बोलते हैं। और इस तरीक़े से जैसा आपने भी कहा कि भाषा की शुद्धता और खासतौर से शब्दों के उच्चारण पर ध्यान दिया जाए।

आजकल कितने युवा-युवतियों को मैं देखता हूं, हिंदी बोल लेंगे पर उच्चारण ढंग से नहीं करेंगे। शब्दों का चयन ढंग से नहीं होगा तो किस तरीक़े से हम युवाओं को प्रोत्साहित कर सकें अगर इस भी एक विषय को हम उसमें जोड़ सकें। अच्छे वक्ता अगर उसमें रख सकें हम। मेरे ख़्याल से यह आगे की पीढ़ी व उसके भविष्य के लिए अच्छा होगा।

हिंदी को लोकगामी बनाया जाए

श्री अनिल माधव दवे :

लगता है कि हिंदी की सेवा तो सभी ने की है अपने-अपने स्तर पर। कोई ज़्यादा करता है, कोई कम करता है। लेकिन किसने हिंदी को सहजता से लोकगामी बनाया है। इसका एक श्रेय डॉ. हरिवंशराय बच्चन के सुपुत्र अमिताभ बच्चन को जाता है। उन्होंने पूरे भारत और दुनिया को बताया है कि उच्चारण क्या होता है, बगैर बोध पाठ दिए समझाया है। उन्होंने किसी फ़ायरिंग स्पीच में नहीं बोला, करके बोला। करिया और जरिया वाली भाषा, एक सरल-सहज हिंदी में पिरो दी है। मेरे मन में एक विचार आया कि क्यों न अपन एक काम करें, श्री अमिताभ जी से निवेदन करें कि आप एक 'बच्चन की शाला' आयोजित करिए सम्मेलन में।

उसके अंदर अमिताभ बच्चन आधा घंटे, पैंतालिस मिनट तक 'कौन बनेगा करोड़पति' के ढंग में, हिंदी के विस्तार के लिए और हिंदी के प्रति आकर्षण बढ़े, इसके लिए, हिंदी की विभिन्न विधाओं के महत्व को समझाएंगे। वे सचमुच बहुत अच्छी तरह से समझाएंगे। 'कौन बनेगा करोड़पति' करने की

कोशिश और दस लोगों ने कर ली। किसी का स्टेज ख़राब नहीं था, लेकिन नहीं था, तो वह आवाज़ नहीं थी। नहीं थी, तो वह शब्दावली नहीं थी। नहीं था, तो वह उच्चारण नहीं था। नहीं था, तो सही स्थान पर सही शब्द का प्रयोग नहीं था। नैसर्गिक क्षमता नहीं थी। इसलिए, वह टिका नहीं। उनसे अपन निवेदन करेंगे कि आप दूरदर्शन और अन्य माध्यमों से महीने में एक क्लास लीजिए।

वर्तनी पर ध्यान दें

श्री मनोहर पुरी :

मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सरकार पर निर्भर न रहें। मुझे ध्यान है 1965 से 1975 तक हिंदी के जितने समाचार-पत्र थे, वे वर्तनी पर ध्यान देते थे। हर शहर में पाठक सरकार पर निर्भर न रहकर सुधार कराने के लिए खुद सक्रिय हों। सरकार जो सहायता कर सके, अच्छा है। चैनल्स में जो हिंदी प्रयोग हो रही है, वह इतनी अशुद्ध होती है कि कहने ही क्या?

गतिविधियां 'केंद्रीय हिंदी संस्थान' की

डॉ. कमल किशोर गोयनका :

केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा में करीब डेढ़ सौ विद्यार्थियों को विदेशों से आमंत्रित करता है और आपका ही मंत्रालय समन्वय करता है। वे विद्यार्थी चीन, जापान सहित और भी अन्य देशों से आते हैं। हम सौ अंकों के, दो सौ अंकों के, तीन सौ अंकों के और चार सौ अंकों के चार कोर्स चला रहे हैं। प्रत्येक वर्ष वे आकर अध्ययन करते हैं, फिर अपने देशों में जाकर हिंदी का शिक्षण करते हैं। हिंदी के वे अनुवादक बनते हैं। इस प्रकार से हमारे दिल्ली केंद्र में करीब सौ विदेशी विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है। ये एक वर्ष तक हमारे यहां अध्ययन करते हैं। उसके बाद अपने देशों में जाकर हिंदी का विकास, प्रचार-प्रसार करते हैं।

पाठ्यक्रम बनाते हुए बहुत कार्य हुआ है। नीदरलैंड, अमरीका और लंदन में जो हिंदी-शिक्षण होता है, उनकी प्राइमरी संस्थाओं से हम संपर्क कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि वहां और भी जो यूनिवर्सिटीज हैं, वे हमारे पाठ्यक्रम को

स्वीकार करें। सारे यूरोप और अमरीका में अगर एक ही पाठ्यक्रम अपना लिया जाए तो हिंदी शिक्षण में बहुत सुधार होगा। पिछले कार्यक्रम में आपने कहा था, 'पूरे विश्व में एक हिंदी का पाठ्यक्रम होना चाहिए।' मैं समझता हूं कि केंद्रीय हिंदी संस्थान इस दृष्टि से काम कर रहा है और हमें आशा है कि आने वाले एक वर्ष में हम इसमें प्रगति करेंगे। विदेशों में जो हिंदी शिक्षण की व्यवस्था है, उसको और बेहतर करने की कोशिश करेंगे।

हिंदी के प्रति हीन भावना की मानसिकता

श्री शांता कुमार :

मुख्य समस्या हिंदी के प्रति हीन भावना की मानसिकता है। हमारे प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में बोले, बहुत बढ़िया संदेश गया। लेकिन, उस दिशा में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। मुझे बाक़ी देश का पता नहीं, हिमाचल में शादियों के मौसम में निमंत्रण-पत्र आते हैं, तो मैंने सारे निमंत्रण-पत्र इकट्ठे किए। पता किया कि जिस परिवार में शादी हो रही है, वहां कितने अंग्रेज़ी जानते हैं। नहीं जानते हैं, लेकिन निमंत्रण-पत्र अंग्रेज़ी में भेजते हैं। सब जगह तो जाया नहीं जाता। अब मैंने ये शुरू किया है कि जब भी ऐसा कोई निमंत्रण-पत्र आता है तो उसके उत्तर में लिखता हूं, आपका निमंत्रण-पत्र अंगेज़ी में मिला। बहुत-बहुत धन्यवाद और बधाई। आगे लिखता हूं, अच्छा होता आप निमंत्रण-पत्र हिंदी में देते।

'आओ हिंदी बोलें', 'हिंदी लिखने में स्वाभिमान का अनुभव करें'! हिंदी के प्रति हीन भावना की ये जो एक मानसिकता है, उसको समाप्त करने की और भी अधिक आवश्यकता है। कोई बढ़िया हिंदी कवि सम्मेलन, हास्य कवि सम्मेलन कभी-कभी सुनने को मिलता है। हिंदी का प्रचार-प्रसार करने में अच्छे कवि सम्मेलन का चैनल के अंदर आना बहुत अधिक लाभदायक हो सकता है।

भाषा के प्रति स्वाभिमान की भावना

श्री गजेंद्र सोलंकी :

राजनीति में हिंदी खूब होनी चाहिए, लेकिन हिंदी में राजनीति नहीं होनी चाहिए। सामान्य रूप से जो अभी तक का अनुभव रहा है कि कहीं न कहीं कोई ऐसे भाव आ जाते हैं कि जो राजनीति से प्रेरित होते हैं। देश में जिस प्रकार की परिस्थितियां बनी हुई हैं, हिंदी के बारे में कहा जा सकता है, किसी कवि का एक दोहा, 'हिंदी हुई शकुंतला, भूल गए दुष्यंत, दुर्वासा के श्राप का, जाने कब हो अंत।।' हम ऐसा हिंदी के साथ अनुभव करते हैं। विदेशों में हिंदी पढ़ाने के लिए तो बहुत सारे लोग जाते रहते हैं। मेरा भी जाना-आना होता है कवि सम्मेलन के माध्यम से। प्रवासी भारतीयों में अपनी भाषा के प्रति एक स्वाभिमान की भावना, संस्कृति के प्रति एक समर्पण का भाव बहुत अनुभव किया जाता है। एनआरआईज़ जितने भी हैं, प्रवासी भारतवंशी लोग, वे अक्सर अपनी यह बात कहते हैं कि बड़े-बड़े फ़िल्मी कलाकार फ़िल्मों में काम तो करते हैं, हिंदी में फ़िल्म बनाते हैं, लेकिन जब वे चैनल पर इंटरव्यू देने आते हैं तो वे अंग्रेज़ी में शुरू हो जाते हैं। आत्मावलोकन होना चाहिए।

देश की अन्य भाषाओं से सरल शब्द लें

श्री तरुण विजय :

अधिकांश राजनेताओं के बयान अंग्रेज़ी में पहले बनते हैं और फिर उनका हिंदी में अनुवाद आता है। वह अनुवाद अक्सर गूगल से लिया जाता है या उससे मदद ली जाती है। संघलोक सेवा आयोग में भी उसी के कारण समस्या हुई। इसके लिए भारत में एक अखिल भारतीय अनुवाद विश्वविद्यालय की स्थापना हो, तभी सार्थक है। हिंदी की पुस्तकें अन्य भाषाओं में अनुदित हों और अन्य भाषाओं की पुस्तकें हिंदी में अनुदित हों। अनुवाद का एक मानक निर्धारित हो। अनुवादक विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि लेकर जाएं तो लोगों को विश्वास हो कि अनुवाद पढ़ने योग्य होगा, सहज होगा, सरल होगा, सुगम्य होगा। सभी देशों में यह है। चीन में विशेष रूप से है। हम लोगों ने भी अन्य भाषाओं का साहित्य हिंदी में अनुदित ही पढ़ा था। अब तो वह परंपरा ख़त्म हो गई।

हिंदी के अंक समाप्त हो रहे हैं। एक सत्र आप हिंदी के अंकों का इतिहास,

उसकी विरासत और उसके प्रचलन पर रखें। भारत ने अंक दिए हैं विश्व को। अब कोई हिंदी के अंक इस्तेमाल नहीं करता।

भारतीय भाषाओं में एक विकृति आ रही है। अन्य भाषाओं के अस्वीकार्य शब्दों का इस्तेमाल हिंदी में हो रहा है। अपनी भाषा, अच्छी भाषा! जो अस्वीकार्य शब्द हैं, उनका विकल्प क्या है? वह देना चाहिए। उदाहरण के लिए सब-वे के लिए हिंदी में जो लिखा जाता है, वह भूमिगत पैदल पार-पथ जिसे कोई नहीं बोल पाता। मराठी में एक ही शब्द है, भुइयारी! भुइयारी शब्द उसको प्रकट भी करता है, अभिव्यक्त भी करता है। मराठी अपने देश की भाषा है। बजाय इसके कि हम अंग्रेज़ी से उधार लें, हम अगर अपने ही देश की अन्य भाषाओं से सरल शब्द लेकर प्रचलित करें तो वह एक अच्छा प्रयास होगा।

संकल्प लेते हैं और बाद में भूल जाते हैं

श्री बलदेव भाई :

जड़ में एक समस्या है कि हिंदी उत्सवधर्मिता का केंद्र भर बनकर रह गई है। चाहे राजभाषा पखवाड़ा हो, चाहे हिंदी के नाम पर कोई सम्मेलन हो। उस समय बड़े उत्साह से हम सब संकल्प लेते हैं और बाद में हम सब उसको भूल जाते हैं। इसके कारण इस देश में हिंदी का वातावरण ही नहीं बन पा रहा। हर आदमी यह कहने में फ़ख़्र महसूस करता है कि भई मुझे हिंदी अच्छी नहीं आती। जब मैं अख़बार में रहा, तब भी लोग ऐसे आते थे कि हमको हिंदी में लेख लिखने को मत कहिए, अंग्रेज़ी में लिख लेंगे। अभी नेशनल बुक ट्रस्ट में भी कई लोग ऐसे आते हैं कि हम अंग्रेज़ी में किताब लिखेंगे। बहुत अच्छे विषय हैं। लेकिन हिंदी में नहीं लिखेंगे, क्योंकि मानस बन गया है कि अंग्रेज़ी में हम बोलेंगे, लिखेंगे तो उसको मान्यता मिलेगी। कितने लोग पढ़ेंगे, ये मालूम नहीं है।

सरकारी विभागों में तो हिंदी की इतनी दुर्दशा है कि कोई हिंदी-भाषी आदमी वहां जाना नहीं चाहता। वहां कोई सुनेगा ही नहीं। एप्लीकेशन तक स्वीकार नहीं करते हैं। कम से कम हिंदी का वातावरण तो बने। केवल एक सम्मेलन हो गया। बहुत अच्छा हो गया। उसकी रिपोर्टें छप गईं, इतनाभर न रहे तो

इस देश में हिंदी उत्सवधर्मिता के दायरे से बाहर निकले और आम आदमी के साथ जुड़े।

हम केवल संकल्प ले लेते हैं, चाहे संविधान संकल्प हो या हिंदी को राजभाषा बनवाने के लिए पखवाड़ा मनाए जाने की बात हो। मुझे लगता है केवल इससे काम नहीं चलेगा। विचार बहुत अच्छे-अच्छे हैं, पर ये विचार निरंतर क्रियाशील बनें, तब हिंदी को प्रतिष्ठा मिलेगी। विदेशों से जो लोग यहां आते हैं, वे इस बात में बिल्कुल संकोच नहीं करते कि हम अंग्रेज़ी नहीं बोल पा रहे। वे अपनी भाषा में बोलते हैं। अपने साथ अनुवादक लाते हैं। हमारे यहां से जितने लोग बाहर जाते हैं सब अंग्रेज़ी बोलते हैं। इक्का-दुक्का लोगों को छोड़ दें, सुषमा जी हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, अटल जी हैं, इन लोगों को कभी यह संकोच महसूस नहीं हुआ।

इस सम्मेलन के माध्यम से यदि ऐसा वातावरण बन सका और लगा कि सम्मेलन के बाद इस देश में हिंदी की प्रतिष्ठा, बोल-चाल और चलन बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है कि यह इस सम्मेलन की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी।

हिंदी जो सबकी समझ आए

जनाब आसिफ़ :

हमने जोहान्सबर्ग में भी विश्व हिंदी सम्मेलन अटैंड किया था। मुझे वहां इत्तेफाक़ से जर्मन, जापान के लोग मिले, जो हिंदी में बोल रहे थे और वे चाह रहे थे कि हम हिंदी बोलें। हिंदी और उर्दू दोनों बहनें हैं। आम चलन में जो हिंदुस्तान की भाषा है, जो ज़बान है, वह हिंदी है। उर्दू के साथ मिक्स करके जो बोली जाती है, वह भी हिंदी ज़बान है। जो सबकी समझ आए, वह हिंदी है। सरकारी हिंदी समझ में नहीं आती है।

जब सुषमा जी लोकसभा में बोलती हैं तो हर कोई उसको समझ लेता है। उसमें शेरो-शायरी भी होती है और आम ज़बान भी होती है। वही आम ज़बान हिंदुस्तान के लोगों को पसंद है। आज मैं देखता हूं सोशल नेटवर्किंग पर जो बातें लोग करते हैं, वह हिंदी में करते हैं। अंग्रेज़ी में नहीं करते हैं। हिंदी को अंग्रेज़ी

रोमन में लिखते हैं, लेकिन वे बोलते हैं हिंदी।

दुनिया हिंदी के प्रति लालायित है

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' :

हमको भरोसा है कि यह होने वाला दसवां विश्व हिंदी सम्मेलन केवल उत्सव या उत्सवधर्मिता बनकर नहीं रहेगा, बल्कि यह आगे बढ़ेगा। सोचना है कि हम 'दसवां विश्व हिंदी सम्मेलन' यादगार कैसे बना सकते हैं। देश और दुनिया के लोगों के अंदर जो हिंदी के प्रति उत्साह है, जो हिंदी से जुड़े हुए लोग हैं, उन सबको यह लगना चाहिए कि हिंदी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। दुनिया में इसका ज़ोर है। दुनिया हिंदी के प्रति लालायित है। ऐसा नहीं है कि दुनिया में अंग्रेज़ी सुनने और समझने वाले लोग सर्वाधिक संख्या में हैं। संख्या तो हिंदी समझने वाले लोगों की ही अधिक है। हम दुनिया में नंबर एक पर हैं।

हर बार ये बात उठती हैं, होता कुछ नहीं!

श्री विजय कुमार मल्होत्रा :

पिछले पचास-साठ वर्षों में नगर-निगम से लेकर लोकसभा तक हिंदी दिवस और राजभाषा दिवस या और इस प्रकार के जितने भी कार्यक्रम हुए, सबमें वही भाषण हैं, जो आज हम लोग यहां पर दे रहे हैं। वही भाषण, वही प्रस्ताव, वही निवेदन, सब कुछ लगभग बराबर सा ही है। मेरा आपसे अनुरोध यह था कि यह जो सम्मेलन हो रहा है, उसमें हमने पिछले एक-दो वर्षों में क्या परिवर्तन कर दिए हैं, इसका भी एक ब्यौरा देना चाहिए।

न्यायालयों में, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में बोलने या हिंदी में काम करने की सुविधा सम्मेलन से पहले उपलब्ध करा दी जानी चाहिए। क्या-क्या कर दिया है, इसके लिए अगर सारे मंत्रालयों की मीटिंग प्रधानमंत्री जी के माध्यम से रख लें और उसमें यह बता दिया जाय कि इस सम्मेलन से पहले ये हमारी उपलब्धियां हैं, ये हमने काम कर दिए हैं। उनमें से हर कोई ये ज़रूर बताए कि सरकार ने पिछले एक वर्ष में ये-ये काम पूरे कर दिए हैं।

जो मेधा पहले होती थी, अब कहां!

प्रो. गिरीश्वर मिश्र :

अभी तक हमने देखा कि हिंदी की दुर्बलताएं क्या-क्या हैं और कहां-कहां पर हमको निर्धारित क़दम उठाने चाहिए। उसमें बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं, जो वैधानिक हैं, जहां पर नियम-क़ानून बदलने की ज़रूरत है। एक सत्र हो, जिसमें चर्चा की जाय और देखा जाय कि कहां-कहां पर परिवर्तन की आवश्यकता है। दूसरी एक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि हिंदी की सामर्थ्य और शक्ति क्या है, इसका भी उल्लेख गंभीर रूप से होना चाहिए। पिछले कुछ समय में आईटी और सूचना प्रौद्योगिकी के लोगों ने तमाम प्रकार के कार्य किए हैं।

एक उदाहरण दे रहा हूं, एक छोटा सा प्रयोग हमारे विश्वविद्यालय में 'हिंदी समय डॉट कॉम' नाम से चल रहा है। इसमें हिंदी साहित्य के चार लाख पृष्ठ डिजिटल रूप में उपलब्ध हैं। बस बटन दबाइए और किसी भी रचनाकार की कविता या कहानी को उपलब्ध कराइए। इसी तरह से वर्तनी शुद्ध करने का भी उपकरण विकसित किया गया है। जोहान्सबर्ग में सभा हुई थी। मानक पाठ्यक्रम बनाने का दायित्व हमारे विश्वविद्यालय को दिया गया था। वह मानक पाठ्यक्रम बनाकर विदेश मंत्रालय को दिया जा चुका है और वैबसाइट पर उपलब्ध है। हमारी वैबसाइट पर भी उपलब्ध है। हम तमाम विश्वविद्यालयों को देश-विदेश में भेज चुके हैं, ताकि उस पर विचार करें और उसको लागू करें।

एक बात मैं इस रूप में कहना चाहता हूं कि हिंदी को प्रामाणिक बनाया जाए। संविधान भी हिंदी का प्रामाणिक नहीं है, अंग्रेज़ी का है। राजभाषा अधिनियम इतना भयानक रूप से लिखा गया है कि अबूझ है। एक सज्जन ने मुझे भेजा था कि इन इनका अर्थ समझा दीजिए। हमने केंद्रीय हिंदी संस्थान की वैबसाइट पर दिया हुआ है। उसको पढ़कर कोई माथा ठोक लेगा कि एक-एक शब्द का क्या तात्पर्य है। हिंदी कितनी कठिन हो गई है। बड़ा दुर्भाग्य है। शब्दावली आयोग ने बहुत से रुपए खर्च करके शब्द तैयार किए हैं, जिसके लिए तमाम सारे भाषावैज्ञानिक लोग एकत्र होते हैं। मगर उन शब्दों का कोई उपयोग

नहीं कर रहा है।

मुझे लगता है कि हिंदी का अगर वर्चस्व होना है, इसको आगे बढ़ाना है तो उसके लिए हमको गंभीर साहित्य भी उपलब्ध कराना पड़ेगा। यह विचार की भाषा, शिक्षा की भाषा, ज्ञान की भाषा होनी चाहिए। अगर पठनीय सामग्री है भी तो अंग्रेज़ी से अनुवाद की हुई है। हम हिंदी में सोचते ही नहीं हैं। तमाम सामाजिक विज्ञानों में, तमाम विज्ञान के विषयों में जो सोचने की पद्धति है, वह हिंदी से नहीं उपजती है। बड़ा दुर्भाग्य है यह।

शिक्षा, भाषा और समाज, यह एक केंद्रीय विषय होना चाहिए, जिसमें इनके अंतर्संबंध पर विचार किया जाए। केवल हिंदी पर बात न करके भारत की अन्य भाषाओं के साथ इसका क्या रिश्ता है, सोचा जाय! प्रवासियों के मध्य हिंदी की क्या स्थिति है, उनकी भाषा, व्याकरण, साहित्य में क्या प्रगति हुई है, यह भी एक विषय होना चाहिए।

यहां अनेक विद्वानों के बीच कह रहा हूं, हिंदी का अध्ययन, अध्यापन दुर्व्यवस्था को प्राप्त हो रहा है। जो मेधा पहले होती थी, अब कहां? अब न हज़ारी प्रसाद द्विवेदी हैं, न नगेंद्र हैं। ऐसे लोग अपने लक्ष्यों में लगे रहते थे। उनका अभाव हो रहा है। विभिन्न विश्वविद्यालयों में जो हिंदी के पाठ्यक्रम चल रहे हैं, उन पर गंभीरतापूर्वक विचार करने की ज़रूरत है। भारत में हिंदी का क्या मानक पाठ्यक्रम होना चाहिए, यह गंभीर प्रश्न है। इतनी भिन्नता है, जिसका कोई ठिकाना नहीं है। आप तुलना नहीं कर सकते कि विभिन्न विश्वविद्यालयों में हिंदी का क्या पाठ्यक्रम चल रहा है।

हमारे तकनीक के वर्तनी के 'सक्षम', व्याकरण जांचक आदि दिखाए जाने चाहिए कि हिंदी में भी ऐसी शक्ति या सामर्थ्य है। साहित्य के व्यापक अर्थ को संप्रेषित करने की आवश्यकता है। सस्ते दाम पर पुस्तकें उपलब्ध हों। हिंदी के साथ दूसरे प्रमुख देशों की भाषाओं के कोश हम तैयार कर रहे हैं। सितंबर में सम्मेलन हो, तब तक ये कोश उपलब्ध करा सकें, ऐसी कोशिश जारी है। सरल हिंदी का शब्दकोश भी हमने बनाया है। उसे सुधार भी रहे हैं।

आप राष्ट्रभाषा नहीं सीखेंगे तो राष्ट्र के नेता नहीं बनेंगे

डॉ. वाई. लक्ष्मी प्रसाद :

पिछले पांच साल से ऐसे सम्मेलनों की सभा में मैं आता हूं, सुनता हूं, चला जाता हूं। लेकिन इस समिति के गठन में मुझे विश्वास हो रहा है कि आप हम कुछ करने के लिए आए हैं। प्रथम तमिल विश्व सम्मेलन के इक्कीसवें साल में तमिल विश्वविद्यालय का निर्माण हो गया है। तेलुगु विश्व सम्मेलन हुआ है, दो साल में तेलुगु विश्वविद्यालय बन गया है। विश्व हिंदी सम्मेलन पिचहत्तर में हो गया है, उसके बाद हिंदी विश्वविद्यालय बनने में पच्चीस साल लगे।

हिंदी के कौन विरोधी हैं? हिंदी के कौन प्रेमी हैं? मेरा यह अनुभव है, मेरी उन्नीस साल की उम्र से मैं हिंदी के पीछे हूं। वाजपेयी जी, चरणसिंह जी, जयप्रकाश नारायण जी, कर्पूरी ठाकुर जी, रामनरेश यादव, जार्ज फर्नांडीज जी, अंत में त्यागी जी, ये सभी लोग जब आंध्र में आते थे, तो एन.टी. रामाराव जी को कहते थे कि अगर आप राष्ट्रभाषा नहीं सीखेंगे तो राष्ट्र के नेता नहीं बनेंगे। उन्होंने सवेरे 5 से 6 बजे तक एक घंटा हिंदी सीखी।

मैं आपको एक प्रसंग बताता हूं, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री हैं, पंचवटी में केंद्रीय हिंदी समिति की सभा हो रही है, अडवाणी जी गृहमंत्री हैं, अध्यक्ष हैं राजभाषा समिति के, मुरली मनोहर जोशी जी, मानव संसाधन मंत्री हैं। हरि गौतम जी यूजीसी के अध्यक्ष हैं। सभा हो रही है, हिंदी को विश्वभाषा बनाना है। संयुक्त राष्ट्र संघ में ये करना है, वो करना है। मैंने अंत में अटल जी से कहा, अटल जी विश्वभाषा बनाएंगे, देश की भाषा कब बनाएंगे।

आप पहले देश की भाषा बनाइए। अटल जी ने जोशी व गौतम जी से कहा, तुरंत हम बनाएंगे। नोट कर लीजिए, दक्षिण के सभी विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग खोलेंगे। आदेश दे दिया गया। यूजीसी पांच साल के लिए पैसा देती है। पांच साल के बाद राज्य सरकार पर ख़र्चा आने लगता है। उन्होंने मना कर दिया, हम पैसा नहीं देंगे।

दूसरी सभा में मैंने कहा, हम इतने पैसे ख़र्च कर रहे हैं। हिंदी विभाग जिन

राज्यों के विश्वविद्यालयों में हैं, वहां पूरा अनुदान देंगे। आज तक कुछ नहीं हुआ है। अभी तक यूजीसी को हिंदी के महत्व की समझ नहीं है। बड़े महानुभावों द्वारा सभा में आदेश देने के बाद भी। लेकिन मुझे आज विश्वास हो रहा है कि विभिन्न विचारधारा के लोगों को आपने यहां बुलाया है, अब कुछ होगा! संसदीय राजभाषा समिति में 20 लोकसभा के और 10 राज्यसभा के, कुल 30 सदस्य होते हैं, लेकिन हर राज्य में नगर राजभाषा समिति होती है। इनकी सभा को इनके कार्यालयों में न करके होटलों में किया जाता है, बजट से मुख्यालय नहीं बनाए जाते, ये मानसिकता है।

विश्व हिंदी सम्मेलन आपके नेतृत्व में है, राजभाषा गृहमंत्रालय के नेतृत्व में है और केंद्रीय हिंदी संस्थान व निदेशालय या इन जैसे दूसरे कार्यालय मानव संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत हैं। इन सभी को एक ही मंत्रालय के अंतर्गत लाइए। जिस प्रकार हर मंत्रालय वित्तमंत्री की ओर देखते हैं, उसी प्रकार हर मंत्री इसी राजभाषा मंत्री को देखेगा, जो मंत्री अलग बनेगा। फिर देखिए हिंदी की प्रगति।

दूसरी बात है, हिंदी प्रेमियों की, 'पंख लगा दो बाहों में, उड़ जाऊं मैं नील गगन में।' आंध्र विश्वविद्यालय के हिंदी आचार्य राव जी की कविता है। लेकिन उसका नाम नहीं बताया जाए, तो कहा जाएगा किसी छायावादी कवि की कविता है। दक्षिण प्रांतों के विश्वविद्यालयों में चित्रा जी और अशोक चक्रधर जी ने आकर हज़ारों कविताओं, कहानियों के संकलन देखे हैं, लेकिन हिंदी साहित्य के किसी इतिहास में वहां के लेखकों के नाम का उल्लेख तक नहीं हैं।

हिंदी देश की भाषा कैसे बन सकती है? हिंदीतर राज्यों के हिंदी अनुयायियों का कहीं नाम तक नहीं? दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, चैन्नई की चार शाखाएं, चारों दक्षिण प्रांतों में हैं। उसके आंकड़े निकाले जाएंगे तो सबसे ज़्यादा हिंदी तमिलनाडु में सीखी जा रही है। मेरा एक नारा है, हिंदी थोपने वाली भाषा नहीं है। हिंदी जोड़ने वाली भाषा है। चंदन के समान लेपना है। मैं विनम्र प्रार्थना करता हूं कि हिंदी प्रांतों में जो बड़े-बड़े लोग हैं, किसी भी हिंदी प्रांत के विश्वविद्यालय में हिंदीतर के किसी साहित्यकार के लेख या पाठ को पाठ्यक्रम में

रखा गया है? नहीं!

अशोक जी जानते हैं। अमिताभ बच्चन जी अपने पिता के जन्मदिन अवसर पर हैदराबाद आए। जो 1500 पृष्ठों का अभिनंदन ग्रंथ छपा, उसके लोकार्पण पर आए। मैसूर हिंदी प्रचार सभा स्थापित करके दस लोगों को ट्रेनिंग देने महात्मा गांधी ने अपने पुत्र को भेजा। दक्षिण में कोई केंद्र खुलता है उत्तर से अधिकारी भेजकर बिठा दिया जाता है। वहां की प्रतिभाओं की अनदेखी होती है। वे लोग हिंदी क्यों सीखें? पिछले नौ सम्मेलनों में से मैंने सात में भाग लिया। हिंदी के प्रति हमारे अंदर सम्मान है। दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार-प्रसार की परेशानियों पर एक सत्र रखिए। विदेशों में और हिंदीतर प्रांतों में जो हिंदी लेखन हो रहा है, उसे भी मुख्यधारा के साहित्य में शामिल किया जाए।

अंग्रेज़ी में काम न होगा, फिर से देश ग़ुलाम न होगा!

श्री के.सी. त्यागी :

यह विश्व हिंदी सम्मेलन, साहित्य सम्मेलन बनकर न रह जाय, समग्रता वाला हो। हमने सबसे पहला काम किया था, अंग्रेज़ी हटाओ सम्मेलन। मैं उसमें पहली बार एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में शामिल हुआ था। ये नारा चला था, 'अंगेज़ी में काम न होगा, फिर से देश ग़ुलाम न होगा!' जितने भी अंग्रेज़ी वाले नामपट्ट होते थे, उसे हम हिंदी वाला करते थे। भारतीय भाषाओं का रुतबा व जलवा जो कम हुआ, मैं चाहता हूं उसको रि-स्टोर करने की ज़िम्मेदारी सुषमा जी के कंधों पर रहे।

मीठी भाषा मां की होती है

श्री सन्नध :

मैं आभारी हूं कि कर्नाटक को भी वार्ता के लिए सम्मिलित किया। हिंदी के प्रति आदर है कर्नाटक में। कई विश्वविद्यालयों में एम.ए. तक हिंदी पढ़ाई जाती है। कन्नड़ के अच्छे साहित्यकारों को भी सम्मेलन में आमंत्रित करके कबीर, मीरा जैसे वहां के रत्नों को भी हिंदी के साहित्यकारों से परिचित कराइए। मीठी भाषा

मां की होती है, 50% महिलाओं को बुलाइए, उनकी हिंदी बोलने का असर अधिक होगा। भाषणों के बाद चर्चा भी रखिएगा।

राजनीतिक इच्छाशक्ति निर्णायक हो

श्रीमती चित्रा मुद्गल :

चार सम्मेलनों का मुझे अनुभव है। इस तरह के विषय नहीं छुए गए। मैं 27 नवंबर, 1650 की ब्रिटेन की संसद में ले जाना चाहती हूं, वहां कहा गया था, 'आज भी हम आज़ाद नहीं ग़ुलाम हैं, इसलिए कि हमारी क़ानून की भाषा, शिक्षा की भाषा फ्रेंच है। सारी मानसिकता के अनुकूलन में हम जी रहे हैं। औपनिवेशिक स्थिति में ही हैं।' वहां तुरंत निर्णय लिया गया कि 1 जनवरी, 1651 से लैटिन व फ्रेंच से मुक्त होना शुरू करेंगे, बेहतर को भले रखें, लेकिन आगे से सब होगा अपनी भाषा में। 1650 तक अंग्रेज़ी वाले को मूर्ख समझा जाता था। मुझे लगता है, हम इंग्लैंड की 1650 वाली ग़ुलाम मानसिकता में जी रहे हैं, इससे निकलना ज़रूरी है। पहली बार विषय मूलभूत पूर्ति की आकांक्षा के विषय हैं। हांगकांग का हस्तांतरण 1979 में हुआ, चीन ने अगले ही दिन एक माह में अंग्रेज़ी के स्थान पर मेंडरिन में सब चीज़ें उपलब्ध करा दीं। राजनीतिक इच्छाशक्ति निर्णायक होनी चाहिए।

हिंदी की शक्ति और सामर्थ्य

श्रीमती सुषमा स्वराज :

चर्चा गंभीर भी हुई है और चर्चा सार्थक भी हुई है। चित्रा जी जिस इच्छाशक्ति का ज़िक्र कर रही थीं, मुझे ये नहीं मालूम कैसे होगा, लेकिन काम प्रारंभ हो गया है। चीन का उदाहरण भी उन्होंने दिया। हांगकांग का एक नए राष्ट्र के रूप में उदय हुआ था। कुछ बातों के लिए संविधान संशोधन की बात हुई, इस समय जो भारतीय संसद का चरित्र है, विशेष तौर पर लोकसभा में, आज वहां नब्बे फ़ीसदी सांसद हिंदी बोलते हैं। पचास प्रतिशत से ज़्यादा तो ऐसे हैं, जो अंग्रेज़ी जानते ही नहीं। जो अंग्रेज़ी जानते भी हैं, वे भी वहां हिंदी में बोलते हैं। वे

जानते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण होता है। वे यह भी जानते हैं कि अंग्रेज़ी बोलने वाले लोगों की पहुंच बहुत कम लोगों तक है। टीवी के आगे एक अच्छी भली महिला सभार कार्यवाही सुन रही है, उसे रोचक भी लग रहा है। जैसे ही अंग्रेज़ी में बोलने वाला आता है, वह उठकर अपने दूसरे काम करने लगती है या टीवी बंद कर देती है। उसको लगता है कि यह प्रसारण मेरे काम का नहीं है। वह रोटी-राटी बनाने की तैयारी में लग जाती है। इसलिए, यह जो हम कई बार हीनभावना की बात करते हैं, वह हीनभावना बोलने वालों में स्वयं होगी, सुनने वालों में नहीं है।

जब मैं विदेशों में भारतीय समुदाय के मध्य भाषण देने खड़ी होती हूं तो पहले पूछ लेती हूं, हिंदी या अंग्रेज़ी? इतनी ज़ोर से आवाज़ आती है, हिंदी! वे अधिकारी साक्षी हैं, जो यहां बैठे हैं। जो मेरे साथ गए थे। अगर मैं अंग्रेज़ी में बोल भी देती हूं, तो बाद में कहा जाता है, थोड़ी बात हिंदी में हो जाए। जब मैं अटल जी के साथ उनकी कैबिनेट में मंत्री थी, वे एक बार फिक्की को संबोधित करने गए, उन्होंने अपना अंग्रेज़ी में लिखित भाषण पढ़ा। नीचे से लोगों ने कहा, आनंद तो हिंदी में ही आएगा। एक बार हिंदी में बोल दीजिए।

आप जिन लड़कों की बात कर रहे हैं चिराग जी, जो ये कहते हैं कि 'आई एम नॉट कम्फर्टेबल इन हिंदी', सबसे पहले हिंदी फ़िल्म की टिकिट लेकर वे ही देखते हैं। अभी मैं तुर्कमेनिस्तान गई थी, वहां हमारा एक हिंदी अध्ययन केंद्र चलता है। वहां बच्चियां ज़्यादा थीं, लड़के कम थे। मैंने उनसे पहला प्रश्न यह किया कि आपने हिंदी पढ़ने का निर्णय कैसे लिया? उन्होंने कहा, हमें हिंदी फ़िल्में बहुत अच्छी लगती हैं। हम हिंदी फ़िल्मों का गाना गाते हैं। उसी भावना से हम बोलें, इसके लिए हम हिंदी सीख रहे हैं। जिस शक्ति और सामर्थ्य की बात यहां हुईं, उसी को देखते हुए सम्मेलन का विषय रखा है, 'हिंदी का विस्तार और संभावनाएं'। उन संभावनाओं में ही उभरकर आएगा कि हिंदी की क्या शक्ति है और क्या सामर्थ्य है।

चिकित्सा और अभियांत्रिकी हमने साथ-साथ रखे हैं। क्योंकि, हम दो-दो

सत्र मिलाकर चर्चा करेंगे। इतना समय होगा कि एक उपविषय रखें, जिससे कि उसके सारे खंड सत्र में आ जाएं। चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई है, इसलिए खासतौर से चिकित्सा के क्षेत्र में, विश्वविद्यालय को हिंदी में बहुत काम करना है।

'न्याय में हिंदी' बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी विषय है। वकील जो बोल रहा है, न मुवक्किल को पता चल रहा, न ही जज साहब आगे क्या कह रहे हैं, उसको पता चलता है। न्यायालयों में हिंदी तो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है।

वर्तनी की शुद्धता तो लिपि की शुद्धता हुई। सवाल है भाषा की शुद्धता का! लिपि की शुद्धता इसलिए नहीं है कि पढ़ाने वाले स्वयं छोटी इ, बड़ी ई, छोटा उ, बड़ा ऊ, इन ध्वनियों के साथ जो उच्चारण करते, पढ़ाते हैं, वह उन्हें पढ़ाना ही नहीं आता है। वे खुद ही ग़लत बोलते हैं। आजकल के बच्चे जो पढ़कर आते हैं, उसी में गड़बड़ी होती है।

बहुत से लोग रोमन में हिंदी लिखते हैं और हिंदी में ही बातें करते हैं। आज क़ुरान शरीफ़ का हिंदी अनुवाद मिलता है। हिंदुस्तान के करोड़ों मुसलमान हिंदी में वह क़ुरान पढ़ते हैं। उस क़ुरान में जो हिंदी इस्तेमाल की गई है, वह एक आम बोलने वाली हिंदी है। हिंदी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसे राष्ट्रभाषा न बनाया जा सके। हम लोगों को थोड़ी सी हिम्मत करनी चाहिए। लोगों को प्रोत्साहन देना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए। हिंदी पूरे हिंदुस्तान में क्या, पूरे विश्व में फैल जाएगी।

मैंने जो भाषानीति अपनाई, गिरीश्वर मिश्र जी इसके साक्षी हैं, मैंने कहा कि अपने यहां जो विदेशी अतिथि अंग्रेज़ी जानने वाला आएगा, उससे मैं अंग्रेज़ी में बात करूंगी, ताकि मैं बोलूं, वह समझे, वह बोले, मैं समझूं। दुभाषिए की आवश्यकता न पड़े। भाषांतर करने की ज़रूरत न पड़े। लेकिन, कोई भी ग़ैर-अंग्रेज़ी जानने वाला अगर मेरे साथ चीनी में, जापानी में, स्पैनिश में या फ्रेंच में बात करेगा तो मैं केवल हिंदी में बात करूंगी। मेरे लिए यह मजबूरी क्यों बननी चाहिए कि जब सामने वाला अपनी भाषा में बात कर रहा है, तो मैं अंग्रेज़ी में बात करके, उसको ये बता रही हूं कि मेरे देश की भाषा अंग्रेज़ी है! मुझे तो उसको

ये संकेत देकर भेजना है कि मेरे देश की भाषा हिंदी है। मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ कि लोग अंग्रेज़ी जानते हुए अपनी भाषा में बोले! क़तर से अमीर आए, अच्छी अंग्रेज़ी बोल रहे थे। जैसे ही उन्होंने मेरे साथ बात करनी शुरू की, अरबी में बोलने लगे।

हमने अब पूरा वातावरण बदल दिया है। हमारी विदेश नीति में, जैसा मैंने कहा कि अंग्रेज़ी का आधिपत्य था। आधिपत्य तो अभी समाप्त नहीं हुआ, लेकिन एक अच्छी शुरुआत हुई है, क्योंकि प्रधानमंत्री जहां जाते हैं, अधिकतम हिंदी में बोलते हैं। मैं जहां जाती हूं, हिंदी में बोलती हूं। हम किसी भी हीनभावना से ग्रस्त न हों। अगर आप अच्छी हिंदी बोलेंगे, लोग ज़रूर आपके साथ हिंदी बोलेंगे।

मुझे सूचना प्रसारण मंत्रालय के समय का एक प्रसंग याद है। कितने वर्षों से हमारे बच्चों को मिक्की माउस ही दिखाया जाता रहा है। जो भी एनीमेशन फ़िल्में होती थीं, उनमें मिक्की माउस था। मैंने दो निर्माताओं को अपने यहां बुलाकर कहा कि आप बच्चों के लिए हिंदी में कोई एनीमेशन फ़िल्म बनाएंगे? तो मेरे पास प्रस्ताव आया 'कालू-मोती' का। ये दोनों कुत्ते हैं। 'कालू-मोती' से जो शुरुआत हुई, वह छोटा भीम तक पहुंची, घटोत्कच तक पहुंची! हमारे सारे रामायण, महाभारत के पात्र हैं, कितने ज़्यादा लोकप्रिय हुए! बच्चे एक बार हनुमान देखने बैठ जाते हैं, तो उठते नहीं हैं।

अब हमने अपनी इच्छाशक्ति दिखाई है। आज संसद का जो चरित्र है, उसमें जो हम चाहें, वह करवा सकते हैं। इसलिए जो बात अशोक चक्रधर जी ने कही, राष्ट्रभाषा बनाने की बात, या कुछ प्रावधानों में संशोधन करने की बात, न्यायालय की भाषा अंग्रेज़ी ही क्यों रहे, यह बात, आज के दिन संशोधन हो सकते हैं। इस हिंदी सम्मेलन में संकल्प लेने की आवश्यकता है। संकल्प लेकर हम सरकार को कहें। वहां से बल मिले और सरकार उसके आधार पर अमल करे। मुझे लगता है कि यह अच्छी शुरुआत होगी।

समानांतर सत्र होंगे। एक अध्यक्ष और तीन वक्ता। पहले दस मिनट

अध्यक्ष बोलेंगे। पंद्रह-पंद्रह मिनट वक्ता बोलेंगे। पांच मिनट में बाद में समाहार होगा। फिर आधे घंटे की चर्चा होगी। लेकिन उसी सत्र को अगले सत्र में जारी रखेंगे, ताकि चर्चाओं के बाद रिपोर्ट बन सकें। दो दिन चर्चाओं के सत्र रखे हैं। आख़िरी दिन केवल रिपोर्ट्स का वाचन होगा।

यह सम्मेलन रस्मनिभायी नहीं है। बोले, सुने और चले गए। बाद में हमें इस सारे को आगे ले जाना है और जैसे वक्ता हम पूरे विश्व से बुलाना चाह रहे हैं, जिन्हें कहते हैं न, महारत रखते हैं, वे लोग इसमें बोलेंगे। सत्रों का निर्धारण इसी तरीक़े से होगा। सब कुछ विद्वान् की समिति ही तय करेगी।

मैंने प्रयास किया था कि इस आयोजन-समिति में हर प्रांत का व्यक्ति शामिल हो सके। ख़ासतौर से ग़ैरहिंदी प्रातों से ज़रूर आएं। राज्यसभा, लोकसभा के प्रतिनिधित्व में भी संतुलन हो जाए। इन तमाम बातों के बाद जो झलक मुझे मिल रही है, वह छोटे भारत के रूप में है। मैंने आपके सारे विचार नोट किए हैं। मैं पुनः आप सबका धन्यवाद करती हूं।

2015

हिंदी का उत्ताल ताल भोपाल

सम्मेलन में देश-विदेश के हज़ारों प्रतिभागी आए। सबके पास अपने-अपने अनुभव थे। एक ही समय पर चार-चार समानांतर सत्र चल रहे थे। एक प्रतिभागी सभी सत्रों में सम्मिलित नहीं हो सकता था। लेकिन, किसी एकल व्यक्तित्व की जितनी भी शिरकत हो पाए, उससे भी एक राय तो बनती ही है। हमारे प्रबंध-संपादक डॉ. गिरिराजशरण अग्रवाल ने अपने अनुभववादी ढंग से दसवें विश्व हिंदी सम्मेलन पर यह रपट लिखी है। उन्होंने प्रधानमंत्री जी के उद्घाटन भाषण का पाठ भी तैयार किया। दोनों प्रस्तुत हैं।

— संपादक

10वां सम्मेलन : हिंदी का महाकुंभ

—डॉ. गिरिराजशरण अग्रवाल

तालों की नगरी भोपाल में विश्व हिंदी सम्मेलन स्थल को पं. माखनलाल चतुर्वेदी नगर के रूप में सज्जित किया गया था। विशाल पंडाल को भी तीन खंडों में बनाया गया था। प्रथम खंड में पंजीकरण, द्वितीय प्रतीक्षा एवं अतिथि मिलन कक्ष तथा उसके बाद कविवर रामधारी सिंह दिनकर सभागार।

इनके अतिरिक्त समानांतर सत्रों के लिए अलग-अलग पांच वातानुकूलित सभागार बनाए गए थे। 1. रोनाल्ड स्टुअर्ट मेग्रेगर कक्ष, 2. अलेक्सेई पेत्रोविच वरान्निकोव कक्ष, 3. विद्यानिवास मिश्र कक्ष, 4. कवि प्रदीप कक्ष 5. राजेंद्र माथुर कक्ष एवं प्रदर्शनी कक्ष 1. डॉ. मोटूरि सत्यनारायण कक्ष और 2. सोमदत्त बखौरी कक्ष। स्वागतकक्ष सुभद्राकुमारी चौहान सभागार के नाम से बनाया गया था। प्रतिनिधि भोजन-कक्ष का नाम दुष्यंतकुमार और विशिष्ट अतिथि भोजन-कक्ष का नाम काका साहब कालेलकर भोजन-कक्ष रखा गया था।

सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया में हिंदी के प्रति आकर्षण बढ़ा है। हिंदी की समृद्धि के लिए इसे अन्य भारतीय भाषाओं के साथ न केवल जोड़ने की प्रक्रिया चलनी चाहिए, बल्कि इसे निरंतर जारी भी रखना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि हिंदी भाषा का आंदोलन चलाने वाले अधिकतर अग्रणी लोग अहिंदी-भाषी थे। उन्होंने कहा कि सुभाषचंद्र बोस, लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, काका कालेलकर या राजगोपालाचारी, इन सबकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी। आचार्य विनोबा, दादा धर्माधिकारी आदि ने

हिंदी भाषा के संरक्षण और संवर्द्धन के लिए दीर्घ दृष्टि से काम किया है। हर पीढ़ी का दायित्व है कि उसके पास जो विरासत है, उसे सुरक्षित रखे और आने वाली पीढ़ी को सौंपे।

(प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के उद्घाटन-भाषण का पाठ आगे दिया जा रहा है।)

विदेशमंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने कहा कि अभी तक जितने भी विश्व हिंदी सम्मेलन हुए हैं, वे साहित्य पर केंद्रित थे। यह पहला ऐसा सम्मेलन है, जो भाषा को समर्पित है। सम्मेलन की रूपरेखा की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन परिणाममूलक होगा। सम्मेलन में ऐसे विषयों का चयन किया गया है, जिनमें वर्तमान में हिंदी भाषा के विस्तार की संभावनाएं हैं। संचार एवं सूचना, प्रशासन, सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान और विदेश नीति ऐसे ही कुछ विषय हैं। इन सभी विषयों पर समानांतर सत्रों में चर्चा होगी और सभी सत्रों की रिपोर्ट तत्काल तैयार की जाएगी। इन सत्रों में प्राप्त अनुशंसाओं का तुरंत क्रियान्वयन किया जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री और अतिथियों का स्वागत किया। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री मोदी को सम्मेलन के आयोजन की सहमति देने के लिए धन्यवाद दिया।

सम्मेलन-स्थल पर विशेष प्रदर्शनियां लगाई गईं। प्रदर्शनी-स्थल पर हिंदी की पुस्तकों के लोकार्पण हेतु अलग से स्थान निर्धारित किया गया, जहां पुस्तकों एवं पत्रिकाओं का लोकार्पण समानांतर रूप से चलता रहा। सम्मेलन के दौरान शाम को संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार और संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

दैनिक सम्मेलन-समाचारपत्र 'सम्मेलन-समाचार', सम्मेलन-स्मारिका और शैक्षिक सत्रों में हुई चर्चाओं और सुझावों के आधार पर एक सम्मेलन रिपोर्ट भी प्रकाशित की गई। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् द्वारा 'गगनांचल' का विशेष अंक निकाला गया, जिसका संपादन प्रो. अशोक चक्रधर ने किया।

प्रवासी साहित्य को प्रस्तुत करने की दृष्टि से विदेश मंत्रालय भारत सरकार द्वारा डॉ. कमलकिशोर गोयनका के संपादन में एक अन्य पुस्तक 'जोहान्सबर्ग से आगे' का प्रकाशन भी किया गया। इसी के साथ श्री मनोहर पुरी के संपादन में सम्मेलन स्मारिका का प्रकाशन भी किया गया। इनके अतिरिक्त केंद्रीय हिंदी निदेशालय के प्रकाशन विभाग ने 'भाषा', केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा ने 'गवेषणा', विश्व हिंदी परिषद् नई दिल्ली ने 'आधुनिक साहित्य' तथा कई अन्य संस्थाओं ने अपनी पत्रिकाओं के विशेष अंक प्रकाशित किए।

10वें विश्व हिंदी सम्मेलन के लिए उपयुक्त 'लोगो' के चयन हेतु 50 हज़ार रुपए की राशि के पुरस्कार के साथ मंत्रालय द्वारा एक 'लोगो' डिजाइन प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। प्रतियोगिता की विजेता, बंगलुरु की सुश्री ख्याति गुप्ता को माननीय विदेश मंत्री महोदया द्वारा पुरस्कार की राशि दी गई।

'गिरमिटिया देशों में हिंदी' पर समानांतर सत्र

दसवें विश्व हिंदी सम्मेलन के पहले दिन रोनाल्ड स्टुअर्ट मेक्ग्रेगर सभागार में 'गिरमिटिया देशों में हिंदी' विषय पर समांतर सत्र में इन देशों में हिंदी के विकास और इससे जुड़े विषयों पर विचार-विमर्श हुआ। 10 सितंबर को हुए सत्र की अध्यक्षता गोवा की राज्यपाल श्रीमती मृदुला सिन्हा ने की। सत्र का संचालन श्री मनोहर पुरी ने किया। श्री मनोहर पुरी ने विषय का परिचय करवाते हुए गिरमिटिया देशों में भारत से मजदूर के रूप में गए लोगों के इतिहास, उनके द्वारा संस्कृति, धर्म, परंपराओं और हिंदी के संरक्षण और विकास पर किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला।

डॉ. रामनरेश मिश्र ने बताया कि गिरमिटिया देशों में भारतीयों ने किस तरह भारत की संस्कृति को जीवित रखा। इस कार्य में 'रामचरितमानस' सहित भारत के धार्मिक ग्रंथों पर उनके योगदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि गिरमिटिया किस तरह अपने दुख-दर्द और अन्याय को भूलकर भारतीय त्योहारों को पूरे उत्साह से मनाते हैं।

श्रीमती सरिता बुधु ने बताया कि मॉरीशस में गिरमिटिया मजदूर के रूप में

गए लोगों ने वहां भारत की संस्कृति पर आधारित गांव बसाए। उन्होंने बताया कि किस तरह वे लोग दादा, नाना, चाचा, मामा, मौसी-मौसा आदि भारतीय संबोधनों को आज भी जीवित रखे हुए हैं। उनकी नई पीढ़ियां भी इन्हीं संबोधनों का उपयोग करती हैं।

श्री आर.के. सिन्हा ने बताया कि हिंदी आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी भाषा बनी है, तो उसमें गिरमिटिया देशों में रहने वाले भारतीय लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने बताया कि मॉरीशस में हिंदी साहित्य का लेखन 1910 में शुरू हो गया था। मॉरीशस में पहला हिंदी ग्रंथ 'मॉरीशस का इतिहास' आशाराम विश्वनाथ ने लिखा। मॉरीशस की आज़ादी में हिंदी का बहुत बड़ा योगदान है। श्री सिन्हा ने अपेक्षा की कि दूतावास हिंदी के क्षेत्र में ज़्यादा बेहतर कार्य करें। दूतावास में हिंदी से जुड़े कम से कम एक अधिकारी को पदस्थ किया जाना चाहिए। साथ ही हिंदी की पुस्तकें भी उपलब्ध करवाई जानी चाहिए।

मॉरीशस की मानव संसाधन एवं विज्ञान मंत्री श्रीमती लीलादेवी दुकन लछुमन ने कहा कि सभी गिरमिटिया देशों ने धर्म और संप्रदाय से उठकर हिंदुस्तानी समाज का विकास किया। श्रीमती लछुमन ने हिंदी के विकास के लिए किए जा रहे कार्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि मॉरीशस में हिंदी को जोड़ने के लिए नई प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है। साहित्य के अलावा आधुनिक विषयों के साथ उन्हें हिंदी के माध्यम से जोड़ा जा रहा है।

श्रीमती लछुमन ने कहा कि हिंदी के प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी है। भारत इस कमी को दूर करने में सहयोग कर सकता है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय भाषा का मानक विकसित करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा गिरमिटिया देशों में हिंदी के अध्ययन के लिए दी जानेवाली छात्रवृत्ति का कोटा बढ़ाया जाए। बच्चों को केवल हिंदी साहित्य नहीं बल्कि बिजनेस हिंदी, कम्युनिकेशन, हिंदी एंड टेक्नालॉजी तथा तुलनात्मक अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियां दी जाएं। दूरदर्शन के माध्यम से एक ऐसा चैनल स्थापित किया जाए, जिसमें हिंदी और भारतीय भाषाओं की शिक्षा के लिए बच्चों के रोचक कार्यक्रम

हों। ये कार्यक्रम टेलीविजन और स्मार्ट फ़ोन के माध्यम से पूरी दुनिया में मुफ़्त प्रसारित किए जाएं। उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक आदान-प्रदान में हिंदी को विशेष महत्व दिया जाए। भारत में प्रवासी हिंदी साहित्य के अध्ययन को अनिवार्य किया जाए और इसके शोध के लिए आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाए। उन्होंने हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा बनाए जाने पर भी जोर दिया।

भारतीय भाषाओं और हिंदी में दोतरफ़ा अनुवाद बढ़े

एक समानांतर सत्र में 'अन्य भाषा-भाषी राज्यों में हिंदी' विषय पर श्री वाई. लक्ष्मीप्रसाद के संयोजन में अनेक वक्ताओं ने विचार व्यक्त किए। कवि प्रदीप सभागार में हुए इस सत्र में अधिकांश वक्ताओं ने भारतीय भाषाओं और हिंदी के मध्य दोतरफ़ा अनुवादकार्य को बढ़ाए जाने की जरूरत बताई। वक्ताओं ने दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर के राज्यों में काम कर रही हिंदी संस्थाओं की जानकारी दी।

पूर्वोत्तर विश्वविद्यालय शिलांग के श्री माधवेंद्र पांडे ने अनुवाद का काम स्थायी रूप से किए जाने की महत्ता बताते हुए पृथक अनुवाद मंत्रालय प्रारंभ करने का सुझाव दिया। प्रो. रामचंद्र राय ने बताया कि पूर्वोत्तर के राज्यों पर पड़ोसी देश चीन, बर्मा, तिब्बत आदि भाषाओं का भी प्रभाव है, इसलिए यहां हिंदी का प्रचार-प्रसार बढ़ाया जाना चाहिए। आंध्रप्रदेश के प्रो. शेषरत्नम ने हिंदी को मीडिया और व्यवसाय-क्षेत्र की प्रमुख भाषा बताया।

प्रो. वी. वाई. ललितांबा ने दक्षिण भारत में हिंदी को अपनाने के लिए हुए प्रयास की जानकारी दी। प्रो. एम. ज्ञानम ने कहा कि अनुवाद में हिंदी संपर्क भाषा के कारण अधिक उपयोगी है। सूचनापट हिंदी में लगाने, विदेश में हिंदी-शिक्षण बढ़ाने, सांस्कृतिक कार्यक्रम से हिंदी का प्रचार करने और संगोष्ठियों के माध्यम से भाषा-संगम कार्यक्रम करने के सुझाव भी दिए। प्रो. सुशीला थामस ने कहा कि विनोबा जी और तिलक जैसे अहिंदी-भाषी महापुरुषों ने हिंदी की प्रतिष्ठा बढ़ाई है। प्रो. थामस ने स्वतंत्रता के पहले दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर में कार्यरत हिंदी संस्थाओं से अवगत करवाया।

देश में हो बाल साहित्य अकादमी की स्थापना

एलेक्सई पेत्रोविच सभागार में बाल साहित्य अकादमी की स्थापना करने की अनुशंसा सर्वसम्मति से की गई। यह अकादमी पाठ्यक्रमों में बाल साहित्य शामिल किए जाने और ऐसे पाठ्यक्रमों के निर्माण के लिए बाल साहित्यकारों के साथ समन्वय करे। इस समानांतर सत्र की अध्यक्षता बाल पत्रिका 'चंदामामा' के पूर्व संपादक बालशौरि रेड्डी ने की। सत्र की संयोजिका ऊषा पुरी थीं। अनुशंसा की गई कि बाल साहित्य में देशी-विदेशी महापुरुषों, स्वतंत्रता-संग्राम-सेनानियों और पौराणिक चरित्रों, भारतीय संस्कृति तथा मानवीय मूल्यों और वैश्विक साहित्य को हरसंभव स्थान मिलना चाहिए। बाल साहित्य में स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम आरंभ किए जाने की भी आवश्यकता बताई गई। यह भी अनुशंसा की गई कि बाल साहित्य रचने वाले लेखकों को उनकी किताबों के प्रकाशन के लिए आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए और उन्हें यथोचित सम्मानित भी किया जाना चाहिए।

बाल साहित्य के मानकीकरण और दृश्य-श्रव्य माध्यमों में दिखाए जाने वाले कार्यक्रमों को बच्चों की रुचि, आवश्यकता और योग्यता के अनुसार वर्गीकृत करने के लिए बाल साहित्य बोर्ड जैसी संस्था का गठन करने की भी अनुशंसा की गई।

हिंदी ने विश्व में विकसित कर लिया है अपना राष्ट्र

डॉ. प्रेम जनमेजय ने अलेक्सेई पेत्रोविच वारान्निकोव सभागार में 'विदेशों में हिंदी शिक्षण, समस्याएं और समाधान' के आरंभिक सत्र में कहा कि हिंदी ने विश्व में अपना राष्ट्र विकसित कर लिया है। सम्मेलन में 39 देशों की भागीदारी इस बात का प्रमाण है।

हंगरी से आई श्रीमती मारिया नेज्येशी ने कहा कि 20 लाख की आबादी वाले हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में 2 हिंदी अध्ययन केंद्र हैं। यूरोप में पिछले 30-35 वर्ष से हिंदी की लोकप्रियता और क्षेत्र बढ़ा है। हंगरी में 1873 में भारोपीय भाषाविज्ञान केंद्र की स्थापना की गई थी। संस्कृत का 140 वर्ष से यहां

स्थान है। यहां 1956 से भारत विद्या अध्ययन प्रमुख विषय के रूप में शामिल है। श्रीमती मारिया ने अनेक पुस्तकों का हंगेरियन से हिंदी और हिंदी से हंगेरियन में अनुवाद कर दोनों ही भाषाओं को समृद्ध किया है।

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् की ओर से थाईलैंड में पदस्थ श्रीमती करुणा शर्मा ने कहा कि थाई भाषा में संस्कृत-पाली के काफ़ी शब्द मिलते हैं। परंतु थाई जैसी बोली जाती है, वैसी पढ़ी नहीं जाती। इसलिए भारत से हिंदी शिक्षक को विदेश पदस्थ करने के पहले तकनीकी रूप से सुप्रशिक्षित करना चाहिए। हिंदी पाठ्यक्रम स्थानीय भाषा-संस्कृति को शामिल करते हुए रोचक बनाया जाए।

सऊदी अरब के श्री इस्माइल ने बताया कि वहां के अंतरराष्ट्रीय भारतीय विद्यालय में 19 हजार छात्र हिंदी की पढ़ाई कर रहे हैं। इसके अलावा 25-30 स्कूलों में भारतीय छात्र सीबीएसई के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिंदी में भी अन्य विदेशी भाषाओं की तरह अच्छे अंक मिलने चाहिए, जो अभी तुलनात्मक रूप से नहीं मिलते।

मिस्र की श्रीमती गुलनाज़ अब्दुल मजीद ने कहा कि वहां संचालित छमाही हिंदी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के साथ ही अगली प्रतीक्षा-सूची भर जाती है। भारतीय लोगों से लोग हिंदी सीख रहे हैं। भारतीय फ़िल्मों की विदेशों में हिंदी के प्रसार में सशक्त भूमिका पर भी सत्र में चर्चा हुई।

संचार एवं प्रौद्योगिकी में हिंदी' सत्र की अध्यक्षता

केंद्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने 'संचार एवं प्रौद्योगिकी में हिंदी' सत्र की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि कंप्यूटर एवं स्मार्ट फ़ोन उपयोग के मामले में देश के लोग बहुत आगे हैं, हमें उनके साथ चलने की ज़रूरत है। डिजिटल इंडिया के सपने को पूरा करने के लिए हमें स्मार्ट फ़ोन के माध्यम से छोटे कामगारों को रोज़गार उपलब्ध करवाना होगा। श्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सूचना तकनीक के उपयोग से लोगों का जीवन आसान हुआ है। इसे बढ़ावा देने के लिए संचार विभाग ने सूचना प्रौद्योगिकी में हिंदी के साथ

देश की अन्य भाषा में ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार किए हैं। लोगों की सुविधा के लिए विभाग ने कंप्यूटर एवं स्मार्ट फ़ोन पर जीवन प्रमाणन, खोया-पाया, ई-बस्ता, ई-छात्रवृत्ति आदि एप्स भी विकसित किए हैं।

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी के मुख्य वक्ता

प्रो. अशोक चक्रधर ने कहा कि कंप्यूटर का हिंदी की-बोर्ड होना प्राथमिक आवश्यकता है। कंप्यूटर को बढ़ावा देने के लिए स्कूल स्तर से ही बच्चों को उनकी मातृभाषा में कंप्यूटर का प्रशिक्षण देना होगा। इंटरनेट के आने से अंग्रेज़ी भाषा के साथ हिंदी को भी बढ़ावा मिला है। अब विश्व के लोग भारत की भाषा हिंदी में उसके इतिहास, संस्कृति, पर्यटन-स्थल आदि के बारे में इंटरनेट से अधिक से अधिक जानकारी लेने लगे हैं। प्रो. चक्रधर ने कहा कि भारत सरकार के सी-डैक, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी आदि विभाग, विभिन्न कंप्यूटर कंपनियों एवं जागरूक लोगों ने कंप्यूटर में हिंदी का उपयोग बढ़ाने के लिए कई सॉफ़्टवेयर, एप्स, इंस्क्रिप्ट की-बोर्ड उपलब्ध करवाए हैं। इनका अधिक से अधिक उपयोग करने से हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं का उपयोग कंप्यूटर में बढ़ेगा। सूचना प्रौद्योगिकी में हिंदी के उपयोग को प्रोत्साहित करने में केवल भावुकता से नहीं, बल्कि वैज्ञानिक पद्धति अपनाने से बात बनेगी।

अगले दो दिनों में इस सत्र की अध्यक्षता प्रो. अशोक चक्रधर ने की। सत्र में संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. स्वर्णलता, सी-डैक के श्री एम.डी. कुलकर्णी एवं राजभाषा विकास विभाग के श्री केवलकृष्ण ने कंप्यूटर में हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं में तैयार किए गए विभिन्न सॉफ़्टवेयर, इंस्क्रिप्ट की-बोर्ड आदि के बारे में जानकारी दी। कंप्यूटर-विशेषज्ञ श्री हर्षकुमार ने कहा कि कंप्यूटर में उपयोग के लिए हमारी भाषा हिंदी एवं देवनागरी लिपि में कोई कमी नहीं है। इसके लिए हिंदी शब्दों का मानकीकरण होना चाहिए। हिंदी में कंप्यूटर को प्रोत्साहित करने के लिए सामान्य बोलचाल की भाषा के शब्दों में हमें ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित करने की ज़रूरत है। सत्र में विदेश राज्यमंत्री जनरल वी. के. सिंह के अलावा सत्र संयोजक डॉ. रचना विमल

तथा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा इस क्षेत्र के विशेषज्ञ और विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।

भारत की विदेश नीति में हिंदी का अधिकतम प्रयोग हो

'विदेश नीति में हिंदी' विषय पर समानांतर सत्र में विशेषज्ञों ने भारत की विदेश नीति में हिंदी के अधिकतम प्रयोग का आग्रह किया। सत्र की अध्यक्षता सांसद श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी ने की। सांसद श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी ने कहा कि प्रायः यह धारणा रही है कि विदेश नीति में हिंदी का क्या काम। संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। अधिक से अधिक काम हिंदी में किया जाना आवश्यक है। पत्रकार श्री क़ुर्बान अली ने कहा कि बीते एक वर्ष में विदेश मंत्रालय में हिंदी का प्रयोग काफ़ी बढ़ा है। विदेश मंत्रालय में मौलिक हिंदी-लेखन भी होने लगा है। उन्होंने विदेश मंत्रालय की वैबसाइट में मौलिक हिंदी-लेखन को और बढ़ाने की आवश्यकता बताई। श्री अली ने इस वैबसाइट पर क्षेत्रीय भाषाओं में भी जानकारी उपलब्ध करवाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और विदेशमंत्री तो हिंदी में बोल रहे हैं, लेकिन विदेश मंत्रालय के अधिकारी आज भी अंग्रेज़ी अधिक बोलते हैं। इसके अनुवाद में कई बार अर्थ का अनर्थ हो जाता है। श्री ज्ञानेश्वर मुले ने हिंदी प्रचार-प्रसार में राजनयिकों की भूमिका पर बोलते हुए कहा कि हम दूसरे देशों को अपने देश के हितों के बारे में अपनी भाषा में ज़्यादा अच्छी तरह बता सकते हैं। उन्होंने कहा कि राजनयिकों को हिंदी में बात करना आना चाहिए। आश्चर्य की बात है कि हम आपस में भी अंग्रेज़ी में बात करते हैं। जब तक हमारे नेता, उच्चायुक्त, राजदूत और अन्य वरिष्ठ अधिकारी हिंदी नहीं बोलेंगे, तब तक हिंदी में सुधार नहीं होगा। उन्होंने विदेश सेवा में हिंदी अभियान चलाने और वैश्विक हिंदी नीति बनाने का सुझाव दिया।

श्री गिरीश्वर मिश्र ने कहा कि भारत एक सर्वप्रभुत्व संपन्न गणराज्य है। जब हम विदेश की बात करते हैं, तो उसमें पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका तथा बड़ी संख्या में ऐसे देश भी शामिल रहते हैं, जहां भारतीय रहते हैं। ऐसी स्थिति में हमें अपनी बात ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में कहनी आनी चाहिए। श्री मिश्र ने कहा कि

अनेक ऐसे देश हैं, जहां विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर कोई बात कही जाती है तो वह वहां की राष्ट्रभाषा में होती है, ऐसा ही भारत में होना चाहिए। उन्होंने हिंदी भाषांतरकारों और अनुवादकों की कमी दूर करने के लिए विदेशी भाषाओं को शिक्षा-व्यवस्था में शामिल करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि स्नातक स्तर पर लोगों को विदेशी भाषाएं विषय के रूप में पढ़ने को कहा जाए। अनेक देशों में विदेशी भाषाओं के विश्वविद्यालय हैं। भारत में विदेशी भाषाओं के विश्वविद्यालय स्थापित होने चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनय की पुस्तकें हिंदी में हों और हिंदी की पुस्तकों को बाहर भेजने की व्यवस्था की जाए।

सरल हिंदी के उपयोग से शासन और जनता के बीच की दूरी ख़त्म होगी

'प्रशासन में हिंदी' सत्र की अध्यक्षता मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने की। उन्होंने कहा कि प्रशासन में हिंदी की सरल शब्दावली शासन और जनता के बीच में दूरी ख़त्म करने का काम करती है। उन्होंने कहा कि हिंदी आम आदमी से संवाद करने और उसे सहज रूप से लाभ पहुंचाने का सशक्त माध्यम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम किसी भाषा के विरोधी नहीं हैं, लेकिन अंग्रेज़ी कभी आम जनता की भाषा नहीं बन पाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों में प्रतिभा, क्षमता और योग्यता की कोई कमी नहीं होती है। यह बात इस वर्ष प्रदेश के अनुसूचित जाति और जनजाति के दूरस्थ अंचल के विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय स्तर की शैक्षणिक संस्थाओं की प्रवेश-परीक्षा उत्तीर्ण कर सिद्ध की है। उन्होंने कहा कि हिंदी ज्ञान, विज्ञान और तकनीक की भाषा है। सम्मेलन में आए सुझावों को अमल में लाकर प्रशासन में सरल हिंदी के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। श्री राजेंद्रप्रसाद मिश्र ने कहा कि प्रशासन में हिंदी लोकोन्मुखी और कल्याणकारी होनी चाहिए। डॉ. रामलखन मीणा ने कहा कि हिंदी समृद्ध भाषा है, इसमें अन्य भाषाओं के शब्दों को अंगीकार करने की क्षमता है। साथ ही इसमें अभिव्यक्ति और सृजन की अपार क्षमता है। राजभाषा विभाग की संयुक्त सचिव श्रीमती पूनम जुनेजा ने हिंदी के राजभाषा बनने की ऐतिहासिक परिस्थितियों से

अवगत करवाया। सांसद डॉ. सत्यनारायण जटिया ने कहा कि अब देश में हिंदी का प्रसार बढ़ रहा है। इसरो जैसी संस्था में 92 प्रतिशत पत्राचार में हिंदी का उपयोग करना उत्साहवर्धक है। सत्र का संयोजन डॉ. हरीश नवल ने किया। इस अवसर पर विभिन्न प्रतिभागियों ने हिंदी को समृद्ध बनाने के लिए प्रशासन में हिंदी के उपयोग के कई सुझाव दिए।

सम्मेलन का समापन-समारोह

दसवें विश्व हिंदी सम्मेलन का समापन भव्यता के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हिंदी भारत की राजभाषा के साथ संपर्क भाषा भी है। भारत की संस्कृति और जीवनमूल्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली भाषा हिंदी है। समापन में सम्मेलन के दौरान 12 विषयों पर आयोजित सत्रों का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। गृहमंत्री सिंह ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकृत भाषा में हिंदी शामिल होनी चाहिए। जब अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के लिए दुनिया के 177 देशों का समर्थन प्राप्त किया जा सकता है, तो हिंदी के लिए क्यों नहीं? हिंदी दुनिया में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। टेक्नालॉजी कंपनियों ने हिंदी के महत्व को समझा है और वे इसे बढ़ावा दे रही हैं। इंटरनेट पर जिस भाषा में सबसे अधिक कंटेंट जैनरेट होता है, वह भाषा हिंदी है। भारत में बोली जाने वाली सबसे पुरानी भाषा तमिल है और राष्ट्रीय स्तर पर मातृभाषा संस्कृत है। भौगोलिक और संख्यात्मक दृष्टि से सबसे बड़ी भाषा हिंदी है, जो संस्कृत के सबसे अधिक निकट है। स्वतंत्रता-संग्राम को अखिल भारतीय स्वरूप देने का काम हिंदी ने किया था। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का समर्थन करने वाले महापुरुषों में अधिकांश अहिंदी-भाषी थे। हिंदी वैज्ञानिक दृष्टि से सबसे समृद्ध भाषा है। हिंदी के विकास में देश के साथ विदेशियों का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने कहा कि भारतीय उद्योग अपने सारे उत्पादों का नाम हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में लिखें। ग़ैर-हिंदी-भाषी क्षेत्रों में भी लोग हिंदी समझते हैं। अंतरराष्ट्रीय जगत में हिंदी की प्रतिष्ठा पिछले दिनों बढ़ी है। हिंदी को दूसरे देशों में जीवित रखने में गिरमिटिया लोगों का महत्त्वपूर्ण योगदान है।

हिंदी को बढ़ावा देने के लिए मध्यप्रदेश में हरसंभव प्रयास

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन से हिंदी के प्रति सकारात्मक वातावरण बना है। श्री चौहान ने कहा कि हिंदी को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए मध्यप्रदेश सरकार समाज के साथ मिलकर हरसंभव प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि सम्मेलन की अनुशंसाओं पर भारत सरकार आवश्यक कार्रवाई करेगी। मध्यप्रदेश सरकार अपने स्तर पर हिंदी को प्रोत्साहित करने के ठोस क़दम उठाएगी। उन्होंने हिंदी को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता ज़ाहिर करते हुए घोषणा की कि प्रदेश में राजभाषा विभाग को पुनर्जीवित किया जाएगा। प्रदेश में उपभोक्ता वस्तुओं का नाम हिंदी में लिखा जाएगा। कंप्यूटर सॉफ़्टवेयर हिंदी में बनाए जाएंगे और शासकीय विज्ञापन हिंदी में जारी किए जाएंगे।

उन्होंने घोषणा की कि अटलबिहारी हिंदी विश्वविद्यालय को अंतरराष्ट्रीय स्तर का संस्थान बनाया जाएगा। हिंदी का उपयोग करना मानव अधिकार माना जाएगा। उच्च न्यायालयों के निर्णय हिंदी में उपलब्ध करवाने के लिए अनुवादक नियुक्त किए जाएंगे। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के शब्दों को परस्पर ग्रहण किया जाएगा। जहां पर ज्यादा अंग्रेज़ी लिखना ज़रूरी होगा, वहां हिंदी में प्रमुखता से लिखा जाएगा। मध्यप्रदेश के सभी संस्थानों के नाम हिंदी में लिखे जाएंगे। किसी अधिकारी-कर्मचारी के विरुद्ध हिंदी में बोलने एवं काम करने पर निलंबन जैसी कार्रवाई नहीं की जाएगी।

शासकीय पत्राचार हिंदी में किया जाएगा। तकनीकी प्राक्कलन हिंदी में बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव एवं सभी विभागाध्यक्ष हिंदी का प्रयोग करेंगे। प्रदेश में सभी प्रतियोगी परीक्षाएं हिंदी माध्यम में होगी। विधि अनुवादकों की नियुक्ति की जाएगी। हिंदी अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। प्रदेश में हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस आयोजित किया जाएगा। हिंदी को प्रोत्साहित करनेवाले व्यक्तियों को हिंदी दिवस पर सम्मानित किया जाएगा। ग़ैर हिंदी-भाषी अधिकारियों को हिंदी का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रदेश में सभी सूचनाएं और अधिसूचनाएं हिंदी में जारी की जाएंगी।

11 वां विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरीशस में

केंद्रीय विदेश राज्यमंत्री जनरल वी. के. सिंह ने प्रस्तावित किया कि विश्व हिंदी सम्मेलन में प्राप्त अनुशंसाओं के लिए विदेश मंत्रालय स्तर पर एक विशेष समीक्षा-समिति गठित की जाएगी। यह अनुशंसाओं को विभिन्न मंत्रालयों को अग्रेषित करेगी। वर्ष 2018 में 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरीशस में होगा। उनके इन दोनों प्रस्ताव को सम्मेलन में अनुमोदित किया गया। सांसद एवं आयोजन समिति के उपाध्यक्ष श्री अनिल माधव दवे ने प्रख्यात अभिनेता श्री अमिताभ बच्चन का पत्र पढ़ा। उन्होंने कहा कि अपनी भाषा के सम्मान से ही कोई समाज बड़ा होता है।

बारह विषयों के विमर्श-प्रतिवेदन

तीन दिवसीय दसवें विश्व हिंदी सम्मेलन में बारह विषयों पर समानांतर सत्रों में विमर्श किया गया। इनमें आईं अनुशंसाओं को सत्रों के संयोजकों ने समापन अवसर पर प्रस्तुत किया। विश्व हिंदी सम्मान से विभूषित हुए देशी-विदेशी हिंदीसेवी। समारोह में श्री अनूप भार्गव अमेरिका, डॉ. स्नेह ठाकुर कनाडा, डॉ. आई.एन.एस. जर्मनी, डॉ. अकीरा साकाखासी जापान, प्रो. ऊषादेवी शुक्ल दक्षिण अफ्रीका, सुश्री कमला रामलखन त्रिकास्त तुबेको, डॉ. देवंतदास लिथुवानिया, डॉ. नीलमकुमारी फिजी, डॉ. सारजिक अजामिन माताबदल मॉरीशस, गुलशन सुखलाल मॉरीशस, डॉ. इंदिरा गाजियाबादी रूस, इंदिराकुमार दासनायक श्रीलंका, मोहम्मद इस्माइल सउदी अरब, श्री सुरजन परोही सूरीनाम, श्री कैलाशनाथ यू.के. एवं श्रीमती उषा राजे सक्सेना यू.के. तथा भारत के डॉ. प्रभाकर श्रोत्रिय, डॉ. प्रभातकुमार भट्टाचार्य, डॉ. एन. चंद्रशेखरन नायर, डॉ. मधु धवन, सुश्री माधुरी जगदीश छेरा, प्रो. अनंतराम त्रिपाठी, कुमारी अहम कामे, वरमानंदन कामछा, डॉ. नागेश्वरम सुंदरम, प्रो. हरिराम मीणा, डॉ. व्यासमणि त्रिपाठी, डॉ. सुरेशकुमार गौतम, आदित्य चौधरी, डॉ. के. के. अग्रवाल, अन्नू कपूर, अरविंदकुमार, माताप्रसाद एवं आनंद मिश्रा अभय को विश्व हिंदी सम्मान से विभूषित किया गया।

इस अवसर पर गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल श्री केशरीनाथ त्रिपाठी, श्री राधेश्याम शर्मा और श्री गिरीश उपाध्याय की पुस्तकों का विमोचन भी किया। समापन-समारोह में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. हर्षवर्धन, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल श्री केशरीनाथ त्रिपाठी, गोवा की राज्यपाल श्रीमती मृदुला सिन्हा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमनसिह, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहरलाल खट्टर, मॉरीशस की शिक्षामंत्री श्रीमती लीलादेवी दुकन लछुमन, संस्कृति राज्यमंत्री श्री सुरेंद्र पटवा, सांसद श्री आलोक संजर, महापौर श्री आलोक शर्मा सहित बड़ी संख्या में जन-प्रतिनिधि, हिंदी के विद्वान् और हिंदी-प्रेमी उपस्थित थे।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का उद्घाटन भाषण

दुनिया के कोने-कोने से आए हुए सभी हिंदी-प्रेमी भाइयो और बहनो!

करीब 39 देशों से आए प्रतिनिधि यहां मौजूद हैं। यह एक प्रकार का हिंदी का महाकुंभ हो रहा है। अभी तो आप सिंहस्थ की तैयारी में हो, लेकिन सिंहस्थ की तैयारी के पहले ही भोपाल की धरती पर यह हिंदी का महाकुंभ, उसके दर्शन करने का हमें अवसर मिला है।

सुषमा जी ने सही बताया कि इस बार के अधिवेशन में हिंदी भाषा पर बल देने का प्रयास है। जब भाषा होती है, तब हमें अंदाज़ नहीं होता है कि उसकी ताक़त क्या होती है। लेकिन जब भाषा लुप्त हो जाती है और सदियों के बाद किसी के हाथ वे चीज़ें चढ़ जाती हैं तो हम सबकी चिंता होती है कि आख़िर इसमें है क्या? यह लिपि कौन-सी है, भाषा कौन-सी है, सामग्री क्या है, विषय क्या है? आज कहीं पत्थरों पर कुछ लिखा हुआ मिलता है, तो सालों तक पुरातत्त्व विभाग उस खोज में लगा रहता है कि लिखा क्या गया है? और तब जाकर के भाषा लुप्त होने के बाद कितना बड़ा संकट पैदा होता है, उसका हमें अंदाज़ आता है।

कभी-कभी हम ये चर्चा कर लेते हैं कि भई दुनिया में डायनासोर नहीं रहा तो बड़ी-बड़ी मूवी बनती हैं कि डायनासोर कैसा था, डायनासोर क्या करता था? जीवशास्त्र वाले देखते हैं कि कैसा था, कुछ आर्टिफ़िशियल डायनासोर बनाकर रखे जाते हैं कि नई पीढ़ी को पता चले कि ऐसा डायनासोर हुआ करता था। यानी, पहले क्या था, इसको जानने-पहचानने के लिए आज हमें इस प्रकार के मार्गों का प्रयोग करना पड़ता है।

अपनी समृद्ध ज्ञान की विरासत को संजोया जाना ज़रूरी

आज भी हमें सुनने के लिए मिलता है कि हमारी संस्कृत भाषा में ज्ञान के भंडार भरे पड़े हैं, लेकिन संस्कृत भाषा को जानने वाले लोगों की कमी के कारण उन ज्ञान के भंडारों का लाभ हम नहीं ले पा रहे हैं, कारण क्या है? इसका हमें पता तक नहीं चला कि हम अपनी इस महान विरासत से धीरे-धीरे कैसे अलग होते गए। हम और चीज़ों में ऐसे लिप्त हो गए कि हमारा अपना ज्ञान लुप्त हो गया। इसलिए हर पीढ़ी का यह दायित्व बनता है कि उसके पास जो विरासत है, उस विरासत को सुरक्षित रखें, हो सके तो संजोया जाए और आने वाली पीढ़ियों में उसको संक्रमित किया जाए। हमारे पूर्वजों ने, वेदपाठ में एक परंपरा पैदा की थी कि वेदों के ज्ञान को पीढ़ी-दर-पीढ़ी ले जाने के लिए वेदपाठी हुआ करते थे और लिखने-पढ़ने की जब सुविधा नहीं थी, कागज की जब खोज नहीं हुई थी तो उस ज्ञान को स्मृति के द्वारा दूसरी पीढ़ी में संक्रमित किया जाता था और पीढ़ियों तक, ये परंपरा चलती रही थी। इस इतिहास को देखते हुए, ये हम सबका दायित्व है कि उसकी रक्षा करें। हमारे जितने भी प्रकार के, जो कि आज पता चले, पंछी हैं, उनकी जाति लुप्त होते-होते सौ डेढ़ सौ की संख्या हो गई है, तो दुनिया भर की एजेंसियां उस जाति को बचाने के लिए अरबों-खरबों रुपया ख़र्च कर देती हैं। कोई एक पौधा, अगर पता चले कि भई उस इलाक़े में एक पौधा है और बहुत ही कम स्पेसीमेन रह गए हैं, तो उसको बचाने के लिए दुनिया अरबों-खरबों ख़र्च कर देती है। इन बातों से पता चलता है कि इन चीज़ों का मूल्य कैसा है। जैसे इन चीज़ों का मूल्य है, वैसे ही भाषा का भी मूल्य है और इसलिए जब तक हम उसे, उस रूप में नहीं देखेंगे, तब तक हम उसके माहात्म्य को नहीं समझेंगे।

मुझे हिंदी न आती तो लोगों तक कैसे पहुंचता

हर पीढ़ी का दायित्व रहता है, भाषा को समृद्धि देना। मेरी मातृभाषा हिंदी नहीं है, मेरी मातृभाषा गुजराती है, लेकिन मैं कभी सोचता हूं कि अगर मुझे हिंदी भाषा बोलना न आता, समझना न आता तो मेरा क्या हुआ होता, मैं लोगों तक कैसे पहुंचता। मैं लोगों की बात कैसे समझता? मुझे तो व्यक्तिगत रूप में भी इस

भाषा की ताक़त क्या होती है, उसका भली-भांति मुझे अंदाज़ है। और एक बात देखिए, हमारे देश में, मैं हिंदी साहित्य की चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं हिंदी भाषा की चर्चा कर रहा हूं, हमारे देश में हिंदी भाषा का आंदोलन किन लोगों ने चलाया, ज़्यादातर हिंदी भाषा का आंदोलन उन लोगों ने चलाया है, जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी। सुभाषचंद्र बोस हों, लोकमान्य तिलक हों, महात्मा गांधी हों, काका साहेब कालेलकर हों, राजगोपालाचारी हों, सबने, यानी जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी, हिंदी भाषा के लिए, उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए जो दीर्घ दृष्टि से उन्होंने काम किया था, यह हमें प्रेरणा देता है और आचार्य विनोबा भावे, दादा धर्माधिकारी जी, गांधी दर्शन से निकले हुए लोग, उन्होंने भाषा को और लिपि को दोनों की अलग-अलग ताक़त को पहचाना था। इसलिए एक ऐसा रास्ता विनोबा जी द्वारा प्रेरित विचारों से लोगों तक पहुंचा था कि हमें धीरे-धीरे आदत डालनी चाहिए कि हिंदुस्तान की जितनी भाषाएं हैं, वे भाषाएं अपनी लिपि को तो बरकरार रखें, उसको तो समृद्ध बनाएं ही, लेकिन नागरी लिपि में भी अपनी भाषा लिखने की आदत डालें। शायद विनोबा जी का ये विचार, दादा धर्माधिकारी जी का यह विचार, गांधीवादी मूल्यों से जुड़ा हुआ यह विचार, अगर प्रभावी हुआ होता तो लिपि भी, भारत की विविध भाषाओं को समझने के लिए और भारत की राष्ट्रीय एकता के लिए एक बहुत बड़ी ताक़त के रूप में उभर आई होती।

भाषा में भी होती है चेतना

भाषा जड़ नहीं हो सकती। जैसे जीवन में चेतना होती है, वैसे ही भाषा में भी चेतना होती है। हो सकता है उस चेतना की अनुभूति स्टेथिस्कोप से नहीं जानी जाती होगी। उस चेतना की अनुभूति थर्मामीटर से नहीं नापी जाती होगी, लेकिन उसका विकास, उसकी समृद्धि उस चेतना की अनुभूति अवश्य कराती है। वह पत्थर की तरह जड़ नहीं हो सकती। भाषा वह मचलता हुआ हवा का झोंका है, जिस प्रकार से बहता है, जहां से गुज़रता है, वहां की सुगंध को अपने साथ लेकर के चलता है, जोड़ता चला जाता है। अगर हवा का झोंका, बगीचे से गुज़रे तो

सुगंध लेकर के आता है और कहीं ड्रेनेज के पास से गुज़रे, तो दुर्गंध लेकर आता है। जो मिले, वह अपने आप में समेटता रहता है। भाषा में भी वह ताक़त होती है, जिस पीढ़ी से गुज़रे, जिस इलाक़े से गुज़रे, जिस हालात से गुज़रे, वह अपने आपमें समाहित करती चलती है। वह अपने-आपको पुरस्कृत करती रहती है, पुलकित करती रहती है, यह ताक़त भाषा की होती है और इसलिए भाषा चैतन्य होती है और उस चेतना की अनुभूति आवश्यक है।

विदेशों में भी हिंदी में लिखी जा रही हैं किताबें

पिछले दिनों जब प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ था, तो हमारे विदेश मंत्रालय ने एक बड़ा अनूठा कार्यक्रम रखा था कि दुनिया के अन्य देशों में, भारतीय लेखकों द्वारा लिखी गई किताबों का प्रदर्शन किया जाए और मैं हैरान भी था और मैं ख़ुश था कि अकेले मॉरीशस से 150 लेखकों द्वारा लिखी गई किताबों और वह भी हिंदी में लिखी गई किताबों का वहां पर प्रदर्शन हो रहा था। यानी दूर-सुदूर के देशों में भी हिंदी भाषा का प्यार, हम अनुभव करते हैं। हर कोई अपने आप से जुड़ने के रास्ते खोज लेता है। कोई अगर इस भू-भाग में नहीं आ सकता है, आने के हालात नहीं होते, तो कम-से-कम हिंदी के दो-चार वाक्य बोलकर के भी वह अपनी प्रतिबद्धता को व्यक्त कर देता है।

भारतीय भाषाओं के अद्भुत व उन्नत शब्द हों हिंदी में शामिल

हमारा यह निरंतर प्रयास रहना चाहिए कि हमारी हिंदी भाषा समृद्ध कैसे बने। मेरे मन में एक विचार आता है कि भाषा-शास्त्री उस पर चर्चा करें। क्या कभी हम हिंदी और तमिल भाषा की वर्कशॉप करें और तमिल भाषा में जो अद्भुत शब्द हों, उनको हम हिंदी भाषा का हिस्सा बना सकते हैं क्या? हम कभी बांग्ला भाषा और हिंदी भाषा के बीच वर्कशॉप करें और बांग्ला के पास, जो अद्भुत शब्द-रचना हो, अद्भुत शब्द हो, जो हिंदी के पास न हो, क्या हम उनसे ले सकते हैं, कि भई! यह हमें दीजिए! हमारी हिंदी को समृद्ध बनाने के लिए इन शब्दों की हमें ज़रूरत है। चाहे जम्मू-कश्मीर में गए, डोगरी भाषा में दो-चार ऐसे शब्द मिल

जाएं, दो-चार ऐसी कहावत मिल जाएं, दो-चार ऐसे वाक्य मिल जाएं जो मेरी हिंदी में फिट हो सकें। हमें प्रयत्नपूर्वक हिंदुस्तान की सभी बोलियां, हिंदुस्तान की सभी भाषाएं, जिसमें जो उत्तम चीज़ें हैं, उसे समय-समय पर हिंदी भाषा की समृद्धि के लिए उसका हिस्सा बनाने का प्रयास करना चाहिए और यह अविरल प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए।

सूत्रधार का काम कर सकती है हिंदी

भाषा का बड़ा गर्व होता है। मैं तो सार्वजनिक जीवन में काम करता हूं। कभी तमिलनाडु चला जाऊं और 'वणक्कम' बोल दूं, तो देखता हूं कि पूरे तमिलनाडु में इलैक्ट्रीफ़ाइंग इफ़ेक्ट हो जाता है। भाषा की यह ताक़त होती है। बंगाल का कोई व्यक्ति मिले और 'भालो आछेन' पूछ लिया, उसको प्रसन्नता हो जाती है, कोई महाराष्ट्र का व्यक्ति मिले, 'कसाकाय, काय' चलता है, एकदम प्रसन्न हो जाता है, भाषा की अपनी एक ताक़त होती है। इसलिए हमारे देश के पास इतनी समृद्धि है, इतनी विशेषता है, मातृभाषा के रूप में हर राज्य के पास ऐसा अनमोल ख़ज़ाना है, उसको हम कैसे जोड़ें और जोड़ने में हिंदी भाषा एक सूत्रधार का काम कैसे करे, उस पर अगर हम बल देंगे, हमारी भाषा और ताक़तवर बनती जाएगी और उस दिशा में हम प्रयास कर सकते हैं।

चाय बेचते-बेचते सीखी हिंदी

मैं जब राजनीतिक जीवन में आया तो पहली बार गुजरात के बाहर काम करने का अवसर मिला। हम जानते हैं कि हमारे गुजराती लोग कैसी हिंदी बोलते हैं। लोग मज़ाक भी उड़ाते हैं, लेकिन मैं जब बोलता था तो लोग मानते थे और मुझे पूछते थे कि मोदी जी आप हिंदी भाषा सीखे कहां से, आप हिंदी इतनी अच्छी बोलते कैसे हैं? अब हम तो वही पढ़े हैं, जो सामान्य रूप से पढ़ने को मिलता है, थोड़ा स्कूल में पढ़ाया जाता है, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन मुझे चाय बेचते-बेचते सीखने का अवसर मिल गया। क्योंकि मेरे गांव में उत्तर प्रदेश के व्यापारी, जो मुंबई में दूध का व्यापार करते थे, उनके एजेंट और ज़्यादातर उत्तर

प्रदेश के लोग हुआ करते थे। वे हमारे गांव के किसानों से भैंस लेने के लिए आया करते थे और दूध देनेवाली भैंसों को वे ट्रेन के डिब्बे में मुंबई ले जाते थे और दूध मुंबई में बेचते थे। जब भैंस दूध देना बंद करती थी तो फिर वे गांव में आकर के छोड़ जाते थे। उसके कॉण्ट्रैक्ट के पैसे मिलते थे। ज़्यादातर रेलवे स्टेशनों पर मालगाड़ी में भैंसों को लाने-ले जाने का कारोबार चलता रहता था। उस कारोबार को करने वाले लोग ज़्यादातर उत्तर प्रदेश के हुआ करते थे और मैं उनको चाय बेचने जाता था। उनको गुजराती नहीं आती थी, मुझे हिंदी जाने बिना चारा नहीं था, तो चाय ने मुझे हिंदी सिखा दी थी।

थोड़े प्रयास से सीखी जा सकती है भाषा

भाषा सहजता से सीखी जा सकती है। थोड़ा सा प्रयास करें, कमियां रहती हैं, जीवन के आख़िर तक कमियां रहती हैं, लेकिन आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए। आत्मविश्वास रहना चाहिए। कमियां होंगी, थोड़े दिन लोग हंसेंगे, लेकिन फिर उसमें सुधार आ जाएगा। हमारे यहां गुजरात का तो स्वभाव ही था कि दो लोगों का अगर झगड़ा हो जाए, गांव के भी लोग हों, वे गुजराती में झगड़ा कर ही नहीं सकते हैं, उनको लगता है गुजराती में झगड़ा करने में प्रभाव पैदा नहीं होता है। मज़ा नहीं आता है। जैसे ही झगड़े की शुरुआत होती है, तो वे हिंदी में अपना शुरू कर देते हैं। दोनों गुजराती हैं, दोनों गुजराती भाषा जानते हैं, लेकिन अगर ऑटोरिक्शा वालों से भी झगड़ा हो गया पैसों का, तो तू-तू मैं-मैं हिंदी में शुरू हो जाती है। उनको लगता है कि यदि हिंदी बोलूंगा, तो उसको लगेगा, हां, ये कोई दम वाला आदमी है।

इन दिनों विदेश में जहां भी मेरा जाना हुआ, मैंने देखा है कि दुनिया में हमारे देश का कैसा प्रभाव हो रहा है और कैसे लोग विदेश में हमारी बातों को समझ रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। मैं गया था मॉरीशस। वहां पर विश्व हिंदी सचिवालय अब शुरू हुआ है। उसके भवन का शिलान्यास किया और विश्व हिंदी सम्मेलन का एक सेंटर वहां पर हम शुरू कर रहे हैं। उसी प्रकार से मैं उज्बेकिस्तान गया था, सेंट्रल ऐशिया में, उज्बेकिस्तान में एक डिक्शनरी के लोकार्पण करने का

मुझे अवसर मिला और वह डिक्शनरी थी, उज्बेक से हिंदी और हिंदी से उज्बेक। अब देखिए, दुनिया के लोगों में कितना हिंदी के लिए आकर्षण हो रहा है। मैं फुडन यूनिवर्सिटी में गया, चीन में। वहां पर हिंदी भाषा के जानने वाले लोगों की एक अलग मीटिंग हुई और वे इतना बढ़िया से हिंदी भाषा में, मेरे से बात कर रहे थे। यानी, उनको भी लगता था कि हिंदी का माहात्म्य कितना है। मंगोलिया में गया, अब कहां मंगोलिया है, लेकिन मंगोलिया में भी हिंदी भाषा का आकर्षण, हिंदी बोलने वाले लोग वहां हमें नज़र आए और मेरा जो एक भाषण हुआ वह हिंदी में हुआ। उसका भाषांतर हो रहा था, लेकिन मैं देख रहा था कि मैं हिंदी में बोलता था, जहां तालियां बजानी थीं, वे बजा लेते थे, जहां हंसना था वे हंस लेते थे। यानी, इतनी बड़ी मात्रा में दुनिया के अलग-अलग देशों में हमारी भाषा पहुंची हुई है और लोगों को उसका एक गर्व होता है। मैं रशिया गया था। रशिया में इतना काम हो रहा है हिंदी भाषा पर कि आपको आश्चर्य होगा। सरकार की तरफ़ से रशियन हिंदी भाषी को देखभाल के लिए रखते हैं।

सदी के अंत तक लुप्त होंगी कई भाषाएं

यानी, इतनी बड़ी मात्रा में वहां हिंदी भाषा और हमारे सिनेजगत ने, फ़िल्म इंडस्ट्री ने, करीब-करीब इन देशों में फ़िल्मों के द्वारा हिंदी को पहुंचाने का काम किया है। सेंट्रल एशिया में तो शायद आज भी बच्चे हिंदी फ़िल्मों के गीत गाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि भाषा के रूप में आने वाले दिनों में हिंदी भाषा का माहात्म्य बढ़ने वाला है। जो भाषा-शास्त्री हैं, उनका मत है कि दुनिया में क़रीब-करीब 6000 भाषाएं हैं और जिस प्रकार से दुनिया तेज़ी से बदल रही है, उन लोगों का अनुमान है कि 21वीं सदी का अंत आते-आते इन 6000 भाषाओं में से 90 प्रतिशत भाषाओं के लुप्त होने की संभावना दिखाई दे रही है। इस बात को लेकर भाषाशास्त्रियों ने चिंता व्यक्त की है। अगर चेतावनी को हम न समझें और अपनी भाषा का संवर्धन और संरक्षण न करें, तो हमें भी रोते रहना होगा। हां भाई, डायनासोर ऐसा हुआ करता था, फलानी चीज़ ऐसी हुआ करती थी, वेद के पाठ ऐसे हुआ करते थे, हमारे लिए वह आर्कियोलॉजी का विषय बन जाएगा। हमारी

वह ताक़त खो देगा और इसलिए हमारा दायित्व बनता है कि हम हमारी भाषा को कैसे समृद्ध बनाएं और चीज़ों को जोड़ें। भाषा के दरवाज़े बंद नहीं किए जा सकते। और जब-जब उसको दीवारों के अंदर समेट दिया जाएगा, तो भाषा नहीं बचेगी और भारत भाषा-समृद्ध भी नहीं बनेगा। भाषा में वो ताक़त होनी चाहिए, जो हर चीज़ को अपने में समेट ले। समेटने का उसका प्रयास होता रहना चाहिए।

भाषा का होता है व्यापक प्रभाव

विश्व में इन चीज़ों का असर कैसा होता है? कुछ समय पहले जैसे हमारे यहां नवरात्रि का त्योहार होता है या दीपावली का होता है। वैसे ही इज़रायल का एक बड़ा महत्त्वपूर्ण त्योहार होता है, हानुक्काह। तो मैंने इज़रायल के प्रधानमंत्री को सोशल मीडिया के द्वारा ट्विटर पर हिब्रू भाषा में हानुक्काह की बधाई दी। तीन-चार घंटे के भीतर-भीतर इज़रायल के प्रधानमंत्री ने इसको एक्नॉलिज किया और जवाब दिया। मेरे लिए ख़ुशी की बात थी कि मैंने हिब्रू भाषा में लिखा था, उन्होंने हिंदी भाषा में 'धन्यवाद' का जवाब दिया।

इन दिनों दुनिया के जिन भी देशों से मुझे मिलने का अवसर मिलता है, वे एक बात अवश्य बोलते हैं 'सबका साथ सबका विकास'। उनकी टूटी-फूटी भाषा उनके उच्चारण करने का तरीक़ा कुछ भी हो, लेकिन कहते हैं 'सबका साथ, सबका विकास'। ओबामा मिलेंगे तो वह भी बोलेंगे, पुतिन मिलेंगे तो वह भी बोलेंगे। कोशिश करते हैं, हम अगर हमारी बातों को लेकर के जाते हैं, तो दुनिया इसको स्वीकार करने के लिए तैयार होती है।

अपनी भाषा के बग़ैर हम बिना जड़ के पेड़ समान

इसलिए हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमारी भाषा को समृद्धि मिले, हमारी भाषा को ताक़त मिले। भाषा के साथ ज्ञान और अनुभव का भंडार भी होता है। अगर हम हिंदी भी भूल जाते, रामचरितमानस को भी भूल जाते, तो हम, जैसे बिना जड़ के एक पेड़ की तरह खड़े होते। हमारी हालत क्या हो गई होती? हमारे जो साहित्य के महापुरुष हैं, जैसे, बिहार के फणीश्वरनाथ रेणु, अगर आप

उनको न पढ़ें, तो पता नहीं चलता कि उन्होंने बिहार में ग़रीबी को किस रूप में देखा था और उस ग़रीबी के संबंध में उनकी क्या सोच थी। हम प्रेमचंद को न पढ़ें तो पता तक नहीं चलता कि हमारे ग्रामीण जीवन की अपेक्षाएं क्या थीं और मूल्यों के लिए अपनी आशा-आकांक्षाओं को बलि चढ़ाने का कैसा सार्वजनिक जीवन का स्वभाव था। जयशंकर प्रसाद हों, मैथिलीशरण गुप्त हों, इसी धरती की संतान, क्या कुछ नहीं देकर गए हैं। उन महापुरुषों ने तो हमारे लिए बहुत-कुछ किया। साहित्य-सर्जकों ने अपने जीवन में, एक कोने में मिट्टी का दीया, तेल का दीया जला-जला कर के अपनी आंखों को भी खो दिया और हमारे लिए कुछ-न-कुछ छोड़कर गए। लेकिन, अगर वह भाषा ही नहीं बची, तो इतना बड़ा साहित्य कहां बचेगा? इतना बड़ा अनुभव का भंडार कहां बचेगा? और इसलिए भाषा के प्रति लगाव, भाषा को समृद्ध बनाने के लिए होना चाहिए। भाषा बंद दायरे में सिमटकर रह जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए।

डिजिटल दुनिया में भी हो रहा है हिंदी का प्रभाव

आने वाले दिनों में डिजिटल वर्ल्ड हम सबके जीवन में एक सबसे बड़ा रोल पैदा कर रहा है और करने वाला है। आजकल बाप-बेटा भी, पति-पत्नी भी व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते हैं। ट्विटर पर लिखते हैं कि शाम को क्या खाना खाना है। इतने हद तक उसने अपना प्रवेश कर लिया है। जो टेक्नोलॉजी के जानकार हैं, उनका कहना है कि आने वाले दिनों में डिजिटल वर्ल्ड में तीन भाषाओं का दबदबा रहने वाला है— अंग्रेज़ी, चाइनीज़ और हिंदी। और जो भी टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, उन सबका दायित्व बनता है कि हिंदी समेत सभी भारतीय भाषाओं को भी टेक्नोलॉजी के लिए किस प्रकार से परिवर्तित करें। जितना तेज़ी से इस क्षेत्र में काम करने वाले विशेषज्ञ हमारी स्थानीय भाषाओं को लेकर हिंदी भाषा तक नए सॉफ़्टवेयर तैयार करके, नए एप्स तैयार करके जितनी बड़ी मात्रा में लाएंगे, उतना ही अच्छा होगा। अपने आप में भाषा एक बहुत बड़ा बाज़ार बनने वाली है। किसी ने सोचा नहीं होगा कि भाषा एक बहुत बड़ा बाज़ार भी बन सकती है। आज बदली हुई टेक्नोलॉजी की दुनिया में भाषा अपने आप में एक बहुत बड़ा

बाज़ार बनने वाली है। हिंदी भाषा का उसमें एक माहात्म्य रहने वाला है। और जब मुझे हमारे अशोक चक्रधर मिले, अभी किताब लेकर के उनकी, तो उन्होंने मुझे खास आग्रह से कहा कि मैंने सबसे नवीनतम टेक्नोलॉजी में, यूनिकोड में इसको तैयार किया है। मुझे ख़ुशी हुई कि हम जितना हमारी इन रचनाओं को और हमारे डिजिटल वर्ल्ड को, इंटरनेट को हमारी इन भाषाओं से परिचित करवाएंगे और भाषा के रूप में लाएंगे, हमारा प्रसार भी बहुत तेज़ी से होगा। हमारी ताक़त भी बहुत तेजी से बढ़ेगी और इसलिए भाषा का उस रूप में उपयोग होना चाहिए।

भाषा अभिव्यक्ति का साधन होती है। हम क्या संदेश देना चाहते हैं, हम क्या बात पहुंचाना चाहते हैं, भाषा एक अभिव्यक्ति का माध्यम होती है। हमारी भावनाओं को जब शब्द-देह मिलता है तो हमारी भावनाएं चिरजीवी बन जाती हैं। भाषा उस शब्द-देह का आधार होती है। शब्द-ब्रह्म की जितनी हम आराधना करें, उतनी कम है।

हर किसी को जोड़ने वाली हो हमारी भाषा

आज का यह हिंदी का महाकुंभ विश्व के 39 देशों की हाज़िरी में और भोपाल की धरती पर हो रहा है, जिसने हिंदी भाषा को समृद्ध बनाने में बहुत बड़ा योगदान किया है। अन्य भाषाएं जहां शुरू होती हैं, इसके किनारे पर हम बैठे हैं, उस प्रकार से भी इस स्थान का बड़ा महत्व है। हम किसी प्रकार से सबको समेटने की दिशा में सोचें। हमारी भाषा की शक्ति ऐसी भी न हो कि जो एक्सक्लूसिव हो। हमारी भाषा की शक्ति भी इन्क्लूसिव होनी चाहिए, हर किसी को जोड़ने वाली होनी चाहिए। तभी जाकर के वह समृद्धि की ओर बढ़ेगी, वरना हर चीज़ नाकाम हो जाती है। जब तक ये मोबाइल फ़ोन नहीं आए थे और मोबाइल फ़ोन में जब तक कि कांटेक्ट लिस्ट की, डायरेक्टरी की व्यवस्था नहीं थी, तब तक हम सबको किसी को 20 टेलीफ़ोन नंबर याद रहते थे, किसी को 50 और किसी को 200 टेलीफ़ोन नंबर याद रहते थे। आज टेक्नोलॉजी आने के बाद, हमें अपने घर का टेलीफ़ोन नंबर भी याद नहीं है। तो चीज़ों के लुप्त होने में देर नहीं होती है और जब ये इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी आ रही है, तब चीज़ों को लुप्त होने से बचाने के लिए

हमें बहुत सचेत होकर प्रयास करने होंगे। इसलिए उन्हें अपने पास लाएं, उससे सीखें, उसको समझें और समृद्धि की दिशा में बढ़कर, उसको और ताक़तवर बनाकर दुनिया के पास ले जाएं, तो बहुत बड़ी सेवा होगी।

मैं फिर एक बार इस समारोह को हृदय से शुभकामनाएं देता हूं और जैसा सुषमा जी ने विश्वास दिलाया है, हम एक निश्चित आउटकम लेकर के निकलेंगे और जब अगला विश्व हिंदी सम्मेलन होगा, तब हम धरातल पर कुछ परिवर्तन लाकर के रहेंगे। यह विश्वास एक बहुत बड़ी ताक़त देगा।

इसी एक अपेक्षा के साथ मेरी इस समारोह को बहुत-बहुत शुभकामनाएं! बहुत-बहुत धन्यवाद!

भोपालोत्तर दायित्व

24 अक्टूबर 2015

अनुशंसा अनुपालन समिति की पहली सभा

हर तीन महीने पर एक प्रगति सभा विदेशमंत्री के स्तर पर हो
और
बारह सत्रों की अनुशंसाओं के काम का बंटवारा हो

इस सभा में लंबी-लंबी चर्चाएं हुईं। बारह सत्रों की अनुशंसाओं पर पुनर्विचार हुआ। हर सत्र की अनुशंसाओं के अनुपालन की प्रगति के प्रतिवेदन तैयार करने के लिए संयोजक निर्धारित किए गए। कुछ अनुशंसाएं फैली हुई थीं, कुछ अत्यंत संकुचित और अपूर्ण। संयोजकों को अधिकार दिया गया कि वे अपने विषय की अनुशंसाओं में संशोधन कर सकते हैं। इस कार्य के लिए वे अपने विवेक से विषय के विशेषज्ञ किन्हीं भी विद्वान् को बुलाकर परामर्श ले सकते हैं। संयुक्त सचिव (हिंदी एवं संस्कृत) सभाएं आयोजित कराने में संयोजकों की सहायता करेंगे।

इस सभा में विषयवार समस्याओं के निदान हेतु सुदीर्घ चिंतन हुआ एवं विभिन्न अनुशंसाओं के अनुपालन कराने के लिए संयोजक मनोनीत किए गए।

1. विदेश नीति में हिंदी

संयोजक : विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज के निर्देशन में विदेश मंत्रालय

2. संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी में हिंदी

संयोजक : प्रो. अशोक चक्रधर, श्री रवि शंकर प्रसाद, आईटी मंत्री के साथ

3. विज्ञान क्षेत्र में हिंदी

डॉ. मोहन लाल छीपा, डॉ. हर्षवर्धन, विज्ञान एवं पर्यावरण मंत्री के साथ

4. प्रशासन में हिंदी

श्री किरण रीजीजू, गृह राज्यमंत्री

5. विधि एवं न्यायिक क्षेत्र में हिंदी और भारतीय भाषाओं का प्रयोग

श्री किरण रीजीजू, गृह राज्यमंत्री

6. गिरमिटिया देशों में हिंदी

श्री मनोहर पुरी (बाद में डॉ. प्रेम जनमेजय)

7. विदेशों में हिंदी-शिक्षण-समस्याएं और समाधान

महानिदेशक, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद्

8. देश और विदेश में प्रकाशन समस्याएं एवं समाधान

संयुक्त सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, (बाद में श्री प्रभात कुमार)

9. हिंदी पत्रकारिता और संचार माध्यमों में भाषा की शुद्धता

डॉ. बी. के. कुठियाला,

10. विदेशियों के लिए भारत में हिंदी अध्ययन की सुविधा

डॉ. कमल किशोर गोयनका, उपाध्यक्ष, केंद्रीय हिंदी संस्थान

11. अन्य भाषा-भाषी राज्यों में हिंदी

श्री अनिल माधव दवे (बाद में डॉ. वाई. लक्ष्मी प्रसाद)

12. बाल साहित्य में हिंदी

श्री अनिल माधव दवे (बाद में श्री कृष्ण कुमार अस्थाना)

2016

करनी हैं पूरी भोपाल की अनुशंसाएं

28 जनवरी 2016

अनुशंसा अनुपालन समिति की दूसरी सभा

अध्यक्ष महोदया श्रीमती सुषमा स्वराज ने एक ख़ुशख़बरी सुनाई

एक चीज़ की मुझे ख़ुशी है, मैंने आप सबको बताया था कि मैं आई.सी. डब्ल्यू.ए. में जब गई थी तो एक भी काम मुझे हिंदी में दिखाई नहीं दिया था। न तो एक भी पुस्तक, न एक भी मौलिक लेखन! अब वे मुझे लगातार कुछ न कुछ भेज रहे हैं कि क्या-क्या काम वे अब हिंदी में कर रहे हैं। मूल लेखन भी हिंदी में कर रहे हैं। अनुवाद भी हिंदी में कर रहे हैं। उस दिन के बाद से उन्होंने हिंदी में काफ़ी काम करना शुरू कर दिया है। जब अगली सभा होगी तो अब तक आई. सी. डब्ल्यू. ए. ने हिंदी में कितना काम किया, उससे सभी सदस्यों को अवगत कराया जाएगा। संयुक्त सचिव राजेश वैष्णव, अब तक हिंदी में जो काम किया गया है या आगे जो प्रस्तावित है, उसकी पूरी सूची अपनी इस समिति को दे देंगे।

सभी संयोजकों ने बारी-बारी से बताया कि वे अनुशंसाओं को पूरा कराने की दिशा में कहां-कहां और कितनी सभाएं आयोजित कर चुके हैं।

काम की रफ़्तार कम नहीं थी।

सुषमा जी ने अंत में कहा कि इतना कार्य देखकर मुझे लगता है कि अगली बार जब हम लोग मिलेंगे, तब तक सम्मेलन को छह महीने हो चुके होंगे और तब तक एक अच्छी गति आ जाएगी, लगेगा कि रेल पटरी पर आ गई। दौड़ने वाली स्थिति में हम बाद में आएंगे। अभी हम पटरी पर आ रहे हैं। मुझे बहुत ही ज़्यादा ख़ुशी हुई है आज की सार्थक सभा से।

प्रसन्नता की बात यह भी थी कि बारह सत्रों की अनुशंसाएं रूपाकार ले चुकी थीं। वे अनुशंसाएं आगामी पृष्ठों में प्रस्तुत हैं।

—संपादक

बारह सत्रों की अनुशंसाएं

1. विदेश नीति में हिंदी

1. संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी को समयबद्ध तरीक़े से आधिकारिक भाषा बनाने के लिए संकल्प लिया जाना चाहिए। इस संबंध में अन्य देशों का समर्थन जुटाने के लिए भारतीय दूतावासों/मिशनों को और अधिक प्रयास करने चाहिए।
2. संसदीय राजभाषा समिति द्वारा विदेश स्थित दूतावासों/मिशनों के निरीक्षण के संबंध में आने वाली बाधाओं पर विचार किया जाना चाहिए।
3. विदेश मंत्रालय को मूल हिंदी में टिप्पण एवं अन्य कार्यों को हिंदी में करने को बढ़ावा देना चाहिए।
4. भारतीय राजनयिकों को हिंदी में अधिक कार्य करने तथा भारतीयों में उन विदेशियों के साथ जो हिंदी बोलते हों, हिंदी में बात करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
5. भारत में विदेशी भाषाओं को हिंदी माध्यम से सिखाने के लिए एक नया विश्वविद्यालय स्थापित किया जाना चाहिए।
6. विश्वविद्यालयों के शैक्षिक पाठ्यक्रमों में विदेशी भाषाओं को वैकल्पिक विषय के रूप में शामिल किया जाना चाहिए।
7. विदेशों में हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए केंद्रीय स्तर पर एक संस्था की स्थापना होनी चाहिए।
8. विदेश मंत्रालय की वैबसाइट पर मौलिक हिंदी-लेखन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। वैबसाइट पर क्षेत्रीय भाषाओं में भी जानकारी उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

9. भारत द्वारा किए गए बहुपक्षीय और द्विपक्षीय संधि/क़रारों की हिंदी प्रति को भी मंत्रालय की वैबसाइट पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
10. भारत द्वारा किए गए बहुपक्षीय और द्विपक्षीय संधि/क़रारों की हिंदी प्रति को भी मंत्रालय की वैबसाइट पर क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
11. मॉरीशस स्थित विश्व हिंदी सचिवालय को और अधिक सक्रिय किया जाना चाहिए।
12. विदेशी छात्र-छात्राओं को भारत में हिंदी अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति तथा अन्य सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
13. विदेश मंत्रालय में हिंदी के रिक्त पड़े पूर्णकालिक पदों को शीघ्रातिशीघ्र भरा जाना चाहिए।
14. विदेशों में स्थित दूतावासों/मिशनों के माध्यम से हिंदी पुस्तकें, राजनयिक थैले व अन्य माध्यमों से अधिकाधिक मात्रा में वितरित की जानी चाहिए।
15. भारतीय मिशनों के माध्यम से विदेशों में हिंदी के प्रचार-प्रसार से जुड़ी ग़ैर-सरकारी संस्थाओं को वित्तीय एवं अन्य सहायता उपलब्ध कराने पर विचार किया जाना चाहिए।
16. हिंदी के प्रयोग और विस्तार का विषय विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय तीनों से जुड़ा है और उनके कार्यों में तालमेल बिठाया जाना चाहिए।
17. पासपोर्ट फार्मों को द्विभाषी किया जाना/पासपोर्टों में प्रविष्टियां द्विभाषी रूप में किया जाना।

2. संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी में हिंदी

1. 'डिजिटल इंडिया' अभियान के अंतर्गत, भारत के प्रत्येक घर में डिजिटलन (डिजिटाइज़ेशन) को पहुंचाने के लिए कंप्यूटर, टैबलेट और मोबाइल जैसे उपकरणों की भाषा अनिवार्य रूप से हिंदी भी होनी चाहिए।

2. विंडोज़, ऐंड्रॉयड, लिनैक्स और ऐप्पल आदि में हिंदी के भाषिक अनुप्रयोगों के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए नए सिरे से अभियान चले। पहले से विकसित अनुप्रयोगों को लोगों तक पहुंचाने के लिए सरकार और निजी कंपनियों के बीच तालमेल हो।

    3. उपलब्ध भाषिक अनुप्रयोगों का आकलन हो,

    1. वाक् से पाठ (स्पीच टु टैक्स्ट) और पाठ से वाक् (टैक्स्ट टु स्पीच) रूपांतरण सुविधा।

    2. हस्तलिपि और मुद्रित पाठ को डिजिटल रूप में सहेजने की ओसीआर सुविधा।

    3. ऑफ़लाइन तथा ऑनलाइन प्रयोग के लिए द्विभाषीय शब्दावली, शब्दकोश, समांतर कोश (थिसॉरस), सारांशक, लिपि-परिवर्तक, व्याकरण-जांच आदि की सुविधाएं।

    4. देवनागरी में पीडीएफ से वर्ड में रूपांतरण की सुविधा।

    5. हिंदी-अंग्रेज़ी और अंग्रेज़ी-हिंदी में मशीनी अनुवाद की सुविधा।

    6. वाक्यों और अनुच्छेदों पर आधारित एकभाषी, द्विभाषी और बहुभाषी कॉर्पस तथा वाक् कॉर्पस सुविधा।

    7. प्रकाशन उद्योग एवं संचार-माध्यमों में यूनिकोड आधारित देवनागरी फ़ॉण्टों की उपलब्धता।

4. हिंदी फ़ॉण्ट और की-बोर्ड का मानकीकरण करते हुए कंप्यूटर पर मानक इंस्क्रिप्ट की-बोर्ड हिंदी-शिक्षण का अनिवार्य माध्यम बने। इसके लिए इंस्क्रिप्ट की-बोर्ड हिंदी में, अन्यथा द्विभाषी या त्रिभाषी होने चाहिए।

5. प्राथमिक कक्षाओं से ही इंस्क्रिप्ट की-बोर्ड के माध्यम से कंप्यूटर पर हिंदी के टंकण का अनिवार्य प्रशिक्षण होना चाहिए। इसके लिए इंस्क्रिप्ट यूनिकोड टंकण प्रशिक्षण की व्यवस्था के साथ प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (टीओटी/ट्रेनिंग ऑफ़ ट्रेनर्स) की ऑनलाइन व्यवस्था भी हो।

6. हमारे देश में बिकने वाले कंप्यूटरों के प्रत्येक ऑपरेटिंग सिस्टम में हिंदी फलक अवश्य होना चाहिए, साथ ही विकल्प में अंग्रेज़ी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के फलक भी हों।

7. हिंदी की ई-बुक्स के प्रकाशन और प्रकाशन-प्रविधि को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ई-बुक्स के रूप में हिंदी की लाखों पांडुलिपियों का डिजिटलन हो।

8. ई-लर्निंग के क्षेत्र में हिंदी के कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिसके लिए हिंदी-शिक्षण हेतु हर स्तर पर सामग्री-निर्माण हो। भारतीय भाषाओं के सॉफ़्टवेयर 'लीला' को अद्यतन किया जाए, समय की आवश्यकता के अनुसार नए हिंदी भाषा-शिक्षण कार्यक्रम बनाए जाएं तथा इनकी जानकारी देशी और विदेशी विद्यार्थियों के शिक्षण हेतु शिक्षकों एवं आम जन तक पहुंचाई जाए।

9. हिंदी में कंप्यूटर पर कामकाज की मौजूदा सुविधाओं के बारे में लोगों के बीच जानकारी का अभाव है। इसे दूर करने के लिए हिंदी में संवादपरक सॉफ़्टवेयरों तथा एप्स का विकास हो, तत्संबंधी पुस्तकों के प्रकाशन को प्रोत्साहन दिया जाए तथा कंप्यूटरजन्य समस्याओं के निदान के लिए

समाधान केंद्र खोले जाएं। इन सुविधाओं के बाद वे हिंदी-पत्रकारिता, न्यू-मीडिया और सोशल मीडिया से ऑनलाइन जुड़ सकेंगे।

10. कर्मचारी चयन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और अन्य शासकीय प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी और भारतीय भाषाओं में यूनिकोड कंप्यूटर दक्षता परीक्षा आयोजित होनी चाहिए। ये परीक्षाएं इंस्क्रिप्ट की-बोर्ड पर ही ली जानी चाहिए।

11. विदेशी भाषाओं में दक्षता हेतु जिस प्रकार अंग्रेज़ी के लिए TOEFL/IELTS, फ्रेंच के लिए DELF/DILF/DALF और स्पैनिश के लिए DE-LE जैसी परीक्षाएं विश्वभर में आयोजित होती हैं, उसी प्रकार हिंदीतर देशी-विदेशी छात्रों, व्यापारोत्सुकों, राजनयिकों एवं हिंदी-प्रेमियों के लिए भी बहुस्तरीय हिंदी-दक्षता परीक्षाएं आयोजित की जाएं। हिंदी परीक्षा का नाम 'निकष' (NIKASH / National and International Knowledge Accreditation Standards for Hindi) रखा जा सकता है। सफल प्रतिभागियों को ऑनलाइन कंप्यूटर प्रमाण-पत्र दिए जाएं।

12. सी-डैक, एन.आई.सी. द्वारा विकसित हिंदी सर्च इंजन तथा सी-डैक द्वारा विकसित अन्य हिंदी सुविधाओं एवं टीडीआईएल द्वारा विकसित करवाई गई हिंदी-सुविधाओं आदि को लोकप्रिय बनाने के लिए क़दम उठाए जाएं।

13. बीमा, बैंक आदि के क्षेत्रों में प्रयुक्त होनेवाली कोर-बैंकिंग प्रणालियों की आर.पी.सी.आर.एम. प्रणालियों के सभी पक्षों को हिंदी में भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए। ई-कॉमर्स में प्रयुक्त पेमेन्ट गेटवे 'रूपे' (Rupay) में हिंदी समर्थन भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

14. सभी मोबाइल सर्विस ऑपरेटरों से आग्रह किया जाए कि वे अपने उपभोक्ताओं को सभी संदेश देवनागरी हिंदी में भी भेजें।

15. अभिकलनात्मक भाषाविज्ञान (कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स) के क्षेत्र में सर्टिफ़िकेट, डिप्लोमा, बी.सी.ए., एम.सी.ए. तथा पीएच.डी. आदि, सूचना और दूरसंचार तकनीक की शिक्षा, हिंदी में भी दी जानी चाहिए।

16. निजी कंपनियों से आग्रह किया जाए कि वे अपनी आय के सी.एस.आर. कोष से उसका कुछ अंश हिंदी और भारतीय भाषाओं में कंप्यूटर अनुसंधान एवं प्रोत्साहन पर ख़र्च करें।

17. हिंदी प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वैयक्तिक, संस्थागत और शासकीय प्रयत्नों में दोहराव से बचने, विभिन्न कार्यों को समेकित एवं समन्वित करने, दस्तावेज़ीकरण और ओपन सोर्स-संबंधी व्यावहारिकता के निदान के लिए एक 'हिंदी प्रौद्योगिकी संसाधन केंद्र' (HTRC/Hindi Technology Resource Centre) की स्थापना हो।

3. विज्ञान क्षेत्र में हिंदी

1. देश के सभी वैज्ञानिक, चिकित्सा एवं अभियांत्रिकी प्रयोगशालाओं एवं संस्थानों में विज्ञान-संचार इकाई की स्थापना की जाए एवं विज्ञान-संचार के लिए विज्ञान प्रयोगशालाओं में पदों का सृजन किया जाए।।

2. विज्ञान एवं तकनीकी प्रयोगशालाओं द्वारा सोशल मीडिया पर हिंदी में विज्ञान-सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

3. हिंदी में दैनिक विज्ञान समाचारपत्र का प्रकाशन आरंभ किया जाए। समाचारपत्र तथा जितनी पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही हैं, उनसे विज्ञान समाचार को प्राथमिकता से प्रकाशन का आग्रह किया जाए। देश के सभी पत्रकारिता विश्वविद्यालय एवं पत्रकारिता विभाग अपने विद्यार्थियों को इस दृष्टि से प्रेरित करें।

4. जिन दो विषयों जैसे सूचना प्रौद्योगिकी एवं अंतरिक्ष में भारत का कार्य

महत्त्वपूर्ण है, उसमें अधिकाधिक मूल जानकारी हिंदी में प्रकाशित की जानी चाहिए।

5. चिकित्सा-क्षेत्र में नियामक संस्थाओं द्वारा एक निश्चित समयसीमा में सभी चिकित्सा परीक्षाओं में हिंदी भाषा में लिखने की छूट प्राप्त हो। चिकित्सा शिक्षण द्विभाषीय माध्यम से हो।
6. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय हिंदी चिकित्सा प्रकोष्ठ का गठन किया जाए।
7. उच्च चिकित्सा व तकनीकी शिक्षा-लेखन मिशन की स्थापना की जाए।
8. अवकाश-प्राप्त चिकित्सकों को शिक्षण संस्थानों में लोकप्रिय व्याख्यानों के लिए आमंत्रित किया जाए।
9. वैज्ञानिक एवं शब्दावली आयोग, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली का निर्माण एवं परिभाषा कोश का निर्माण कार्य करता है। इस कार्य को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत संचालित किया जाए।
10. मौलिक विज्ञान-लेखन को हिंदी में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के नवीन एवं समसामायिक विषयों पर योजनाबद्ध तरीक़े से पुस्तकों को विकसित किया जाए।
11. हिंदी में लेखन करते हुए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लोकप्रिय एवं प्रचलित अंतरराष्ट्रीय शब्दों के यथारूप देवनागरी लिपि में मानक शब्दों के साथ दिए जाने की स्वीकार्यता मिले।
12. हिंदी में विज्ञान-लेखन के क्षेत्र में संस्थागत और व्यक्तिगत रूप से किए जाने वाले प्रयासों का संकलन किया जाए, ताकि वर्तमान स्थिति का आकलन हो सके और भविष्य में किए जाने वाले कार्यों की रूपरेखा स्पष्ट हो सके।

13. हिंदी भाषा में विज्ञान विषयों पर वैज्ञानिक संस्थानों द्वारा शोध-पत्रिकाओं का प्रकाशन अनिवार्य किया जाए। ऐसी शोध-पत्रिकाओं को अन्य विदेशी भाषाओं के समकक्ष ही मान्यता मिले।
14. वैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रसार की रणनीति के तहत विज्ञान विधि का प्रचार-प्रसार विद्यालय स्तर से ही मातृभाषा में हो।
15. डिजिटल इंडिया के तहत प्राचीन भारत के वैज्ञानिक ज्ञान पर आधारित दुर्लभ ग्रंथों जैसे 'भारत की संपदा' आदि साहित्य को निःशुल्क वैबसाइट पर उपलब्ध कराया जाए। इसके अलावा विज्ञान विश्वकोश का प्रकाशन हिंदी में किया जाए।

4. प्रशासन में हिंदी

1. सरल और सहज शब्दावली का प्रयोग अनुवाद में किया जाना चाहिए।
2. प्राथमिक स्तर से लेकर महाविद्यालयीन और विश्वविद्यालयीन अध्ययन में हिंदी-शिक्षण की अनिवार्यता को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
3. अनुवादक को सहज और सरल शब्दावली के प्रयुक्तिकरण के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।
4. शब्द-शास्त्रियों को हिंदी को सरल बनाने के लिए प्रयासों के बाहुल्य में थोड़ी वृद्धि करनी चाहिए।
5. संस्कृत तत्सम शब्दावली से मुक्त होकर देशज भाषाओं के सरल शब्दों और सरलीकृत शब्दों का उचित प्रयोग किया जाना चाहिए।
6. अंग्रेज़ी में हस्ताक्षर करने के बजाय अपनी भाषा में हस्ताक्षर करने चाहिए।
7. वर्तमान संदर्भ में अनुवाद के कारण भाषा क्लिष्ट होती जा रही है। परीक्षाओं में प्रश्नपत्र अंग्रेज़ी में बनते हैं और फिर उनका अनुवाद किया जाता है। मेरा

सुझाव है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, संघ लोक सेवा आयोग या राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में मूल रूप से प्रश्नपत्र हिंदी में बनाए जाएं। यदि आवश्यक हो तो अंग्रेज़ी का पाठ उपलब्ध कराया जाए।

8. विद्यालयों, महाविद्यालयों में हिंदी अनिवार्य विषय हो। बहुत से विद्यालयों में हिंदी की पढ़ाई दसवीं के बाद उपलब्ध नहीं है, निजी क्षेत्र के विद्यालयों में अधिकांश में यही है। हिंदी की पढ़ाई को सुनिश्चित किया जाए।
9. शब्दावली आयोग को निर्देश दिया जाए कि हिंदी के शब्द-निर्माण में व्यावहारिक शब्दों पर बल दिया जाए। जहां तक हो सके बोलचाल की भाषा में शब्दावली का उपयोग किया जाए।
10. विद्यालयों से बच्चे जब हिंदी में पारंगत होकर निकलेंगे तो हिंदी में काम भी करेंगे।
11. अन्य प्रांत के अधिकारियों के लिए हिंदी-शिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए।
12. उन्हें वह शिक्षण उन्हीं की मातृभाषा में दिया जाना चाहिए।
13. अल्पकालिक पारंपरिक हिंदी-शिक्षण पर जोर दिया जाना चाहिए।
14. हिंदी में काम करना, बोलना, लिखना, पढ़ना सिखाया जाना चाहिए।
15. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के नवीन एवं समसामयिक विषयों पर योजनाबद्ध तरीक़े से पुस्तकों को विकसित किया जाए।
16. हिंदी में लेखन करते हुए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लोकप्रिय एवं प्रचलित अंतरराष्ट्रीय शब्दों के यथारूप देवनागरी लिपि में मानक शब्दों के साथ दिए जाने की स्वीकार्यता मिले।
17. हिंदी में विज्ञान-लेखन के क्षेत्र में संस्थागत और व्यक्तिगत रूप से किए जाने

वाले प्रयासों का संकलन किया जाए ताकि वर्तमान स्थिति का आकलन हो सके और भविष्य में किए जाने वाले कार्यों की रूपरेखा स्पष्ट हो सके।

18. हिंदी भाषा में विज्ञान विषयों पर वैज्ञानिक संस्थानों द्वारा शोध-पत्रिकाओं का प्रकाशन अनिवार्य किया जाए। ऐसी शोध-पत्रिकाओं को अन्य विदेशी भाषाओं के समकक्ष ही मान्यता मिले।

19. वैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रसार की रणनीति के तहत विज्ञान विधि का प्रचार-प्रसार विद्यालय स्तर से ही मातृभाषा में हो।

20. डिजिटल इंडिया के तहत प्राचीन भारत के वैज्ञानिक ज्ञान पर आधारित दुर्लभ ग्रंथों, जैसे 'भारत की संपदा' आदि को निशुल्क वैबसाइट पर उपलब्ध कराया जाए। इसके अलावा विज्ञान विश्वकोश का प्रकाशन हिंदी में किया जाए।

5. विधि एवं न्यायिक क्षेत्र में हिंदी और भारतीय भाषाओं का प्रयोग

1. उन प्रदेशों में जहां उच्च न्यायालय में उस प्रदेश की भाषा में वाद-पत्र, शपथपत्र का अभिवचन तथा अभिलेख या तर्क प्रस्तुत करना अनुमन्य है, वहां हिंदी में भी आदेश, निर्णय व अज्ञप्ति दिए जाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 348 (2) की व्यवस्था में कार्य करने की अनुमति सभी उच्च न्यायालयों को तुरंत दी जाए।

2. न्यायालय में प्रयोग के लिए हिंदी का एक मानक विधि शब्दकोश शीघ्र ही बनाया जाए, जिसमें संविधान-स्वीकृत सभी भाषाओं तथा अंग्रेज़ी के समानांतर तथा पर्यायवाची शब्द भी समाहित हों और उसके आधार पर हिंदी के शपथ-पत्रों का, अभिवचनों व अभिलेखों में प्रयोग करने के लिए अनुमन्य हो।

3. विधि शिक्षा के पांचवर्षीय पाठ्यक्रम में सभी शिक्षा-संस्थाओं में अंग्रेज़ी के

साथ हिंदी में शिक्षा प्रदान करने के लिए भारत सरकार के द्वारा शीघ्र क़दम उठाते हुए हिंदी माध्यम से शिक्षा दिए जाने की व्यवस्था अगले शिक्षा सत्र से प्रारंभ करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

4. राजभाषा अधिनियम के अंतर्गत अब तक क़ानून बने सभी संकल्पों को, जो उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालयों में हिंदी को स्थापित करने के लिए संसद से पारित हो चुके हैं, उनको समयबद्ध रूप में भारत सरकार क्रियान्वित करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में क़दम उठाए।

6. गिरमिटिया देशों में हिंदी

1. गिरमिटिया देशों में हिंदी शिक्षा के प्रभावी प्रसार के लिए कुशल प्रशिक्षित शिक्षकों को उपलब्ध कराना उपयोगी होगा। वहां की भाषा (बोली) के ज्ञाता शिक्षकों को वरीयता दी जाए। यही नियम भारतीय दूतावासों के कर्मचारियों पर भी लागू किया जाए।
2. संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी को स्थान दिलाया जाए।
3. विदेशी हिंदी साहित्यकारों की रचनाओं का संकलन-प्रकाशन किया जाए और हिंदी साहित्य के इतिहास की मुख्यधारा से जोड़ा जाए। प्रकाशन में विश्व हिंदी सचिवालय द्वारा ई-प्रकाशन, जो कि व्यावसायिक दृष्टि से भी बहुत उपयोगी हो सकता है। गिरमिटिया देशों में भारत से जाने वाला प्रत्येक यात्री अपने साथ हिंदी की पुस्तकें लेकर जाए।
4. हिंदी के उच्चारण की मानकता के साथ गिरमिटिया देशों की हिंदी भाषा (बोली) का स्वरूप भी उनके उच्चारण-लेखन के अनुरूप रखा जाए। गिरमिटिया देशों के साथ-साथ अन्य देशों के लिए एकीकृत पाठ्यक्रम तैयार किया जाए।
5. विदेश से हिंदी सीखने या हिंदी माध्यम से विविध क्षेत्र की शिक्षा ग्रहण करने

वाले विद्यार्थियों के लिए शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण और सहयोग दिया जाए। भाषा के साथ-साथ लिपि का भी विधान रखा जाए। भारतीय विश्वविद्यालयों में प्रवासी लेखकों की रचनाओं पर एक प्रश्नपत्र रखा जाए। इसलिए हिंदी को संविधान में 'राष्ट्रभाषा' के पद पर आसीन कराया जाए।

6. हिंदी शासन-प्रशासन की भाषा नहीं, यह शिक्षा, संचार, बाज़ार, जनसामान्य आदि की भाषा है। राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने के लिए हिंदी को संविधान में राष्ट्रभाषा का पद दिया जाए।

7. विदेशों में हिंदी-शिक्षण : समस्याएं और समाधान

1. सीबीएसई की तर्ज पर अंतरराष्ट्रीय स्तर के बोर्ड का गठन हो।
2. पाठ्यक्रम की एकरूपता हो, परंतु विभिन्न देशों की आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम निर्धारित हों।
3. समय-समय पर विदेशी हिंदी अध्यापकों के लिए हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया जाए।
4. विभिन्न संस्थाओं के सामंजस्य के लिए स्थानीय समिति का गठन किया जाए, जो इस क्षेत्र में हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए एक-दूसरे से संपर्क करे तथा वैचारिक आदान-प्रदान करे।
5. हिंदी-शिक्षण में आधुनिक तकनीक के प्रयोग पर अधिक बल दिया जाए। आवश्यकतानुसार, इंटरएक्टिव मल्टीमीडिया पर आधारित नई शिक्षण-सामग्री के निर्माण में विद्यामूलक और आर्थिक सहायता प्रदान की जाए।
6. विदेशी छात्रों के लिए पुस्तकों की भाषा को सरल और सहज बनाया जाए।
7. सीबीएसई प्रणाली में परिवर्तन किया जाए ताकि विदेशों में और अधिक छात्र उच्च कक्षाओं में भी हिंदी का अध्ययन कर सकें।

8. भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् अपने वर्तमान और पूर्व शिक्षकों से संबंधित जानकारी वैबसाइट पर डाले।
9. विदेशी छात्रों को हिंदी पढ़ने के लिए विदेशों में भी छात्रवृत्ति प्रदान की जाय।
10. अनुवाद-भवन की व्यवस्था की जाए तथा अनुवादकों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाए।
11. भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् के द्वारा विदेशों में भेजे जाने वाले शिक्षकों को एक सप्ताह के लिए केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा में उनके ज्ञान को निखारने के लिए भेजा जाए।
12. शिक्षकों को विदेशों में जाने से पहले भारतीय संस्कृति के बारे में गहन अध्ययन करना चाहिए।
13. विदेशों में अध्यापन करने वाले शिक्षक स्थानीय शिक्षकों के लिए कार्यशाला आयोजित करें।
14. इंडोलॉजी छात्रों को भारत में विशेष छात्रवृत्ति प्रदान की जाए।
15. छात्रों में हिंदी में संवाद करने की योग्यता उत्पन्न करने हेतु 'बातचीत क्लब' जैसे प्रयोग किए जाएं।
16. ई-बुक लाइब्रेरी का निर्माण किया जाए।
17. प्रतीयमान कक्षाओं (वर्चुअल-क्लासरूम्स) का निर्माण किया जाए।
18. हिंदी भाषा के प्रचार के लिए मध्य पूर्वी देशों में भी भारतीय राजदूतावासों के अधीन हिंदी प्रचार सभा का एक केंद्र स्थापित किया जाए।
19. नियमित रूप से एक हिंदी पत्रिका का प्रकाशन किया जाए, जिसमें समय-समय पर विदेशों में रहने वाले भारतवासियों के लेख प्रकाशित किए जाएं।

20. विश्व हिंदी दिवस पर सभी भारतीय राजदूतावासों में हिंदी प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएं।

21. केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा जैसी सरकारी और अनेक ग़ैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा शिक्षकों को हिंदी की मानक पुस्तकें तथा अपेक्षित सार्थक शिक्षण-सामग्री उपलब्ध कराई जाए।

22. नाटक और हिंदी फ़िल्मों को भाषा अध्ययन का माध्यम बनाया जाए।

23. विदेशों में लगाए जाने वाले पुस्तक मेलों में ज़्यादा-से-ज़्यादा हिंदी साहित्य उपलब्ध कराया जाए।

24. आप्रवासी लेखकों को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए।

(बाद में चार अनुशंसाएं और सम्मिलित की गईं।)

8. देश और विदेश में प्रकाशन : समस्याएं एवं समाधान

1. विज्ञान, प्रबंधन, वित्त, अर्थशास्त्र, चिकित्सा, अभियांत्रिकी आदि ज्ञान-विज्ञान की मौलिक और प्रामाणिक हिंदी पुस्तकों के लेखन के लिए लेखकों को परियोजना देकर इनके प्रकाशन-वितरण की व्यवस्था भी करनी चाहिए। हिंदी में प्रामाणिक शब्दकोशों और विश्वकोश का निर्माण होना चाहिए।

2. पुस्तक संस्कृति का विकास करने के लिए प्रभावशाली क़दम उठाने चाहिए। पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रोत्साहन कार्ययोजना बनाकर पुस्तकालयों को सबल और सुदृढ़ करना चाहिए। ई-पुस्तकालय भी विकसित किए जाएं।

3. हिंदी पुस्तकें शुद्ध और निर्दोष प्रकाशित हों, इस हेतु संपादन-संशोधन-प्रूफ़शोधन के विधिवत् व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध की जानी चाहिए।

4. आप्रवासी हिंदी लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यशालाएं

आयोजित की जाएं। तदुपरांत विभिन्न लेखन प्रतियोगिताएं करके उनमें से पुरस्कृत पांडुलिपियों का प्रकाशन किया जाए।

5. भारतीय राजदूतावास तथा उच्चायोगों के माध्यम से विदेशों में हिंदी के फ़ॉण्ट उपलब्ध कराए जाएं तथा हिंदी टाइपिंग का प्रशिक्षण भी दिया जाए।
6. भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में समन्वय हो ताकि विविध विषयों पर पुस्तकें प्रकाशित होकर प्रचारित-प्रसारित की जा सकें।
7. अन्य भारतीय भाषाओं की पुस्तकें और अधिक संख्या में हिंदी में अनुदित होकर प्रकाशित होनी चाहिए। इससे हिंदी पाठक वहां की संस्कृति और भाषा से परिचित होंगे और उनके कुछ शब्दों से अपनी भाषा भी समृद्ध करेंगे।
8. विभिन्न राज्य ग्रंथ अकादमियों और सरकारी प्रकाशनों की उपलब्धता सुलभ हो। उनमें पुस्तकें प्रकाशित करने की प्रक्रिया सरल की जाए।
9. लंबी दूरी की यात्रा करने वाली रेलगाड़ियों, बसों में पुस्तकालय की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।
10. विदेशों में पुस्तकें हवाई डाक से भेजना अत्यंत व्ययसाध्य है। अतः समुद्री डाक से पुस्तकें भेजने की जो सुविधा पहले उपलब्ध थी, उसे पुनः प्रारंभ किया जाए।

9. हिंदी-पत्रकारिता और संचार माध्यमों में भाषा की शुद्धता

1. समाचार-माध्यमों में सहज और सरल हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए।
2. मनोरंजन की भाषा शालीन एवं भारतीय शब्दावलियों पर आधारित हो।
3. साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्रों से संचार-माध्यमों की भाषा का जीवंत संपर्क

बने।

4. हिंदी के संचार-माध्यमों में अंग्रेज़ी शब्दों के प्रयोग की प्रवृत्ति को गंभीरता से रोका जाए।

5. कुछ हिंदी के समाचारपत्रों और पत्रिकाओं में रोमन लिपि और अंग्रेज़ी भाषा का प्रयोग हो रहा है। यह निंदनीय है। इस पर तुरंत रोक लगनी चाहिए।

6. आम बोलचाल की भाषा का बहाना बनाकर समाचारपत्र एवं संचार-माध्यम हिंदी व भारतीय भाषाओं को विकृत न करें।

7. पत्रकारिता और संचार के माध्यम भाषा के विषय में अनुसरण न करते हुए जनमानस की भाषा निर्माण में नेतृत्व व प्रशिक्षक की भूमिका में रहें।

8. हिंदी भाषा के नियमन के लिए संविधानिक संस्था का गठन हो।

9. आवश्यकतानुसार हिंदी भाषा में नए शब्दों को सम्मिलित करने की आधिकारिक घोषणा हर वर्ष होनी चाहिए।

10. आवश्यकतानुसार हिंदी में नए शब्दों को गढ़ना चाहिए।

11. प्रशासन के द्वारा मीडिया को दी गई जानकारी हिंदी व भारतीय भाषाओं में ही हों।

12. केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और अन्य सरकारी संस्थाएं प्रेस विज्ञप्ति केवल हिंदी में ही दें। अंग्रेज़ी के संचार माध्यम उनका अनुवाद करने के लिए स्वतंत्र हैं।

13. शासकीय पत्राचार और नस्तियों में लेखन व हस्ताक्षर हिंदी या भारतीय भाषाओं में हो।

14. पत्रकारिता एवं जनसंचार के माध्यमों की शिक्षा में अंग्रेज़ी पाठ्यक्रमों का

वर्चस्व क्रमशः न्यून होने से हिंदी का प्रचलन बढ़ेगा।

15. समाचारपत्र या पत्रिका का पंजीकरण जिस भाषा के लिए है, उसमें अन्य भाषा में विज्ञापन नहीं होना चाहिए।
16. दृश्य व श्रव्य माध्यमों में जो सामग्री लिखकर प्रस्तुत होती है, उसकी शुद्धता पर विशेष प्रयास करने चाहिए।

10. विदेशियों के लिए भारत में हिंदी अध्ययन की सुविधा

1. मानक भाषा/वर्तनी तय होनी चाहिए ताकि विदेशी विद्यार्थियों को शब्द को पढ़ने, लिखने एवं उच्चारण में किसी भी प्रकार की दुविधा न हो।
2. पाठ्यक्रम में यदि संबंधित देश की जानकारी भी जोड़ ली जाए तो अच्छा होगा।
3. भाषा के साथ-साथ पाठ्यक्रम में भारतीय संस्कृति, दर्शन एवं अध्यात्म की जानकारी को सम्मिलित किया जाना चाहिए।
4. पाठ्यक्रम के साथ-साथ विभिन्न शिक्षण-संस्थाओं की अर्हता एवं परीक्षा प्रणाली एवं परिणाम की योजना में भी एकरूपता होनी चाहिए।
5. प्राथमिक के साथ-साथ भारतवर्ष में हिंदी में उच्च शिक्षा एवं शोध की दिशा में भी कार्य होना चाहिए।
6. भारत में विद्यार्थियों की अध्ययन-सुविधा के साथ-साथ विदेशों में अध्ययन कर रहे हिंदी अध्यापकों के लिए पुनश्चर्या कार्यक्रम होना चाहिए।
7. भारत में विदेशी विद्यार्थियों के हिंदी अध्यापकों के लिए एक अलग से प्रशिक्षण/पुनश्चर्या कार्यक्रम होना चाहिए।
8. भारत में रहकर हिंदी अध्ययन कर रहे विदेशी विद्यार्थियों के लिए छात्रावास

की सुविधा और बेहतर होनी चाहिए।

9. विदेशी विद्यार्थियों के लिए तैयार पाठ्यक्रम एवं पाठ्य-सामग्री को तैयार करने हेतु नियमित रूप से कार्यशालाएं होनी चाहिए।
10. भारत में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों को भारतीय सांस्कृतिक विरासत से परिचित कराने के लिए सांस्कृतिक केंद्रों का शैक्षणिक भ्रमण अवश्य कराया जाना चाहिए।
11. विदेशी विद्यार्थियों को योग, कला, संगीत एवं भारतीय शास्त्रीय एवं लोकनृत्य के अध्यापकों का सहयोग भी लिया जाना चाहिए।
12. भारत में विदेशी विद्यार्थियों को हिंदी का शिक्षण कराने वाले विभिन्न संस्थानों के मध्य सामंजस्य होना चाहिए।

11. अन्य भाषा-भाषी राज्यों में हिंदी

1. स्वैच्छिक संस्थाएं हिंदी भाषा के विकास के लिए पत्रिकाओं इत्यादि का प्रकाशन करें।
2. वाद-विवाद एवं निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना चाहिए।
3. हिंदी भाषा के विकास में वंचित एवं दलित वर्ग को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए।
4. ग़ैर-सरकारी संस्थाओं के पर्यवेक्षण की भी आवश्यकता है।
5. यूजीसी द्वारा ‘चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम’ में हिंदी को महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो।
6. ज्ञान-विज्ञान की किताबें हिंदी में प्रकाशित की जाएं।
7. हिंदी संस्थाओं के मध्य समन्वय की आवश्यकता है।

8. शब्दावली आयोग को हिंदी संस्थाओं से जुड़ना चाहिए।

9. हिंदी संस्थाओं को हिंदीतर विद्वानों से जोड़ें।

12. बाल साहित्य में हिंदी

1. रिपोर्टिंग सत्र के बाद सभी विद्वानों और उपस्थित लोगों ने एकमत से बाल साहित्य अकादमी की स्थापना किए जाने पर जोर दिया। विद्वानों का विचार था कि बाल साहित्य अकादमी की स्थापना किए जाने से अधिकांश समस्याओं के समाधान स्वतः हो जाएंगे। साथ ही कार्यशालाओं के माध्यम से बाल साहित्य-लेखन को बालोपयोगी एवं प्रभावशाली भी बनाया जाना चाहिए।

2. बाल साहित्य में देशी-विदेशी महापुरुषों, स्वतंत्रता-सेनानियों, पौराणिक पात्रों से संबंधित जीवनियां, भारतीय संस्कृति तथा मानवमूल्य और वैश्विक साहित्य को यथासंभव स्थान मिलना चाहिए। केंद्र और राज्य सरकारों को सरकारी और निजी प्रकाशकों को स्वस्थ बाल साहित्य के निर्माण के लिए प्रेरित करने के लिए अनुदान की व्यवस्था करनी चाहिए। साथ ही साथ उनकी बिक्री-संबंधी पक्ष को भी देखना चाहिए।

3. एनसीईआरटी और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के पाठ्यक्रमों में बाल साहित्य को स्थान मिलने के साथ ही इसके निर्माण में बाल साहित्यकारों का सहयोग लेना चाहिए।

4. बाल साहित्यकारों की रचनाओं के प्रकाशन के लिए आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए और विशेष रूप से उन्हें भी सम्मानित किया जाना चाहिए। भारतीय भाषाओं में उपलब्ध बाल साहित्य को देवनागरी लिपि में लेखन को प्रोत्साहन देना चाहिए। साथ ही बाल साहित्य में लोकगाथाओं, परंपराओं और लोक संस्कृतियों को प्रमुखता से स्थान मिलना चाहिए।

5. भविष्य में आयोजित होने वाले विश्व हिंदी सम्मेलनों के दौरान आयोजित होने वाले बाल साहित्य सत्र में विद्वानों के साथ ही बच्चों को भी आमंत्रित किया जाना चाहिए। इसके साथ ही बच्चों में हिंदी में लिखित मौलिक बाल साहित्य के पठन-पाठन के प्रति रुचि उत्पन्न की जानी चाहिए।

6. फ़िल्म सेंसर बोर्ड की भांति बाल साहित्य के मानकीकरण और दृश्य माध्यमों में दिखाए जाने वाले कार्यक्रमों के बच्चों की रुचि, आवश्यकता और योग्यता के अनुसार वर्गीकृत करने के लिए बाल साहित्य बोर्ड जैसी संस्थाओं का गठन होना चाहिए।

7. बाल-पत्रिकाओं में प्रकाशित होने वाले साहित्य में अन्य भाषा के स्तरीय साहित्यों का अनुवाद और पुनर्लिखित साहित्यिक कृतियों को भी स्थान मिलना चाहिए। साथ ही लुप्त हो रही लोक कलाओं को बाल साहित्य के माध्यम से पुनर्जीवित किया जाना चाहिए। बाल साहित्य में स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम आरंभ किए जाने की आवश्यकता भी है।

दूसरी सभा के बाद

विगत तीन वर्ष में अनुशंसा अनुपालन समिति की सात सभा विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज की अध्यक्षता में हुईं। पहली सभा 24 अक्टूबर 2015 को हुई और 28 जनवरी 2016 को दूसरी सभा हुई थी।

उसके बाद सन 2016 में अनुशंसा अनुपालन समिति की दो सभा और हुईं।

तीसरी सभा : 12.04.2016
चौथी सभा : 31.08.2016

इस पूरे वर्ष के अंतराल में समिति के सत्रों के संयोजक अपने-अपने क्षेत्रों से जुड़ी अनुशंसाओं के अनुपालन का आकलन करने के लिए विदेश मंत्रालय के सहयोग से, अपने विभागीय स्तर पर उपसमितियां बनाकर सभा करते रहे, सम्बद्ध विभागों से संपर्क करते रहे। इस प्रक्रिया में हर सत्र की अनुशंसाओं में न्यूनाधिक विस्तार भी होता रहा।

—संपादक

2017

अनुपालन की ओर बढ़ते क़दम

पांचवीं सभा	:	23.05.2017
छठी सभा	:	29.12.2017

पांचवीं सभा में अपने विदेश प्रवास के कारण मैं उपस्थित नहीं हो सका। अपने सत्र की अंतिम अनुशंसा 'हिंदी प्रौद्योगिकी संसाधन केंद्र' को लेकर मैं काफ़ी गंभीर था। जाने से पहले मैंने एक पत्र द्वारा अध्यक्ष महोदया को अवगत कराया। उसी सभा में तय हुआ कि यह केंद्र राजभाषा विभाग के अंतर्गत स्थापित किया जाएगा। पांचवीं सभा से पहले एक दुखद बात हुई कि दसवें विश्व हिंदी सम्मेलन के उपाध्यक्ष और भारत सरकार के पर्यावरण मंत्री श्री अनिल दवे का आकस्मिक निधन हो गया। दसवें सम्मेलन में उनकी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही। जिन दो सत्रों की अनुशंसाओं पर वे कार्य कर रहे थे, उसे अन्य दो विद्वानों ने संभाला। शेष विद्वान् भी अपने प्रतिवेदन की तैयारियां करने में संलग्न रहे।

—संपादक

2018

भारत और मॉरीशस के दो परिंदे

दिनांक 10 अप्रैल, 2018

भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर और मॉरीशस के राष्ट्रीय पक्षी डोडो ने मिलकर ग्यारहवें विश्व हिंदी सम्मेलन के लिए तैरने और उड़ने की तैयारी का उद्घोष कर दिया।

दिनांक 10 अप्रैल, 2018 को श्रीमती सुषमा स्वराज की अध्यक्षता में सम्मेलन की वैबसाइट का मीडिया लॉन्च हुआ। इस अवसर पर मॉरीशस गणराज्य की शिक्षामंत्री श्रीमती लीलादेवी दुकन लछुमन, विदेश राज्यमंत्री श्री वी.के.सिंह, गृह राज्यमंत्री श्री किरेन रीजीजू, विदेश मंत्रालय के सचिवगण, मॉरीशस प्रतिनिधिमंडल के सदस्यगण, भारत के सांसदगण, हिंदी के अनेक विद्वान् तथा मीडियाकर्मी उपस्थित थे। संयुक्त सचिव (हिंदी और संस्कृत) श्री अशोक कुमार और उपसचिव (हिंदी) श्री हरकेश सिंह मीणा ने मंचस्थ अतिथियों का स्वागत किया। इस वैबसाइट के माध्यम से अब सम्मेलन में भाग लेने के इच्छुक अपना पंजीकरण करा सकते हैं। कार्यक्रम संक्षिप्त था, लेकिन बुलंद इरादों के संकेत मिले।

श्रीमती प्रीति सरन, सचिव (पूर्व) ने सबका स्वागत किया

ग्यारहवें विश्व हिंदी सम्मेलन की मीडिया लॉन्च के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। आज के इस कार्यक्रम से ग्याहरवें विश्व हिंदी सम्मेलन की तैयारी की विधिवत शुरुआत हो रही है। जैसा कि आप सभी को

विदित है कि आज से लगभग चवालिस वर्ष पूर्व विश्व हिंदी सम्मेलनों के आयोजनों की शुरुआत सन उन्नीस सौ पिचहत्तर में भारत के नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन के आयोजन से हुई थी। अब तक दस विश्व हिंदी सम्मेलनों का आयोजन किया जा चुका है। ग्यारहवां विश्व हिंदी सम्मेलन 18 से 20 अगस्त, 2018 तक इस वर्ष मॉरीशस में आयोजित किया जा रहा है। विश्व हिंदी सम्मेलनों के आयोजन से वैश्विक पटल पर हिंदी के प्रति रुचि बढ़ी है और हिंदी समझने वालों की संख्या निरंतर बढ़ रही है।

हमें आशा है कि माननीया विदेश मंत्री महोदया की अध्यक्षता और मॉरीशस सरकार के पूर्ण सहयोग से ग्यारहवां विश्व हिंदी सम्मेलन सफल और परिणाममूलक सम्मेलन होगा और विश्व हिंदी सम्मेलनों के आयोजन में, अनुशंसाओं के अमल हेतु, मील का पत्थर साबित होगा।

मैं यहां एक बात का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगी कि मॉरीशस के भारतवंशियों ने विश्व में हिंदी के प्रचार में विशेष एवं महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसका साक्षी मॉरीशस में आयोजित दूसरा और चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन रहा है। अब मॉरीशस एक बार फिर से विश्व हिंदी सम्मेलन की मेज़बानी कर रहा है। इस आयोजन के साथ ही भारत के अलावा तीन विश्व हिंदी सम्मेलन करने वाला दूसरा देश होगा।

भारत और मॉरीशस विश्वपटल पर हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए कृतसंकल्प हैं। इसी उद्देश्य से मॉरीशस सरकार और भारत सरकार के द्विपक्षीय क़रार के तहत मॉरीशस में विश्व हिंदी सचिवालय स्थापित किया गया है, जो कि सक्रिय रूप से हिंदी को विश्वपटल पर स्थापित करने के लिए अपना योगदान दे रहा है। भारत और मॉरीशस के बीच मज़बूत राजनीतिक एवं सांस्कृतिक संबंध हैं। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि अभी हाल में ही मॉरीशस की पचासवीं वर्षगांठ के अवसर पर हमारे राष्ट्रपति जी के मॉरीशस के राजकीय दौरे के दौरान उनके कर कमलों द्वारा हिंदी सचिवालय के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन भी हुआ। शीघ्र ही सचिवालय अपने नए भवन से कार्य प्रारंभ करेगा। भारत सरकार

मॉरीशस सरकार की आभारी है कि उन्होंने सचिवालय के भवन निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराई और उचित प्रशासनिक सहयोग प्रदान किया है।

ग्यारहवें विश्व हिंदी सम्मेलन की वैबसाइट में अभी कुछ जानकारी अपलोड की गई है, जिसे हम निरंतर अपडेट भी करते रहेंगे। सम्मेलन में प्रतिभागिता से संबंधित पंजीकरण शुरू हो गया है। कोई भी व्यक्ति इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए पंजीकरण कर सकता है। पंजीकरण से संबंधित अपेक्षित जानकारी वैबसाइट पर अपलोड है। पंजीकरण राशि में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं की गई है। पिछले सम्मेलन के बराबर ही रखी गई है। आज के इस समारोह में मॉरीशस गणराज्य की शिक्षा व मानव संसाधन मंत्री माननीया श्रीमती लीलादेवी दुकन लछुमन की उपस्थिति से इस बात की ख़ुशी है कि मॉरीशस सरकार व समस्त हिंदी-प्रेमी ग्यारहवें विश्व हिंदी सम्मेलन के सफल आयोजन में अपना पूर्ण योगदान देंगे।

माननीया श्रीमती लीलादेवी दुकन लछुमन ने बताया

विश्व हिंदी सम्मेलन का प्रबंध कुछ महीने पहले ही शुरू हो चुका है तथा लोगो और वैबसाइट की लॉचिंग के साथ सम्मेलन के लिए तैयारी जोर पकड़ेगी। लोगो बनाने की प्रतिस्पर्धा के समय भारत और मॉरीशस के सहयोग पर नज़र डालने का अवसर मिला। मुझे ख़ुशी हुई कि पार्टिसिपेंट्स के सोचने का तरीक़ा एक है। जहां तक विश्व हिंदी सम्मेलन का विषय है 'वैश्विक बिंदु, भारत की संस्कृति' पर हैरानी की बात यह है कि चित्र में दिखाई दिया राष्ट्रीय चिह्न, समुद्र, जहाज़, लहरें अर्थात जहाज़ लहरों से संघर्ष कर रहे थे। मुझे ऐसा लगा कि यह हिंदी की संघर्ष-यात्रा की याद दिलाती है। ग्यारहवें विश्व हिंदी सम्मेलन में हम हिंदी को जानने का प्रयास करेंगे। सम्मेलन की डोर हमारे हाथों में है और इस डोर को हम इतनी मज़बूती से पकड़ेंगे कि हिंदी मंज़िल तक पहुंच जाएगी। सम्मेलन की वैबसाइट में मॉरीशस की ओर से जो सूचनाएं डाली गई हैं, इनके अतिरिक्त हमारे देश की भी और अनेक जानकारियां समय-समय पर डाली जाएंगी। मैं यह दोहराना चाहूंगी कि मन से, लगन से और परिश्रम से इसे सफल बनाने के लिए मैं

भारत की विदेशमंत्री का विशेष धन्यवाद देती हूं। इस पर अपनी ख़ुशी व्यक्त करती हूं। बहुत सुंदर लोगो बना है। ज्यूरी का काम आसान नहीं था। सुषमा जी की लीडरशिप में ये सब काम अच्छे से हुए।

विदेशमंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज वक्तव्य

इस वर्ष 18 से 20 अगस्त तक मॉरीशस में ग्यारवां विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। 1976 तथा 1993 में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन वहां पहले भी हो चुका है। यह वास्तव में मॉरीशस का हिंदी प्रेम ही है कि मॉरीशस की प्रतिभागिता रही है।

मैं उल्लेख करना चाहूंगी कि मॉरीशस की हमारी बहन श्रीमती लीलादेवी 2015 में भोपाल हिंदी सम्मेलन में प्रतिनिधिमंडल के साथ आई थीं। मॉरीशस में ग्यारहवें विश्व हिंदी सम्मेलन के आयोजन का निर्णय दसवें विश्व हिंदी सम्मेलन में ही हो गया था। ग्यारहवें विश्व हिंदी सम्मेलन के आयोजन में मॉरीशस सरकार का कार्य बहुत सराहनीय है। आयोजन की तैयारियों की जानकारी देने के लिए मॉरीशस प्रतिनिधिमंडल आया है। उससे मुझे जो जानकारी मिली, मैं बहुत आश्वस्त हो गई।

मॉरीशस में आयोजित सम्मेलन का आयोजन स्वामी विवेकानंद केंद्र भारत मॉरीशस के प्रगाढ़ संबंधों का प्रतीक है। हिंदी के विकास में भारतीय संस्कृति के संरक्षण में मॉरीशस में बसे भारतीयों ने महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। जैसा कि आप सबको विदित है, भाषा सशक्त माध्यम होती है। भाषा गई तो संस्कृति गई। हिंदी भाषा को बचाए और बनाए रखने के अलावा सामाजिक संस्थाएं हिंदी प्रचारिणी सभा संस्थाओं ने हिंदी के प्रचार-प्रसार ने महत्त्वपूर्ण सहयोग दिया है। इसी को ध्यान में रखते हुए ग्यारहवें विश्व हिंदी सम्मेलन का विषय 'वैश्विक हिंदी और भारतीय संस्कृति' रखा गया है।

सम्मेलन के सत्र भी इसी के अनुरूप होंगे। ग्यारहवें विश्व हिंदी सम्मेलन के उद्घाटन के एक दिन पूर्व गंगा मैया की आरती होगी। गंगा भारतीय संस्कृति की प्रतीक है। भारतवंशी विश्व में कहीं भी हों, गंगा को आदर देते हैं। प्रस्तावित

कार्यक्रम इसी संदर्भ में रखा गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दसवें विश्व हिंदी सम्मेलन के बाद मेरी अध्यक्षता में एक अनुशंसा अनुपालना समिति गठित की गई थी। समिति के सभी सदस्यों ने अपनी-अपनी अनुशंसाओं पर कार्यवाही लगभग पूरी कर ली है। शीघ्र ही एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले हैं। इसीलिए ग्यारहवें विश्व हिंदी सम्मेलन के उद्घाटन के बाद के पहले सत्र का विषय हमने रखा है 'भोपाल से मॉरीशस तक'। इस सत्र में दसवें विश्व हिंदी सम्मेलन में पारित अनुशंसाओं पर क्या कार्रवाई हुई है, बताया जाएगा।

गत सम्मेलन की तरह इस सम्मेलन में भी विभिन्न प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी। पुस्तक मेला, कवि सम्मेलन का भी प्रस्ताव है। सम्मेलन में तकनीक और डिजिटल प्रकाशन को भी स्थान दिया जाएगा, क्योंकि आज डिजिटल माध्यम से ही लाखों लोग हिंदी सीख रहे हैं। आप सभी के सहयोग से हम इस सम्मेलन को उसके मुख्य विषय के अंतर्गत सफल बना पाएंगे। ये सम्मेलन अपने आपमें एक अनूठा सम्मेलन साबित होगा।

यहां उपस्थित मीडियाकर्मियों से मैं यह अनुरोध करना चाहूंगी कि आप अपने स्तर पर भी 18 से 20 अगस्त, 2018 तक ग्यारहवें विश्व हिंदी सम्मेलन के बारे में भरपूर प्रचार-प्रसार करें। इस आयोजन में भाग लें और हिंदी की विकास-यात्रा से जुड़ें। भोपाल की किंवदंती को ख़त्म कर दें और भोपाल से अधिक सफल मॉरीशस के आयोजन को बनाएं।

भोपाल से अधिक सफल मॉरीशस हो

मॉरीशस में आयोजित होनेवाला विश्व हिंदी सम्मेलन भोपाल से आगे होगा।

समिति की अंतिम एवं सातवीं सभा

सितंबर 2015 के बाद भोपाल में ली गई अनुशंसाओं पर श्रीमती सुषमा स्वराज के नेतृत्व में अनवरत कार्य हुआ। दिनांक 19 मई, 2018 को अनुशंसा अनुपालन समिति की अंतिम एवं सातवीं सभा सम्पन्न हुई। तीन घंटे से अधिक चली सभा। सभी संयोजकों ने अपनी-अपनी रिपोर्ट्स प्रस्तुत कीं।

सभा के प्रारंभ में अध्यक्ष श्रीमती सुषमा स्वराज ने कहा :

आज की हमारी यह बैठक अनुशंसा अनुपालना समिति की अंतिम बैठक है। इसमें सबसे पहले तो आभार व्यक्त करना चाहती हूं कि तीन वर्षों से यह समिति कार्य कर रही है। यह पहली बार हुआ है कि किसी भी विश्व हिंदी सम्मेलन की अनुशंसाओं पर कार्यवाही करने के लिए अलग से एक समिति का गठन करके, विषयवार आवंटन किया गया हो। हमारे सभी सत्रों के बारे में जो भी अनुशंसाएं थीं, बारह व्यक्ति चुनकर हम लोगों ने बिल्कुल सार्थक कार्य किया। विषय से सम्बंधित व्यक्तियों को चुनकर हम लोगों ने यह काम बांटा था।

हर तीन माह में अपनी बैठक करने का हमने तय किया था। मेरी अस्वस्थता के कारण, जिन दिनों हम बैठक नहीं कर सके, उसको छोड़कर, हमने इस क्रम को, इस नियम को, पूरी तरह से निभाया। हम हर तीन महीने पर बैठक करते रहे। हर बार हमें यह लगता था कि जिन लोगों को यह काम दिया, वे सारे विद्वान इतनी ज़्यादा कर्मठता से, गहनता से, उस कार्य को कर रहे हैं।

कुठियाला जी को हमने काम दिया था, 'पत्रकारिता में भाषा की शुद्धता का'। उनके कहने पर हमने एक बैठक में मीडिया के संपादकों को बुलाया था।

यानी, पहले विश्व हिंदी सम्मेलन जिस दिन खत्म होता था, उस दिन समाप्त हो जाता था सब। तीसरे साल जब अगला होता, तो तैयारियों की बैठकें होने लगती थीं। बीच के समय में विश्व हिंदी सम्मेलन का नाम सब भूल जाते थे, जो सहभागिता रखते थे वे भी। इस बार तीनों साल विश्व हिंदी सम्मेलन की गूंज बनी रही। अनुशंसा अनुपालना समिति की बैठकें होती रहीं। हम लोगों को एक-दूसरे से ज़्यादा काम करने की प्रेरणा मिलती थी। मैं बहुत आभारी हूं कि पूरी अनुपालना समिति ने बहुत ही अच्छे ढंग से काम किया। कृपया आप हमें सारी की सारी रिपोर्ट्स, जो-जो कार्यवाही हमने इन पर की, वह यहां रखें।

एक प्रपत्र हम अगले विश्व हिंदी सम्मेलन के लिए बना लें, 'भोपाल से मॉरीशस'। 'भोपाल से मॉरीशस' का मतलब है, भोपाल में जो काम करने के लिए कहे गए थे, जो अनुशंसाएं सिफ़ारिशें की गई थीं, उनमें हमने क्या-क्या किया। वह जो आपकी रिपोर्ट्स हैं, उनका एक संकलन होगा। वहां जो उद्घाटन सत्र है, उसके बाद एक सत्र होगा। उसका नाम ही 'भोपाल से मॉरीशस' रखा है। 'भोपाल से मॉरीशस' का काम हमने अशोक जी को सौंपा है। वे इसका संकलन तैयार करें कि क्या अनुशंसा थी, क्या हुआ, क्या रहा! काम कभी भी शत-प्रतिशत नहीं हो पाता है। चीज़ें चलती रहती हैं।

इसी तरह से हम मॉरीशस में भी करेंगे। इस बार हमने आठ सत्र रखे हैं। उन सारे के सारे सत्रों की जब अनुशंसाएं बनेंगी, तो दुबारा से एक नई अनुशंसा अनुपालना समिति का गठन होगा। अब मैं चाहूंगी कि एक-एक करके जिन-जिन को जो-जो काम दिया गया था, अपनी-अपनी रिपोर्ट का सार हमें बता दें। जो वहां बोलने वाले हैं। बाकी अपनी विस्तृत रिपोर्ट्स हैं, अशोक जी को दे दें। वे संकलन का काम तभी प्रारम्भ कर पाएंगे, जब आपके रिपोर्ट्स उनको मिल जाएगी। जो आज नहीं भी बना पाए हैं, मैं चाहूंगी कि अगले सात या दस दिन में रिपोर्ट्स बनाकर इन्हें दे दें, ताकि वे उनको इकट्ठा करके संकलन का काम कर सकें।

जी! तीन घंटे से अधिक समय तक चली यह सभा। 'विदेश नीति में हिंदी' पर स्वयं अध्यक्ष महोदया श्रीमती सुषमा स्वराज, 'संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी में हिंदी' पर प्रो. अशोक चक्रधर, 'विज्ञान क्षेत्र में हिंदी' पर डॉ. मोहन लाल छीपा, 'प्रशासन में हिंदी' और 'विधि एवं न्यायिक क्षेत्र में हिंदी और भारतीय भाषाएं' पर गृहराज्य मंत्री श्री किरेन रीजीजू की ओर से राजभाषा विभाग के डॉ. बिपिन बिहारी, 'गिरमिटिया देशों में हिंदी' पर डॉ. प्रेम जनमेजय, 'विदेशों में हिंदी-शिक्षण : समस्याएं और समाधान' पर डॉ. कमल किशोर गोयनका और प्रो. गिरीश्वर मिश्र, 'हिंदी पत्रकारिता और संचार माध्यमों में भाषा की शुद्धता' पर डॉ. बी. के. कुठियाला, 'विदेशियों के लिए भारत में हिंदी अध्ययन की सुविधा' पर डॉ. कमल किशोर गोयनका और डॉ. नंद किशोर पांडे और 'बाल साहित्य में हिंदी' पर डॉ. कृष्ण कुमार अस्थाना ने अपने-अपने क्षेत्र में हुई अनुशंसा अनुपालन की प्रगति पर विस्तार से प्रकाश डाला। 'देश और विदेश में प्रकाशन समस्याएं एवं समाधान', तथा 'अन्य भाषा-भाषी राज्यों में हिंदी' पर अधिक चर्चा नहीं हो सकी।

और फिर सभा के अंत में अध्यक्ष महोदया ने कहा :

हमारा सात बैठकों का काम आज समाप्त हुआ। मैं फिर से आप सबके प्रति आभार व्यक्त करती हूं। पहले छोटा-छोटा किया हुआ काम, आज कुल मिला कर सब उभरकर सामने आया, सच मानिए मन बेहद प्रसन्न है। कोई न तो

उस समय यह अपेक्षा कर रहा था, न हम अपेक्षा कर रहे थे कि तीन साल में इतना सब कुछ हो जाएगा। कभी तीन वर्ष में सब कुछ नहीं होता। लेकिन, जितना हुआ है, वह अपेक्षा से कहीं-कहीं ज़्यादा है।

पूरी रुचि और लगन के साथ आप सबने काम किया। एक ही चीज़ अंत में कहना चाहूंगी कि आपकी अनुशंसाओं में जो-जो चीज़ें सरकारी विभागों से जुड़ी हुई हैं, वह आप हमें लिखकर दे दें। उन पर हम फिर से उन-उन मंत्रियों को बुलाकर कर एक साथ बात कर लेंगे। जो कार्य शेष हैं, उनकी बैठक हम पुन: बुला लेंगे। प्रदर्शनी के दोनों पक्षों से जुड़े लोगों को बुला देंगे। प्रकाशकों को बुला देंगे। सरकारी और निजि क्षेत्र के प्रौद्यौगिकी वालों की भी बुला लेंगे। उसके बाद हम अनुशंसा अनुपालना समिति के नाते नहीं, लेकिन विश्व हिंदी सम्मेलन के प्रतिनिधि के नाते मिलेंगे, क्योंकि मैंने आप सभी को अपने प्रतिनिधि मंडल में शामिल किया है। उस नए अवतार में हम लोगों का मिलन वहां होगा।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभी संयोजक अपने-अपने क्षेत्र की अनुशंसाओं के अनुपाल की प्रगति रिपोर्ट बनाने में जुट गए। मैं हिंदी प्रौद्योगिकी के क्षेत्र की अनुशंसाओं की अनुपालन-प्रक्रिया पर सक्रिय था। ऐसा नहीं कि इस सभा के बाद और सभाएं नही हुईं । केंद्रीय सलाहकार मंडल, हिंदी सलाहकार समिति, अलग-अलग सत्रों की अलग-अलग समितियां अभी भी सक्रिय हैं।

यह भी उल्लेखनीय है कि जितने वरिष्ठ मंत्रीगण एवं प्रशासकीय अधिकारी इन सभाओं में रुचि और संकल्पपूर्वक सहभागी रहे, वैसा मेरी जानकारी में कभी नहीं रहा।

श्री रवि शंकर प्रसाद (इलैक्ट्रोनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी,

क़ानून एवं न्याय मंत्री), श्री प्रकाश जावड़ेकर (मानव संसाधन विकास मंत्री), श्रीमती स्मृति ईरानी (तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री, वर्तमान में कपड़ा मंत्री), श्री किरेन रीजीजू (गृह राज्य मंत्री), जनरल वी. के. सिंह (विदेश राज्य मंत्री), श्री एम. जे. अकबर (विदेश राज्य मंत्री) और श्री राज्यवर्द्धन सिंह राठौर (युवा मामले, खेल व सूचना प्रसारण मंत्री, स्वतंत्र प्रभार) विभिन्न सभाओं में आए। सचिव, संयुक्त सचिव, महानिदेशंक एवं निदेशक स्तर के अनेक अधिकारी भी सक्रिय रहे।

हमारा देश बहुत बड़ा है। हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं की ज़रूरतें भी बहुत बड़ी हैं। सरकार और समाज अगर एकजुट होकर देश की अस्मिता के लिए इन पर ध्यान दे तो हमारे भारत के सभी नागरिकों में न तो संवादहीनता रहे, न संप्रेषण के अभाव में कैसी भी कोई ग़लतफ़हमी। अपनी भाषाओं के माध्यम से ही, अपने देश की एकता और अखंडता के लिए, भारतीय संस्कृति के महान तत्वों को आत्मसात् किया जा सकता है।

अस्तु, आगामी पृष्ठों में बारह सत्रों की अनुशंसाओं पर किए गए कार्यों के औपचारिक-अनौपचारिक **प्रतिवेदन** प्रस्तुत हैं।

—संपादक

1

विदेश नीति में हिंदी

प्रस्तुति : अशोक कुमार
संयुक्त सचिव (हिंदी एवं संस्कृत),
विदेश मंत्रालय, भारत सरकार

पारित अनुशंसाएं एवं की गई कार्यवाही

10वां विश्व हिंदी सम्मेलन 10-12 सितंबर, 2015 तक भोपाल में आयोजित हुआ था, सम्मेलन के दौरान 12 विषयों पर विभिन्न सत्रों में पारित अनुशंसाओं पर त्वरित व प्रभावी रूप से कार्रवाई के लिए माननीय विदेश मंत्री महोदया की अध्यक्षता में अनुशंसा अनुपालन समिति का गठन किया गया था। सम्मेलन के बारह विषयों पर अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए सदस्यों के बीच 12 विषयों से संबंधित अनुशंसाओं को बांटा गया था।

10वें विश्व हिंदी सम्मेलन के 12 विषयों में से एक विषय 'विदेश नीति में हिंदी' विषय था। इस सत्र में कुल 15 अनुशंसाएं पारित हुई थीं । इन सभी अनुशंसाओं पर कार्रवाई के लिए माननीय विदेश मंत्री महोदया की अध्यक्षता में नियमित आधार पर बैठकें हुई। की गई कार्यवाही का वृत्त आगामी पृष्ठों पर है।

प्रतिवेदन : विदेश नीति में हिंदी

अनुशंसा-1

पासपोर्ट फार्मों को द्विभाषी किया जाना / पासपोर्टों में प्रविष्टियों को द्विभाषी रूप में किया जाना चाहिए।

विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले पासपोर्ट के फॉर्म को द्विभाषी किए जाने से संबंधित प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है और पासपोर्ट फॉर्म द्विभाषी रूप में वैबसाइट पर उपलब्ध हैं। इसके साथ ही विदेश मंत्रालय द्वारा पासपोर्ट में प्रविष्टियां द्विभाषी रूप में किए जाने से संबंधित प्रक्रिया को भी पूरा कर लिया गया है और अब नए पासपोर्ट द्विभाषी रूप में छापने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

अनुशंसा-2

भारत द्वारा किए गए बहुपक्षीय और द्विपक्षीय संधि/करारों की हिंदी प्रति को भी मंत्रालय की वैबसाइट पर उपलब्ध करवाया जाना चाहिए।

भारत द्वारा अन्य देशों के साथ किए गए बहुपक्षीय और द्विपक्षीय संधियों और करारों की हिंदी प्रतियां नियमित रूप से संबंधित प्रभागों द्वारा विदेश मंत्रालय की वैबसाइट पर चढ़ाई जा रही हैं। अभी तक 2972 संधियां वैबसाइट पर चढ़ाई जा चुकी हैं। यह प्रक्रिया निरंतर चल रही है।

अनुशंसा-3

भारतीय मिशनों के माध्यम से विदेशों में हिंदी के प्रचार-प्रसार से जुड़ी गैर सरकारी संस्थाओं को वित्तीय एवं अन्य सहायता उपलब्ध कराने पर विचार किया जाना चाहिए।

विदेश मंत्रालय, भारत सरकार की विदेशों में हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए एक सुनियोजित योजना है और इस योजना के तहत विदेश मंत्रालय द्वारा

विदेश स्थित भारतीय मिशनों के माध्यम से विदेशों में हिंदी के प्रचार-प्रसार से जुड़ी गैर-सरकारी संस्थाओं को वित्तीय एवं अन्य सहायता उपलब्ध कराई जाती है। विदेश मंत्रालय द्वारा इस योजना के कार्यान्वयन के लिए अलग से बजट का प्रावधान रखा गया है। विभिन्न देशों में भारतीय मिशनों के माध्यम से हिंदी शिक्षण को प्रोत्साहित किया जा रहा है और हिंदी से जुड़ी संस्थाओं को प्रत्येक वर्ष वित्तीय अनुदान भी प्रदान किया जा रहा है।

अनुशंसा-4

विदेश मंत्रालय को मूल हिंदी में टिप्पण एवं अन्य कार्यों को हिंदी में करने को बढ़ावा देना चाहिए।

माननीय विदेश मंत्री के मार्गदर्शन से विदेश मंत्रालय में हिंदी से संबंधित गतिविधियों में वृद्धि हुई है, और पहले की तुलना में आज विदेश मंत्रालय में मूल रूप से हिंदी में अधिक से अधिक कार्य हो रहें हैं। विदेश मंत्रालय में मूल रूप से हिंदी में टिप्पणी एवं अन्य कार्यों को हिंदी में करने के लिए मंत्रालय द्वारा सभी प्रभाग प्रमुखों को निर्देश दिए गए हैं कि हिंदी की जानकारी रखने वाले अधिकारी फाइलों पर अधिक से अधिक हिंदी में टिप्पणी लिखें और जिन कार्यक्रमों/समारोहों में हिंदी जानने वाले श्रोताओं की संख्या अधिक हो, उन कार्यक्रमों/समारोहों में हिंदी में सम्बोधन करें। मंत्रालय के सभी प्रभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग संबंधित दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है।

अनुशंसा-5

मॉरीशस स्थित विश्व हिंदी सचिवालय को और अधिक सक्रिय किया जाना चाहिए।

हिंदी को विश्व पटल पर स्थापित करने और हिंदी को प्रचारित एवं प्रसारित करने के उद्देश्य से मॉरीशस सरकार एवं भारत सरकार के बीच द्विपक्षीय करार के तहत मॉरीशस में विश्व हिंदी सचिवालय स्थापित हो गया था। विश्व हिंदी

सचिवालय फरवरी 2008 से कार्यरत है। किन्तु विश्व हिंदी सचिवालय पहले किराए के भवन में कार्यरत था। मॉरीशस सरकार द्वारा सचिवालय के भवन निर्माण के लिए भूखंड उपलब्ध कराया गया और भारत सरकार द्वारा इसका निर्माण किया गया। भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा सचिवालय के नए भवन का उद्घाटन मार्च 2018 को किया गया। अब सचिवालय नए भवन से कार्य कर रहा है। मॉरीशस स्थित विश्व हिंदी सचिवालय को और अधिक सक्रिय किए जाने के संबंध में लंबे समय से रिक्त पड़े सचिवालय के नए महासचिव की नियुक्ति मई 2016 में कर दी गई। उनके आने से सचिवालय के कार्यों में गति आई है। सचिवालय की कार्यकारिणी बोर्ड की बैठक अगस्त 2017 में और शासी परिषद् की बैठक अप्रेल 2018 में हुई है।

अनुशंसा-6

भारतीय राजनयिकों को हिंदी में अधिक कार्य करने तथा भारतीयों व उन विदेशियों जो हिंदी बोलते हों, के साथ हिंदी में बात करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

विदेश मंत्रालय द्वारा मुख्यालय में मूल रूप से हिंदी में कार्य सुनिश्चित करने के साथ-साथ विदेश स्थित भारतीय दूतावासों में कार्यरत भारतीय राजनयिकों को भी हिंदी में अधिक से अधिक कार्य करने तथा भारतीयों व उन विदेशियों जो हिंदी बोलते हों, के साथ हिंदी में बात करने के लिए निर्देश दिए गए हैं, जिनका अनुपालन विदेश स्थित भारतीय दूतावासों द्वारा किया जा रहा है।

अनुशंसा-7

विदेश मंत्रालय की वैबसाइट पर मौलिक हिंदी लेखन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। वैबसाइट पर क्षेत्रीय भाषाओं में भी जानकारी उपलब्ध करवाई जानी चाहिए।

विदेश मंत्रालय द्वारा मंत्रालय की वैबसाइट पर मौलिक हिंदी लेखन को बढ़ावा दिया जाता है। वैबसाइट से संबंधित प्रभाग यथासंभव मूल रूप से हिंदी में

जानकारी देता है तथा मौलिक हिंदी लेखन को भी बढ़ावा देता है। विदेश मंत्रालय में हिंदी संबंधी गतिविधियों की निगरानी एवं कार्यों के लिए अलग से हिंदी प्रभाग स्थापित है। क्षेत्रीय भाषाओं के संवर्धन का कार्य भी विदेश मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। एक नया कार्यक्रम 'विदेश आया प्रदेश के द्वार' आरंभ किया गया है, जहां उसी प्रदेश की भाषा में विदेश नीति की जानकारी दी जाती है। प्रोद्योगिकी का उपयोग करके हम एक बहुभाषी पोर्टल भी तैयार करवा रहे हैं।

अनुशंसा-8

विदेशी छात्र-छात्राओं को भारत में हिंदी अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति तथा अन्य सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

विदेश नीति में पारित अनुशंसाओं पर अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में विदेशी छात्र-छात्राओं को भारत में हिंदी अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति तथा अन्य सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इस संबंध में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् द्वारा पूर्व में दी जा रही 44 छात्रवृत्तियों को बढ़ाकर 64 किया गया है। भविष्य में इन्हें आवश्यकता तथा अनुरोधानुसार बढ़ाया जाएगा।

अनुशंसा-9

संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को समयबद्ध तरीके से आधिकारिक भाषा बनाने के लिए संकल्प लिया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में अन्य देशों का समर्थन जुटाने के लिए भारतीय दूतावासों/मिशनों को और अधिक प्रयास करने चाहिए।

'संयुक्त राष्ट्र में हिंदी' का विषय पिछले कई विश्व हिंदी सम्मेलनों से लंबित चला आ रहा है। विदेश मंत्री जी ने इस विषय का गहराई से अध्ययन करवाया तो यह पाया कि संयुक्त राष्ट्र में किसी भी भाषा को आधिकारिक भाषा बनाने के लिए एक लंबी प्रक्रिया है। जिसके तहत सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र के 193 देशों में से 129 देशों (दो तिहाई) का समर्थन चाहिए और उसके बाद इस

प्रक्रिया पर आने वाले खर्च को समर्थन करने वाले दशों के बीच बांटा जाये, इस की सहमति चाहिये।

यह प्रक्रिया बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। 129 देशों का समर्थन तो भारत जुटा सकता है किन्तु राशि को बांटने की सहमति बनाने में अनेक कठिनाइयां हैं। इसलिए हमने और गहराई से अध्ययन करके एक मार्ग निकाला है, जिसके अन्तर्गत हमने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में समाचार साप्ताहिकी प्रारम्भ करवा दी है, सोशल मीडिया पर हिंदी में पोस्ट लिखने की अनुमति प्राप्त कर ली है तथा संयुक्त राष्ट्र ने हिंदी में अपना ट्विटर अकाउंट खोल दिया है। संयुक्त राष्ट्र की बहुमीडिया वैबसाइट में संयुक्त राष्ट्र की अधिकृत भाषाओं के साथ हिंदी भी जोड़ी जा रही है।

संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण करने की स्वतंत्रता, संयुक्त राष्ट्र से हिंदी में प्रसारित हो रहे समाचार तथा सोशल मीडिया पर हिंदी में पोस्ट लिखने की अनुमति, वैबसाइट में हिंदी का जोड़ा जाना, ये इनती महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं जो हिंदी को संयुक्त राष्ट्र की अधिकृत भाषा बनाने के बहुत समीप ले आती हैं।

अनुशंसा-10

भारत में विदेशी भाषाओं को हिंदी माध्यम से सिखाने के लिए एक नया विश्वविद्यालय स्थापित किया जाना चाहिए।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत वर्धा में स्थित महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा विदेशी भाषाओं को हिंदी माध्यम से सिखाया जाता है। विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न विदेशी भाषाओं के भाषांतरकार भी तैयार किए जा रहे हैं। इसलिए किसी अन्य विश्वविद्यालय की आवश्यकता नहीं है।

अनुशंसा-11

विदेशों में स्थित दूतावासों/मिशनों के माध्यम से हिंदी पुस्तकें, राजनयिक थैले व अन्य माध्यमों से अधिकाधिक मात्रा में वितरित की जानी चाहिए।

विदेश मंत्रालय के बाह्य प्रचार प्रभाग, हिंदी प्रभाग तथा भारतीय

सांस्कृतिक संबंध परिषद् द्वारा विदेश स्थित भारतीय दूतावासों के माध्यम से हिंदी की पुस्तकें एवं शिक्षण सामग्री राजनयिक थैलों व अन्य माध्यमों से, मिशनों से प्राप्त अनुरोधानुसार समय-समय पर भेजी जा रही हैं।

अनुशंसा-12

विश्वविद्यालयों के शैक्षिक पाठ्यक्रमों में विदेशी भाषाओं को वैकल्पिक विषय के रूप में शामिल किया जाना चाहिए।

यह विषय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अन्तर्गत आता है।

अनुशंसा-13

विदेशों में हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए केन्द्रीय स्तर पर एक संस्था की स्थापना होनी चाहिए।

विदेश मंत्रालय की स्वायत्त संस्था, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय की संस्था केंद्रीय हिंदी संस्थान द्वारा विदेशों में हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् द्वारा अनेक देशों में हिंदी शिक्षण के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों में 20 हिंदी पीठों की स्थापना की गई है। विभिन्न देशों से विदेशी छात्र हिंदी सीखने के लिए केंद्रीय हिंदी संस्थान के आगरा एवं दिल्ली केंद्र आते हैं। केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा ने श्रीलंका तथा मॉस्को में हिंदी शिक्षण केंद्र स्थापित किए हैं व अन्य देशों में भी हिंदी शिक्षण केंद्र स्थापित करने की प्रस्तावना है। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा एवं दिल्ली केंद्र प्रत्येक में 100-100 स्थान उपलब्ध हैं।

अनुशंसा-14

संसदीय राजभाषा समिति द्वारा विदेश स्थित दूतावासों/मिशनों के निरीक्षण के संबंध में आने वाली बाधाओं पर विचार किया जाना चाहिए।

यह विषय विदेश मंत्रालय के अन्तर्गत नहीं आता।

अनुशंसा-15

हिंदी के प्रयोग और विस्तार का विषय विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय तीनों से जुड़ा है और उनके कार्यों में ताल-मेल बिठाया जाना चाहिए।

विदेश तथा भारत में हिंदी के प्रचार-प्रसार और प्रयोग तथा विस्तार से संबंधित विषय विदेश मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय तीनों से जुड़ा है और इन मंत्रालयों द्वारा इस संबंध में अपने-अपने स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन के आयोजन के पश्चात पारित अनुशंसाओं पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए गठित अनुशंसा अनुपालन समिति में तीनों मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व है। इन तीनों मंत्रालयों द्वारा मिलकर समन्वय के साथ कार्य किया जा रहा है।

इस विषय-क्षेत्र में वैसे तो भोपाल सम्मेलन की पन्द्रह अनुशंसाओं पर बहुत काम हुआ है, किंतु नागपुर सम्मेलन से निरंतर की जा रहीं दो महत्वपूर्ण मांगों पर उल्लेखनीय कार्य हुआ है-

विश्व हिंदी सचिवालय के अपने भवन का निर्माण

संयुक्त राष्ट्र में हिंदी का प्रभावी प्रवेश

विदेश मंत्रालय की ओर से यह रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए मैं यह अवश्य कहना चाहूंगा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में प्रधानमंत्री जी और विदेश मंत्री जी के नेतृत्व में जो कार्य हिंदी के संरक्षण और संवर्धन के लिए किया गया है, वो अभूतपूर्व है। इसी कारण 'विदेश नीति में हिंदी' का प्रभाव उत्तरोत्तर बढ़ रहा है।

2

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी में हिंदी

प्रस्तुति : प्रो. अशोक चक्रधर
अवकाशप्राप्त अध्यक्ष, हिंदी विभाग
जामिआ मिल्लिआ इस्लामिया (केंद्रीय विश्वविद्यालय), दिल्ली
पूर्व उपाध्यक्ष, केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल, आगरा
पूर्व उपाध्यक्ष, हिंदी अकादमी, दिल्ली

दसवां विश्व हिंदी सम्मेलन प्रारंभ होने से पहले छठे, सातवें, आठवें तक हम धीरे-धीरे समझ रहे थे कि हिंदी तथा भारतीय भाषाओं के लिए संचार और सूचना प्रौद्योगिकी की उपयोगिता क्या है। यह बात प्रायोगिक तौर पर साफ़ हुई कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी एक ही चीज़ नहीं हैं। विज्ञान तो कल्पनाशील व्यक्तियों की आविष्कार करने के क्षेत्र में जुनूनी और रोमांसपरक ऐसी गतिविधि है, जो मानव-जाति के उद्धार के लिए कुछ नया कर सकने को उद्यत रहती है। आविष्कारों की जन्मदात्री होती है। प्रौद्योगिकी विज्ञान का उपयोग करती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर समझने के लिए हम कह सकते हैं कि विज्ञान यदि संपूर्ण समाज के लिए है तो प्रौद्योगिकी अपने उपभोक्ताओं और प्रयोक्ताओं के लिए है।

प्रौद्योगिकी का हमारा यूज़र कौन है? आम जन होना चाहिए। आम जन को प्रौद्योगिकी की सुविधा देने वाली संस्थाएं कौन-सी हैं? सबसे बड़ी संस्था सरकार है। सरकार में जीवन के हर क्षेत्र के विकासपरक कार्यों के निष्पादन के

लिए विभिन्न मंत्रालय हैं। प्रत्येक मंत्रालय का प्रयत्न होता है कि वह अपने सभी नागरिक उपभोक्ताओं के लाभार्थ प्रौद्योगिकी के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक और हर प्रकार की अपेक्षित सुविधाएं दे सके।

दसवें विश्व हिंदी सम्मेलन, भोपाल में 'संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी में हिंदी' सत्र की अध्यक्षता केंद्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने की। उन्होंने कहा कि कंप्यूटर एवं स्मार्ट फ़ोन उपयोग के मामले में देश के लोग बहुत आगे हैं, हमें उनके साथ चलने की ज़रूरत है। डिजिटल इंडिया के सपने को पूरा करने के लिए हमें स्मार्ट फ़ोन के माध्यम से छोटे कामगारों को रोज़गार उपलब्ध करवाना होगा।

श्री रविशंकर प्रसाद ने सुनाए दो रोचक प्रसंग

"यह देश कैसे बदल रहा है? मैं आपको दो उदाहरण दूंगा। मैं रजत शर्मा के प्रोग्राम 'आपकी अदालत' में गया था। हम लोग रिकॉर्डिंग के बाद भोजन कर रहे थे। रजत जी ने कहा एक रोचक कहानी सुनिए कि देश कैसे बदल रहा है। हम स्टूडियो से रात के ग्यारह-साढ़े ग्यारह बजे अपने घर लौटते हैं। उन्होंने देखा कि उनका नौकर उनके घर के दो मकान आगे स्कूटर की पीछे वाली सीट पर सभार अपने स्मार्टफ़ोन पर खेल रहा था। दूसरे दिन भी खेल रहा था। तीसरे दिन भी खेल रहा था। उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि वहां करता क्या है ये? उन्होंने बताया, जहां वह बैठता है, वहां वाई-फ़ाई बहुत बढ़िया मिलता है। उससे ब्राजील का वर्ल्ड कप फुटबॉल देखता है।

दूसरा उदाहरण और भी रोचक है!

हमारे दिल्ली के एक बड़े वकील मित्र थे। थोड़े भारी-भरकम थे। भारी-भरकम विदेशी गाड़ी भी थी। उसका टायर पंचर हो गया। यह कहानी उन्होंने मुझे बताई फ़ोन करके। वे अपनी गाड़ी छोड़कर सड़क पर अपने दफ़्तर में गए, गूगल पर गए, अपने स्मार्टफ़ोन से खोजा कि दिल्ली में कितने पंचर वाले हैं, तो पचास के नंबर आ गए। फिर खोजा कि उनके आस-पास के कितने हैं, तो तीन के आए। उनमें एक को मैसेज भेजा हिंदी में कि मेरी गाड़ी का पंचर हो गया है। कुछ मदद

करोगे? उसने कहा, अभी आता हूं। वह उनके दफ़्तर आया, गाड़ी जहां है उसका एड्रेस लिया, चाबी ली और आधे घंटे बाद उसने एक वॉट्सएप्प किया, यह आपकी गाड़ी का ट्यूब है। इसमें तीन कीलें घुस गई हैं। मैं उसको ठीक करके आ रहा हूं। यह मेरा बिल है, इसको तैयार रखिए।'

उन्होंने आगे बताया, 'इस बदलते हुए भारत की तस्वीर आपको बताना चाहता हूं। डिजिटल इंडिया, इसी भारत को एक बड़ा प्लेटफॉर्म देने का कार्यक्रम है, जो नरेन्द्र मोदी जी ने शुरू किया है। मित्रो! देश में बदलाव सभी करते हैं, लेकिन कुछ बदलाव ऐसे होते हैं, जो देश को बदल देते हैं। जब कंप्यूटर आया, जब मोबाइल फ़ोन आया, अटल जी की सरकार के टाइम से मोबाइल फ़ोन के ऑपरेटरों से मेरा जुड़ाव रहा है। दो हज़ार एक में जब यह राष्ट्रीय राजमार्ग योजना शुरू हुई थी, मंत्री होने के नाते मैं भी अटल जी के साथ एक सभा में था। अटल जी बाहर आम सभाओं में अधिक बोलते थे, आंतरिक सभा में कम बोलते थे। सब अपनी-अपनी बातें कर रहे थे, देश को जोड़ना है, कैसे होगा? अटल जी सुनते रहे, अंत में बस दो शब्द कहे— 'करना है।'

मोदी जी जब भारत के प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने एक वाक्य कहा था, आई.टी.+आई.टी. इज़ ईक्वल टू आई.टी.। भारतीय प्रतिभा + सूचना प्रौद्योगिकी = भारत का भविष्य। इंडियाज़ टैलेंट, यानी– आई.टी.+इंफोर्मेशन टैक्नॉलोजी, यानी– आई.टी. = इंडियाज़ टूमोरो। यानी, आई.टी.। इसी मंत्र के साथ हम काम कर रहे हैं।'

'संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी में हिंदी' के तीनों सत्रों में अनेक रचनात्मक और सकारात्मक बिंदु सामने आए—

- कंप्यूटर के साथ हिंदी की-बोर्ड होना प्राथमिक आवश्यकता है।
- स्कूल स्तर से ही बच्चों को उनकी मातृभाषा में कंप्यूटर का प्रशिक्षण देना होगा।

- इंटरनेट के आने से अंग्रेज़ी भाषा के साथ हिंदी को भी बढ़ावा मिला है। अब विश्व के लोग भारत की भाषा हिंदी में उसके इतिहास, संस्कृति, पर्यटन-स्थल आदि के बारे में इंटरनेट से अधिक से अधिक जानकारी लेने लगे हैं।
- भारत सरकार के सी-डैक, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी आदि विभाग, विभिन्न कंप्यूटर कंपनियों एवं जागरूक लोगों ने कंप्यूटर में हिंदी का उपयोग बढ़ाने के लिए कई सॉफ़्टवेयर, एप्स, इंस्क्रिप्ट की-बोर्ड उपलब्ध करवाए हैं।
- इनका अधिक से अधिक उपयोग करने से हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं का उपयोग कंप्यूटर में बढ़ेगा।
- सूचना प्रौद्योगिकी में हिंदी के उपयोग को प्रोत्साहित करने में केवल भावुकता से नहीं, बल्कि वैज्ञानिक पद्धति अपनाने से बात बनेगी।
- इंटरनेट की नई तकनीक से रोज़गार के नए-नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। कंप्यूटर के उपयोग में हिंदी की मांग पैदा करने से शासकीय विभाग के साथ निजी कंपनियां नए-नए सॉफ़्टवेयर एवं नई तकनीक लाएंगी। इससे युवाओं को रोज़गार के नए अवसर मिलेंगे। —बालेंदु दाधीच
- सूचना प्रौद्योगिकी में हिंदी के उपयोग को बढ़ाने के लिए उसकी भाषा एवं उच्चारण पर ध्यान देने की ज़रूरत है। प्रो. सूरजभान सिंह का योगदान अविस्मरणीय है। उनके द्वारा विकसित 'लीला' देश का हिंदी का सबसे अच्छा सॉफ़्टवेयर है। इसमें विदेशी भाषाओं को ध्यान में रखकर सुधार करने होंगे। —डॉ. विजयकुमार मल्होत्रा
- घर-घर में डिजिटाइज़ेशन को बढ़ावा देने के लिए ज़रूरी है कि कंप्यूटर में हिंदी का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए।
- कंप्यूटर को बढ़ावा देने के लिए हिंदी को दिल के साथ लोगों की रोज़गार की भाषा बनाना होगा। —डॉ. सुजय लेले

अगले दो दिनों में इस सत्र की अध्यक्षता का भार श्री रवि शंकर प्रसाद ने

मुझे सौंप गए। संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. स्वर्णलता, सी-डैक के श्री एम.डी. कुलकर्णी एवं राजभाषा विकास विभाग के श्री केवलकृष्ण ने कंप्यूटर में हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं में तैयार किए गए विभिन्न सॉफ़्टवेयर, इंस्क्रिप्ट की-बोर्ड आदि के बारे में जानकारी दी। कंप्यूटर-विशेषज्ञ श्री हर्षकुमार ने कहा कि कंप्यूटर में उपयोग के लिए हमारी भाषा हिंदी एवं देवनागरी लिपि में कोई कमी नहीं है। इसके लिए हिंदी शब्दों का मानकीकरण होना चाहिए। हिंदी में कंप्यूटर को प्रोत्साहित करने के लिए सामान्य बोलचाल की भाषा के शब्दों में हमें ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित करने की ज़रूरत है। सत्र में विदेश राज्यमंत्री जनरल वी. के. सिंह के अलावा, भारत कोश के संस्थापक श्री आदित्य चौधरी, श्री अनूप भार्गव, सत्र संयोजक डॉ. रचना विमल, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा इस क्षेत्र के विशेषज्ञ और विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।

हिंदी प्रौद्योगिकी के विकासपरक कार्य

हिंदी प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमने प्रकाश वर्षों वाली गति से प्रगति की है। हर दिन नई प्रौद्योगिकी आ रही है। आगे आने वाले दस वर्षों में, कहा जाता है कि हम आर्टिफ़िशल इंटैलीजेंस से रोबोट्स को पैदा कर पाएंगे, जो हमारे दिनभर के कामकाज को पूरा करेंगे। हमारी आज्ञा से चलेंगे। मानव जैसे रोबोट्स हो जाएंगे। बस उनके अंदर भावनाओं के नव-रस नहीं होंगे। आंसू-वांसू नकली बहा दें तो बहा दें, लेकिन हृदय से निकलने वाले हर्ष और विषाद के आंसू, प्रौद्योगिकी नहीं निकाल पाएगी।

पिछले दस-पंद्रह वर्ष से हिंदी प्रौद्योगिकी के ज्ञाताओं ने आग्रहपूर्ण आवाज़ उठाई कि भाषाई आचार-व्यवहार में यूनिकोड पद्धति का व्यापक उपयोग हो। राष्ट्रपति जी ने कहा, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हर सरकारी कार्यालय में यूनिकोड में हिंदी या अन्य भारतीय भाषाओं का काम किया जाना चाहिए, पर ऐसा हुआ नहीं। आज भी हम यह नहीं कह सकते कि सारे सरकारी मंत्रालय भाषा के क्षेत्र में यूनिकोड समर्थित सॉफ़्टवेयर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह बात मैं उस

परिकल्पना और उस अनुशंसा को लेकर कर रहा हूं, जिसमें कहा गया कि एक 'हिंदी प्रौद्योगिकी संसाधन केंद्र' होना चाहिए। यह संसाधन केंद्र क्यों हो? उसके लिए कुछ बिंदु गिना रहा हूं—

यूनिकोड के आने से पूरे भाषा जगत में जो क्रांति हुई है, मैं इसको क्रांति ही मानता हूं, क्योंकि इससे पहले हम अलग-अलग फ़ॉण्ट बेस्ड टैक्नॉलोजी में हिंदी लिखते थे। अनेकानेक फॉण्ट्स में काम करते थे। हमारे अंदर यह जागृति नहीं आई कि वे फ़ॉण्ट्स 256 कोड प्वाइंट्स पर आधारित थे। उस प्रणाली को इस्की प्रणाली कहा जाता है, जिसके माध्यम से टंकण करने पर पचासियों प्रकार की असुविधाएं थीं। यूनिकोड जब साठ हज़ार कोड प्वाइंट्स लेकर आया तो भारतीय भाषाओं के लिए आमोद के दिन आए। जिनको अनकोड करने के बाद हमारे सारे लिपिचिह्न जैसा हम चाहें, वैसे आ सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको इंटरनेट पर जाना हो तो फ़ॉण्ट बेस्ड टैक्नॉलोजी में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वहां सर्वसुलभता की दृष्टि से केवल यूनिकोड का टैक्स्ट ही जाएगा। इसे आज सब जानते हैं, कोई नई बात नहीं है। 'हिंदी प्रौद्योगिकी संसाधन केंद्र' यूनीकोड के प्रचार और प्रसार के लिए काम करेगा।

संसाधन केंद्र यह भी देखेगा कि पूरे भारतवर्ष में सरकारी और ग़ैर-सरकारी क्षेत्रों में यूनिकोड का अनुपालन किस गति से हो रहा है।

हर मंत्रालय और उसके विभाग अपनी-अपनी वैबसाइट बनाते हैं, किंतु अभी तक भी अनेक वैबसाइट यूनिकोड समर्थित नहीं हैं। धीरे-धीरे इस चेतना का विकास हो रहा है। पिछले तीन वर्ष में अत्यधिक हुआ है।

गृहमंत्रालय, जिसके अंतर्गत राजभाषा विभाग आता है। ख़ुशी इस बात की है कि राजभाषा विभाग के नेतृत्व में 'लीला' नामक सॉफ़्टवेयर अब यूनिकोड में है। 'लीला' जैसे ही यूनीकोड की परिधि में आया, वैसे ही यह राजभाषा विभाग 'लीला' का मोबाइल वर्जन भी बनाने में भी समर्थ हुआ।

संसाधन केंद्र का अन्य मुख्य काम होगा, विभिन्न मंत्रालयों की वैबसाइट का पुनरीक्षण और उनकी समीक्षा। समीक्षा के बाद उनको सुधार के सुझाव दिया

जाना। केंद्र एक मानक स्थापित करेगा कि अगर यह भारत सरकार की वैबसाइट है तो निर्धारित मानकों को पूरा करे। उसके हैडिंग क्या होंगे, सब-हैडिंग क्या होंगे और उसके यूआरएल कैसे बनेंगे। हम कैसे त्वरित गति से खुलने वाली वैबसाइट बनाएंगे। उन्हें क्लाउड कंप्यूटिंग की सुविधा प्रदान करेंगे। हर मंत्रालय की वैबसाइट पर अन्य संबद्ध मंत्रालयों और विभागों के लिंक्स हों, ताकि सरकार की समस्त गतिविधियों की जानकारी हो सके। समस्याओं के निदान कहां हो सकते हैं, पता चल सके। इसके लिए वैबसाइट में सूत्रबद्धता करनी होगी। संसाधन केंद्र सारी वैबसाइट के उत्कृष्टीकरण के लिए एक-दूसरे को प्रोत्साहित करे और हर वर्ष तीन श्रेष्ठ वैबसाइट को राष्ट्रपति भवन, विज्ञान भवन या कहीं अन्यत्र पुरस्कृत करे।

हर मंत्रालय की अपनी विशिष्ट आवश्यकताएं होती हैं। कृषि के लिए अलग हैं, स्वास्थ्य के लिए अलग हैं, संचार के लिए अलग हैं। उनके लिए वे मंत्रालय साफ़्टवेयर बनवाते हैं। साफ़्टवेयर बनवाने के लिए वे अलग-अलग कंपनियों की सहायता लेते हैं। केंद्र के पास उन कंपनियों की एक सूची होनी चाहिए। केंद्र के समक्ष अपनी गुणवत्ता सिद्ध करने और समर्थन प्राप्त करने के बाद ही सरकारी विभाग उनका इस्तेमाल कर सकेंगे। इम्पैनल्ड कंपनीज़ से ही मंत्रालय और उनके विभाग अपनी वैबसाइट बनवा सकेंगे। अकेले एनआईसी के लिए अभी लगता है कि यह कार्य संभव नहीं है। लक्ष्य यह है कि गुणवत्ता में कहीं भी किसी भी प्रकार कमी न हो।

अगली बात, उपयुक्त कॉण्टेंट जेनरेट कराना। किस वैबसाइट का कॉण्टेंट कितना अच्छा है, यह भी देखना होगा। फॉर्मेट, स्ट्रक्चर और कॉण्टेंट के लिए पुरस्कार दिए जाएं और यह देखा जाए कि इसमें कॉण्टेंट कितने अच्छे तरीक़े से विकसित किया गया है और उसने उपभोक्ताओं को कितना लाभान्वित किया है।

अगला बिंदु है, निजी विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए सॉफ़्टवेयर बनवाना। कुछ बुनियादी सॉफ़्टवेयर हैं, जो सभी के काम आ सकते हैं। उदाहरण के लिए कितने ही मंत्रालय 'ओसीआर' बनवाने में लगे हुए हैं। सी-डैक बना रहा है। एक ओसीआर आई टी विभाग भी बना रहा है। स्वर्णलता जी ने बताया कि

हम नहीं बना पाए। वे ओलिवर हैल्विग के स्वामित्व वाली कंपनी इंडसैंज (Indsenz) के ओसीआर को सबसे अच्छा मानती हैं। ऐसी क्या बात है कि हम ओसीआर नहीं बना सकते? उसका कारण क्या है कि हम सॉफ़्टवेयर डेवलेपमेंट की प्रक्रिया को जानते नहीं हैं। और यह कि कितना धन इसके रिसर्च और डेवलेपमेंट पर लगता है। गूगल, माइक्रोसॉफ़्ट जैसी कंपनियां कमा रही हैं, इसलिए कि एक बार ज़िंदगी में पैसा उन्होंने आर एंड डी पर ख़र्च कर दिया। अब बेशुमार लाभ कमा रहे हैं। समय की मांग के अनुसार थोड़े-थोड़े अपडेट्स डालते रहते हैं। इसलिए भी, कि जांच सकें कि सॉफ़्टवेयर पायरेटेड तो नहीं है। उनके अपडेट डाउनलोड नहीं किए, तो वे आपको रोक देंगे। आपका सॉफ़्टवेयर काम करना बंद कर देगा। आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। वे दिन अब नहीं रहे, जब आप पायरेटिड सॉफ़्टवेयर इस्तेमाल कर सकते थे। अब अद्यतन सॉफ़्टवेयर ग्रे मार्केट में नहीं मिलते।

हमें पायरेसी को प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से समाप्त करने के लिए 'मेक इन इंडिया' वाले फ़ॉर्मूले पर आना होगा। अधिकांश टैक्नोलोजीज़ अब गोपनीय नहीं हैं। जो तकनीकी ज्ञान गूगल, माइक्रोसॉफ़्ट और एपल के पास है, वह हमारे पास भी हो सकता है। शोध और अनुसंधान के लिए सी-डैक जैसी सरकार-समर्थित कंपनी को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सी-डैक हमारे पास भारतवर्ष का सबसे पुराना संस्थान है। इस वर्ष इकत्तीसवां स्थापना-दिवस मनाया सी-डैक ने। मुझे इस समारोह में की-नोट प्रस्तुति के लिए बुलाया गया था।

सरकारी स्तर पर हम अपने उम्दा उत्पादों की मार्केटिंग नहीं कर पाते हैं। शायद यह मानकर बैठ जाते हैं कि प्रौद्योगिकी का क्षेत्र तो विदेशी कंपनियों का ही है। अलग-अलग बिखरकर काम करने के कारण कई बार हम अपनी ताक़त का अनुमान भी नहीं लगा पाते। अगर इस बात को किसी मंत्रालय का कोई अकेला आदमी बोलेगा, तो बात नहीं बनेगी। अगर सारे मंत्रालयों से समर्थित संसाधन केंद्र बोलेगा, यानी व्यक्ति नहीं, केंद्र बोलेगा तब सुखद परिणाम आएंगे। केंद्र बताएगा कि सॉफ़्टवेयर अनुसंधान और विकास पर कितना पैसा ख़र्च करना

है। विभिन्न मंत्रालयों की आवश्यकताएं क्या हैं? एक तरह का सॉफ़्टवेयर किंचित परिवर्तनों के साथ कितने मंत्रालयों के काम आ सकता है? एक ही तरह की आवश्यकताओं को समझते हुए उनको उस तरह के सॉफ़्टवेयर बनवा कर देना। अब हम किससे बनवा कर देंगे? कार्यों की पुनरावृत्ति को रोकना, ये संसाधन केंद्र का कार्य होगा।

आज के ज़माने में सबसे बड़ी समस्या है इंटरनेट पर हिंदी और भारतीय भाषाओं की सामग्री की कमी। पिचानवे प्रतिशत कॉण्टेंट अंग्रेज़ी भाषा में है और महज पांच प्रतिशत हिंदी व भारतीय भाषाओं में है। हालांकि, गूगल के सीईओ श्री सुंदर पिच्चई का मानना है कि आगे आने वाले चार वर्ष में यह अनुपात बदल जाएगा और हमारे पास छियालिस प्रतिशत कॉण्टेंट हिंदी और भारतीय भाषाओं का होगा। यह संवर्धन का कार्य सरकारी स्तर पर उतना नहीं हो पा रहा जितना आम प्रयोक्ता और विदेशी संस्थाएं कर रही हैं। गूगल की एक कम्युनिटी है ट्रांसलेशन की। जिस ट्रांसलेशन के टूल को वे विकसित कर रहे हैं, उन्होंने जनता में बिखरा दिया है। उनको अनुवादकों की ज़रूरत है। हम अनुवाद ब्यूरो पर आश्रित हैं। वहां अनुवाद जैसा बड़ा कार्य क्राउड सोर्सिंग से हो रहा है। उसका बेहतर परिणाम भी आ रहा है। आज से पांच साल पहले गूगल के ट्रांसलेशन टूल से यूपीएससी के पर्चे का जो अनुवाद किया गया, उस पर बखेड़ा हो गया था। लेकिन, आज वह बात नहीं है।

गूगल का ट्रांसलेशन अब स्तरीय होता जा रहा है। दूसरी कंपनियों ने जो बढ़िया काम किए हैं, उनको भी हिंदी प्रौद्योगिकी संसाधन केंद्र जोड़ा जा सकता है। जैसे, माइक्रोसॉफ़्ट, गूगल, मैकिंटोश और एपल। जितनी विदेशी कंपनियां हैं, जो भाषाई कंप्यूटिंग के क्षेत्र में आज सक्रिय हैं, उनके उत्पादों को और उनकी टैक्नॉलोजी को, उनसे साथ एमओयू करके यदि हम ले लेंगे तो हमारा केंद्र भाषाई प्रौद्योगिकीपरक सुविधाओं की एकल खिड़की होगा। केवल हिंदी नहीं, बल्कि भारत की सारी भाषाएं लाभान्वित होंगी।

संसाधन केंद्र विभिन्न संस्थानों में होते हुए मतभेदों को भी समाप्त करेगा

तथा उन्हें उत्पादन और उपभोक्ता की ओर ले जाने का प्रयास करेगा।

'निकष' और 'इमली' का मुख्यालय भी संसाधन केंद्र को बनाया जा सकता है। क्लाउड कंप्यूटिंग ने आजकल स्टोरेज की समस्या को समाप्त किया है। यह केंद्र उसी तरह से हो, जैसे कि केंद्रीय हिंदी संस्थान अथवा हिंदी निदेशालय, मानव संसाधन मंत्रालय के या गृह मंत्रालय के अधीन हैं। मानव संसाधन मंत्रालय या गृह मंत्रालय में से कोई सा मंत्रालय ले या अलग-अलग मंत्रालय इसके पणधारक बन जाएं कि आपको अपने बजट का इतना प्रतिशत देना पड़ेगा। उसकी एक रूपरेखा बने। संस्थान की वैबसाइट एक एकल खिड़की की तरह हो, जो परस्पर संबद्धता बढ़ाए।

तदनंतर, दसवें विश्व हिंदी सम्मेलन की अनुशंसाओं के अनुपालन के लिए अनुपालन समिति की सभाओं के अतिरिक्त आईटी मंत्रालय में सचिव श्रीमती अरुणा शर्मा जी के साथ सभा हुई। सी-डैक, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय और राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, टीडीआईएल कार्यक्रम, इलैक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय एवं प्रौद्योगिकी से जुड़े अनेक हिंदी विद्वानों के साथ औपचारिक-अनौपचारिक अनेक सभाएं हुईं। अनुशंसाओं के अनुपालन की प्रगति का ब्यौरा आगामी पृष्ठों में प्रस्तुत है।

प्रतिवेदन : संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी में हिंदी

अनुशंसा-1

'डिजिटल इंडिया' अभियान के अंतर्गत, भारत के प्रत्येक घर में डिजिटलन (डिजिटाइज़ेशन) को पहुंचाने के लिए कंप्यूटर, टैबलेट और मोबाइल जैसे उपकरणों की भाषा अनिवार्य रूप से हिंदी भी होनी चाहिए।

'डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम का विज़न है, 'भारत को डिजिटली सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था के रूप में परिवर्तित करना'। सरकार ने अपना लक्ष्य रखा है कि प्रत्येक नागरिक को सुविधा और उपयोगिता के रूप में डिजिटल बुनियादी ढांचा यथाशीघ्र मिले।

इसके लिए आज जीवन के लिए ज़रूरी और महत्वपूर्ण उपयोगिता के रूप में उच्च गति इंटरनेट को सभी नागरिकों को उपलब्ध कराए जाने पर तीव्र गति से कार्य हो रहा है। डिजिटल पहचान एकत्र करने की सुविधा सभी नागरिकों को उनकी भाषा में उपलब्ध कराई जा रही है। मोबाइल फ़ोन और बैंक खाते व्यक्तिगत स्तर पर डिजिटल और वित्तीय क्षेत्र में प्रतिभागिता के लिए सक्षम बनाए जा रहे हैं। सभी नागरिकों को सार्वजनिक क्लाउड पर साझा करने योग्य निजी स्थान (संरक्षित और सुरक्षित साइबर स्पेस) के लिए आसान पहुंच प्रदान की जाने वाली है। बहुत शीघ्र सभी विभागों या अधिकार क्षेत्रों में मांग पर आधारित शासन और मूल एकीकृत सेवाएं होंगी।

भारत सरकार के इलैक्ट्रोनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के पोर्टल 'डिजिटल इंडिया' के अनुसार, भारत के विभिन्न भागों में बोली और लिखी जाने वाली भाषाओं के संदर्भ में उल्लेखनीय विविधता यह है कि यहां बाईस आधिकारिक भाषाएं और बारह लिपियां हैं। अंग्रेज़ी का ज्ञान देश की आबादी के बहुत छोटे वर्ग तक सीमित है। बाकी लोग डिजिटल संसाधनों को समझ या

उपयोग में नहीं ला सकते, क्योंकि वे मुख्य रूप से अंग्रेज़ी में ही उपलब्ध हैं।

डीईआईटीवाई ने अभिनव उपयोगकर्ता उत्पादों और सेवाओं को एकीकृत करने के उद्देश्य और भाषा अवरोधों, बहुभाषी ज्ञान संसाधनों तक पहुंच बनाने, सूचना प्रोसेसिंग उपकरणों एवं तकनीकों को विकसित करने और मानव-मशीन की सुविधा के लिए भारतीय भाषाओं प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम (टीडीआईएल) की पहल की है। यह कार्यक्रम अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय मानकीकरण निकायों, जैसे कि आईएसओ, यूनिकोड, विश्व-वाइड वेब कंसोर्शियम (डबल्यू3सी) और भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से भाषा प्रौद्योगिकी मानकीकरण को बढ़ावा देता है।

डीईआईटीवाई ने भी मिशन मोड परियोजनाओं और अन्य सरकारी अनुप्रयोगों के अंतर्गत, आवेदन के स्थानीयकरण में मदद करने के लिए, स्थानीयकरण परियोजना प्रबंधन फ्रेमवर्क (एलपीएमएफ) की शुरुआत कर दी है। इसके साथ ही डीईआईटीवाई भारत में बड़े पैमाने पर अंग्रेज़ी न जानने वाली जनसंख्या में स्थानीय भाषा में डिजिटल सामग्री का प्रसार करने के लिए ई-भाषा नाम से एक नई मिशन मोड परियोजना की तैयारी कर रहा है।

अब हमारे देश के प्रत्येक कंप्यूटर में हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाएं उपलब्ध हैं। मोबाइल फ़ोन आजकल दैनन्दिन जीवन में हर व्यक्ति की आवश्यकता बन चुका है। भारत सरकार के टेलिकॉम मंत्रालय ने यह नियम बनाकर आदेश जारी कर दिया है कि हर मोबाइल फ़ोन में भारतीय भाषाओं का समर्थन होना अनिवार्य है। उस नियम के अंतर्गत कुल बाईस भाषाओं की उपलब्धता होनी चाहिए। हर राज्य में दो या तीन भाषाएं व्यवहृत होती हैं।

गैजेट्स 360, दिनांक 28 अक्टूबर, 2016 के अनुसार केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि अब देश में 1 जुलाई, 2017 से बिकने वाले हर मोबाइल फ़ोन में क्षेत्रीय भाषाओं के लिए सपोर्ट होना ज़रूरी होगा।

सरकार की अधिसूचना

सरकार ने अधिसूचना जारी कर बताया, "इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट के ब्यूरो के क्लॉज़ 10(1) को लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने 'इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी गुड्स (रजिस्ट्रेशन के लिए अनिवार्य) ऑर्डर, 2012 के आईएस 16333 (पार्ट-3) के तहत मोबाइल फ़ोन के लिए भारतीय भाषाओं का सपोर्ट होना ज़रूरी है।"

नए नियम के मुताबिक, देश में अब सभी मोबाइल कंपनियों को अपने डिवाइस में टैक्स्ट पढ़ने के लिए भारतीय भाषाओं का सपोर्ट देना होगा। नए मानकों के हिसाब से अब मोबाइल फ़ोन कंपनियों को अपने डिवाइस में मैसेज टाइप करने के लिए अंग्रेज़ी, हिंदी और यूज़र की पसंद की एक क्षेत्रीय भाषा के लिए सपोर्ट देना होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी गुड्स (रजिस्ट्रेशन के लिए अनिवार्य) ऑर्डर, 2012 के तहत नए नियम 1 जुलाई, 2017 से प्रभावी हुए।

मोबाइल फ़ोन पर हिंदी टंकण

विगत तीन वर्ष के अंतराल में मोबाइल फ़ोन पर हिंदी टंकण का चलन बढ़ा है। आइओएस, एंड्रॉयड तथा अन्य स्मार्टफ़ोन ऑपरेटिंग सिस्टम्स उत्तम हिंदी समर्थन दे रहे हैं। 'स्काइफायर' - बिना हिंदी समर्थन वाले फ़ोन में हिंदी साइटें देखने हेतु ब्राउजर है। हिंदी तथा भारतीय भाषाओं में खोज अब मोबाइलों पर संभव है। हिंदी में ईमेल, गपशप, ब्लॉगिंग, ट्विटिंग आदि की सुविधा प्रयोक्ताओं को मिल गई है। मोबाइल के पटल (स्क्रीन) पर अब हिंदी दिखती है क्योंकि हिंदी पाठ आगम (टैक्स्ट इनपुट) के कारण फलक (इंटरफेस) भी हिंदी में व्यापक स्तर पर उपलब्ध है।

पाणिनी कुंजीपटल

अब आप अपने मोबाईल से अंग्रेज़ी में ही नहीं बल्कि हिंदी सहित भारत की 9 भाषाओं को अपने फ़ोन पर 'पाणिनी कीपैड' की मदद से टाइप कर संदेश भेज सकते हैं। अब एक अक्षर टाइप करने के लिए बार-बार बटन दबाने की

जरूरत नहीं पड़ेगी। पाणिनी कीपैड में अक्षर अपने आप स्क्रीन पर संभावनाओं के आधार पर आते रहते हैं और आपको चुनने के लिए नंबर बटन को दबाना होता है । इस तरह से आप अक्षरों के लिए एक ही बार बटन दबाते हैं और अगर आपका मोबाइल टच स्क्रीन है तो आप अक्षरों को टच करके आसानी से लिख सकते हैं।

टचनागरी

टचनागरी बिना हिंदी इनपुट की व्यवस्था वाले टचस्क्रीन फ़ोन में हिंदी टाइप करने हेतु ब्राउजर में चलने वाला एक ऑनस्क्रीन की-बोर्ड है। इसके ऑनस्क्रीन कुंजीपटल द्वारा हिंदी टाइप करने के उपरान्त उसे कॉपी करके वेब पर कहीं भी पेस्ट करके प्रयोग किया जा सकता है। नोकिया के टचस्क्रीन स्मार्टफ़ोन में यह ऑपेरा मोबाइल के साथ सर्वश्रेष्ठ काम करता है।

इण्डिक की-बोर्ड

इण्डिक की-बोर्ड - स्वतंत्र मलयालम कंपटिंग द्वारा एंड्रॉयड फ़ोन के लिए बनाया गया एक देशी, मुफ़्त और ओपन सोर्स भारतीय भाषा इनपुट की-बोर्ड है।

टच स्क्रीन वाले मोबाइल फ़ोन/टैबलेट

टच स्क्रीन वाले मोबाइल फ़ोन/टैबलेट में आमतौर पर हिंदी का मानक इन्स्क्रिप्ट की-बोर्ड उपलब्ध है। इस ऑनस्क्रीन की-बोर्ड की मदद से मोबाइल फ़ोन/टैबलेट जैसे उपकरण में कहीं भी टैक्स्ट बॉक्स में हिंदी टाइप कर सकते हैं।

हिंदी विकीपीडिया के अनुसार

मोबाइल पर हिंदी पाठ्य (टैक्स्ट) का प्रदर्शन हो सकता है या नहीं? यदि फ़ोन में हिंदी दिख ही नहीं सकती तो इनपुट तो होगा ही नहीं, हिंदी समर्थन की यह पहली शर्त है। कुछ फ़ोन में हिंदी प्रदर्शन का पूर्ण समर्थन होता है। कुछ में आंशिक यूनिकोड समर्थन होने से हिंदी दिखाई तो देती है लेकिन सही रूप से

नहीं, यानी मात्राएं एवं संयुक्ताक्षर सही रूप से प्रकट नहीं होते और हिंदी बिखरी हुई सी दिखाई देती है। इसका कारण है कि फ़ोन में हिंदी फॉण्ट तो होता है परन्तु फ़ोन का कॉम्पलैक्स स्क्रिप्ट ले-आउट इंजन हिंदी का समर्थन नहीं करता अर्थात् देवनागरी को सही तरीके से रेंडर नहीं करता। ऐसे फ़ोन में कुछ सॉफ्टवेयरों में हिंदी सही रूप से दिख सकती है, जो फ़ोन की बजाय अपना हिंदी फॉण्ट इंजन प्रयोग करते हों। जिन फ़ोन में हिंदी का बिल्कुल समर्थन नहीं होता उनमें हिंदी की जगह डिब्बे (चौकोर) प्रकट होते हैं।

यदि फ़ोन में हिंदी प्रदर्शन हेतु समर्थन है तो इनपुट का विकल्प हो भी सकता है और नहीं भी। यदि फ़ोन में हिंदी इनपुट का विकल्प हो तो हिंदी में एसएमएस (SMS) भेजे जा सकते हैं तथा वैब पर कहीं भी टैक्स्ट बॉक्स में हिंदी लिखी जा सकती है। इस विकल्प के होने पर मोबाइल से हिंदी में ईमेल भेजने, चिट्ठी लिखने, टिप्पणी करने समेत इण्टरनेट पर तमाम कार्य हिंदी में किए जा सकते हैं।

अधिकतर फ़ोन में हिंदी टंकण के लिए टी-9 सिस्टम होता है। सभी देवनागरी वर्णों को कीपैड के नौ बटनों पर समायोजित किया जाता है तथा बार-बार दबाकर सही वर्ण टाइप किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त कई फ़ोन में टी-9 पूर्वानुमान भी होता है, जिससे कि पूर्वाभासी इनपुट द्वारा केवल कुछ बटन दबाकर शब्दों को टाइप किया जा सकता है। फ़ोन में हिंदी में सरलता से टाइप करने में पूर्वानुमान बहुत सहायक है। थोड़े अभ्यास के उपरान्त पूर्वानुमान से काफ़ी गति से हिंदी टाइप की जा सकती है। जो शब्द फ़ोन के पूर्वानुमान शब्दकोश में न हों उन्हें जोड़ा जा सकता है जिससे अगली बार वे पूर्वानुमान द्वारा टाइप किये जा सकते हैं।

आज भारत में अनेक नई-नई मोबाइल कंपनियां पर्दापण कर रही हैं। प्राय: ये सभी कंपनियां अंग्रेज़ी भाषा में अपने उत्पाद का विज्ञापन करती हैं। यह नहीं बतातीं कि उनके फ़ोन अधिकांश भारतीय भाषाओं का समर्थन करते हैं। वस्तुत:

ये कंपनियां भारत की भाषाओं को उनकी गुणवत्ता की दृष्टि से नहीं, अपने मुनाफ़े की दृष्टि से देखती हैं।

क्या स्मार्टफ़ोन कंपनियों के उत्पाद सचमुच भारतीय भाषाओं को महत्व देते हैं? क्या ऐसा समय भी आएगा, जब अधिकांश स्मार्टफ़ोनधारक अपने फ़ोन का उपयोग अपनी भाषा में ही करेंगे? सवाल यह भी है कि हम भारतीय अपने फ़ोन का उपयोग अपनी मातृभाषा में करने के इच्छुक फ़िलहाल हैं भी या नहीं? ग्यारहवें विश्व हिंदी सम्मेलन में इन प्रश्नों पर भी चर्चा हो। पहली अनुशंसा की अनुपालना भरपूर हुई।

अनुशंसा-2

विंडोज़, एंड्रॉयड, लिनैक्स और एपल आदि में हिंदी के भाषिक अनुप्रयोगों के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए नए सिरे से अभियान चले। पहले से विकसित अनुप्रयोगों को लोगों तक पहुंचाने के लिए सरकार और निजी कंपनियों के बीच तालमेल हो।

तालमेल जैसी तो कोई बात नहीं हुई है, लेकिन कंपनियों ने स्वतः ही भाषाई अनुप्रयोगों के विकास को प्रोत्साहित किया है। गूगल व माइक्रोसॉफ़्ट दोनों ने हिंदी में न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन शुरू किया है, जो अनुवाद के क्षेत्र में एक आधुनिकतम कड़ी है। माइक्रोसॉफ़्ट के विंडोज़ 10 की वर्चुअल असिस्टेंट 'कोर्टाना' भी अब हिंदी में अनुवाद करने लगी है। कोर्टाना से अगर अंग्रेज़ी का कोई वाक्य बोलकर हिंदी में अनुवाद करने को कहा जाए, तो वह अनुवाद करती है। विंडोज़ और एंड्रोइड में यूज़र इंटरफ़ेस का हिंदी लोकलाइजेशन उत्तम है। स्पीच टू टैक्स्ट, टैक्स्ट टू स्पीच, मशीन अनुवाद, इंक रिकॉग्निशन, हस्तलिपि पहचान आदि क्षेत्रों में भी माइक्रोसॉफ्ट और गूगल ने प्रशंसनीय प्रगति की है।

जहां एक ओर माइक्रोसॉफ्ट ने दृष्टिहीनों द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले सॉफ्टवेयर नैरेटर (Narrator) में हिंदी का समर्थन उपलब्ध कराया है तो गूगल ने भी एंड्रोइड पर की जाने वाली खोज में अंग्रेज़ी के साथ-साथ हिंदी के खोज

परिणाम भी जोड़े हैं। दोनों ही कंपनियों के सर्च इंजनों (गूगल और बिंग) में हिंदी में वेब खोज की सुविधा के साथ-साथ अनुवाद की व्यवस्था की गई है। एक उल्लेखनीय उपलब्धि माइक्रोसॉफ्ट के समस्त अनुप्रयोगों (आउटलुक, एक्सचेंज, विभिन्न ब्राउज़र आदि) में हिंदी ईमेल पतों को समर्थन मिल जाना रहा।

अब ईमेल अनुप्रयोग आउटलुक के माध्यम से ऐसे ईमेल पतों पर भी मेल भेजी तथा प्राप्त की जा सकती है, जो पूरी तरह हिंदी में हैं।

यथा- प्रयोक्ता@संगठन.भारत।

माइक्रोसॉफ्ट के निदेशक-स्थानीयकरण श्री बालेन्दु शर्मा दाधीच की पहल पर कंपनी की जापान स्थित विंडोज़ शेल इनपुट टीम के विशेषज्ञ अधिकारियों को भारत आमंत्रित किया गया था। इस यात्रा का उद्देश्य हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में टैक्स्ट इनपुट की चुनौतियों को जानना-समझना और कुछ तत्संबंधित उत्कृष्ट तकनीकों का मूल्यांकन करना था, जिन्हें वैश्विक स्तर पर उपयोगी पाया गया है।

श्री दाधीच तथा माइक्रोसॉफ्ट के विदेशी अधिकारियों के दल ने प्रो. अशोक चक्रधर, सी-डैक के अधिकारियों, एनआईसी के अधिकारियों, अनेक मीडिया संस्थानों के संपादकों तथा प्रवीण भाषा प्रयोक्ताओं से भेंट की थी। उन्होंने स्वीकार किया कि भारतीय भाषाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं तथा चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए कुछ नवोन्मेषी टैक्स्ट इनपुट प्रणालियों का विकास किया जाना वांछनीय है।

उम्मीद है कि माइक्रोसॉफ्ट शीघ्र ही इन नई टैक्स्ट इनपुट प्रणालियों को विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जारी करेगा, जिससे टैक्स्ट इनपुट की समस्याओं का स्थायी समाधान हो जाएगा और प्रयोक्ता को मनपसंद ढंग से टाइपिंग के लिए इंटरनेट से कोई टूल डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

टीडीआईएल कार्यक्रम, इलैक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के

अनुसार इस संबंध में, भारत सरकार ने 1 मई 2018 से प्रभावी आईएस 16333 (भाग 3):2016 के अनुसार मोबाइल फोन के लिए भारतीय भाषा समर्थन को अनिवार्य करने के आदेश जारी किए हैं:

इंडसओएस के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। टीडीआईएल कार्यक्रम के तहत विकसित टीटीएस सॉफ्टवेयर को इंडसओएस में इनकॉर्पोरेट किया गया है और इसलिए माइक्रोमैक्स, कार्बन, स्वाइप और सेल्कॉन के विभिन्न मोबाइल मॉडल में इसे उपलब्ध कराया गया है।

उपरोक्त के मद्देनजर, अनुशंसा का प्रशंसनीय क्रियान्वयन हुआ है।

अनुशंसा-3

उपलब्ध भाषिक अनुप्रयोगों का आकलन हो।

3/1 वाक् से पाठ (स्पीच टु टैक्स्ट) पाठ से वाक् (टैक्स्ट टु स्पीच) रूपांतरण सुविधा

एंड्रोइड ऑपरेटिंग सिस्टम में उपलब्ध गूगल वॉयस इनपुट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का डिक्टेट एड इन और सी-डैक का श्रुतलेखन हिंदी में वाक् से पाठ के अच्छे उदाहरण हैं। एपल के आइफ़ोन पर भी यह सुविधा उपलब्ध हो गई है। पाठ से वाक् के लिए माइक्रोसॉफ्ट का नैरेटर (हिंदी) पुरुष तथा स्त्री दोनों स्वरों में उपलब्ध है। गूगल ट्रांसलेट भी हिंदी पाठ को पढ़कर सुना सकता है। एलेक्सा भी कुछ हद तक हिंदी या हिंग्लिश में जवाब देती है। वास्तव में सभी प्रमुख वर्चुअल असिस्टेंट (सहायक), यथा- अमेजॉन की एलेक्सा, गूगल का गूगल असिस्टेंट, एपल की सिरी और माइक्रोसॉफ़्ट की कोर्टाना विभिन्न स्तरों पर हिंदी में अपनी क्षमताओं के विकास में लगे हैं।

टीडीआईएल कार्यक्रम, इलैक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार श्रुतलेखन-राजभाषा स्वतंत्र, निरंतर स्पीच रिकॉग्नीशन प्रणालीयुक्त एक हिंदी स्पीकर है जो किसी मशीन को मानव स्पीच को

रिकॉग्नाइज़ करने और हिंदी यूनिकोड में आउटपुट प्रदान करने में सक्षम बनाती है। यह प्रणाली सी-डैक द्वारा विकसित की गई है। पाठ से वाक् (टीटीएस) कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर की स्क्रीन पर लिखे टैक्स्ट को मानव आवाज़ में पढ़ कर सुना सकता है। टीटीएस सॉफ्टवेयर उन लोगों को कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए अत्यंत उपयोगी है जिन्हें आंखों के द्वारा पढ़ने में किसी प्रकार की समस्या है। कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो कुछ दिखाया जा रहा है उसे पढ़ने के लिए स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेर का प्रयोग किया जाता है। लिब्रेऑफिस टीटीएस एड-इन, मोज़िला और क्रोम ब्राउज़र के लिए "टीटीएस प्लगइन" http://www.tdil-dc.in वैबसाइट पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है।

3/2 हस्तलिपि और मुद्रित पाठ को डिजिटल रूप में सहेजने की ओसीआर सुविधा

न्यूजीलैंड की ओलिवर हैल्विग के स्वामित्व वाली कंपनी 'इंडसैंज़' (Indsenz) ने इंडसैंज़ नामक ओसीआर का हिंदी, संस्कृत, गुजराती तथा कुछ अन्य भाषाओं के लिए विकास किया है। सी-डैक ने भी कुछ वर्षों पहले चित्रांकन नामक ओसीआर पर कार्य किया था। आवश्यकता ऐसे अनुप्रयोगों को सस्ते दामों तथा सुविधाजनक रूप से आम हिंदी प्रयोक्ता तक पहुंचाने की भी है।

टीडीआईएल कार्यक्रम, इलैक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार हिंदी स्मार्ट इनपुट पैनल एक हस्तलिखित मान्यता आधारित की-बोर्ड एप्लिकेशन है और विंडोज़ आधारित टैबलेट और मोबाइल के लिए उपलब्ध है। इसे www.tdil-dc.in से नि:शुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। वेब-आधारित और डेस्कटॉप आधारित ओसीआर भी www.tdil-dc.in पर उपलब्ध कराया गया है।

बहरहाल, कहा जा सकता है कि अनुशंसा का समुचित पालन हुआ है।

3/3 ऑफ़लाइन तथा ऑनलाइन प्रयोग के लिए द्विभाषीय शब्दावली, शब्दकोश, समांतर कोश (थिसॉरस), सारांशक, लिपि-परिवर्तक, व्याकरण-जांच, आदि की सुविधाएं

'ई-महाशब्दकोश' राजभाषा विभाग, 'शब्दकोश डॉट कॉम', 'अरविंद लैक्सिकॉन', 'शब्दाजंलि-इंग्लिश-हिंदी डिक्शनरी' जैसे अनुप्रयोग उपलब्ध हैं। इनमें से 'अरविंद लैक्सिकॉन' को छोड़कर अन्य सभी निःशुल्क उपलब्ध हैं। महात्मा गांधी हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा द्वारा भी हिंदी शब्दकोश पर काम किया गया है, जिसे डाउनलोड करके संस्थापित किया जा सकता है। 'हिंदी शब्दमित्र' एक ऑनलाइन शब्दकोश है, जिसके पांच स्तर हैं, प्राथमिक, माध्यमिक, कुशल, उन्नत और विशेषज्ञ। इन्होंने हिंदी-शिक्षण, प्रशिक्षण, शब्द-लिप्यंतरण पर भी काम किए हैं। कहना होगा कि इस क्षेत्र में इन तीन वर्षों में प्रभावशाली संवर्द्धन हुआ है। संबंधित अनुशंसाओं पर उचित क्रियान्वयन शासकीय तथा गैर-शासकीय क्षेत्रों में किया गया है।

टीडीआईएल कार्यक्रम, इलैक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार उन्होंने www.ildc.in के माध्यम से भाषा सीडी के रूप में डेस्कटॉप के लिए अलग-अलग सॉफ़्टवेयर उपलब्ध कराए हैं; इन्हें तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है :

डेस्कटॉप उपयोगकर्ताओं के लिए टूल

1. यूनिकोड अनुकूल की-बोर्ड ड्राइवर
2. यूनिकोड अनुकूल ओपन टाइप फ़ॉण्ट
3. लिब्रे ऑफिस का स्थानीय संस्करण

इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के लिए (टूल)

मोज़िला फ़ायरफ़ॉक्स का स्थानीय संस्करण

लाइटनिंग प्लगइन (कैलेंडर) के साथ थंडरबर्ड (ईमेल क्लाइंट) का स्थानीय संस्करण

पिजिन (यूनिवर्सल चैट क्लाइंट) का स्थानीय संस्करण

अन्य यूटिलिटीज़

जीएनयूकैश का स्थानीय संस्करण

इंकस्केप का स्थानीय संस्करण

टक्सपेंट का स्थानीय संस्करण

जूमला का स्थानीय संस्करण

3/4 देवनागरी में पीडीएफ से वर्ड में रूपांतरण की सुविधा

अंग्रेज़ी की पीडीएफ फाइल का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रूपांतरण उपलब्ध है, लेकिन हिंदी की पीडीएफ फाइलों को एमएस वर्ड में रूपांतरित करना अभी संभव नहीं है। हां, इन फाइलों को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में खोला अवश्य जा सकता है, किंतु संपादित नहीं किया जा सकता। हालांकि गूगल डॉक्स, वेब ओसीआर, इंडसेंज़ आदि के माध्यम से थोड़ी तकनीकी चतुराई का प्रयोग करके पीडीएफ दस्तावेजों को एमएस वर्ड तक ले जाया जा सकता है। इसलिए कहा जा सकता है कि इस अनुशंसा पर आंशिक अमल हुआ है।

3/5 हिंदी-अंग्रेज़ी और अंग्रेज़ी-हिंदी में मशीनी अनुवाद की सुविधा

इस क्षेत्र में व्यापक कार्य हुआ है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, सी-डैक और कुछ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) ने अपनी-अपनी मशीन अनुवाद प्रणालियों पर काम किया है। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट हिंदी-अंग्रेज़ी मशीन अनुवाद को निरंतर उन्नत बनाने में जुटे हैं, जिसका एक उदाहरण पिछले कुछ वर्षों में दोनों के द्वारा अपनी अनुवाद प्रणालियों में न्यूरल नेटवर्क से जोड़ा जाना है, जो अनुवाद की गुणवत्ता

में बीस से तीस प्रतिशत तक सुधार करने में सक्षम है।

टीडीआईएल कार्यक्रम, इलैक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार पर्यटन, स्वास्थ्य और सामान्य डोमेन में अंग्रेजी-हिंदी के लिए मशीन समर्थित अनुवाद प्रणालियों को सार्वजनिक उपयोग और प्रतिक्रिया के लिए टीडीआईएल डाटा सेंटर के पोर्टल www.tdil-dc.in पर वेब सक्षम बनाया गया हैं। आईआईटी पटना में न्यायिक डोमेन के लिए हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद के लिए एमएटी प्रणाली का विकास किया जा रहा है।

निजी क्षेत्र द्वारा इस अनुशंसा का उत्तम क्रियान्वयन किया गया है।

3/6 वाक्यों और अनुच्छेदों पर आधारित एकभाषी, द्विभाषी और बहुभाषी कॉर्पस तथा वाक् कॉर्पस सुविधा

भारत सरकार के केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान (सीआईआईएल) ने हिंदी में बहुभाषी कॉर्पस तथा वाक् कॉर्पस का विकास किया है जो तकनीकी संस्थानों, विकास-कर्ताओं आदि को आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराया जाना है।

टीडीआईएल कार्यक्रम, इलैक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार, टीडीआईएल डाटा सेंटर के पोर्टल www.tdil-dc.in पर कुल 60 मोनोलिंगुअल / समांतर हिंदी टैक्स्ट कॉर्पस और स्पीच कॉर्पस उपलब्ध कराया गया है।

इस दिशा में और काम किए जाने की आवश्यकता है। अन्य संस्थानों को भी इस प्रकार के कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। संबंधित अनुशंसा का आंशिक पालन हुआ है।

3/7 प्रकाशन उद्योग एवं संचार माध्यमों में यूनिकोड आधारित देवनागरी फ़ॉण्टों की उपलब्धता

इस दिशा में प्रशंसनीय कार्य हुआ है। जहां माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ नए हिंदी फ़ॉण्ट, यथा- निर्मला, कोकिला, अपराजिता, उत्साह आदि का विकास करवाया है वहीं गूगल ने कुछ दर्जन हिंदी फ़ॉण्ट निःशुल्क डाउनलोड के लिए उपलब्ध कराए हैं। एडोबी ने भी देवनागरी फ़ॉण्ट का विकास किया है। लिनक्स पर लोहित एक लोकप्रिय हिंदी फ़ॉण्ट बना हुआ है। उधर भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की टीडीआईएल परियोजना के तहत पचास के लगभग यूनिकोड फ़ॉण्ट उपलब्ध कराए गए हैं। सम्मिट (गुड़गांव), श्री इन्फो सिस्टम्स (पुणे) आदि निजी कंपनियों ने भी लोकप्रिय हिंदी फ़ॉण्ट के यूनिकोड स्वरूप विकसित कर उपलब्ध कराए हैं। प्रकाशन उद्योग के लिए अब 150 से अधिक अच्छे यूनिकोड आधारित हिंदी फ़ॉण्ट उपलब्ध हैं और उन्हें अपने कामकाज में फ़ॉण्ट की वजह से कोई चुनौती पेश नहीं आनी चाहिए।

टीडीआईएल कार्यक्रम, इलैक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार इस संबंध में, विभिन्न मुद्दों को हल करने और उपयुक्त समाधान प्रदान करने के लिए सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की अध्यक्षता में प्रकाशन उद्योगों के साथ एक बैठक मार्च 2018 को आयोजित गई थी, जिसमें "सकल भारती" और कई अन्य यूनिकोड आधारित हिंदी फोंटों का उपयोग करने का प्रस्ताव किया गया, जिन्हें www.ildc.in पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध कराया गया है।

संबंधित अनुशंसा का प्रशंसनीय स्तर पर अनुपालन हुआ है।

अनुशंसा-4

हिंदी फ़ॉण्ट और की-बोर्ड का मानकीकरण करते हुए कंप्यूटर पर मानक इंस्क्रिप्ट की-बोर्ड हिंदी-शिक्षण का अनिवार्य माध्यम बने। इसके लिए

हार्डवेयर की-बोर्ड हिंदी में, अन्यथा द्विभाषी या त्रिभाषी होने चाहिए।

राजभाषा विभाग के केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान में इनस्क्रिप्ट की-बोर्ड को हिंदी टाइपिंग प्रशिक्षण के लिए प्रधानतः इस्तेमाल किया जा रहा है। बालेन्दु शर्मा दाधीच ने निजी स्तर पर 'स्पर्श' नामक इनस्क्रिप्ट यूनिकोड हिंदी टाइपिंग शिक्षक विकसित करके निःशुल्क उपलब्ध कराया है। माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ में इनस्क्रिप्ट की-बोर्ड हिंदी का डिफॉल्ट या आधिकारिक की-बोर्ड है।

जहां तक हार्डवेयर की-बोर्ड का सवाल है, एक सुखद तथ्य यह है कि टीवीएस कंपनी के टीवीएस गोल्ड नामक पूर्व-उपलब्ध हिंदी की-बोर्ड के साथ-साथ अब दो और कंपनियों- लॉजिटेक और ज़ेब्रॉनिक्स ने ऐसे हार्डवेयर की-बोर्ड तैयार करवाए हैं, जिन पर हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों के अक्षर अंकित हैं।

टीडीआईएल कार्यक्रम, इलैक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार 'आईएसओ/आईईसी 14496-OFF' (ओपन फ़ॉण्ट प्रारूप) के रूप में यूनिकोड आधारित फ़ॉन्ट और उन्नत इंस्क्रिप्ट की-बोर्ड पहले से ही अनुपालन के लिए "उन्नत इंस्क्रिप्ट की-बोर्ड लेआउट - आईएस 16350: 2016" के रूप में अधिसूचित मानक हैं। उपरोक्त के आधार पर 'सकल भारती' फ़ॉन्ट और यूनिकोड टाइपिंग टूल टीडीआईएल के पोर्टल http://www.tdil-dc.in पर उपलब्ध हैं।

अनुशंसा का प्रशंसनीय ढंग से अनुपालन हुआ है।

अनुशंसा-5

प्राथमिक कक्षाओं से ही इंस्क्रिप्ट की-बोर्ड हिंदी कंप्यूटर पर टंकण का अनिवार्य प्रशिक्षण होना चाहिए। इसके लिए इनस्क्रिप्ट यूनिकोड टंकण प्रशिक्षण की व्यवस्था के साथ प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (टीओटी / ट्रेनिंग ऑफ़ ट्रेनर्स) की ऑनलाइन व्यवस्था भी हो।

कुछ राज्यों ने इस दिशा में प्रशंसनीय पहल की है। हरियाणा के छह हजार से अधिक विद्यालयों में कंप्यूटरों पर हिंदी यूनिकोड सक्रिय कर उन पर काम किया जा रहा है। इस पर मानव संसाधन मंत्रालय से मिलकर विस्तार से काम किया जाना है।

अनुशंसा-6

हमारे देश में बिकने वाले कंप्यूटरों के प्रत्येक ऑपरेटिंग सिस्टम में हिंदी फलक अवश्य होना चाहिए। साथ ही विकल्प में अंग्रेज़ी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के फलक भी हों।

माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में पहले से ही हिंदी में हिंदी फलक उपलब्ध है। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड पर भी उसे सक्रिय करने की स्वतंत्रता है। लिनक्स के अनेक संस्करणों में भी हिंदी फलक उपलब्ध है तथा लिनक्स को आधार बनाकर सी-डैक द्वारा स्थानीयकृत भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सोल्यूशन (बॉस) में भी हिंदी फलक का प्रयोग किया जा सकता है।

एपल के ऑपरेटिंग सिस्टमों में भी हिंदी फलक उपलब्ध हो, इसके लिए प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। एंड्रोइड फ़ोन पर इंडस ओएस नामक ऑपरेटिंग सिस्टम हिंदी सहित कई भारतीय भाषाओं में उपलब्ध हुआ है और वह सस्ते फ़ोन में काफ़ी लोकप्रिय है। संबंधित अनुशंसा पर संतोषजनक अमल हुआ है, किंतु प्रयास जारी रखने की आवश्यकता है।

टीडीआईएल कार्यक्रम, इलैक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार विंडोज़, लिनक्स और बीओएसएस जैसे सबसे लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम हिंदी भाषा का समर्थन करते हैं।

अनुशंसा-7

हिंदी की ई-बुक्स के प्रकाशन और प्रकाशन-प्रविधि को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ई-बुक्स के रूप में हिंदी की लाखों पांडुलिपियों का

डिजिटलन हो।

डेलीहंट (मोबाइल एप्प) और अमेजन (ई-वाणिज्य वैबसाइट) पर ई-बुक्स उपलब्ध तथा लोकप्रिय हैं। फ्लिपकार्ट और इन्फीबीम भी हिंदी की ईबुक्स का विक्रय कर रहे हैं। अमेजॉन के किंडल नामक उपकरण में हिंदी का समर्थन 2016 से आ चुका है। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा की 'हिंदी समय' नामक परियोजना के तहत हिंदी पुस्तकों का डिजिटलन कर उन्हें इंटरनेट पर उपलब्ध कराया जा रहा है। संबंधित अनुशंसा का पालन हुआ है, किंतु कार्य जारी रखने की आवश्यकता है।

अनुशंसा-8

ई-लर्निंग के क्षेत्र में हिंदी के कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिसके लिए हिंदी-शिक्षण हेतु हर स्तर पर सामग्री-निर्माण हो। भारतीय भाषाओं के सॉफ्टवेयर 'लीला' को अद्यतन किया जाए, समय की आवश्यकता के अनुसार नए हिंदी भाषा-शिक्षण कार्यक्रम बनाए जाएं तथा इनकी जानकारी देशी और विदेशी विद्यार्थियों के शिक्षण हेतु शिक्षकों एवं आमजन तक पहुंचाई जाए।

'लीला' सॉफ्टवेयर को अद्यतन किया गया है और इसका मोबाइल संस्करण भी आ गया है। 'निकष', 'इमली' और 'शब्द भारत' परियोजनाएं, जो कि क्रियान्वयन के विभिन्न स्तरों पर हैं, का उल्लेख यहां पर प्रासंगिक है। अनुशंसा के क्रियान्वयन की प्रक्रिया जारी है। निकष के बारे में विस्तार से विवरण अनुशंसा-11 के तहत दिया गया है।

अनुशंसा-9

हिंदी में कंप्यूटर पर कामकाज की मौजूदा सुविधाओं के बारे में लोगों के बीच जानकारी का अभाव है। इसे दूर करने के लिए हिंदी में संवादपरक सॉफ्टवेयरों तथा एप्स का विकास हो, तत्संबंधी पुस्तकों के प्रकाशन को

प्रोत्हासन दिया जाए तथा कंप्यूटरजन्य समस्याओं के निदान के लिए समाधान केंद्र खोले जाएं। इन सुविधाओं के बाद वे हिंदी पत्रकारिता, न्यू-मीडिया और सोशल मीडिया से ऑनलाइन जुड़ सकेंगे।

माइक्रोसॉफ्ट ने विगत दो वर्षों में हिंदी को माध्यम बनाते हुए पांच दर्जन से अधिक कार्यशालाओं का देश के विभिन्न शहरों के सरकारी-निजी कार्यालयों, शिक्षण संस्थानों, बैंकिंग संस्थानों आदि में आयोजन किया है, जिनके माध्यम से प्रयोक्ताओं के बीच हिंदी की तकनीकी सुविधाओं के बारे में जानकारी पहुंचाई जा रही है।

'जयजयवंती फ़ाउंडेशन' जैसे गैर-सरकारी संगठनों ने भी अपने स्तर पर गोष्ठियों द्वारा जागरूकता को फैलाया है। इस बीच, भारतीय उद्योग परिसंघ तथा भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की) ने भी कार्यालयों तथा आम प्रयोक्ताओं के बीच विभिन्न माध्यमों से जागरूकता का प्रसार करने के लिए पहल की है। गूगल ने भारतीय भाषा इंटरनेट गठजोड़ (इंडियन लैंग्वेज इंटरनेट एलायंस) नामक परियोजना हाथ में ली है, जिसमें प्रयोक्ताओं को तकनीकी माध्यमों के बारे में जानकारी देकर उन्हें ऑनलाइन आने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। अनुशंसा पर पर्याप्त कार्य हुआ है।

अनुशंसा-10

कर्मचारी चयन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और अन्य शासकीय प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी और भारतीय भाषाओं में यूनिकोड कंप्यूटर दक्षता परीक्षा आयोजित होनी चाहिए। ये परीक्षाएं इस्क्रिप्ट की-बोर्ड पर ही ली जानी चाहिए।

अनेक सरकारी संस्थानों ने इस प्रकार की परीक्षाएं आयोजित करनी शुरू की हैं। इनमें उदाहरण के तौर पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, कर्मचारी चयन आयोग, भारतीय खाद्य निगम, उत्तर प्रदेश पुलिस आदि का उल्लेख किया जा सकता है। अनुशंसा पर संतोषजनक क्रियान्वयन हुआ है।

अनुशंसा-11

विदेशी भाषाओं में दक्षता हेतु जिस प्रकार अंग्रेज़ी के लिए TOEFL/IELTS, फ्रेंच के लिए DELF/DILF/DALF और स्पैनिश के लिए DELE जैसी परीक्षाएं विश्वभर में आयोजित होती हैं, उसी प्रकार हिंदीतर देशी-विदेशी छात्रों, व्यापारोत्सुकों, राजनयिकों एवं हिंदी-प्रेमियों के लिए भी बहुस्तरीय हिंदी दक्षता परीक्षाएं आयोजित की जाएं। हिंदी परीक्षा का नाम 'निकष' (NIKASH : National and International Knowledge Accreditation Standards for Hindi) रखा जा सकता है। सफल प्रतिभागियों को ऑनलाइन कंप्यूटर प्रमाण-पत्र दिए जाएं।

'निकष' परियोजना पर अनुशंसा अनुपालन समिति की प्रत्येक सभा में चर्चाएं हुईं। मॉरीशस में आयोजित होने वाले 11 वें विश्व हिंदी सम्मेलन में सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित विभिन्न मदों पर चर्चा करने के लिए माननीय विदेश मंत्री महोदया की अध्यक्षता में 28 जून, 2018 को नई दिल्ली में आयोजित सभा में अन्य मदों के अलावा 'निकष परियोजना' पर विस्तृत और गहन चर्चा की गई।

'निकष' की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में केंद्रीय हिंदी संस्थान में पहल हुई थी। गगनांचल के 2015 के अंक में 'निकष' की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। अपनी प्रस्तुति में प्रो. अशोक चक्रधर ने स्पष्ट किया था कि 'निकष' अंग्रेज़ी और दूसरी विदेशी भाषाओं के समकक्ष हिंदी दक्षता परीक्षण का कार्यक्रम है। इसके माध्यम से परीक्षार्थियों के हिंदी भाषा से संबंधित चारों भाषाई कौशलों (श्रवण, भाषण, वाचन, लेखन) की दृष्टि से उनके आधारभूत भाषा ज्ञान और कौशल का परीक्षण किया जा सकता है और अंतरराष्ट्रीय भाषा दक्षता मानकों के अनुरूप उन्हें क्रेडिट्स प्रदान किया जा सकता है। निकष के माध्यम से निर्धारित परिसीमा में उनके हिंदी ज्ञान और कौशल की दक्षता का मूल्यांकन किया जा सकता है।

दसवें विश्व हिंदी सम्मेलन की एक महत्वपूर्ण अनुशंसा के अनुपालन के

रूप में 'निकष' परियोजना पर पिछले तीन वर्ष से चिंतन-मनन चल रहा है। अनुशंसा अनुपालन समिति में 'संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी में हिंदी' विषय का संयोजक होने के नाते प्रो. अशोक चक्रधर ने समय-समय पर प्रो. सुरेंद्र गंभीर, डॉ. विमलेश कांति वर्मा, डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा, डॉ. गिरीश्वर मिश्र, डॉ. आनंद वर्धन शर्मा, श्री आदित्य चौधरी, श्री बालेंदु शर्मा दधीच, डॉ. वशिनी शर्मा, श्री अनूप भार्गव, डॉ. नंदकिशोर पांडे, श्री अनुपम श्रीवास्तव, डॉ. पुष्पक भट्टाचार्य एवं राजभाषा विभाग तथा आईटी मंत्रालय के अनेक विद्वानों से औपचारिक और अनौपचारिक चर्चाएं कीं। सी-डैक के इकत्तीसवें स्थापना दिवस समारोह के बाद पुणे में 'निकष' के निर्माण को लेकर औपचारिक सभा रखी गई जिसमें डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा भी थे। 'निकष' की संकल्पना पर सी-डैक के महानिदेशक डॉ. हेमंत दरबारी और उनकी टीम के डॉ. अजय कुमार और डॉ. करीमुल्लाह ने सघन रुचि दिखाई और सी-डैक द्वारा बनाए गए अनेक सॉफ़्टवेयर्स से परिचित कराया। अब लगने लगा कि सी-डैक के प्रांगण में 'निकष' को साकार रूप मिल सकता है। केंद्रीय हिंदी संस्थान और महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, वर्धा से अकादमिक सहयोग का आश्वासन पहले ही मिल चुका था। पुणे से लौट कर विशेषज्ञों की एक समिति का गठन करने के बाद कार्य तेज़ गति से होने लगा।

माननीय विदेश मंत्री महोदया की अध्यक्षता में 28 जून, 2018 को नई दिल्ली में आयोजित सभा में डॉ. विजयकुमार मल्होत्रा ने 'निकष' की योजना को बहुत अच्छी तरह, सोदाहरण व्याख्यायित किया था कि हिंदी 'निकष' के अंतर्गत तीन आयामों की परिकल्पना की गई है। शिक्षण, परीक्षण और प्रमाणीकरण। हालांकि विदेशी भाषा के रूप में विदेशियों के लिए हिंदी-शिक्षण के लिए विशेषज्ञ समिति ने चार पाठ्यक्रम रखने का प्रस्ताव किया था, लेकिन समयसीमा को देखते हुए माननीय विदेश मंत्री ने फिलहाल बोलचाल की हिंदी के आरंभिक पाठ्यक्रम पर तत्काल काम शुरू करने पर अपनी सहमति प्रदान की।

साथ ही इस बात पर भी सहमति प्रकट की थी कि विदेश मंत्रालय द्वारा नामित विशेषज्ञ समिति सी-डैक के तकनीकी सहयोग और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् के प्रशासनिक सहयोग से 'निकष' की विभिन्न गतिविधियों का संचालन करेगी।

इसका उद्देश्य विदेशियों को विदेशी भाषा के रूप में बोलचाल की हिंदी सिखाना होगा, ताकि भारत में आने वाले विदेशी पर्यटक, व्यापारी और तीर्थयात्री भारत के तीर्थस्थानों और दर्शनीय स्थलों पर घूमते-फिरते आम लोगों से संवाद कर सकें। हिंदी के गीत-संगीत और बॉलीवुड की लोकप्रिय हिंदी फ़िल्मों और टी.वी. हिंदी सीरियल देखकर उनका आनंद लेते हुए उन पर चर्चा भी कर सकें।

इसके अलावा, माननीय विदेश मंत्री ने यह संकल्प भी प्रकट किया था कि भारत में छात्रवृत्ति लेकर आने वाले छात्रों को भारत में प्रवेश करने से पूर्व बोलचाल की हिंदी का कोर्स उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने पर विचार किया जाएगा।

बोलचाल की हिंदी की निर्धारित परीक्षा क्रैडिट पद्धति के आधार पर उत्तीर्ण करने पर सफल प्रतिभागियों को ऑनलाइन प्रमाण-पत्र दिए जाएंगे। राजभाषा विभाग और सी-डैक द्वारा संचालित प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ की ऑन लाइन पद्धति के अनुरूप सी-डैक के तकनीकी सहयोग से उक्त पाठ्यक्रम से संबंधित शिक्षण और परीक्षा ऑन लाइन होगी। स्काइप के माध्यम से बोलचाल की हिंदी का शिक्षण और परीक्षण किया जाएगा।

आवश्यकतानुसार शिक्षण का माध्यम प्रारंभ में अंग्रेज़ी रखना होगा।

देवनागरी के अक्षर पहचान कर पढ़ने और लिखने का वैकल्पिक पैकेज होगा। इसके लिए राजभाषा विभाग और सी-डैक द्वारा लीला हिंदी प्रबोध के लिए विकसित ट्रेसर मॉड्यूल का उपयोग किया जाएगा।

इस पाठ्यक्रम में सभी पाठ रोमन और देवनागरी दोनों ही लिपियों में होंगे।

साथ ही उनका अंग्रेज़ी में अनुवाद भी होगा। मल्टी-मीडिया का व्यापक उपयोग किया जाएगा। शिक्षण को आकर्षक और रोचक बनाने के लिए शिक्षारंजन (EDUTAINMENT अर्थात् Education through Entertainment) की तकनीक के माध्यम से हिंदी फ़िल्मों एवं हिंदी धारावाहिकों के गीतों और संवादों के अतिरिक्त हास्य-प्रधान मंचीय कविताओं और जीवन-दर्शनपरक सरल पाठ्य-सामग्री का भरपूर उपयोग किया जाएगा।

पाठ्यक्रम के विभिन्न पाठों को विभिन्न सामाजिक परिवेशों में संवाद शैली में क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। इन पाठों को तैयार करने के लिए हमने देश-विदेश के अनेक हिंदी विद्वानों और शिक्षाविदों से गहन संपर्क किया है।

सामग्री-निर्माण के लिए हमने पेन्सिल्वेनिया विवि के दक्षिण एशिया विभाग के अध्यक्ष और अमरीकी सरकार के हिंदी सलाहकार प्रो. सुरेंद्र गंभीर, दिल्ली विवि के वरिष्ठ प्रोफ़ेसर विमलेशकांति वर्मा, केंद्रीय हिंदी संस्थान के पूर्व प्रोफ़ेसर वी. रा. जगन्नाथन की शिक्षण-सामग्री का भी गहन अवलोकन किया है। डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा मल्टी-मीडिया सुविधाओं के साथ हिंदी भाषा-शिक्षण के क्षेत्र में निरंतर सक्रिय हैं। प्रो. अशोक चक्रधर ने स्वयं विगत चालीस वर्ष में प्रौढ़ शिक्षा एवं नवसाक्षर कार्यक्रमों के लिए प्रवेशिका-निर्माण और फिल्म-निर्माण का कार्य किया है। मल्टीमीडिया प्रौद्योगिकी के आगमन के बाद अनेक प्रकार की रचनात्मक मल्टी मीडिया शिक्षण-सामग्री भी तैयार की और कराई है। 'निकष' के लिए प्रो. चक्रधर प्रारंभ से ही निरंतर जुड़े हुए हैं। विश्वास है कि इस अनुशंसा का प्रथम भाग 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन तक पूरा हो जाएगा।

अनुशंसा-12

सी-डैक, एन.आई.सी. द्वारा विकसित हिंदी सर्च इंजन तथा सी-डैक द्वारा विकसित अन्य हिंदी सुविधाओं, टीडीआईएल द्वारा विकसित करवाई गई हिंदी सुविधाओं आदि को लोकप्रिय बनाने के लिए कदम उठाए जाएं।

इस अनुशंसा को तथ्यात्मक आधार पर सटीक नहीं पाया गया क्योंकि सी

-डैक और एनआईसी द्वारा विकसित किए गए कोई सर्च इंजन उपलब्ध नहीं हैं। अलबत्ता, इन संस्थानों में बहुत से अन्य महत्वपूर्ण कार्य भाषाई तकनीकों के क्षेत्र में किए गए हैं, जिनको लोकप्रिय बनाने के लिए निरंतर कार्य किया जाना तकनीकी प्रयोक्ताओं के व्यापक हित में है। सी-डैक के महानिदेशक श्री हेमंत दरबारी ने विदेश मंत्रालय में माननीय विदेश मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित सभा के दौरान सूचित किया था कि टीडीआईएल के निर्देशन में सी-डैक द्वारा विकसित सॉफ़्टवेयर की सीडी का देश में व्यापक स्तर पर वितरण हुआ है और लगभग दो करोड़ लोग इन सॉफ़्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं।

टीडीआईएल कार्यक्रम, इलैक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार डोमेन अनुकूलन के माध्यम से उपयोगकर्ताओं तक टीडीआईएल सी-डैक की प्रौद्योगिकियों को ले जाने के लिए स्टार्टअप को सहायता प्रदान करने और स्टार्टअप को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए मसौदा नीति तैयार की जा रही है। अनुशंसा के तथ्यपूर्ण भाग पर संतोषजनक ढंग से अमल हुआ है।

अनुशंसा-13

बीमा, बैंक आदि के क्षेत्रों में प्रयुक्त होने वाली कोर-बैंकिंग प्रणालियों की आर.पी, सी.आर.एम. प्रणालियों के सभी पक्षों को हिंदी में भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए। ई-कॉमर्स में प्रयुक्त पेमैण्ट गेटवे 'रूपे' (Rupay) में हिंदी समर्थन भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में हिंदी में कोर बैंकिंग सॉल्यूशन को कार्यान्वित करने हेतु 'कॉमन कोर बैंकिंग सॉल्यूशन' समिति का गठन राजभाषा विभाग, भारत सरकार की पहल पर वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा अप्रैल 2017 में किया गया था। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कोर बैंकिंग सॉल्यूशन हेतु तीन प्रकार के सॉफ़्टवेयर– (क) फ़िनेकल (इनफ़ोसिस द्वारा), (ख) बीएएनसीएस (टीसीएस द्वारा) और (ग) फ़्लेक्स क्यूब (ओरेकल कॉर्पोरेशन द्वारा) किया जा

रहा है।

इस 'कॉमन कोर बैंकिंग सॉल्यूशन' समिति में तीनों सॉफ़्टवेयर प्रयोग करने वाले प्रतिनिधियों, तीनों वेंडरों के प्रतिनिधियों, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा भारत सरकार, राजभाषा विभाग के प्रतिनिधियों का भी समावेश था। इस समिति की विभिन्न सभा में संबंधित बैंकों के आईटी विभाग के महाप्रबंधकों को भी आमंत्रित कर विचार-विमर्श किया गया था। विस्तृत विचार-विमर्श के बाद इस समिति द्वारा 'कॉमन कोर बैंकिंग सॉल्यूशन' को लागू करने के लिए विस्तृत रिपोर्ट दिनांक 31 अगस्त, 2017 को भारतीय रिज़र्व बैंक सहित सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों को प्रेषित की गई थी। इसके पश्चात् सचिव, राजभाषा विभाग, भारत सरकार की अध्यक्षता में कोर बैंकिंग सॉल्यूशन को पूर्णतः लागू करने हेतु 25 अप्रैल, 2018 को पुनः एक सभा का आयोजन किया गया जिसमें निम्नलिखित निर्णय लिए गए थे:

बैंकों में ग्राहक संबंधी सभी सेवाओं का बहुभाषीकरण किया जाए। सभी बैंक अपने वेंडर के माध्यम से अपने सॉफ़्टवेयर को रिडिफ़ाइन करें ताकि आउटपुट हिंदी में प्राप्त करना सुनिश्चित हो सके तथा बहुभाषीकरण स्पष्ट दिखाई दे।

पुराने ग्राहकों के विवरण संबंधी डेटाबेस को बहुभाषी बनाने की प्रक्रिया छः माह में पूरी की जाए तथा नए ग्राहकों के संबंध में यह कार्यवाही तत्काल आरंभ की जाए।

केवायसी फ़ॉर के लिए वित्तीय सेवाएं विभाग व राजभाषा विभाग मिलकर एक प्रोफ़ॉर तैयार करें और इसे वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा जारी किया जाए। नए और पुराने दोनों ग्राहकों के लिए इसका उपयोग किया जाएगा और हिंदी/क्षेत्रीय भाषा में भरे गए विवरण की पुष्टि यथासंभव एसएमएस से ली जाए।

वित्तीय सेवाएं विभाग, सेबी और बीमा कंपनियों द्वारा ग्राहकों को प्रदान

की जाने वाली सेवाओं को भी भविष्य में बहुभाषी कराना सुनिश्चित करें।

वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा मासिक आधार पर सभी बैंकों से हिंदी में खोले गए खातों के संदर्भ में सूचना प्राप्त की जाए ताकि प्रगति पता चल पाए। अनुवर्ती कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु हर तीन महीने के अंतराल में इस सभा का आयोजन किया जाए। इस तरह की सभा में बैंक के संबंधित आईटी अधिकारी ज़रूरी भाग लें।

राजभाषा विभाग के इस निर्णय को वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग ने कार्यान्वित करने के अनुदेश दिए थे। इन अनुदेशों को कार्यान्वित करने की समीक्षा हेतु वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा दिनांक 6 जुलाई, 2018 को पटना में सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के राजभाषा विभाग एवं आईटी विभाग के महाप्रबंधकों को आमंत्रित किया गया था। इस सभा में सभी बैंकों की यह राय थी कि कॉमन कोर बैंकिंग सॉल्यूशन को वास्तव में लागू करने के लिए सभी ग्राहकों का डेटाबेस भी हिंदी में तैयार करना होगा जो एक मानक शब्द-संसाधक (वर्ड प्रोसैसर) के अभाव में बहुत ही मुश्किल कार्य है।

यदि बैंकों द्वारा डेटाबेस हिंदी में तैयार भी कर लिया जाता है तो ओरेकल (Oracle) हिंदी को समर्थन नहीं देता है, अर्थात् यदि हिंदी में डेटाबेस तैयार भी किया गया तो वह फिनेकल में जंक ही दिखाई देगा।

अतएव यह निर्णय लिया गया कि कॉमन कोर बैंकिंग सॉल्यूशन की रिपोर्ट को लागू करने में जो भी समस्या आ रही है, उन्हें 15 दिनों में वित्त मंत्रालय को भेज दिया जाए। इसी प्रकार बीमा संबंधी कार्यों में हिंदी के प्रयोग हेतु एकरूपता लाने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम को प्राधिकृत किया गया।

वर्तमान में कुछ बैंकों में लिंग्वाफाई सॉफ़्टवेयर द्वारा पासबुक हिंदी में प्रिंट करने, सावधी जमा रसीद (FDR), बैंक ड्राफ्ट, खाता विवरणी आदि जैसे कुछ कार्य लिप्यंतरण (transliteration) माध्यम से किया जा रहा है, किन्तु इस

पैकेज से लिप्यंतरण के कारण ग्राहकों के नाम एवं अन्य विवरण देवनागरी में शुद्ध प्रिंट नहीं हो रहे हैं। इस प्रकार कोर बैंकिंग प्रणाली में वास्तविक रूप में हिंदी को अभी तक लागू नहीं किया जा सका है।

पेमैंण्ट गेटवे 'रूपे' में हिंदी का प्रयोग

पेमैंण्ट गेटवे 'रूपे' में हिंदी के समर्थन एवं प्रयोग के बारे में अभी तक कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है।

टीडीआईएल कार्यक्रम, इलैक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार अप्रैल, मई और जुलाई 2017 में पीएसयू, बैंक, डीओएल, डीओएफ, आरबीआई और अन्य हितधारकों के साथ चर्चा के कई दौर आयोजित किए गए। वित्त विभाग के संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई, जिसने स्थानीयकरण के अनुपालन के लिए अपनी सिफ़ॉरशें सचिव, डीओएल को पह्ले ही प्रस्तुत कर दी हैं। इसे आगे बढ़ाने के लिए, सचिव, डीओएल की अध्यक्षता में सभी हितधारकों के साथ मार्च 2018 एक और बैठक आयोजित की गई,जिससे समिति की सिफ़ॉरशों को विनियमित किया जा सके।

अनुशंसा-14

सभी मोबाइल सर्विस ऑपरेटर से आग्रह किया जाए कि वे अपने उपभोक्ताओं को सभी संदेश देवनागरी हिंदी में भी भेजें।

मोबाइल सेवा ऑपरेटर अपने संदेशों को हिंदी में भी भेजने लगे हैं। हालांकि ऐसा विभिन्न स्थानों में उनके उपभोक्ताओं के वर्गीकरण तथा उनकी भाषाई वरीयताओं व दक्षताओं को आधार बनाकर किया जा रहा है।

उदाहरण के लिए दिल्ली जैसे महानगरीय क्षेत्रों में जहां ऐसे संदेश अंग्रेज़ी में भेजे जा रहे हैं, वहीं छोटे शहरों तथा गांव-कस्बों के उपभोक्ताओं को हिंदी में संदेश भेजे जा रहे हैं। एयरटेल, वोडाफ़ोन, और जिओ ने इस दिशा में अच्छा उदाहरण पेश किया है।

टीडीआईएल कार्यक्रम, इलैक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार आईएस मानक 16333 (भाग 3) के माध्यम से एमईआईटीवाई ने फोन के लिए सभी 22 भारतीय आधिकारिक भाषाओं में संदेश पठनीयता की सुविधा के साथ अंग्रेजी, हिंदी और कम से कम एक अतिरिक्त भारतीय आधिकारिक भाषा में पाठ डालने हेतु मोबाइल हैंडसेटों के लिए आवश्यकताओं को अनिवार्य बनाया है। यह मानक विशेष रूप से आपदा प्रबंधन के समय नागरिकों के लिए पाठ संदेश प्रसारित करने के लिए देश में मोबाइल प्रसार शक्ति का उपयोग करने के लिए निर्धारित किया गया है।

अनुशंसा-15

अभिकलनात्मक भाषाविज्ञान (कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स) के क्षेत्र में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, बी.सी.ए., एम.सी.ए. तथा पी.एच.डी. आदि सूचना और दूरसंचार तकनीक की शिक्षा हिंदी में भी दी जानी चाहिए।

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा से अभिकलनात्मक भाषाविज्ञान के क्षेत्र में हिंदी अधिस्नातक डिग्री कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस विषय में एम. फ़िल. करने का विकल्प भी छात्रों के पास उपलब्ध है। अन्य विश्वविद्यालयों को भी इस दिशा में प्रेरित किए जाने की आवश्यकता है। अनुशंसा पर आंशिक क्रियान्वयन हुआ है।

अनुशंसा-16

निजी कंपनियों से आग्रह किया जाए कि वे अपनी आय के सी.एस.आर. कोष से उसका कुछ अंश हिंदी और भारतीय भाषाओं में कंप्यूटर अनुसंधान एवं प्रोत्साहन पर ख़र्च करें।

इस अनुशंसा के क्षेत्र में विभिन्न मंत्रालयों द्वारा आधिकारिक ढंग से कोई आग्रह नहीं किया जा सका है।

टीडीआईएल कार्यक्रम, इलैक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के

अनुसार फिक्की से अनुरोध किया गया है कि वह भारतीय भाषा स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान करने के लिए सीएसआर की निधियों को चैनलाइज़ करने का प्रयास करे।

इस कार्य को मॉरीशसोत्तर अनुशंसा माना जाय।

अनुशंसा-17

हिंदी प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वैयक्तिक, संस्थागत और शासकीय प्रयत्नों में दोहराव से बचने, विभिन्न कार्यों को समेकित एवं समन्वित करने, दस्तावेज़ीकरण और ओपन सोर्स संबंधी व्यावहारिकता के निदान के लिए एक 'हिंदी प्रौद्योगिकी संसाधन केंद्र' (HTRC/Hindi Technology Resource Centre) की स्थापना हो।

हिंदी प्रौद्योगिकी संसाधन केंद्र की स्थापना हो चुकी है। यह राजभाषा विभाग के अधीन कार्यरत है। इसके विकास की संभावनाओं पर कार्य जारी है। अनुशंसा पर पर्याप्त क्रियान्वयन हुआ है।

टीडीआईएल कार्यक्रम, इलैक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार इस संबंध में, टीडीआईएल, डीओएल और एमईए के प्रयासों से एक हिंदी प्रौद्योगिकी संसाधन केंद्र की स्थापना का कार्य चल रहा है और इसकी स्थापना डीओएल के तहत की जा रही है। इसलिए, निकट भविष्य में सरकारी विभागों और नागरिकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए एचटीआरसी के तत्वावधान में कई परियोजनाएं शुरू की जा चुकी हैं।

इस अनुशंसा पर तीन वर्ष से निरंतर कार्य चल रहा है। यह एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिस पर और तीव्र गति से कार्य होना चाहिए। कार्य जारी है।

3 विज्ञान के क्षेत्र में हिंदी

प्रस्तुति : प्रो.मोहन लाल छीपा
पूर्व कुलपति अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, भोपाल

दसवां विश्व हिंदी सम्मेलन, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन था जिसमें 'विज्ञान के क्षेत्र में हिंदी' विषय चर्चा हेतु रखा गया। इस सत्र की अध्यक्षता केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने तथा संचालन वैज्ञानिक श्रीमती किंकिणी दासगुप्ता मिश्रा ने किया। उक्त विषय दो सत्रों में आयोजित किया गया तथा पांच वक्ताओं यथा डॉ. शिव गोपाल मिश्रा, डॉ. एन. के. सहगल, डॉ. वी. के. सिन्हा, प्रोफेसर मोहन लाल छीपा तथा डॉक्टर सुभाष लखेड़ा ने विज्ञान के विभिन्न पक्षों पर अपने विचार रखे। इन दो सत्रों में विचार-विमर्श के बाद 15 अनुशंसाओं का अनुमोदन किया गया।

विज्ञान के क्षेत्र में हिंदी विषयक अनुशंसाओं का कार्यक्षेत्र

इन अनुशंसाओं की अनुपालना करवाना एक जटिल कार्य था, क्योंकि इनके कार्यक्षेत्र में केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों के अधीन कार्यरत विभिन्न सरकारी/अर्द्धसरकारी विभागों/संस्थानों व प्रयोगशालाओं सहित सोशल मीडिया, हिंदी समाचारपत्र एवं पत्रिकाएं, विभिन्न पत्रकारिता विश्वविद्यालय एवं अन्य विश्वविद्यालयों के पत्रकारिता विभाग तथा चिकित्सकीय व तकनीकी संस्थान एवं उक्त क्षेत्रों सहित अन्य साहित्येतर क्षेत्रों के शिक्षकगण व विविध विधाओं के विशेषज्ञों सहित विज्ञान शिक्षा से जुड़े सभी विद्यालय, डिजिटल इंडिया से जुड़े संस्थान व वैज्ञानिक ज्ञान पर आधारित भारत के प्राचीन ग्रंथों के जानकार आदि शामिल हैं।

अनुभव एवं सुझाव

इन सभी से संपर्क करने के बाद यह अनुभव हुआ कि विज्ञान के क्षेत्र में हिंदी भाषा में कार्य करने की काफ़ी संभावनाएं हैं। देश में इन संस्थानों के पास हिंदी में कार्य करने वाले मानवीय संसाधन तो हैं ही, इनके यहां राजभाषा विभाग भी है, परंतु केवल इच्छाशक्ति का अभाव लगता हैं।

अधिकांश संस्थानों ने हिंदी के वैधानिक प्रावधान के अंतर्गत कार्य आरंभ कर दिया हैं। संस्थानों के वैबस्थल हिंदी में बना लिए गए है तथा जानकारी संबंधी लघुपत्रक (ब्रोशर) भी हिंदी में बना रहे हैं। इनके द्वारा हिंदी में कार्य करने की बढ़ती इच्छा को संतुष्ट किया जाना चाहिए तथा समय-समय पर आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए।

इस विशाल देश में जहां कार्य-संस्कृति का अभाव है, हज़ारों वैज्ञानिक संस्थाओं के साथ 3 वर्ष में सभी 15 अनुशंसाओं की अनुपालना मुश्किल कार्य हैं। अभी देश में हिंदी में कार्य करने की मानसिकता बननी प्रारंभ हुई हैं। विश्व हिंदी सम्मेलन की अनुशंसाओं की अनुपालना करवाने को पहली बार माननीया विदेश मंत्री श्रीमती सुषमाजी स्वराज ने गंभीरता से लिया हैं।

अनुपालना समिति की बैठकें निरंतर होने के बावजूद अनुशंसाओं की अनुपालना पूर्ण रूप से नहीं हो पाई हैं। यह विषय एक सम्मेलन में समाप्त होने वाला नहीं हैं।

यह तो भारत की अर्थव्यवस्था के साथ अनवरत चलने वाला विषय है, अतः यह सुझाव है कि विश्व हिंदी सम्मेलन की ओर से 'विज्ञान के क्षेत्र में हिंदी' विषयक एक स्थाई मंच/प्रकोष्ठ बने तथा सरकार के अन्य विभागों की तरह स्थाई रूप से कार्य करता रहे। विज्ञान के क्षेत्र में हिंदी विषयक अनुपालना समिति में कुछ सेवानिवृत्त/कार्यरत सेवाभावी एवं समर्पित लोगों को जोड़कर न्यूनतम सुविधाओं के साथ स्थाई मंच/प्रकोष्ठ बनाया जाना चाहिए।

प्रतिवेदन : विज्ञान के क्षेत्र में हिंदी

अनुशंसा-1

देश के सभी वैज्ञानिक, चिकित्सा एवं अभियांत्रिकी प्रयोगशालाओं एवं संस्थानों में विज्ञान-संचार इकाई की स्थापना की जाए एवं विज्ञान-संचार के लिए विज्ञान प्रयोगशालाओं में पदों का सृजन किया जाए।

विज्ञान-संचार के लिए विज्ञान प्रयोगशालाओं में पदों का सृजन एक प्रशासनिक प्रक्रिया हैं। सभी संस्थानों द्वारा अपने कार्यभार के अनुसार पदों की मांग की जाती है तथा संबंधित विभागों द्वारा आपूर्ति की जाती हैं। परंतु उन विभागों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, जिनका विज्ञान-संचार का कार्य उत्कृष्ट है तथा जो विभाग आम जनता तथा युवाओं के अधिक निकट हैं। सभी प्रमुख मंत्रालयों को इस संबंध में पत्र लिखा गया हैं। निर्णय प्रक्रियाधीन हैं।

भारत में निम्न मंत्रालयों तथा उनके वैज्ञानिक, चिकित्सा, अभियांत्रिकी संस्थाओं ने अपनी विज्ञान-संचार इकाई की सहायता से विज्ञान-संचार का कार्य हिंदी में आरंभ कर दिया हैं। विस्तृत जानकारी उनके वैबस्थल से प्राप्त की जा सकती हैं। कुछ मंत्रालयों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत है—

1. केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाता हैं। मंत्रालय ने विज्ञान-संचार की दृष्टि से राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद् का गठन किया हैं। मंत्रालय ने तो अपना वैबस्थल हिंदी में बना लिया है, परंतु राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद्, जिसका दायित्व विज्ञान-संचार का है, अभी वैबस्थल हिंदी में नहीं बना पाया हैं। मंत्रालय के 19 स्वायत्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थानों में से अधिकांश ने हिंदी में अपना वैबस्थल हिंदी में बना लिया है।

2. केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

मंत्रालय के साथ समुद्री सजीव संसाधन एवं पारिस्थितिकी केंद्र सहित राष्ट्रीय पृथ्वी, विज्ञान अध्ययन केंद्र आदि विभिन्न संस्थान जुड़े हैं। मंत्रालय ने अपना वैबस्थल हिंदी में बना लिया हैं।

3. मानव संसाधन विकास मंत्रालय

इस मंत्रालय के अधीन 15 लाख से अधिक स्कूल तथा 800 से अधिक विश्वविद्यालय हैं, जिनमें अधिकांश संस्थानों का संबंध विज्ञान से हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) जैसी संस्थाएं भी इसके अधीन कार्यरत हैं, जिनमें कुछ का संबंध विज्ञान से हैं। मंत्रालय का वैबस्थल हिंदी में हैं।

4. इलैक्ट्रॉनिकी, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय

इस मंत्रालय के समग्र कार्य-कलाप विज्ञान से संबंधित रहते हैं। यथा, ई-गवर्नमेंट, ई-इंफ्रास्ट्रक्चर, ई-इंडस्ट्री, ई-इनोवेशन/आरएंडडी, ई-लर्निंग, ई-स्किल्स, ई-सिक्योरिटी, ई-इन्क्लूशन व इंटरनेट गवर्नेंस आदि। मंत्रालय के अनेक विभागों के वैबस्थल हिंदी में हैं।

5. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार की एक शाखा है जो सूचना, प्रसारण, प्रेस और फ़िल्म से संबंधित नियमों, विनियमों और क़ानून के निर्माण और प्रशासन का शीर्ष निकाय हैं। मंत्रालय, भारत सरकार की प्रमुख प्रसारण शाखा, प्रसार भारती के प्रशासन के लिए भी उत्तरदायी हैं। केंद्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड भी इस मंत्रालय के अंतर्गत आता हैं। राष्ट्रीय फ़िल्म विकास निगम, भारतीय फ़िल्म एवं टेलीविजन संस्थान सहित भारतीय प्रेस परिषद् एवं प्रसार भारती आदि भी इस मंत्रालय के अधीन आते हैं। विज्ञान-संचार में इस मंत्रालय की भूमिका अधिक हो सकती हैं। मंत्रालय का वैबस्थल हिंदी में हैं। इससे जुड़े स्वायत्त संगठनों के कुछ के वैबस्थल हिंदी में हैं।

6. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

यह मंत्रालय स्वास्थ्य विभाग, परिवार कल्याण विभाग और आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होमियोपैथी विभाग में विभाजित हैं। हाल ही में मंत्रालय ने संतुलित आहार के माध्यम से नागरिकों को अपना स्वास्थ्य बनाए रखने की गाइड के रूप में हैल्दी इंडिया नाम की वैबसाइट शुरू की हैं। मंत्रालय का वैबस्थल हिंदी में हैं।

7. आयुष मंत्रालय

भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग की स्थापना मार्च, 1995 में की गई थी। नवम्बर, 2003 में इसका नाम आयुर्वेद, योग व प्राकृति चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा एवं होम्योपैथी (आयुष) विभाग रखा गया। विभाग आयुष से संबंधित शैक्षिक मानकों के उन्नयन, औषधों के गुणवत्ता-नियंत्रण एवं मानकीकरण, औषधीय पादपों की उपलब्धता में सुधार, भारतीय चिकित्सा पद्धतियों की राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रभावोत्पादकता के बारे में अनुसंधान और विकास करने के साथ-साथ उनके बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए निरंतर तत्पर हैं। विज्ञान-संचार की दृष्टि से मंत्रालय का वैबस्थल हिंदी में हैं।

8. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय तेल एवं प्राकृतिक गैस की खोज एवं उत्पादन, शोधन, वितरण एवं विपणन, आयात, निर्यात, पेट्रोलियम उत्पादों एवं द्रवित प्राकृतिक गैस का संरक्षण करता हैं। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आईबीपी कंपनी लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड सहित तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड आदि विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम इस मंत्रालय के अधीन आते हैं। मंत्रालय का वैबस्थल हिंदी में हैं तथा कुछ संस्थानों के वैबस्थल भी हिंदी में हैं।

9. दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय

दूरसंचार विभाग का प्रमुख कार्य सुशासन को सक्षम करने के लिए दूरसंचार क्षेत्र में नेतृत्व, उत्कृष्टता, खरीदने की क्षमता और विविधता के माध्यम से एक सहज नेटवर्क समाज का विकास करना हैं।

इससे जुड़े सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भारत संचार निगम लिमिटेड, महानगर टेलीफ़ोन निगम लिमिटेड, भारत ब्राडबैंड नेटवर्क लिमिटेड एवं आइ टी आइ लिमिटेड हैं तथा सेंटर फ़ॉर डेव्लपमेंट टेलीमेटिक्स (सी.डाट), उत्कृष्टता के दूरसंचार केंद्र (TCOEs) स्वायत्त निकाय हैं। मंत्रालय का वैबस्थल हिंदी में है तथा कुछ संस्थानों के वैबस्थल भी हिंदी में हैं।

10. रक्षा मंत्रालय

रक्षा मंत्रालय का मुख्य कार्य रक्षा और सुरक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार के नीति-निर्देश प्राप्त करना तथा उन्हें लागू करने के लिए सेना मुख्यालयों, अंतर-सेवा संगठनों, उत्पादन स्थापनाओं तथा अनुसंधान एवं विकास संगठनों को सूचित करना हैं। रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल), भारत इलैक्ट्रॉनिक लिमिटेड (बीईएल), बीईएमएल लिमिटेड (बीईएमएल), गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड (जी आर एस ई), गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जीएसएल), हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (एचएसएल), माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल), मिश्र धातु निगम लिमिटेड (मिधानि), भारत डायनामिक्स लिमिटेड (बीडीएल) प्रमुख हैं। रक्षा मंत्रालय से जुड़ी प्रयोगशालाएं 40 हैं। मंत्रालय का वैबस्थल हिंदी में है तथा कुछ संस्थानों के वैबस्थल भी हिंदी में हैं।

11. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

इस मंत्रालय से जुड़े स्वायत्त निकाय हैं : राष्ट्रीय सीमेंट तथा भवन निर्माण सामग्री परिषद्, ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया, (एआरएआई),

भारतीय रबड़ विनिर्माता अनुसंधान संघ, राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद्, भारतीय गुणवत्ता परिषद्, केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान (सीएमटीआई), केंद्रीय लुगदी तथा कागज़ अनुसंधान संस्थान, सहारनपुर, भारतीय डिज़ाइन परिषद् (आईडीसी) तथा 14 निर्यात परिषदें हैं। मंत्रालय का वैबस्थल हिंदी में है तथा कुछ संस्थानों के वैबस्थल भी हिंदी में हैं।

12. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

यही मंत्रालय भारत की कृषि नीति तय करता हैं। इस मंत्रालय के विभिन्न विभाग हैं : कृषि एवं सहकारिता विभाग, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, कृषि आयोग-लागत एवं मूल्य, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड एवं भारतीय आयात-निर्यात बोर्ड। इन विभागों के भी कई वैज्ञानिक संस्थान हैं जो विज्ञान-संचार का कार्य प्राथमिकता से करते हैं। मंत्रालय का वैबस्थल हिंदी में है तथा काफ़ी संस्थानों के वैबस्थल भी हिंदी में हैं।

13. परमाणु ऊर्जा विभाग

भारत का परमाणु ऊर्जा विभाग (पऊवि) एक महत्वपूर्ण विभाग है जो सीधे प्रधानमंत्री के आधीन हैं। इसका मुख्यालय मुंबई में हैं। यह विभाग नाभिकीय विद्युत ऊर्जा की प्रौद्योगिकी के विकास, विकिरण प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों (कृषि, चिकित्सा, उद्योग, मूलभूत अनुसंधान आदि) में उपयोग तथा मूलभूत अनुसंधानमें संलग्न हैं। परमाणु ऊर्जा विभाग 8 संस्थानों को भी सहायता देता है जो अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित हैं। मंत्रालय का वैबस्थल हिंदी में है तथा काफ़ी संस्थानों के वैबस्थल भी हिंदी में हैं।

14. अंतरिक्ष विभाग

अंतरिक्ष विभाग भारत सरकार का एक विभाग है जो भारतीय अंतरिक्ष अभियानों के प्रबंधन से जुड़ा हैं। ये अंतरिक्ष की खोज से जुड़ी अनेक एजेंसियों और संस्थानों की भी देखरेख करता है, जिनमें ‘इसरो’ प्रमुख हैं।

मंत्रालय का वैबस्थल हिंदी में है तथा काफ़ी संस्थानों के वैबस्थल भी हिंदी में हैं।

15. पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत की पर्यावरण एवं वानिकी संबंधी नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के नियोजन, संवर्धन, समन्वय और निगरानी के लिए केंद्र सरकार के प्रशासनिक ढांचे के अंतर्गत एक नोडल एजेंसी हैं। मंत्रालय का वैबस्थल हिंदी में हैं।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संचारकार्य के हिंदी में संवर्धन के लिए राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद् (एनसीएसटीसी) की भूमिका महत्वपूर्ण है, जिसे अपना वैबस्थल हिंदी में बनाकर तथा देश के सभी वैज्ञानिक संस्थानों के साथ समन्वय कर विज्ञान-संचार के कार्य का प्रचार-प्रसार करना चाहिए। वैज्ञानिक जागरूकता उत्पन्न करने के लिए वैज्ञानिक संस्थानों को अपने विषय से संबंधित जो वैबस्थल संस्थानों ने हिंदी में बना रखें हैं उनमें कुछ ने गूगल अनुवाद कर रखा है तथा कई वैबस्थल ऐसे भी हैं जहां हिंदी व अंग्रेज़ी की सामग्री में अंतर हैं।

अनुशंसा-2

विज्ञान एवं तकनीकी प्रयोगशालाओं द्वारा सोशल मीडिया पर हिंदी में विज्ञान सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

सोशल मीडिया एक अपरंपरागत मीडिया (nontraditional media) हैं। यह वास्तविक संसार (वर्चुअल वर्ल्ड) का निर्माण करता हैं। सोशल मीडिया को उपयोग करने वाला व्यक्ति इसके किसी प्लेटफॉर्म (फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, स्नैपचैट आदि) का उपयोग कर पहुंच बना सकता हैं। इसके जरिए उपयोगकर्ता करोड़ों लोगों तक अपनी बात महज एक क्लिक की सहायता से पहुंचा सकता हैं। सामाजिक मीडिया के कई रूप हैं जिनमें कि इन्टरनेट फोरम,

वेबलॉग, सामाजिक ब्लॉग, माइक्रोब्लागिंग, विकीज़, सोशल नेटवर्क, पॉडकास्ट, फ़ोटोग्राफ़, चित्र, चलचित्र आदि सभी आते हैं। अपनी सेवाओं के अनुसार सोशल मीडिया के लिए कई संचार प्रौद्योगिकी उपलब्ध हैं। उदाहरणार्थ- सहयोगी परियोजना (विकिपीडिया), ब्लॉग और माइक्रोब्लॉग (ट्विटर), सामाजिक नेटवर्किंग साइट (फ़ेसबुक) आदि।

सोशल मीडिया सकारात्मक भूमिका अदा करता है, जिससे किसी भी व्यक्ति, संस्था, समूह और देश आदि को आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से समृद्ध बनाया जा सकता हैं।

प्रसन्नता का विषय है कि केंद्र सरकार के अधिकांश मंत्रालयों ने जो विज्ञान से संबंधित हैं, सोशल मीडिया पर अपने मंत्रालयों से संबंधित सामग्री अपलोड करना प्रारंभ कर दिया हैं। अभी इन संस्थानों ने केवल अपने वैबस्थल ही हिंदी में बनाना प्रारंभ किया हैं। सोशल मीडिया पर जाने में तो अभी यद्यपि समय लगेगा, फिर भी एक बात अवश्य है कि कुछ संस्थान YouTube के द्वारा अपनी गतिविधियों को हिंदी में प्रसारित कर रहे हैं।

निजी संस्थाओं एवं व्यक्तियों द्वारा सोशल मीडिया पर कार्य

यह आश्चर्य की बात है कि सरकारी संस्थाओं की तुलना में निजी संस्थाएं तथा निजी व्यक्ति सोशल मीडिया पर वैज्ञानिक सामग्री हिंदी माध्यम से अधिक अपलोड कर रहे हैं।

1. विकिपीडिया (Wikipedia) : विकिपीडिया की हिंदी माध्यम की विक्की विश्वविद्यालय एवं विक्की मीडिया फाउंडेशन परियोजना है, जो विज्ञान एवं तकनीकी विषयों सहित सभी प्रकार की शिक्षा सामग्री को हिंदी भाषा में नि:शुल्क उपलब्ध कराती हैं। हिंदी विकिपीडिया पर विभिन्न विषयों के 127 500 से अधिक लेख हैं, जिन्हें प्रतिमाह औसतन 39664772 पृष्ठ अवलोकन (व्यू) किए हुए मिलते हैं।

2. टेक्निकल गुरूजी (Technical Guruji) : यह चैनल 'Technical Guruji' उन सभी लोगों के लिए बनाया है जो टेक्नोलॉजी के बारे में अपनी भाषा हिंदी में जानना चाहते हैं, इस यूट्यूब चेनल के अब तक 6,805,314 ग्राहक हैं तथा 619,976,295 व्यू हैं।

3. विज्ञान से प्यार (Vigyaan Se Pyaar) : हिंदी में वैज्ञानिक लेखों का एक अनोखा संग्रह है 'विज्ञान से प्यार'। फ़ेसबुक पर भी हिंदी भाषा में विज्ञान सामग्री पर यह उपलब्ध हैं।

4. विज्ञान विश्व (Vigyaan Vishva) : इसमें हिंदी भाषा में विज्ञान की नयी पुरानी जानकारी उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा हैं। यहां विज्ञान के विस्तृत लेख हिंदी में उपलब्ध हैं।

5. यूट्यूब पर विज्ञान : यूट्यूब पर विज्ञान संबंधी कई चेनल हैं जो निजी व्यक्तियों एवं निजी संस्थाओं द्वारा हिंदी भाषा में अपलोड किए गए हैं।

6. विज्ञान एप (Vigyaan.org) : जनसाधारण के लिए विज्ञान। हिंदी में भारत का एकमात्र एप, जो विज्ञान की उपलब्धियों को सरल भाषा में जनसाधारण तक पहुंचाने का कार्य कर रहा हैं।

7. गूगल प्ले : गूगल प्ले (Google Play) गूगल द्वारा संचालित एक मंच हैं। यह एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आधिकारिक एप स्टोर के रूप में कार्य करता है, जो उपयोगकर्ताओं को एप्लीकेशन डाउनलोड करने की अनुमति देता हैं। गूगल प्ले स्टोर पर 1,430,000 से अधिक एप्स प्रकाशित और पचास अरब से अधिक डाउनलोड हो गए हैं। हिंदी में विज्ञान सामग्री वाले कई एप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध हैं।

सुझाव

भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के अधीन कई वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं कार्यरत हैं, जिनमें से कुछ ने अपने वैबस्थल हिंदी में बना लिए हैं तथा कुछ

बनाने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु, सोशल मीडिया के कई उपकरण फ़ेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसे स्थलों पर विज्ञान में हिंदी की सामग्री अपलोड नहीं कर पाए हैं। इसलिए इन संस्थाओं से संबंधित मंत्रालयों का यह दायित्व बनता है कि वे एक समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत इन संस्थाओं को हिंदी भाषा में विज्ञान-सामग्री सोशल मीडिया के विभिन्न स्थलों पर अपलोड करने के लिए निर्देशित करें। वैज्ञानिक संस्थानों/प्रयोगशालाओं में कार्यरत सामाजिक कार्यकर्ताओं, उनके सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा अपने-अपने वैज्ञानिक संस्थान द्वारा जिस विषय पर कार्य किया जाता है, उससे संबंधित जानकारी WhatsApp ग्रुप बनाकर अपलोड करनी चाहिए। इससे धीरे-धीरे उस संस्था की गतिविधियों के बारे में समाज को जानकारी मिल सकेगी।

अनुशंसा-3

हिंदी में दैनिक विज्ञान समाचारपत्र का प्रकाशन आरंभ किया जाए। समाचारपत्र तथा जितनी पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही हैं, उनको विज्ञान समाचार को प्राथमिकता से प्रकाशन का आग्रह किया जाए। देश के सभी पत्रकारिता विश्वविद्यालय एवं पत्रकारिता विभाग अपने विद्यार्थियों को इस दृष्टि से प्रेरित करें।

भारत के प्रमुख हिंदी समाचारपत्रों में से एक भी समाचारपत्र विशुद्ध रूप से विज्ञान का समाचारपत्र नहीं हैं। मानव के दैनिक जीवन में विज्ञान के महत्व को देखते हुए हिंदी में एक विज्ञान समाचारपत्र की आवश्यकता हैं। इस दृष्टि से हिंदी के सभी समाचारपत्र को हिंदी भाषा में दैनिक विज्ञान समाचारपत्र प्रकाशित करने का आग्रह किया गया, परंतु अभी तक किसी भी समाचारपत्र के मालिक द्वारा इसकी आवश्यकता अलाभदायक होने के कारण महसूस नहीं की गई। उनका यह कहना है कि वे अपने समाचारपत्र में विज्ञान से संबंधित समाचारों का एक कॉलम/ब्लॉग/एक पृष्ठ नियमित/साप्ताहिक प्रकाशित करते हैं।

जब विज्ञान समाचारपत्र अलग से प्रकाशित करने की इच्छा नज़र नहीं

आई, तब जितने हिंदी समाचारपत्र तथा जितनी हिंदी पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही हैं, उनसे विज्ञान समाचारों को प्राथमिकता से प्रकाशन करने का आग्रह किया गया।

देश के प्रमुख दो पत्रकारिता विश्वविद्यालय कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर तथा माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल एवं अन्य विश्वविद्यालयों के पत्रकारिता विभागों को अपने विद्यार्थियों को विज्ञान पत्रकारिता की दृष्टि से प्रेरित करने के लिए भी आग्रह किया गया।

क्रियान्वयन

विज्ञान-प्रसार की ओर से 'ड्रीम 2047' एक द्विभाषी मासिक न्यूज़ लेटर प्रकाशित किया जाता है। यह संतोष का विषय है कि अधिकांश हिंदी समाचारपत्र विज्ञान समाचारों के लिए एक कॉलम /एक पृष्ठ /एक ब्लॉग किसी न किसी प्रकार नियमित/साप्ताहिक देते हैं। समाचारपत्र में हिंदी में विज्ञान समाचार उनके वैबस्थल पर देखे जा सकते हैं। वेब आधारित पत्रिकाएं विज्ञान समाचारों को प्रमुखता से देती हैं।

पत्रकारिता विश्वविद्यालयों/पत्रकारिता विभागों की भूमिका

भारत में पत्रकारिता के क्षेत्र में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल तथा कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, रायपुर हैं। पूर्व में राजस्थान में हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय की भी स्थापना हुई थी, परंतु राज्य सरकार ने उसे बंद कर दिया हैं। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में आठ विभाग हैं यथा मास कम्युनिकेशंस विभाग, पत्रकारिता विभाग, जनसंपर्क और विज्ञापन विभाग, इलैक्ट्रॉनिक मीडिया विभाग, सामाजिक कार्य विभाग, प्रबंधन विभाग, इंडोलॉजी और विरासत प्रबंधन विभाग एवं भाषा विभाग। यहां पत्रोपाधि, स्नातक एवं स्नाकोत्तर सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, परंतु विज्ञान पत्रकारिता किसी भी

पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं हैं।

माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विवि में 12 विभाग संचालित हैं यथा इलैक्ट्रॉनिक मीडिया विभाग, कंप्यूटर विज्ञान और अनुप्रयोग विभाग, पत्रकारिता विभाग, प्रबंधन विभाग, मास संचार विभाग, नई मीडिया प्रौद्योगिकी विभाग, जनसंपर्क और विज्ञापन अध्ययन विभाग, प्रकाशन विभाग, संचार अनुसंधान विभाग, लघु अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रम विभाग, पाठ्य पुस्तक लेखन विभाग एवं पार्ट टाइम/शाम के पाठ्यक्रम विभाग। यहां भी पत्रोपाधि, स्नातक एवं स्नाकोत्तर सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं तथा विज्ञान पत्रकारिता स्नातकोत्तर स्तर पर पाठ्यक्रम का हिस्सा हैं। दोनों जगह कुछ आचार्यों से विज्ञान-संचार को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने का आग्रह किया गया हैं।

भारतीय जनसंचार संस्थान

भारत का प्रमुख मीडिया स्कूल है, जिसे भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता हैं। यह एक स्वायत्तशासी संस्थान हैं। भारत में जनसंचार के प्रशिक्षण, अध्ययन और अनुसंधान के लिए यह एक अग्रणी संस्थान हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान में प्रिंट मीडिया, फ़ोटो पत्रकारिता, रेडियो पत्रकारिता, टेलीविजन पत्रकारिता, संचार अनुसंधान, विज्ञापन और जनसंपर्क सहित तमाम मीडिया विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाता हैं। संस्थान द्वारा एकवर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं, जिनमें हिंदी, अंग्रेज़ी तथा ओडिया भाषा में पत्रकारिता के साथ-साथ विज्ञापन व जनसंपर्क, रेडियो व टीवी पत्रकारिता एवं फ़ोटो पत्रकारिता के पाठ्यक्रम शामिल हैं। यहां भी विज्ञान पत्रकारिता पाठ्यक्रमों में नहीं हैं।

सुझाव

वर्तमान युग विज्ञान का युग हैं। विज्ञान की नई खोजें हर किसी को प्रभावित और आकर्षित करती हैं। हर वर्ग के लोग नई खोजों के बारे में अपनी भाषा में अधिक से अधिक जानने के लिए उत्साहित रहते हैं। अगर हम

देश-विदेश के चिकित्सा, प्रौद्योगिकी, खगोल विज्ञान आदि की खोजों को आम जनता तक उनकी भाषा में पहुंचा सकें, तो उस समाचारपत्र/पत्रिका को सफलता मिलते देर नहीं लगेगी।

आज देश में हज़ारों की संख्या में विज्ञान संस्थान, अभियांत्रिकी संस्थान, चिकित्सा संस्थान, विश्वविद्यालय में विज्ञान विभाग, प्रयोगशालाएं आदि हैं। ये सब प्रतिदिन विज्ञान के क्षेत्र में नया-नया कार्य करते हैं। यदि इनके कार्य को संकलित कर एक समाचारपत्र के रूप में प्रकाशित किया जाए, तो देश में पहला विज्ञान समाचारपत्र हिंदी भाषा में प्रारंभ हो जाएगा। यह कार्य देश के 2 बड़े पत्रकारिता विश्वविद्यालय या अन्य विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग कर सकते हैं। प्रयोग के तौर पर विपनेट की सहायता से माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में विज्ञान पत्रकारिता का पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया था। विद्यार्थियों ने इस पाठ्यक्रम में काफ़ी रुचि भी दिखाई थी। परंतु, कुछ अपरिहार्य तकनीकी कारणों से अब केवल विज्ञान पत्रकारिता स्नातकोत्तर स्तर पर एक ऐच्छिक विषय के रूप में संचालित हैं। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय को विज्ञान पत्रकारिता के पाठ्यक्रम को ऐसी स्थिति में पुनः प्रारंभ करना चाहिए तथा बाक़ी विश्वविद्यालयों एवं उनके पत्रकारिता विभागों को भी विज्ञान पत्रकारिता के प्रमाण-पत्र, पत्रोपाधि, स्नातक, स्नातकोत्तर स्तर के विज्ञान पत्रकारिता के पाठ्यक्रम प्रारंभ करने चाहिए। इसके अतिरिक्त जिन-जिन विश्वविद्यालयों में पत्रकारिता के पाठ्यक्रम चलते हैं, वहां व्यावहारिक ज्ञान की परीक्षा में विद्यार्थियों को विज्ञान पत्रकारिता से संबंधित विज्ञान समाचारपत्र/पत्रिका प्रकाशित करने का व्यावहारिक ज्ञान दिया जाना चाहिए, जिससे पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होने के बाद विज्ञान पत्रकारिता में स्वरोज़गार अपना सकें या जॉब कर सकें।

अनुशंसा-4

जिन दो विषयों, जैसे सूचना प्रौद्योगिकी एवं अंतरिक्ष में भारत का कार्य

महत्वपूर्ण है, उसमें अधिकाधिक मूल जानकारी हिंदी में प्रकाशित की जानी चाहिए।

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएं (आईटी/आईटीईएस) के क्षेत्र में पिछले दशक में ज़बरदस्त वृद्धि दर्ज की गई है। भारत की वर्तमान तरक़्क़ी में आईटी का बहुत बड़ा योगदान है। पिछले पांच सालों में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि के बढ़ोतरी के प्रतिशत में 6 प्रतिशत योगदान आईटी का ही है। पिछले 10 सालों में देश में जो रोज़गार उपलब्ध हुआ है, उसका 40 प्रतिशत आईटी ने उपलब्ध कराया है।

अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भी आज भारत विश्व का एक ऐसा विकासशील राष्ट्र बन चुका है, जो विश्व के सर्वाधिक विकसित राष्ट्र रूस और अमेरिका की वैज्ञानिक शक्तियों से प्रतिस्पर्धा कर रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान विज्ञान की प्रगति से भारतीय वैज्ञानिकों की अद्भुत प्रतिभा, साहस, धैर्य, क्षमता और जिज्ञासा की भावना प्रकट होती है। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, 'इसरो' (Indian Space Research Organisation, ISRO) की बड़ी भूमिका है। यह भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है।

अस्तु, सूचना प्रौद्योगिकी एवं अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत का कार्य महत्वपूर्ण है, इसलिए इन दोनों क्षेत्रों की अधिकाधिक मूल जानकारी हिंदी भाषा में प्रकाशित की जानी चाहिए, जिससे लोग इनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में जान सकें। इस दृष्टि से सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा अंतरिक्ष मंत्रालय से संपर्क किया गया और विज्ञान के क्षेत्र में हिंदी विषयक सत्र की अनुशंसा की जानकारी दी गई।

क्रियान्वयन

दसवें विश्व हिंदी सम्मेलन के आयोजन के 3 वर्ष बाद जब इन दोनों संस्थाओं के कार्य का अवलोकन किया गया, तो निश्चित रूप से यह बात सामने आई कि दोनों संस्थाओं ने अपने कार्य का हिंदी भाषा में प्रकाशन एवं विज्ञान-

संचार की दृष्टि से हिंदी भाषा में अधिक प्रचार-प्रसार किया है, जिसकी जानकारी निम्न प्रकार है :

1. इलैक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

इलैक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की मुख्य दृष्टि अपने आप को भारत में एक ऐसे इंजन के रूप में प्रतिष्ठित करना है, जो भारत के विकास के लिए एक विकसित राष्ट्र तथा सशक्त समाज के बीच समन्वय स्थापित कर सके।

1. विभाग का वैबस्थल हिंदी में है। वैबस्थल पर मंत्रालय की संपूर्ण जानकारी, लक्ष्य, उसके डिवीजन, संगठन, कई तरह की अधिसूचनाएं, जनता की राय, जिसमें ई-प्रमाण, भारतीय भाषाओं में मोबाइल वेब अनुप्रयोग, ई-क्रांति, लोक शिकायत, शब्दावली, ई-पुस्तक तथा विभाग के महत्वपूर्ण लिंक आदि की जानकारी दी हुई है।

2. विभाग का वार्षिक प्रतिवेदन हिंदी में है।

3. मंत्रालय से जुड़े सभी संस्थानों ने भी हिंदी में प्रकाशन प्रारंभ किया है।

4. भारत में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की महत्वपूर्ण पहल जिनकी वजह से विभाग को लोकप्रियता मिल रही है, इस प्रकार हैं : रेलवे टिकट एवं आरक्षण का कंप्यूटरकरण, बैंकों का कंप्यूटरकरण एवं एटीएम की सुविधा, इंटरनेट से रेल टिकट, हवाई टिकट का आरक्षण, इंटरनेट से एफआईआर, न्यायालयों के निर्णय ऑनलाइन उपलब्ध कराये जा रहे हैं। किसानों के भूमि रिकार्डों का कंप्यूटरकरण, इंजीनियरिंग में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन एवं ऑनलाइन काउंसिलिंग, ऑनलाइन परीक्षाएं।

कई विभागों के टेंडर सहित पासपोर्ट, गाड़ी चलाने के लाइसेंस आदि भी ऑनलाइन भरे जा रहे हैं। कई विभागों के 'कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट' ऑनलाइन भरे जा रहे हैं। शिकायतें ऑनलाइन की जा सकतीं हैं। सभी विभागों कई बहुत सारी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध हैं। ‘सूचना का अधिकार’ के तहत भी बहुत सी

जानकारी ऑनलाइन दी जा रही हैं। आयकर की फाइलिंग ऑनलाइन की जा सकती हैं।

5. हिंदी में पुस्तक लेखन हेतु पुरस्कार योजना

इलैक्ट्रॉनिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इलैक्ट्रॉनिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी विषयों पर हिंदी भाषा में पुस्तक लेखन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार योजना की घोषणा की गई है, जिसमें प्रथम पुरस्कार 60000.00 द्वितीय पुरस्कार 40000.00 तथा तृतीय पुरस्कार 20000.00 रुपये होंगे। इस पहल से देश में इलैक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी पुस्तकें हिंदी में विद्यार्थियों को आसानी से उपलब्ध हो सकेगी।

सुझाव

सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हिंदी भाषा में निम्न कार्य शीघ्र किए जाने हैं। इलेक्ट्रोनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वैबस्थल पर हिंदी में विस्तृत जानकारी अभी अपलोड नहीं की गई है। मंत्रालय की आंतरिक इकाईयों में एनआईसी की जानकारी भी सतही रूप से ही हिंदी में उपलब्ध है। एनआईसी की लगभग सभी सेवाओं, जैसे कि साइबर सुरक्षा, ई-लर्निंग, राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क आदि का वैबस्थल अंग्रेज़ी भाषा में ही उपलब्ध है। डिजिटल इंडिया कारपोरेशन, इन रजिस्ट्री जो कि मंत्रालय के संगठक घटक हैं, उनके वैबस्थल हिंदी भाषा में विस्तृत जानकारी के साथ उपलब्ध नहीं हैं।

मंत्रालय और उसकी आंतरिक इकाइयों के वैबस्थल पर उपलब्ध अधिकांश रिपोर्ट्स अंग्रेज़ी भाषा में ही उपलब्ध हैं। अतः विभाग के सभी संस्थानों को संबंधित जानकारी शीघ्र ही हिंदी में अपलोड करनी चाहिए।

अंतरिक्ष विभाग

विकासशील अर्थव्यवस्था और उससे जुड़ी समस्याओं से घिरे होने के बावजूद भारत ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को प्रभावी ढंग से विकसित किया है और

उसे अपने तीव्र विकास के लिए इस्तेमाल भी किया है तथा आज विश्व के अन्य देशों को विभिन्न अंतरिक्ष सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। आज भारत विश्व का एक ऐसा विकासशील राष्ट्र बन चुका है, जो विश्व के सर्वाधिक विकसित राष्ट्र रूस और अमेरिका की वैज्ञानिक शक्तियों से प्रतिस्पर्धा कर रहा है।

अनुशंसा-5

चिकित्सा क्षेत्र में नियामक संस्थाओं द्वारा एक निश्चित समय-सीमा में सभी चिकित्सा परीक्षाओं में हिंदी भाषा में लिखने की छूट प्राप्त हो। चिकित्सा शिक्षण द्विभाषीय माध्यम से हो।

देश में चिकित्सा शिक्षा दो मंत्रालयों के अधीन संचालित है। यथा : केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा आयुष मंत्रालय। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एलोपेथी चिकित्सा तथा आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति शामिल हैं। केंद्रीय होम्योपैथी परिषद् एवं भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् (सीसीआईएम) भी नियामक संस्थाओं में हैं। इन संस्थाओं को एक समयबद्ध सीमा में परीक्षा में हिंदी माध्यम से लिखने की छूट प्रदान करने के लिए कहा गया है।

1. चिकित्सा (एमबीबीएस, बीडीएस) प्रवेश परीक्षा

चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में परीक्षाओं में हिंदी माध्यम से लिखने की समस्या केवल एलोपैथी (आधुनिक चिकित्सा) की स्नातक (एमबीबीएस) एवं (बीडीएस) परीक्षा में ही है। किंतु, प्रसन्नता का विषय है कि सरकार ने एमबीबीएस एवं बीडीएस की प्रवेश-परीक्षा 10 भारतीय भाषाओं अंग्रेज़ी के अलावा हिंदी, बांग्ला, गुजराती, मराठी, उड़िया, असमी, तेलुगु, तमिल एवं कन्नड़ में देने की स्वीकृति प्रदान कर दी है तथा आजकल ये प्रवेश परीक्षाएं दस भाषाओं में आयोजित हो रही है।

2. विश्वविद्यालयीन चिकित्सा वार्षिक /सेमेस्टर परीक्षा

भारत में स्वतंत्रता-प्राप्ति के 71 वर्ष बाद भी चिकित्सा शिक्षा की विश्वविद्यालयीन वार्षिक/सेमेस्टर परीक्षा (एमबीबीएस, बीडीएस) अंग्रेज़ी माध्यम से ही आयोजित हो रही हैं। बीएससी नर्सिंग, बीएससी फ़ॉरसी आदि वार्षिक/सेमेस्टर परीक्षाओं में भी परीक्षा का माध्यम अभी अंग्रेज़ी ही हैं। गत 5 वर्षों में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, भारतीय नर्सिंग परिषद्, भारतीय दंत परिषद् एवं भारतीय फ़ॉरसी परिषद् आदि को इनकी स्नातक परीक्षाओं में विद्यार्थियों को हिंदी माध्यम से भी लिखने की छूट देने के लिए संपर्क किया गया, परंतु इस संबंध में अधिक पत्र व्यवहार भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् व नर्सिंग परिषद् से हुआ।

3. भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्

चिकित्सा क्षेत्र में प्रमुख नियामक संस्थाएं भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, भारतीय नर्सिंग परिषद् तथा भारतीय भेषज परिषद् प्रमुख हैं। इन परिषद् को विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को बताते हुए हिंदी माध्यम से चिकित्सा एवं नर्सिंग के पाठ्यक्रम हिंदी माध्यम से प्रारंभ करने के संबंध में स्वीकृति देने के लिए आग्रह किया गया था। परंतु भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् ने विश्वविद्यालय के पत्र के जबाव में दिनांक 17.04.2013 को लिखा, Medical Council of India is dealing with basic medical qualification ie. MBBS/MD/MS and super specialty courses and has not prescribed these courses in Hindi medium**.**

इस पत्र के उत्तर में विश्वविद्यालय ने पुनः भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् को पत्र लिखे कि यदि हम इन पाठ्यक्रमों को हिंदी में उपलब्ध करा दें तो हमें हिंदी माध्यम से चिकित्सा शिक्षा के पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान कर दोगे? इसके बाद कई स्मरण-पत्र देने तथा व्यक्तिगत रूप से संबंधित अधिकारियों से मिलने के बाद दिनांक 25.03.2015 के पत्र के जबाव में परिषद् की शैक्षणिक समिति के निर्णय से अवगत कराया : The Academic Committee

observed that the Medical Council of India has time and again reiterated that in larger interest, the medium of instruction for the medical education under the ambit of Medical Council of India should be English in view of the availability of the abundant reading material in English and the mobility of the students and the teachers within the country and outside. The same is also desired in the context of the internationalization of medical education in global interests.

उक्त जबाव से यह निष्कर्ष निकलता है कि भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् जिसको पूरे देश की आवश्यकताओं के अनुसार चिकित्सा शिक्षा को आगे बढ़ाना है, वर्तमान स्थिति में अंग्रेज़ी माध्यम से विपुल साहित्य की उपलब्धता तथा चिकित्सा शिक्षा के अंतरराष्ट्रीयकरण के तर्क के आधार पर हिंदी माध्यम से चिकित्सा शिक्षा प्रारंभ करने के आग्रह को टालना है। इसके बाद पुनः सभी प्रमाणों, तथ्यों के साथ पत्र लिखा गया, जिसका जवाब लंबित है।

4. भारतीय नर्सिंग परिषद्

विश्वविद्यालय की ओर से भारतीय नर्सिंग परिषद् को नर्सिंग पाठ्यक्रम हिंदी में प्रारंभ करने की स्वीकृति देने हेतु आग्रह किया गया था, परंतु पत्रों के जबाव में भारतीय नर्सिंग परिषद् ने 27 अक्टूबर, 2013 को सूचित किया कि 'भारतीय उपचर्या परिषद् का विश्वविद्यालय स्तर का कोई भी पाठ्यक्रम हिंदी माध्यम के अन्तर्गत नहीं आता है'।

5. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से पत्र-व्यवहार एवं मंत्रालय की सकारात्मक पहल

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् से चिकित्सा शिक्षा को हिंदी में प्रारंभ करने की दृष्टि से सकारात्मक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। इससे यह लगता है कि हिंदी माध्यम

से चिकित्सा शिक्षा को प्रारंभ करने में मंत्रालय एवं भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् दोनों की कोई रुचि नहीं है। किंतु, संतोष का विषय है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की 22 जून, 2018 को हिंदी माध्यम से चिकित्सा शिक्षा आगे बढ़ाने की दृष्टि से एक सकारात्मक निर्णय हुआ। हिंदी सलाहकार समिति के माननीय सदस्य श्री नाहरसिंह वर्मा ने बताया कि इस बैठक में हिंदी माध्यम से चिकित्सा शिक्षा आगे बढ़ाने के लिए 1990 में बनी डॉ. मुकुलचंद पांडे समिति की रिपोर्ट को लागू करने, पैरामेडिकल व स्नातक चिकित्सा शिक्षा की परीक्षाओं में हिंदी माध्यम की छूट देने, संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा में हिंदी माध्यम को स्वीकृत करने तथा अटल बिहारी वाजपेई हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् को एमबीबीएस व बीडीएस की परीक्षा में हिंदी माध्यम को स्वीकृत करने के आग्रह को स्वीकार कर लिया हैं। ऐसा लगता है भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के निर्देशों पर शीघ्र ही चिकित्सा प्रवेश परीक्षा (नीट) की तरह स्नातक चिकित्सा शिक्षा की वार्षिक परीक्षाओं में भी हिंदी माध्यम से लिखने की छूट दे देगी।

विश्वविद्यालय ने 14 सितंबर, 2012 को 'चिकित्सा विज्ञान का शिक्षण, प्रशिक्षण एवं शोध का माध्यम हिंदी' विषयक संगोष्ठी का आयोजन किया। इस संगोष्ठी में पीपुल्स विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. जी.एस. दीक्षित सहित कई चिकित्सा शिक्षक उपस्थित हुए। इस संगोष्ठी में ऐसे तीन शिक्षकों की जानकारी कर उनका सम्मान किया गया, जिन्होंने देश में प्रथम बार हिंदी माध्यम से अपना स्नातकोत्तर (एम.डी.) का शोध-ग्रंथ हिंदी में लिखा था। इनमें डॉ. मुनीश्वर गुप्ता ने 1986-87 में आगरा के सरोजनी नायडू मेडिकल कालेज से एम.बी.;बी.एस. एवं एम.डी. (रेडियोलॉजी) में 'सिर एवं गले की कैंसर की सिकाई में अवटु ग्रंथि पर प्रभाव' विषयक शोध-ग्रंथ हिंदी में प्रस्तुत किया।

डॉ. सूर्यकांत त्रिपाठी ने 'क्षय रोग की अल्पावधि रसायन चिकित्सा में सह-औषधियों की भूमिका' विषयक शोध-ग्रंथ एम.डी. उपाधि हेतु किंग जार्ज मेडिकल कालेज लखनऊ से लखनऊ विश्वविद्यालय को 1991 में हिंदी में प्रस्तुत

किया। परंतु इस शोध-ग्रंथ को विभागाध्यक्ष तथा प्राचार्य ने मूल्यांकन के लिए जमा करने से मना कर दिया। डॉ. त्रिपाठी ने इसके विरुद्ध संघर्ष किया तथा प्राचार्य द्वारा कुलपति, कुलाधिपति के आदेशों की अवहेलना करने पर उत्तर प्रदेश के दोनों सदनों को शोध-ग्रंथ जमा कर मूल्यांकन करने हेतु कठोर प्रस्ताव पास करना पड़ा। उपर्युक्त दोनों शोधार्थियों से प्रेरणा लेते हुए डॉ. मनोहर भंडारी ने 1992 में शरीर क्रिया विज्ञान विभाग, महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर से एम.डी. की उपाधि हेतु 'पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, इंदौर के प्रशिक्षुओं में हीमोग्लोबिन, रुधिरकोशिकामापी, सीरम लौह, कुल लौह बंधन क्षमता एवं फुफ्फुस क्रिया परीक्षण : एक अध्ययन' विषयक शोध-ग्रंथ मध्य प्रदेश में पहली बार देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर को 1992 में प्रस्तुत किया।

6. शोध-ग्रंथ हिंदी में

चिकित्सा शिक्षा को हिंदी भाषा में संवर्धन हेतु संगोष्ठी तथा एम.डी. के शोध-ग्रंथ हिंदी में लिखने वालों का सम्मान।

7. हिंदी में चिकित्सा पाठ्यक्रमों का निर्माण

विश्वविद्यालय की हिंदी माध्यम से चिकित्सा शिक्षा प्रारंभ करने की प्रमुख चुनौती हैं : हिंदी भाषा में साहित्य की अनुपलब्धता तथा पाठ्यक्रमों का अंग्रेज़ी भाषा में होना। विश्वविद्यालय ने इस कठिनाई को दूर करने के लिए पाठ्यक्रमों का निर्माण प्रारंभ करवाया हैं। अनेक पाठ्यक्रम बन चुके हैं। इस क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हो रही हैं।

8. हिंदी माध्यम में चिकित्सा विज्ञान के अध्ययन–अध्यापन की प्रासंगिकता विषयक संगोष्ठी

चिकित्सा विज्ञान संस्थान, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी द्वारा 16-17 फरवरी, 2008 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तत्त्वावधान में एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई, जिसका विषय था 'हिंदी माध्यम में

चिकित्सा विज्ञान के अध्ययन-अध्यापन की प्रासंगिकता।'

9. मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर / ऐतिहासिक फ़ैसला

सभी चिकित्सा परीक्षाओं का माध्यम अंग्रेज़ी के साथ हिंदी भी : मध्य प्रदेश में राज्य सरकार की ओर से मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर इस क्षेत्र में एकमात्र शासकीय विश्वविद्यालय है, जिसने चिकित्सा के सभी पाठ्यक्रमों में अंग्रेज़ी माध्यम के साथ साथ-परीक्षा में हिंदी माध्यम भी स्वीकृत कर दिया है। विश्वविद्यालय के इस आदेश की घोषणा से पूरे हिंदी जगत में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई।

10. चिकित्सा शिक्षण द्विभाषीय माध्यम से

अंग्रेज़ी एवं हिंदी माध्यम दोनों से चिकित्सा शिक्षा में स्नातक स्तर के शिक्षण के संबंध में शिक्षकों से वार्ता की गई तथा उन्हें बताया गया कि हिंदी माध्यम से उत्तीर्ण 10+2 के छात्र एवं ग्रामीण पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को अंग्रेज़ी माध्यम से चिकित्सा शिक्षा समझ में कम आती है, जिससे उन्हें विषय का सही ज्ञान नहीं हो पाता। उनसे आग्रह किया गया कि वह अपनी कक्षा में हिंदी एवं अंग्रेज़ी दोनों माध्यमों का उपयोग करें, जिससे कि विद्यार्थी चिकित्सा के विषय को आसानी से समझ सकें। हिंदी पट्टी के अधिकांश चिकित्सा शिक्षक इस बात से सहमत थे तथा उन्होंने यह बताया कि सामान्य रूप से शिक्षक अपने चिकित्सा विषय को 60–70 % अंग्रेज़ी में व 30-40% हिंदी में ही पढ़ाते हैं। वे धीरे-धीरे हिंदी माध्यम वाले प्रतिशत को बढ़ाने के पक्ष में थे। इस प्रकार आज अधिकांश हिंदी पट्टी के चिकित्सा महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में संपूर्ण शिक्षण अंग्रेज़ी माध्यम से नहीं होता। विद्यार्थियों की चिकित्सा की व्यावहारिक तथा मौखिक परीक्षा में हिंदी का प्रयोग बढ़ने लगा है। जैसे-जैसे चिकित्सा की पुस्तकें हिंदी माध्यम से आने लगेंगी, शिक्षक चिकित्सा शिक्षण में हिंदी माध्यम का प्रतिशत बढ़ाने लगेंगे।

सुझाव

विभिन्न चिकित्सा पाठ्यक्रमों में अभी हिंदी माध्यम की पुस्तकों का अभाव है। इसलिए अब हमारा ध्यान अधिक से अधिक संख्या में हिंदी भाषा की पुस्तकें लिखने/लिखवाने पर देना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेई हिंदी विश्व-विद्यालय, भोपाल में इस दृष्टि से कई संगोष्ठियां आयोजित की गईं तथा चिकित्सा शिक्षकों की हिंदी माध्यम से पुस्तकें लिखने की मानसिकता बनाने का प्रयत्न किया गया हैं। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा भी 21– 22 जून 2018 को आयोजित संगोष्ठी में हिंदी माध्यम से पुस्तकें लिखवाने की योजना बनाई गई है। मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर के द्वारा हिंदी माध्यम से परीक्षा में लिखने की छूट देने के बाद हिंदी पट्टी के अन्य विश्वविद्यालय भी ऐसे ही आदेश निकालने की सोच रहे हैं। फिर भी हिंदी सेवियों को अपने–अपने स्तर पर चिकित्सा विश्वविद्यालय, महाविद्यालय तथा शिक्षकों पर हिंदी भाषा का दबाव बनाए रहना चाहिए।

अनुशंसा-6

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय हिंदी चिकित्सा प्रकोष्ठ का गठन किया जाए।

सामान्य रूप से कहा जाता है कि केवल मज़बूत चिकित्सा शिक्षा की नींव पर ही सफल चिकित्सा की जा सकती है। मज़बूत चिकित्सा शिक्षा की नींव केवल अपनी मातृभाषा में शिक्षा देने पर ही रखी जा सकती है। देश में चिकित्सा शिक्षा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, भारतीय नर्सिंग परिषद्, भारतीय दंत परिषद् एवं भारतीय औषध परिषद् तथा भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् (सीसीआईएम) द्वारा नियंत्रित की जा रही हैं। परंतु, 71 वर्ष की स्वतंत्रता के बाद भी ये संस्थान मातृभाषा में चिकित्सा शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, जबकि विश्व के सभी विकसित देश जैसे जापान, जर्मनी, चीन, फ़्रांस, रूस, इज़रायल आदि अपनी भाषा में ही चिकित्सा शिक्षा प्रदान कर रहे हैं।

भारतीय चिकित्सा शिक्षा संसाधनों के असमान वितरण, निजी क्षेत्र में चिकित्सा महाविद्यालयों की अनियमित वृद्धि, महंगी चिकित्सा शिक्षा, शिक्षा का अंग्रेज़ी माध्यम, भारतीय चिकित्सा विधि के अनुसार चिकित्सा पाठ्यक्रम का अभाव, चिकित्सकों की ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं देने में अरुचि आदि चिकित्सा शिक्षा की प्रमुख समस्याएं हैं, जिनका समाधान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय हिंदी चिकित्सा प्रकोष्ठ के गठन द्वारा संभव है, जो समय-समय पर सभी नियामक संस्थाओं से समन्वय कर समग्र चिकित्सा की चिंता करते हुए मातृभाषा में शिक्षण की सुविधा प्रदान करने की व्यवस्था कर सके।

क्रियान्वयन

इस अनुशंसा की अनुपालना के लिए माननीय केंद्रीय मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को पत्र लिखा गया है, परंतु अभी इस पर निर्णय प्रक्रियाधीन है।

दसवां विश्व हिंदी सम्मेलन अनुशंसा अनुपालन समिति
विषय : विज्ञान के क्षेत्र में हिंदी
श्रीमती सुषमा स्वराज
माननीय विदेश मंत्री, अध्यक्ष

1. डॉ. हर्षवर्धन
माननीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री, सदस्य

2. डॉ. मोहन लाल छीपा,
पूर्व कुलपति अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विवि भोपाल, सदस्य
अणुडाक : mchhipa@rediffmail.com चल दूरभाष : 9425018651
483, एकता ब्लाक, महावीर नगर, टोंक रोड, जयपुर 302018

प्रति, श्री जे पी नड्ढा 									दिनांक 25-05-2018

माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री

7-बी, मोती लाल नेहरू मार्ग, नई दिल्ली

विषय : स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय हिंदी चिकित्सा प्रकोष्ठ का गठन तथा अन्य अनुशंसाओं पर अनुपालना बाबत।

महोदय,

सामान्य रूप से कहा जाता है कि केवल मज़बूत चिकित्सा शिक्षा की नींव पर ही सफल चिकित्सा की जा सकती है। मज़बूत चिकित्सा शिक्षा की नींव केवल अपनी मातृभाषा में शिक्षा देने से ही हो सकती है। देश में चिकित्सा शिक्षा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, भारतीय नर्सिंग परिषद्, भारतीय दंत परिषद् एवं भारतीय औषध परिषद् द्वारा नियंत्रित की जा रही हैं। परंतु 70 वर्ष की स्वतंत्रता के बाद भी ये संस्थान मातृभाषा में चिकित्सा शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, जबकि विश्व के सभी विकसित देश जैसे जापान, जर्मनी, चीन, फ्रांस, रूस, इज़रायल आदि अपनी भाषा में ही चिकित्सा शिक्षा प्रदान कर रहे हैं।

भारतीय चिकित्सा शिक्षा संसाधनों के असमान वितरण, निजी क्षेत्र में चिकित्सा महाविद्यालयों की अनियमित वृद्धि, महंगी चिकित्सा शिक्षा, शिक्षा का अंग्रेज़ी माध्यम, भारतीय चिकित्सा विधि के अनुसार चिकित्सा पाठ्यक्रम का अभाव, चिकित्सकों की ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं देने में अरुचि आदि चिकित्सा शिक्षा की प्रमुख समस्याएं हैं, जिनका समाधान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय हिंदी चिकित्सा प्रकोष्ठ के गठन द्वारा संभव है।

पूर्व में मैंने आपसे कुलपति अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विवि भोपाल के रूप में पत्र-व्यवहार करके तथा व्यक्तिगत रूप से भेंट कर चिकित्सा शिक्षा हिंदी माध्यम से प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान करने हेतु आग्रह किया था, परंतु अभी तक इस संबंध में कोई सार्थक प्रयास नहीं हो पाया है।

आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि भोपाल में आयोजित 10वें विश्व हिंदी सम्मलेन के 'विज्ञान के क्षेत्र में हिंदी' विषयक सत्र में आपके विभाग से संबंधित अनुशंसाएं निम्न हैं —

1. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय हिंदी चिकित्सा प्रकोष्ठ का गठन किया जाए।

2. देश के सभी वैज्ञानिक, चिकित्सा एवं अभियांत्रिकी प्रयोगशालाओं एवं संस्थानों में विज्ञान-संचार इकाई की स्थापना की जाए एवं विज्ञान-संचार के लिए विज्ञान प्रयोगशालाओं में पदों का सृजन किया जाए।

3. चिकित्सा क्षेत्र में नियामक संस्थाओं द्वारा एक निश्चित समयसीमा में सभी चिकित्सा परीक्षाओं में हिंदी भाषा में लिखने की छूट प्राप्त हो। चिकित्सा शिक्षण द्विभाषीय माध्यम से हो।

4. उच्च चिकित्सा व तकनीकी शिक्षा-लेखन मिशन की स्थापना की जाए।

5. अवकाश-प्राप्त चिकित्सकों को शिक्षण-संस्थानों में लोकप्रिय व्याख्यानों के लिए आमंत्रित किया जाए।

आपके अधीन विभागों द्वारा इस संबंध में कोई अनुपालना की गई हो या इस संबंध में कोई प्रगति हुई हो तो उसकी जानकारी अणुडाक/स्पीड पोस्ट से 8 जून, 2018 तक भेजने के आदेश देने का कष्ट करें, जिससे कि 'विज्ञान के क्षेत्र में हिंदी' विषयक प्रतिवेदन में अनुपालनाएं शामिल कर 18 से 20, अगस्त 2018 को मॉरीशस में होने वाले 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन में उसकी जानकारी दी जा सके।

सादर!

भवदीय

(प्रो. मोहन लाल छीपा)

अनुशंसा-7

उच्च चिकित्सा व तकनीकी शिक्षा लेखन मिशन की स्थापना की जाए।

गत कुछ वर्षों से देश में हिंदी में कार्य करने, हिंदी में अध्ययन, अध्यापन कराने का वातावरण बनने लगा है। परंतु हिंदी माध्यम की मांग की तुलना में हिंदी की पुस्तकों का अभाव है। अतः चिकित्सा एवं तकनीकी पुस्तकों के प्रकाशन हेतु उच्च चिकित्सा व तकनीकी शिक्षा लेखन मिशन की स्थापना की जानी चाहिए।

चिकित्सा व तकनीकी लेखन मिशन के उद्देश्य व संरचना तैयार करने की दृष्टि से चिकित्सा व तकनीकी लेखन से संबंधित संगोष्ठियों में विषय रखा तथा कई विद्वानों से चर्चा करते हुए लेखन मिशन की रूपरेखा बनाई गई, जो निम्न प्रकार है :

लेखन मिशन का परिचय

उच्च चिकित्सा व तकनीकी शिक्षा लेखन मिशन एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था होगी, जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में चिकित्सा व तकनीकी विषयों के लेखन का कार्य करेगी। यह मौलिक लेखन के माध्यम से भारत के विद्यार्थियों, शोधार्थियों, शिक्षकों को हिंदी भाषा में चिकित्सा तकनीकी पाठ्यक्रमों की सभी पुस्तकें उपलब्ध कराएगा।

अनुशंसा-8

अवकाश-प्राप्त चिकित्सकों को शिक्षण-संस्थानों में लोकप्रिय व्याख्यानों के लिए आमंत्रित किया जाए।

चिकित्सा शिक्षा का हिंदीकरण करने तथा चिकित्सा शिक्षण व चिकित्सा प्रैक्टिस की भाषा में समानता स्थापित करने की दृष्टि से विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय से सेवानिवृत्त चिकित्सकों को हिंदी में व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया जाना चिकित्सा शिक्षा व चिकित्सा विद्यार्थियों के हित में होगा।

उक्त अनुशंसा की अनुपालना के लिए निम्न कार्यवाही की गई हैं :

सभी मेडिकल विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को पत्र भेजकर उक्त अनुशंसा की जानकारी दी गई है।

चिकित्सा की नियामक संस्थाओं को भी इस अनुशंसा की जानकारी दी गई है।

चिकित्सा विषय से जुड़ी सभी वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं के निदेशकों से भी आग्रह किया है।

सेवानिवृत्त, कार्यरत तथा निजी प्रैक्टिस कर रहे चिकित्सक, जो हिंदी भाषा में भाषण कर सकते है, उनका एक राष्ट्रीय रजिस्टर तैयार किया जा रहा है।

हिंदी माध्यम से चिकित्सा के किसी भी विषय पर लिख रहे लेखकों की सूची तैयार की जा रही है।

विकिपीडिया विभिन्न शिक्षण संस्थानों में समय-समय पर व्याख्यान आयोजित करते हैं, जिससे छात्र-छात्राओं ही नहीं वरन हिंदी-भाषी प्रेमियों को यथा उचित लाभ मिलता है।

सुझाव

संपर्क के दौरान एक सुझाव आया कि इस समय बाज़ार प्रत्येक वस्तु की मांग निर्धारित कर रहा है, अतः हिंदी माध्यम से चिकित्सा शिक्षा की मांग बढ़ाने के लिए सर्वप्रथम छात्रों को वार्षिक परीक्षा में अंग्रेज़ी के साथ हिंदी भाषा में भी लिखने की छूट मिलनी चाहिए। यह छूट मिलते ही हिंदी में पुस्तकों तथा हिंदी में व्याख्यानों की मांग अपने आप बढ़ेगी।

मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर बधाई का पात्र है, जिसने सर्वप्रथम के सभी चिकित्सा-पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों को अंग्रेज़ी के साथ -साथ हिंदी में लिखने की छूट प्रदान की है, इस निर्णय को भारत के अन्य

विश्वविद्यालयों में क्रियान्वित कराया जाना चाहिए तथा सभी नियामक चिकित्सा संस्थाओं को भी इसकी जानकारी दी जानी चाहिए।

अनुशंसा-9

वैज्ञानिक एवं शब्दावली आयोग, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली का निर्माण एवं परिभाषा कोश का निर्माण कार्य करता है। इस कार्य को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत संचालित किया जाए।

इस अनुशंसा से संबंधित तीन विभाग हैं अतः मानव संसाधन विकास मंत्रालय, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के उच्चाधिकारियों द्वारा बैठकर निर्णय लिया जाना अपेक्षित है, अतः तीनों संस्थानों को पत्र भेजा गया हैं। निर्णय प्रक्रियाधीन है।

साठ वर्षों में वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा की गई तथा इसकी क्षमता का अनुमान लगाया गया।

विज्ञान व तकनीकी विषयों के अब तक स्पर्श नहीं किए गए आयामों को चिह्नित कर उपलब्ध अंतरालों की जानकारी प्राप्त की गई।

विज्ञान व तकनीकी क्षेत्र के हिंदी माध्यम की आवश्यक पाठ्य-पुस्तकों के विषयों की जानकारी प्राप्त की गई।

विज्ञान व तकनीकी क्षेत्र में हिंदी माध्यम से कार्य कर रहे संस्थानों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों की सूची बनाई गई।

विज्ञान व तकनीकी क्षेत्र में हिंदी माध्यम से कार्य कर रहे विद्वानों की सूची बनाई गई।

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली की तरह ही Wikipedia पर एक परियोजना उपलब्ध है, जिसे विक्षनरी (https://hi.wiktionary.org) कहते हैं। इस परियोजना का उद्देश्य एक निःशुल्क बहुभाषी शब्दकोश का निर्माण करना है।

इसमें हिंदी के साथ-साथ अन्य किसी भी भाषा के शब्दों को देख सकते हैं, जिसकी जानकारी और उदाहरण हमें हिंदी भाषा में मिलेगा। इस परियोजना का लक्ष्य केवल शब्दकोश की ही जानकारी देना नहीं है बल्कि शब्द के उपयोग और उसके उदाहरण आदि से भी है, जिससे आम पाठक उस शब्द को आसानी से समझ सके।

सुझाव

इस संस्था की कार्य-प्रणाली को देखते हुए यह आवश्यक है कि विज्ञान व तकनीकी विषय से संबंधित शब्दकोश निर्माण, पाठ्य-पुस्तक निर्माण, शोध-पत्रिका प्रकाशन का एक प्रकोष्ठ बनाकर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया जाए, क्योंकि विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में हिंदी में उपर्युक्त कार्य कम हुआ है। यदि विज्ञान एवं तकनीकी शब्दावली आयोग या इसके कुछ कार्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय को हस्तांतरित करने में समय लगता है, तो इस संस्था की कार्यप्रणाली ठीक करने के लिए एक कार्य संस्कृति प्रकोष्ठ की स्थापना कर इसके कार्यों को गति दी जाए।

अनुशंसा-10

मौलिक विज्ञान लेखन को हिंदी में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के नवीन एवं समसामायिक विषयों पर योजनाबद्ध तरीक़े से पुस्तकों को विकसित किया जाए।

मौलिक विज्ञान लेखन को हिंदी में प्रोत्साहित करने तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के नवीन एवं समसामायिक विषयों पर योजनाबद्ध तरीक़े से पुस्तकों को विकसित करने की दृष्टि से निम्न कार्य किए गए :

अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा किए गए कार्य

1. भाषा एवं अनुवाद विभाग, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, भोपाल द्वारा 7 मार्च, 2015 को चिकित्सा एवं अभियांत्रिकी पाठ्य-सामग्री

लेखन कार्यशाला का आयोजन किया गया।

2. भाषा एवं अनुवाद विभाग, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, भोपाल द्वारा 19 दिसंबर, 2015 हिंदी माध्यम से चिकित्सा शिक्षा पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। जिसमें मुख्य अतिथि माननीय राम नरेश यादव, राज्यपाल, मध्य प्रदेश रहे तथा उपस्थित चिकित्सक शिक्षकों ने हिंदी में मौलिक चिकित्सा पुस्तकों के लिखने की योजना बनाई।

3. भाषा एवं अनुवाद विभाग, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, भोपाल द्वारा 21 दिसंबर, 2016 को चिकित्सा व अभियांत्रिकी विज्ञान, योग, कृषि, प्रबंधन विषयों की मौलिक लेखन एवं अनुवाद कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें चिकित्सा, अभियांत्रिकी, प्रबंधन, कृषि एवं योग जैसे विषयों पर हिंदी माध्यम से पाठ्य-पुस्तकें लिखने हेतु सुझाव दिए गए।

4. भाषा एवं अनुवाद विभाग, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, भोपाल द्वारा मानव भ्रूण का विकास विषयक मौलिक पुस्तक का लेखन कराया गया. जिसके लेखक डॉ. विपिन चतुर्वेदी हैं।

5. भाषा एवं अनुवाद विभाग, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, भोपाल द्वारा अंकीय मापन तकनीक पुस्तक का मौलिक लेखन कराया गया जिसके लेखक डॉ. टी.एन. राठौर हैं।

6. भाषा एवं अनुवाद विभाग, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, भोपाल द्वारा 8-9 मार्च, 2018 को चिकित्सा व अभियांत्रिकी पाठ्यसामग्री लेखन की कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि श्री जयभान सिंह पवैया, उच्च शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश एवं अध्यक्ष प्रो. अवनीश कुमार, निदेशक पारिभाषिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, नई दिल्ली थे।

विकिपीडिया (Wikipedia) समय-समय पर विभिन्न विषयों पर लेख

प्रतियोगिताएं आयोजित करता है जो कि मौलिक विज्ञान ही नहीं, बल्कि अन्य विषयों पर भी हिंदी में प्रतिभागियों को लिखने हेतु प्रोत्साहित करती हैं। इसके अतिरिक्त विज्ञान एवं तकनीकी के विषय में हिंदी विकिपीडिया में एवं हिंदी विकि विश्वविद्यालय (विकि विश्वविद्यालय एक विकिमीडिया फाउंडेशन परियोजना है जो सभी स्तरों, प्रकारों और शिक्षा की सामग्री को मुफ़्त में उपलब्ध कराती हैं।) परियोजना में पर्याप्त मात्रा में विज्ञान एवं तकनीकी विषय पर सामग्री उपलब्ध है एवं यह निरंतर बढ़ती जा रही है।

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार :

गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा आधुनिक तकनीकी/विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तकनीकी/विज्ञान विषय में प्रमुख हैं : इंजीनियरी, इलैक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर विज्ञान, भौतिकी, जीवविज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, ऊर्जा, आयुर्विज्ञान, रसायन विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी आदि। राजभाषा विभाग समसामयिक विषयों पर जैसे उदारीकरण, भूमंडलीकरण, उपभोक्तावाद, मानव अधिकार, प्रदूषण आदि पर मौलिक पुस्तक लेखन अपने वालों को भी पुरस्कार प्रदान करता है।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली : अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् भारत सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन करते हुए हिंदी में विभिन्न तकनीकी विषयों की उत्कृष्ट स्तर की मूल तथा अनूदित पाठ्य- पुस्तकें उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा हिंदी की तकनीकी पाठ्य-पुस्तक पुरस्कार योजना के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित करती है। यह योजना स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा स्तर की हिंदी में, आईटीआई तकनीशियन स्तर की अंग्रेज़ी तथा अन्य भाषा से अनूदित तकनीकी पाठ्य-पुस्तकों के लिए हिंदी में आईटीआई तकनीशियन स्तर की तकनीकी पाठ्य-पुस्तकों हेतु मौलिक पुस्तक लेखन पर पुरस्कार प्रदान करती है। इस

योजना के संबंध में विस्तार से इनके वेब स्थल www.aicte-india.org पर देखा जा सकता है।

केंद्रीय हिंदी संस्थान द्वारा मौलिक लेखन के लिए पुरस्कार

केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में मौलिक लेखन-कार्य करने के लिए आत्माराम सम्मान पुरस्कार प्रदान करता है, कृषि विज्ञान के क्षेत्र में सरदार वल्लभ भाई पटेल पुरस्कार तथा पर्यावरण के क्षेत्र में महापंडित राहुल सांकृत्यायन पुरस्कार प्रदान करता हैं।

इस्पात मंत्रालय द्वारा मौलिक लेखन पर पुरस्कार

भारत सरकार का इस्पात मंत्रालय भी लोह एवं इस्पात क्षेत्र से संबंधित विषयों पर मौलिक पुस्तकें हिंदी में लिखने पर पुरस्कार प्रदान करता है। विस्तृत जानकारी इस्पात मंत्रालय के वैबस्थल www.steel.nic.in इन पर उपलब्ध है।

मौलिक लेखन पर अन्य पुरस्कार

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली : कृषि और संबद्ध विज्ञानों में हिंदी में तकनीकी पुस्तकों के लिए डॉ. राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार।

डॉ. जगदीश चंद्र बोस हिंदी ग्रंथ लेखन पुरस्कार : बायोटेक्नोलॉजी विभाग डॉ. जगदीश चंद्र बोस हिंदी ग्रंथ लेखन पुरस्कार योजना के लिए केवल भारत के नागरिकों से जैवप्रौद्योगिकी से संबंधित विषयों पर प्रकाशित मौलिक हिंदी पुस्तकें निर्धारित आवेदन प्रोफ़ॉर में आमंत्रित करता है।

इंफ़ोसिस साइंस फाउंडेशन (Infosys Science Foundation) प्रतिवर्ष इंफोसिस पुरस्कार प्रदान करता है। इन सम्मानों का यह नौवां वर्ष है। इंफोसिस साइंस फाउंडेशन ने इस वर्ष जिन व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए चुना है, वे विभिन्न क्षेत्रों इंजीनियरिंग और कंप्यूटर विज्ञान, मानविकी, जीवन विज्ञान, गणितीय विज्ञान, शारीरिक विज्ञान व सामाजिक विज्ञान से संबंधित हैं।

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की तकनीकी मौलिक लेखन पुरस्कार योजना : तकनीकी रेल विषयों पर हिंदी में मौलिक लेखन पुस्तकों के लिए लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी मौलिक लेखन पुरस्कार योजना रेलवे से संबंधित तकनीकी विषयों पर मूल रूप से हिंदी में पुस्तक लेखन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की यह योजना लागू है।

विज्ञान परिषद् प्रयाग सम्मान और पुरस्कार : संस्थान स्वयं विज्ञान लेखन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करता हैं।

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की पृथ्वी विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन योजना : विज्ञान से संबंधित मूल रूप से हिंदी में पुस्तकें प्रोत्साहित करने के लिए मंत्रालय ने कतिपय संशोधनों के साथ नवीनीकरण किया है। इस योजना का उद्देश्य विज्ञान तथा पृथ्वी विज्ञान से संबंध मूल रूप से हिंदी में पुस्तकें प्रोत्साहित करना हैं। इस योजना के अंतर्गत उन भारतीय लेखकों को सम्मानित किया जाता है, जो हिंदी में मौलिक लेखन करते हैं। इस उद्देश्य के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय एवं इनके अधीनस्थ संस्थाओं द्वारा उन प्रकाशित पुस्तकों को शामिल करते हैं जो समुद्र के सजीव व निर्जीव संसाधन, जल प्रदूषण नियंत्रण तथा समुद्री ताप ऊर्जा रूपांतरण, मौसम विज्ञान पर अनुसंधान करते हैं।

उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, लखनऊ

उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए कार्यरत प्रमुख संस्था है। यह उत्तर प्रदेश शासन के भाषा विभाग के अधीन है। अन्य कार्यक्रमों के अलावा हिंदी के प्रचार-प्रसार हेतु विभिन्न क्षेत्रों में योगदान के लिए साहित्यकारों को यह कई पुरस्कार भी प्रदान करती है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के 149 नवीन एवं समसामायिक विषयों की सूची बनाई गई। इस सूची में और अधिक विषय जोड़े जा सकते हैं तथा इन विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तकें लिखी जा रही हैं।

चूंकि, हिंदी के प्रकाशन क्षेत्र में प्रचार-प्रसार को उतनी अहमियत नहीं दी जाती है, इसलिए होता यह है कि ये पुस्तकें प्रकाशन के बावजूद अचर्चित रह जाती हैं और ज़रूरतमंद पाठकगण इनका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। इसी समस्या को दृष्टिगत रखते हुए 'साइंटिफ़िक वर्ल्ड' ने 2009 से अपने मंच से विज्ञान विषय की पुस्तकों की परिचयात्मक समीक्षा प्रकाशित करने का निर्णय लिया था।

मुफ़्त डाउनलोड किए जाने वाली विज्ञान पुस्तकों की सूची बनाई गई।

पर्यावरण विज्ञान तथा अन्य वैज्ञानिक समसामयिक विषयों से संबंधित प्रकाशित पुस्तकों की सूची बनाई गई। निजी प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित विज्ञान विषयक पुस्तकों की सूची बनाई गई जिनमें वाणी प्रकाशन, राजकमल प्रकाशन, प्रभात प्रकाशन, नेशनल बुक ट्रस्ट आदि प्रमुख हैं।

सुझाव

अब विज्ञान में भी हिंदी माध्यम से लेखन-कार्य प्रारंभ हो गया है। उपर्युक्त पुस्तकें व्यक्तिगत एवं विभिन्न प्रकाशकों की सहायता से लिखी गई हैं। ये पुस्तकें अधिकांश संदर्भ पुस्तकें हैं। प्रारंभ में विज्ञान के क्षेत्र में समसामयिक विषयों पर संदर्भ पुस्तकें ही लिखी जानी हैं, परंतु आवश्यकता इस समय महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय स्तर पर विज्ञान के विभिन्न विषयों की पाठ्य-पुस्तकों की है। विश्वविद्यालय स्तर पर भी स्नातक स्तर की पाठ्य-पुस्तकें हिंदी में कुछ उपलब्ध हो जाती हैं, परंतु स्नातकोत्तर स्तर की पुस्तकें अभी भी उपलब्ध नहीं हैं। इसका मूल कारण विश्वविद्यालय स्तर पर परीक्षा में हिंदी माध्यम की स्वीकृति नहीं है। इस दृष्टि से सर्वप्रथम विश्वविद्यालयों में सभी विद्यार्थियों को अंग्रेज़ी के साथ-साथ हिंदी में लिखने का विकल्प देना होगा, उसके बाद हिंदी माध्यम से पुस्तकों की मांग बढ़ेगी। शोध स्तर की पुस्तकें तो हिंदी माध्यम में नगण्य हैं। इसलिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के स्तर पर शिक्षकों के द्वारा पुस्तकें लिखना अनिवार्य करना होगा। उनकी प्रथम नियुक्ति तथा पदोन्नति के समय इस विषय को आवश्यक बनाना होगा। इस दृष्टि से प्रथम नियुक्ति के समय

प्रत्येक शिक्षक की कम से कम पांच पुस्तकें तथा पदोन्नति के समय प्रतिवर्ष एक पुस्तक अपने विषय की लिखना अनिवार्य होगा। सभी वैज्ञानिक संस्थानों/ प्रयोगशालाओं में भी इस नीति को लागू करना होगा।

अनुशंसा-11

हिंदी में लेखन करते हुए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लोकप्रिय एवं प्रचलित अंतरराष्ट्रीय शब्दों के यथारूप देवनागरी लिपि में मानक शब्दों के साथ दिए जाने की स्वीकार्यता मिले।

उपर्युक्त अनुशंसा की अनुपालना कार्य में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विश्वविद्यालय शिक्षक, वैज्ञानिक संस्थानों तथा प्रयोगशालाओं के वैज्ञानिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, राष्ट्रीय अनुवाद मिशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अखिल भारतीय शिक्षक शिक्षा परिषद्, चिकित्सा शिक्षा से जुड़ी नियामक संस्थाएं आदि शामिल हैं। इस दृष्टि से इन संस्थाओं से संबंधित मंत्रालय, तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपतियों, नियामक संस्थाओं के अध्यक्षों आदि को दसवें विश्व हिंदी सम्मेलन के विज्ञान के क्षेत्र में हिंदी विषयक सत्र की अनुशंसा की जानकारी दी गई।

अस्तु, अभी इस संबंध में निम्नकार्य करने की आवश्यकता है। सर्वप्रथम, हमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विभिन्न विषयों के प्रचलित अंतरराष्ट्रीय शब्दों को चिह्नित करना होगा। तत्पश्चात् देवनागरी में उन शब्दों की उपलब्धता को देखना होगा, इस कार्य को करने के उपरांत वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, जो देश का एकमात्र संस्थान पारिभाषिक कोश व शब्दकोश बनाने के लिए अधिकृत है, से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग की स्वीकृति के पश्चात विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लेखक प्रचलित अंतरराष्ट्रीय शब्दों का उपयोग कर पाएंगे।

इस क्षेत्र में अब तक निम्नलिखित कार्य किए जा चुके हैं :

1. विकिपीडिया

विज्ञान एवं प्रौद्यौगिकी के लोकप्रिय शब्दों तथा प्रचलित अंतरराष्ट्रीय शब्दों के यथारूप देवनागरी लिपि में मानक शब्दों के साथ दिए जाने की स्वीकार्यता पर विकिपीडिया समुदाय में समय समय पर चर्चा होती रहती है एवं जिसके परिणाम से विकिपीडिया लेख की भाषा शुद्धता पर सतत प्रयास करता रहता है।

2. वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली (सीएसटीटी) आयोग

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली (सीएसटीटी) आयोग हिंदी और अन्य सभी भारतीय भाषाओं के वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दों को परिभाषित एवं नए शब्दों का विकास करता है। सीएसटीटी की वैबस्थल पर अंग्रेज़ी और हिंदी के तकनीकी शब्दकोशों या शब्दावलियों, अंग्रेज़ी-क्षेत्रीय भाषा तकनीकी शब्दकोशों या शब्दावलियों के निर्माण-संबंधी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई है। उस पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों, संगोष्ठियों और सम्मेलनों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अंग्रेज़ी-हिंदी शब्दावलियों, अंग्रेज़ी-क्षेत्रीय भाषा शब्दावलियों, त्रिभाषी शब्दावलियों इत्यादि शब्दावली एवं शब्दकोश के बारे में जानकारी भी उपलब्ध कराई गई हैं।

3. अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक शब्दावली से हिंदी का जुड़ाव

अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक शब्दावली (International Scientific Vocabulary आईएसवी) में वैज्ञानिक और विशिष्ट शब्द शामिल होते हैं, जिनकी उत्पत्ति की भाषा निश्चित हो सकती है या नहीं भी हो सकती है, लेकिन जो कि कई आधुनिक भाषाओं (यानी, अनुवादित रूप से) में वर्तमान उपयोग में हैं। 'अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक शब्दावली' नाम का इस्तेमाल पहली बार वेबस्टर के थर्ड न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी (1961) में फिलिप गोवे द्वारा किया गया था। एक आईएसवी शब्द आम तौर पर एक शास्त्रीय यौगिक या मूल धातु से लिया शब्द होता है, जो एक अनिर्मित शब्द है, इसलिए प्राचीन शब्द से इसकी शब्द-

संरचना अन्य अंतरराष्ट्रीय भाषाओं में भिन्न हो सकती है।

आईएसवी इंटरलिंग्वा नामक निर्मित भाषा के विकास और मानकीकरण के पीछे की अवधारणाओं में से एक है। इंटरलिंग्वा में वैज्ञानिक और चिकित्सा शब्द काफ़ी हद तक ग्रीको-लैटिन मूल के हैं, लेकिन अधिकांश इंटरलिंग्वा शब्दों की तरह, वे विभिन्न भाषाओं की एक विस्तृत शृंखला में दिखाई देते हैं। इंटरलिंग्वा की शब्दावली चयनित नियंत्रित भाषाओं के समूह का उपयोग करके स्थापित की जाती है, क्योंकि वे शब्दों को प्रसारित करते हैं और अन्य भाषाओं की बड़ी संख्या में शब्दों को आत्मसात करते हैं। यह प्रक्रिया इंटरलिंग्वा को सबसे आम तौर पर अंतरराष्ट्रीय शब्दावली देने के लिए है। संस्कृत एवं हिंदी भाषा को इंटरलिंग्वा से जोड़ा जा सकता है, क्योंकि ये प्राचीन वैज्ञानिक भाषाएं हैं।

सुझाव

हिंदी में लेखन करते हुए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लोकप्रिय एवं प्रचलित अंतरराष्ट्रीय शब्दों को यथारूप देवनागरी लिपि में मानक शब्दों के साथ स्वीकार्यता की बात कही गई है परंतु हिंदी भाषा का विकास अधिक तब होगा जब वह अपने शब्दों का उपयोग करेगी। सामान्य तौर पर हिंदी के पास सभी तरह के शब्द हैं, परंतु उन शब्दों का उपयोग अधिक नहीं होने के कारण प्रथम बार उपयोग करते समय काफ़ी कठिन लगते हैं।

एक बार श्री अटल बिहारी वाजपेई जी ने संसद में कहा था कि जब तक किसी व्यक्ति को तालाब में डाला नहीं जाता तब तक वह तैरना नहीं सीख सकता, इसलिए हिंदी को विकसित करने के लिए उसका उपयोग बढ़ाना पड़ेगा। हम सब जानते हैं कि हिब्रू भाषा मृतभाषा हो गई थी परंतु आज उस भाषा में कई नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो गए हैं। तुर्की भाषा की भी यही कहानी है। इसका विकास तीव्र राजनीतिक इच्छाशक्ति के आधार पर हुआ। इसलिए पहले अपने प्राचीन ज्ञान के ख़ज़ाने के आधार पर नए शब्दों के निर्माण-कार्य को आगे बढ़ाओ, फिर

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लोकप्रिय प्रचलित अंतरराष्ट्रीय शब्दों के यथारूप देवनागरी लिपि में प्रयोग किए जा सकते हैं। इस दृष्टि से सभी विश्वविद्यालयों द्वारा संबंधित विषय-विशेषज्ञों की एक छोटी कार्यशाला आयोजित कर उन शब्दों की चयन- प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है।

अनुशंसा-12

हिंदी में विज्ञान लेखन के क्षेत्र में संस्थागत और व्यक्तिगत रूप से किए जाने वाले प्रयासों का संकलन किया जाए ताकि वर्तमान स्थिति का आंकलन हो सके और भविष्य में किए जाने वाले कार्यों की रूपरेखा स्पष्ट हो सके।

हिंदी में विज्ञान लेखन के क्षेत्र में संस्थागत और व्यक्तिगत रूप से किए जाने वाले प्रयासों का संकलन करने की दृष्टि से इनको वर्गीकृत किया गया। संस्थागत क्षेत्र में भारत में संचालित विश्वविद्यालय, वैज्ञानिक संस्थान, शोध संस्थान, एनजीओ, प्रकाशकों तथा प्रयोगशालाओं द्वारा अपने मंच से किए गए विज्ञान-लेखन से है तथा व्यक्तिगत रूप में इन संस्थाओं में कार्यरत तथा सेवानिवृत व अन्य लोगों द्वारा किए गए विज्ञान लेखन से है।

क्रियान्वयन की दृष्टि से विज्ञान से संबंधित मंत्रालयों, विश्वविद्यालयों, वैज्ञानिक संस्थानों, शोध-संस्थानों, एनजीओ तथा प्रयोगशालाओं को तथा इन संस्थानों में कार्यरत तथा सेवानिवृत्त व अन्य लोगों को इस क्षेत्र में किए गए कार्यों की जानकारी लेने हेतु पत्र लिखे तथा व्यक्तिगत संपर्क किया।

पिछले एक दशक में हिंदी में विज्ञान के विविध विषयों पर अनेकानेक पुस्तकों का प्रकाशन हुआ है। इन पुस्तकों के प्रकाशन में जहां एक ओर नेशनल बुक ट्रस्ट और विज्ञान-प्रसार जैसे समर्पित नाम शामिल हैं, वहीं अनेक छोटे-छोटे एवं मझोले प्रकाशकों ने भी हाल के वर्षों में विज्ञान की अनेक उत्कृष्ट पुस्तकों का प्रकाशन कर हिंदी विज्ञान साहित्य के भंडार को भरने में महती भूमिका निभाई है।

चूंकि 'साइंटिफ़िक वर्ल्ड' में समीक्षाएं अलग-अलग समय पर प्रकाशित होती रही हैं, इसलिए सामान्य पाठकों के लिए इन सभी पुस्तकों तक पहुंच पाना संभव नहीं हो पाता है। 'साइंटिफ़िक वर्ल्ड' के सहयोगी प्रकाशन 'साइंस ब्लागर्स एसोसिएशन' पर प्रकाशित वैज्ञानिकों की जीवनी से संबंधित पोस्टों की सूची से संबंधित एक अलग पृष्ठ बनाने के बाद यह देखने में आया है कि उससे पाठकों को काफ़ी सुविधा हुई और वे अपेक्षित सामग्री पर आसानी से पहुंच रहे हैं। इस अनुभव को देखते हुए 'साइंटिफ़िक वर्ल्ड' में अब तक प्रकाशित समस्त विज्ञान पुस्तकों की सूची प्रस्तुत की है।

सुझाव

हिंदी में विज्ञान लेखन के क्षेत्र में संस्थागत और व्यक्तिगत रूप से किए जाने वाले प्रयासों का संकलन करने के बाद यह अनुभव हुआ कि अब हिंदी में विज्ञान लेखन प्रारंभ हो गया है एवं उसकी गति धीरे-धीरे बढ़ रही है। यद्यपि, अधिकांश वैज्ञानिक संस्थान हिंदी में कुछ न कुछ प्रकाशन करने लगे हैं। पत्रिकाएं व पुस्तकें भी हिंदी में प्रकाशित होने लगी हैं, परंतु उनका स्तर अंग्रेज़ी की पुस्तकों जैसा नहीं है। इसलिए, अब विज्ञान लेखन की गुणवत्ता पर ध्यान देना होगा। वैज्ञानिक शोध-पत्रिका तथा पुस्तक लेखन के लिए नए लेखक तैयार करने होंगे।

विश्वविद्यालयों व वैज्ञानिक संस्थानों में प्रथम नियुक्ति के समय अभ्यर्थी के पास कम से कम पांच पुस्तकें हिंदी में प्रकाशित होनी चाहिए। पदोन्नति के समय भी एक पुस्तक प्रति वर्ष के हिसाब से पदोन्नति के समय तक जितने वर्षों तक सेवा हुई, उतनी पुस्तकें हिंदी में अभ्यर्थी द्वारा ज़रूर प्रकाशित की जाएं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रत्येक विश्वविद्यालय को एक शोध-पत्रिका प्रकाशित करने के आदेश विशेष रूप से चिकित्सा शिक्षा व तकनीकी शिक्षा के विश्वविद्यालय पर अवश्य लागू हों। भारत में केंद्र सरकार व राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा हिंदी में मौलिक लेखन करने वाले लेखकों को पुरस्कार प्रदान किया जाता हैं। यह कार्य गत 40-50 वर्षों से हो रहा है। ऐसी स्थिति में इन

सभी विभागों से उन पुरस्कृत पुस्तकों की जानकारी प्राप्त कर संकलित पुस्तकों की सूची में जुड़वाना चाहिए तथा नवीन जानकारी के साथ संशोधित करवाया जा सकता है।

अनुशंसा-13

हिंदी भाषा में विज्ञान विषयों पर वैज्ञानिक संस्थानों द्वारा शोध-पत्रिकाओं का प्रकाशन अनिवार्य किया जाए। ऐसी शोध-पत्रिकाओं को अन्य विदेशी भाषाओं के समकक्ष ही मान्यता मिले।

भारत के वैज्ञानिक संस्थान एवं प्रयोगशालाएं केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के अधीन कार्यरत हैं। इनके अतिरिक्त विश्वविद्यालयों के विज्ञान विभागों को भी इस अनुशंसा की श्रेणी में रख सकते हैं, जिनकी हिंदी भाषा में शोध-पत्रिका प्रकाशित करने की क्षमता है। किंतु, इनमें बहुत संस्थान अभी हिंदी में विज्ञान पत्रिका/शोध-पत्रिका प्रकाशित नहीं करते। अभी तो इन्होंने अपने वैबस्थल को हिंदी में बनाना प्रारंभ किया है। यह संतोष का विषय है कि अब कुछ वैज्ञानिक संस्थान हिंदी भाषा में भी विज्ञान पत्रिकाएं/शोध-पत्रिकाएं प्रकाशित करने की हिम्मत करने लगे हैं। जिन संस्थाओं की शोध-पत्रिका यूजीसी की मान्यताप्राप्त करने लायक हैं, उन्होंने यूजीसी को आवेदन करने का मानस बनाया है। अभी यह जानकारी नहीं हैं। इन वैज्ञानिक संस्थानों की कितनी पत्रिकाएं यूजीसी द्वारा मान्य हैं?

सभी राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्थान तथा विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिक विभागों जिनका वित्तपोषण शासकीय बजट से होता है, अपने संस्थान के प्रमुख विषय के अनुसार एक शोध-पत्रिका हिंदी में प्रकाशित करनी चाहिए। इन संस्थानों के पास योग्य मानवीय संसाधनों की कमी नहीं है, सभी तरह के तकनीकी उपकरण भी उपलब्ध हैं, काफ़ी समय से शोध हो ही रहा है। उसका प्रकाशन वह केवल अंग्रेज़ी में कर रहे हैं। उनकी मातृ-संस्था मंत्रालय के द्वारा एक प्रशासकीय आदेश निकाल दिया जाए कि प्रत्येक संस्थान एक शोध-पत्रिका अवश्य प्रकाशित करेगा

तो निश्चित रुप से हिंदी में शोध को बढ़ावा मिलेगा। इसके विकल्प के रूप में यह भी हो सकता है की जो संस्थान अंग्रेज़ी में शोध-पत्रिका प्रकाशित कर रहे हैं उसका हिंदी में अनुवाद हो जाए या प्रत्येक लेखक, जो अपना शोध-पत्र अंग्रेज़ी में प्रस्तुत करता है, उसको हिंदी में प्रस्तुत करने के लिए अनिवार्य बनाया जाए। संबंधित मंत्रालय से हिंदी में शोध-पत्रिका अनिवार्य रूप से प्रकाशित करने के लिए आग्रह किया गया है, परंतु नीतिगत प्रकरण होने के कारण अभी मामला लंबित है।

इस दिशा में शोध-पत्रिकाएं प्रकाशित करने के जो कुछ प्रयास किए गए हैं, वे इनकी संख्या को देखते हुए अभी बहुत कम हैं।

अनुशंसा-14

वैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रसार की रणनीति के तहत विज्ञान विधि का प्रचार प्रसार विद्यालय स्तर से ही मातृभाषा में हो।

वैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रसार की रणनीति के तहत विज्ञान विधि का प्रचार प्रसार विद्यालय स्तर से मातृभाषा में किया जाना चाहिए। उपर्युक्त अनुशंसा की अनुपालना के लिए मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय को इस दृष्टि से पत्र लिखा गया कि विज्ञान की पढ़ाई हिंदी माध्यम से विद्यालय स्तर से ही प्रारंभ करने के आदेश प्रसारित करे।

यह संतोष का विषय है कि 1 अप्रेल, 2010 को 'शिक्षा का अधिकार क़ानून 2009' पूरे देश में लागू हुआ, अब यह एक अधिकार है जिसके तहत राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना है कि उनके राज्य में 6 से 14 साल के सभी बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा के साथ-साथ अन्य ज़रूरी सुविधाएं उपलब्ध हों और इसके लिए उनसे किसी भी तरह की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शुल्क नहीं लिया जा सकेगा। भारत में मुफ़्त एवं अनिवार्य शिक्षा क़ानून लागू है, जिसे 1 अप्रेल को 8 साल पूरे हो गए हैं।

देश में स्कूली शिक्षा सरकारी एवं निजी स्कूलों की सहायता से संचालित हैं। आरटीई लागू होने के बाद आज हम लगभग सौ फ़ीसदी नामांकन तक पहुंच गए हैं जो कि एक बड़ी उपलब्धि है और अब शहर से लेकर दूर-दराज के गांवों में लगभग हर बसावट या उसके आसपास स्कूल खुल गए हैं।

सभी स्कूलों में विज्ञान की शिक्षा बढ़ रही है परंतु वह मातृभाषा की अपेक्षा अंग्रेज़ी माध्यम से बढ़ रही हैं। सरकारी स्कूलों में मातृभाषा में शिक्षा के कारण सरकारी स्कूलों से लोगों का भरोसा लगातार कम हुआ है और छोटे शहरों, क़स्बों और गावों तक में बड़ी संख्या में निजी स्कूल खुले हैं, इनमें से ज़्यादातर अंग्रेज़ी माध्यम से शिक्षा प्रदान करते हैं।

अब अनेक प्रदेश सरकारें गांवों में विज्ञान व गणित की पढ़ाई शुरू करने की बात कर रही हैं। यह सुखद है। अपेक्षा की जा रही है कि ग्रामीण बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए शहरों की ओर रुख नहीं करना पड़ेगा।

देश की स्कूली शिक्षा व्यवस्था की ख़ामियों को दूर करने के लिए संरचनात्मक सुधार की ज़रूरत लंबे समय से महसूस की जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित नयी शिक्षा नीति इसी दिशा में एक ठोस पहल है।

प्रख्यात वैज्ञानिक के कंस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में गठित समिति इस नीति की रूपरेखा बना रही है। आज दुनियाभर में तकनीक का प्रभाव और वैज्ञानिक सोच की महत्ता बढ़ रही है। ऐसे में उम्मीद है कि नयी शिक्षा नीति में विज्ञान की शिक्षा पर समुचित ध्यान दिया जाएगा। कस्तूरी रंगन समिति ने भी ज़ोर दिया है कि मौजूदा मानसिकता से ऊपर उठकर विज्ञान की शिक्षा को बहु-विषयक आयाम देना ज़रूरी है। वैसे तो विज्ञान हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली का एक विशेष विषय है, पर उसमें ऐसे बदलाव अपेक्षित हैं, जो छात्रों में अन्वेषणात्मक प्रवृत्ति, विश्लेषणात्मक कौशल और वैज्ञानिक चेतना को समृद्ध करें। प्राचीन काल से ही विज्ञान की कई शाखाओं में हमारे वैज्ञानिकों, गणितज्ञों, खगोलविदों, तकनीशियनों आदि ने उल्लेखनीय सफलताएं हासिल की हैं।

चिकित्सा और अंतरिक्ष विज्ञान की हालिया उपलब्धियां वैश्विक स्तर पर दर्ज की गई हैं।

सूचना तकनीक में भी हम विकसित देशों के साथ क़दमताल कर रहे हैं। पर, हमारी प्रतिभा और क्षमता की संभावना के लिहाज से ये उपलब्धियां कम ही हैं। स्कूली शिक्षा में विज्ञान को प्राथमिकता दिए बिना इस संभावना को वास्तविकता के धरातल पर नहीं उतारा जा सकता है। इसके साथ स्कूलों को बेहतर संसाधन, अद्यतन पाठ्यक्रम, शिक्षक प्रशिक्षण, नामांकन की दर बढ़ाने जैसे उपायों की भी ज़रूरत है। यदि शिक्षा की गुणवत्ता प्रारंभिक स्तर से ही उच्च कोटि की होगी, तो आगे के अध्ययन सहज और उपयोगी हो जाएंगे।

वैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रसार की रणनीति के तहत विज्ञान विधि का प्रचार और प्रसार विद्यालय स्तर से ही मातृभाषा में करने की दृष्टि से देश में निम्न कार्य हुए हैं :

1. विज्ञान-प्रसार (वीपी) संस्थान की स्थापना

भारत में विज्ञान-प्रसार के कार्य को भारत सरकार का विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रालय करता है। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) ने इस कार्य के क्रियान्वयन के लिए विज्ञान-प्रसार (वीपी) संस्थान की स्थापना 1989 में की है, जो मंत्रालय का एक स्वायत्तशासी संगठन है।

विज्ञान-प्रसार का उद्देश्य बड़े पैमाने पर विज्ञान लोकप्रियकरण के कार्यों/ गतिविधियों को आरंभ करना, वैज्ञानिक एवं तर्कसंगत दृष्टिकोण को बढ़ावा देना और प्रचार-प्रसार करना तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार हेतु संसाधन-सह-सुविधा केंद्र के रूप में कार्य करना हैं।

2. विपनेट की स्थापना

विपनेट, विज्ञान-प्रसार नेटवर्क का संक्षिप्त नाम है। विज्ञान-प्रसार में इस परियोजना का आरंभ भारत में विज्ञान क्लब आंदोलन को बढ़ावा देने के उद्देश्य

से 1998 में किया गया था। यह सभी ऐसे विज्ञान क्लबों, समुदायों, संगठनों का एक नेटवर्क है, जो पहले से ही स्थापित हैं, या स्थापित होने जा रहे हैं, और देश में लोकप्रिय विज्ञान आंदोलन को मज़बूत करने और समाज के विकास के लिए विज्ञान-प्रसार के साथ काम करने को तैयार हैं।

3. विकिपीडिया की भूमिका

इस क्षेत्र में भी हिंदी विकिपीडिया कार्य कर रही है, जनवरी 2016 में विकिपीडिया ने भोपाल में अटल बिहारी वाजपेई हिंदी विश्वविद्यालय के साथ मिलकर एक कार्यशाला की तथा शिक्षा कार्यक्रम की संभावनाओं को तलाशा। यही नहीं, विभिन्न शिक्षण संस्थानों में वह नियमित रूप से कार्यशालाएं कर हिंदी भाषा में लेखन को प्रोत्साहित कर रहा है, इस विषय में क्राइस्ट विश्वविद्यालय के साथ चल रही विकी शिक्षा (https://christuniversity.in/humanities-and-social-sciences/languages/wikipedia-training) का उल्लेख महत्वपूर्ण हैं।

4. स्कूलों में विज्ञान शिक्षा में नामांकन वृद्धि

आजकल यह आम धारणा है विज्ञान वर्ग के विषय अच्छे कैरियर, कमाई और प्रतिष्ठा की कुंजी हैं। स्कूल स्तर पर विज्ञान विषय चुनना, अभियांत्रिकी व चिकित्सा शिक्षा में अध्ययन की दिशा में बढ़ाए जाने वाला आवश्यक क़दम है। आजकल इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश स्कूली शिक्षा का प्रथम व प्रमुख लक्ष्य बन गया है। देश के विभिन्न शहरों में अभियांत्रिकी व चिकित्सा पाठ्यक्रमों का बढ़ रहा कोचिंग व्यवसाय इस धारणा की पुष्टि करता है।

5. उच्च शिक्षा में विज्ञान की नई शाखाएं

उच्च्च शिक्षा में विज्ञान की नई-नई शाखाएं, जैव प्रौद्योगिकी संगणक विज्ञान सुदूर संवेदन, सूचना प्रौद्योगिकी आदि विकसित हो गई हैं तथा उनमें रोज़गार की अपार संभावनाएं हैं। इस तैयारी की दृष्टि से अभिभावक विद्यार्थियों

को स्कूली स्तर पर विज्ञान विषय दिला रहे हैं।

अनुशंसा-15

डिजिटल इंडिया के तहत प्राचीन भारत के वैज्ञानिक ज्ञान पर आधारित दुर्लभ ग्रंथों जैसे 'भारत की संपदा' आदि साहित्य को निःशुल्क वैबसाइट पर उपलब्ध कराया जाए इसके अलावा विज्ञान विश्वकोश का प्रकाशन हिंदी में किया जाए।

भारत में 'भारत वाणी' एक परियोजना है, जिसका उद्देश्य मल्टीमीडिया (पाठ, श्रव्य, दृश्य एवं छवि) का उपयोग करते हुए भारत की समस्त भाषाओं के बारे में एवं भारतीय भाषाओं में उपलब्ध ज्ञान को एक पोर्टल (वैबसाइट) पर उपलब्ध कराना है। यह पोर्टल समावेशी, संवादात्मक और गतिशील होगा। इसका मूल उद्देश्य है डिजिटल भारत के इस युग में भारत को 'मुक्त ज्ञान' समाज बनाना।

उक्त अनुशंसा को क्रियान्वित करने के लिए भारत वाणी को लिखा गया इसके प्रत्युत्तर में उन्होंने कहा भारत वाणी परियोजना के पास प्राचीन भारत के वैज्ञानिक ज्ञान पर आधारित दुर्लभ ग्रंथ उपलब्ध नहीं है किंतु भविष्य में इनकी उपलब्धता होने पर भारत वाणी पोर्टल के ज्ञानकोश अनुभाग के अंतर्गत निश्चित रूप से इन्हें उपलब्ध कराया जाएगा।

इस दृष्टि से जो प्रयास किए गए, वे निम्न हैं :

1. दुर्लभ ग्रंथों की जानकारी का संकलन

भारत की संपदा विषयक हिंदी विश्वकोश आधुनिक समय में किया गया कार्य है परंतु भारत की ज्ञान परंपरा बहुत प्राचीन है। इस दृष्टि से दुर्लभ ग्रंथों की सूची बनाई गई, जिन पर शोध-कार्य किया जाना है तथा उनके मौलिक रूप में भारत वाणी पोर्टल पर अपलोड किया जाना है। ये ग्रंथ निम्नलिखित हैं :

2. प्राचीन दुर्लभ ग्रंथ

इनमें प्रमुख हैं वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद्, वेदांग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त, ये छ: वेदांग हैं। छ: सूत्रग्रंथ, स्मृति, पुराण, इतिहास ग्रंथ एवं विशिष्ट विषयों के ग्रंथ जैसे, गर्गसंहिता, कौटिलीय अर्थशास्त्र, योगवासिष्ठ एवं आयुर्वेद के सारे ग्रंथ तथा षड्दर्शन, आचार्यों के भाष्य व रचनाएं व आगम या तंत्रशास्त्र।

3. प्राचीन भारत का वैज्ञानिक ज्ञान

भारत के निम्न क्षेत्रों में प्रमुख योगदान रहा।

गणित : शून्य की अवधारणा, बीजगणित की तकनीक तथा कलन-पद्धति, वर्गमूल, घनमूल के कांसेप्ट से भरा हुआ है। दशमलव प्रणाली, बीज गणित, रेखागणित, त्रिकोणमिति का आविष्कार किया और नाप-जोख के ऐसे पैमाने बनाए, जो योरोप में अब से ढाई सौ वर्ष पहले ही बनाए गए हैं।

भौतिकी : 600 ईसा पूर्व के भारतीय दार्शनिक ने परमाणु एवं आपेक्षिकता के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लेख किया है। इस विषय में उन लोगों ने सृष्टि रचना के इस सबसे बड़े सिद्धांत का पता लगाया कि समस्त विश्व एक ही तत्त्व से रचा गया और उसके नियमों का अध्ययन और अनुभव द्वारा पता लगाया जा सकता है। यूनान के मशहूर गृह निर्माण विशारद आर्किमिडीज ने यह ज्ञान भारतवर्ष से ही प्राप्त किया था। सूर्य सिद्धांत में जो गणना की गई है, उससे यह पूर्णतया स्पष्ट जान पड़ता है कि ये लोग भाप की शक्ति से भी परिचित थे।

रसायन विज्ञान : इत्र का आसवन, गंधकयुक्त द्रव, वर्ण का निर्माण, शर्करा का निर्माण। भारतीय विद्वानों को पानी की बनावट का पता था। वे लोग गंधक, शोरा, नमक आदि का तेजाब बनाना जानते थे। तांबा, लोहा, सीसा, टीन, जस्ता आदि धातुओं को विभिन्न रूपों में बदलकर भिन्न-भिन्न रासायनिक पदार्थ जैसे तूतिया, सफ़ेदा आदि बनाना जानते थे। पारे के संबंध में उनको जितनी

अधिक जानकारी प्राप्त की थी, उतनी आजकल के वैज्ञानिकों को नहीं है। वे तरह-तरह की बारूदें बनाना भी जानते थे।

गणित ज्योतिष : प्राचीन भारतवासी विद्वानों ने ही सर्वप्रथम पंचांग की रचना की, राशिचक्र का आविष्कार किया, पृथ्वी की धुरी का स्थान निश्चित किया, ग्रहों की गति का पता लगाया और सूर्य चंद्रमा के ग्रहणों का अध्ययन करके पहले से ही उनका समय बतलाने लगे।

आयुर्विज्ञान एवं शल्य-कर्म : लगभग 800 ईसा पूर्व भारत में चिकित्सा एवं शल्यकर्म पर पहले ग्रंथ का निर्माण हुआ था। इस संबंध में भारतीय चिकित्सकों का ज्ञान वास्तव में आश्चर्यजनक था। यहां चरक और सुश्रुत ने चिकित्सा के वे सिद्धांत बहुत पहले निश्चित कर दिए थे, जिनका ज्ञान बाद में यूनानियों ने प्राप्त किया।

यांत्रिक एवं उत्पादन प्रौद्योगिकी : ग्रीक इतिहासकारों ने लिखा है कि चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में कुछ धातुओं का प्रगलन (स्मेल्टिंग) की जाती थी।

सिविल इंजीनियरी एवं वास्तु-शास्त्र : मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा से प्राप्त नगरीय सभ्यता उस समय में उन्नत सिविल इंजीनियरी एवं आर्किटेक्चर के अस्तित्व को प्रमाणित करती हैं।

जलयान-निर्माण एवं नौवहन (Shipbuilding & navigation) संस्कृत एवं पालि ग्रंथों में सामुद्रिक क्रियाकलापों के अनेक उल्लेख मिलते हैं।

गृह-निर्माण : इस विद्या में उन्होंने इतनी अधिक कला प्रदर्शित की है कि हम उससे अधिक की कल्पना भी नहीं कर सकते। हर तरह के बड़े से बड़े गुंबज, ऊंचे-ऊंचे शिखर, मीनारें, पर्वताकार विशाल मंदिर, हज़ारों मन की बड़ी-बड़ी शिलाओं से बने किले, कोट, दुर्ग वहां पर सदा से बनते रहे हैं, जिनकी निर्माण करने की चतुराई देखकर आधुनिक इंजीनियर भी दंग रह जाते हैं।

4. प्रमुख वैज्ञानिक ऋषि

भारत के प्रमुख वैज्ञानिक निम्न हैं :

आचार्य कणाद, आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, चरक, वराहमिहिर, सुश्रुत, बौधायन, ब्रह्मगुप्त आदि।

5. दुर्लभ पाण्डुलिपियों की जानकारी :

10वें विश्व हिंदी सम्मेलन के अंतर्गत अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी वि वि भोपाल द्वारा लगाई प्रदर्शनी में 400 वर्ष पुरानी दुर्लभ पांडुलिपियां प्रदर्शित की गईं। इन पांडुलिपियों में 18 ग्रंथ सम्मिलित थे, जिनमें श्रीमद्भगवद् गीता मुख्य थी।

6. भारतीय ज्ञान परंपरा (बौद्धिक संपदा) पर किए गए कार्य :

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल की ओर से 'भारत की ज्ञान परंपरा' विषय पर 5-6 दिसंबर, 2017 को दो दिवसीय राष्ट्रीय संविमर्श का आयोजन किया गया।

'भारत की ज्ञान परंपरा' : चौथा गुणाकर मुले स्मृति व्याख्यान

जनवरी 12, 2017 को प्रो. दीपक कुमार ने जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली के हिंदी एकक द्वारा आयोजित विश्व हिंदी दिवस समारोह में 'भारत की ज्ञान परंपरा' विषयक चौथा गुणाकर मुले स्मृति व्याख्यान दिया। प्रो. दीपक कुमार जेएनयू में इतिहास और विज्ञान के प्रोफेसर हैं।

प्रज्ञा प्रवाह की ओर से आयोजित दो दिवसीय भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा विषयक 'ज्ञान संगम' 25-26 मार्च, 2017 को दिल्ली में आयोजित किया गया। 'ज्ञान संगम' शिक्षा में भारतीय पुरातन ज्ञान परंपरा व संस्कृति के समावेश के नज़रिए से यह संगम मात्र विकल्प नहीं है, बल्कि इस दिशा में सच्चा प्रयास सिद्ध हुआ।

4

प्रशासन में हिंदी

प्रस्तुति : डॉ. बिपिन बिहारी
संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार

महत्वपूर्ण है प्रशासन में हिंदी

भारत के माननीय गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा हिंदी दिवस-2017 पर दिए गए उद्बोधन में कहा गया कि हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। हिंदी भाषा में भारत के विशिष्ट सांस्कृतिक मूल्य विद्यमान हैं, जिनकी वजह से हम पूरे विश्व में अतुलनीय हैं। भारत में हिंदी ही एक ऐसी भाषा है, जिसने विविधता में एकता स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में जनता और सरकार के मध्य जन-जन की भाषा ही संपर्क भाषा के रूप में सार्थक भूमिका निभा सकती है। हिंदी भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम होने के साथ-साथ भारत की भावात्मक एकता को मज़बूत करने का भी सशक्त ज़रिया है। अपनी उदारता, व्यापकता एवं ग्रहणशीलता के कारण हिंदी भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की पूरक है। अत: संविधान के अनुच्छेद 351 में संघ सरकार को यह महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा गया है कि अन्य भारतीय भाषाओं की

शब्दावली को आत्मसात करते हुए हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाएं और उसका विकास करें, ताकि हिंदी भारतीय संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके।

भारत में भाषा के साथ समाज का व्यवहार और सरोकार बिल्कुल अलग तरह का रहा है। हिंदी भाषा हमारी आकांक्षाओं और प्रगति को क़दम-दर-क़दम साकार करने में सक्षम रही है। इस बुनियादी कार्य के लिए शासन और प्रशासन के प्रत्येक स्तर पर अभियानी मानसिकता बनानी होगी। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए पिछले कुछ वर्षों से प्रशासनिक हिंदी को सरल और सहज बनाने की मांग व्यापक और तेज़ हुई है।

भोपाल में आयोजित 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन में हिंदी की वर्तमान दशा एवं दिशा पर गहन चर्चा हुई। अनेक विद्वानों ने अपने-अपने मत देकर भारत में हिंदी भाषा के प्रभावी उपयोग पर ज़ोर देने की बात की। जब बात हिंदी के अधिकतम प्रयोग की हो तो प्रशासनिक स्तर पर हिंदी का उपयोग एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में देखा जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि शासन-प्रशासन का सीधे जनता से जुड़ना अत्यंत आवश्यक है और यह तभी संभव है, जब जनता से जनता की ही भाषा में बात की जाए। जन-आकांक्षाओं के उभार के दौर में शासन के कार्यकलापों की जानकारी लोगों को हो। इसके लिए ज़रूरी है कि प्रशासन और आम-जन की भाषा एक हो। शासन की योजनाओं को अमली जामा पहनाने में भाषा का कितना महत्वपूर्ण योगदान होता है, इसे इस बात से भी समझा जा सकता है कि सरकारी योजनाओं की रूपरेखा किसी भी भाषा में बने, उनका सही क्रियान्वयन करने के लिए हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं का सहारा लिया जाता है। उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व हिंदी सम्मेलन का विषय 'प्रशासन में हिंदी' गृह मंत्रालय के अधीन राजभाषा विभाग को दिया गया था।

राजभाषा विभाग की स्थापना 1975 में की गई थी एवं इस विभाग के गठन का उद्देश्य केंद्र सरकार के कार्यालयों में हिंदी का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है। प्रेरणा और प्रोत्साहन की मूल भावना को ध्यान में रखते हुए

राजभाषा विभाग अपने गठन के समय से ही इस कार्य को तत्परता से निष्पादित कर रहा है। यही कारण है कि विश्व हिंदी सम्मेलन में प्राप्त बिंदु पर अनुवर्ती कार्यवाही करते हुए राजभाषा विभाग ने न केवल माननीय मंत्री महोदय की अध्यक्षता में नियमित बैठकें कीं, बल्कि विदेश मंत्रालय को भी इस दिशा में हुई उत्तरोतर प्रगति से अवगत कराने का कार्य किया। विषय से संबंधित मंत्रालय / विभागों से लगातार संपर्क स्थापित कर सौहार्दपूर्ण वातावरण में प्रशासन में हिंदी जैसे महत्वपूर्ण विषय की अनुशंसा अनुपालना सुनिश्चित की। 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन की अनुशंसा अनुपालन समिति की दिनांक 24 अक्टूबर, 2015 को आयोजित प्रथम बैठक में माननीय गृह राज्य मंत्री को दिए गए विषय 'प्रशासन में हिंदी' पर माननीया विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी की अध्यक्षता में अनुशंसा अनुपालन समिति की कुल सात बैठकें क्रमश: पहली बैठक 24 अक्टूबर, 2015, दूसरी 28 जनवरी, 2016, तीसरी 12 अप्रेल, 2016, चौथी 31 अगस्त, 2016, पांचवीं 23 मई, 2017, छठी बैठक 29 दिसंबर, 2017 एवं सातवीं बैठक 26 मई, 2018 को आयोजित की गई तथा माननीय गृह राज्य मंत्री श्री किरेन रीजीजू की अध्यक्षता में अनुवर्ती कार्यवाही करते हुए पांच बैठकें क्रमश: 06 नवंबर, 2015, 12 फरवरी, 2016, 02 जून, 2016, 04 जनवरी, 2017 एवं 16 मई, 2018 को हुईं। प्रथम बैठक में कुल 19 अनुशंसाएं/सुझाव तथा श्रोताओं/विद्वानों द्वारा प्राप्त कुल 31 अनुशंसाओं/सुझावों को 5 श्रेणियों यथा हिंदी-शिक्षण, हिंदी-प्रशिक्षण, अनुवाद एवं अनुवाद संबंधी समस्याएं, हिंदी शब्दावली एवं विविध में वर्गीकृत किया गया :

राजभाषा विभाग को दिए गए विषय 'प्रशासन में हिंदी' विषय पर अनुशंसावार प्रगति को आगे प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रतिवेदन : प्रशासन में हिंदी

अनुशंसा-1

सरल और सहज शब्दावली का प्रयोग अनुवाद में किया जाना चाहिए।

राजभाषा विभाग का सदैव यही प्रयास रहा है कि अनुवाद की भाषा इतनी सरल हो कि आम-जन को भी आसानी से समझ में आ जाए और इसके लिए विभाग द्वारा सभी मंत्रालयों/विभागों में हिंदी अनुवाद करने में अनुवादकों द्वारा सरल भाषा का प्रयोग करने के लिए समय-समय पर निर्देश जारी किए जाते हैं। इसके साथ-साथ सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को सरकारी कामकाज में सरल हिंदी का प्रयोग करने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया जा रहा है। विभाग के निदेशानुसार अधीनस्थ कार्यालय केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा अनुवाद में सरल और सहज हिंदी शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है।

अनुशंसा-2

प्राथमिक स्तर से लेकर महाविद्यालयीन और विश्वविद्यालयीन अध्ययन में हिंदी की शिक्षण की अनिवार्यता को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

इस अनुशंसा के साथ-साथ निम्न दो सुझाव भी प्राप्त हुए :

1. सी.बी.एस.ई. एवं आई.सी.एस.ई. बोर्ड में मैट्रिक के कोर्स एवं अन्य कोर्सों में हिंदी ऐच्छिक विषय के रूप में न हो, बल्कि उसे अनिवार्य किया जाना चाहिए।
2. सभी विश्वविद्यालयों में हिंदी माध्यम से पढ़ने का विकल्प प्रदान किया जाए।

इस अनुशंसा की अनुवर्ती कार्यवाही के रूप में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अध्ययन योजनानुसार यह अपेक्षा की जाती है कि कक्षा 8वीं तक हिंदी एवं अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं का अनिवार्य रूप से अध्ययन किया जाए। चूंकि,

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध विद्यालय पूरे भारतवर्ष तथा 29 अन्य देशों में भी हैं, जिनमें से कुछ हिंदी-माध्यम के हैं तथा कुछ अंग्रेज़ी-माध्यम के हैं, अतः कक्षा 10वीं तक अंग्रेज़ी की अनिवार्यता नहीं है।

दूसरे सुझाव के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रयास के फलस्वरूप 37 विश्वविद्यालयों (केंद्रीय) ने वाणिज्य एवं विधिक पाठ्यक्रम हिंदी माध्यम से पढ़ाना शुरू कर दिया है, लेकिन अधिकतर दक्षिण भारतीय विश्वविद्यालयों ने इसे स्वीकार नहीं किया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मंत्रालय से प्राप्त निर्देशों के अनुसार सभी अनुदानित विश्वविद्यालयों को दिनांक 28 जनवरी, 2016 को परामर्शदायी पत्र प्रेषित किए थे। दक्षिण भारतीय विश्वविद्यालयों ने इस मद पर विरोध प्रकट किया था, जिससे पत्र वापस लेना पड़ा। तत्पश्चात्, आयोग ने मंत्रालय को इस स्थिति से अवगत कराते हुए इस प्रकार के निर्णयों/अनुशंसाओं पर अनुपालनात्मक कार्यवाही हेतु स्पष्ट मार्गदर्शन का निरंतर अनुरोध किया है। आयोग के अधिकारी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधिकारियों के साथ नई शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए इस विषय पर प्रयासरत हैं।

अनुशंसा-3

अनुवादक को सहज और सरल शब्दावली के प्रयुक्तीकरण के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

राजभाषा विभाग के अधीनस्थ कार्यालय केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/बैंकों इत्यादि में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों/हिंदी अनुवादकों और राजभाषा से जुड़े अन्य कार्मिकों को सरल एवं सहज अनुवाद कौशल का अभ्यास आधारित प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके साथ-साथ ब्यूरो द्वारा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों (नराकासों) एवं कार्यालयों की मांग पर उनके कार्मिकों के अनुवाद कौशल में निखार लाने के लिए 'आउटरीच' अनुवाद-प्रशिक्षण कार्यक्रम भी

आयोजित किया जाता है। एक बड़ी उपलब्धि के रूप में भारत सरकार की 'सुशासन-चुनौतियां और अवसर' कार्य-योजना के तहत केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा वर्ष 2017 में अनुवाद-प्रशिक्षण का 'ई-लर्निंग प्लेटफ़ॉर' विकसित किया गया, जो कि राजभाषा विभाग की वैबसाइट पर निःशुल्क उपलब्ध है। इस प्लेटफ़ॉर का उद्देश्य केंद्र सरकार के कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन और अनुवाद-कार्य से जुड़े अधिकारियों व कर्मचारियों के अनुवाद-कौशल को विकसित करने के लिए अनुवाद का ऑनलाइन प्रशिक्षण देना है। इसके ज़रिए अनुवाद प्रशिक्षण की पहुंच व्यापक और सर्वसुलभ हो सकेगी और सरकारी कामकाज में प्रयुक्त प्रशासनिक शब्दावली और अभिव्यक्तियों के प्रयोग में एकरूपता सुनिश्चित हो सकेगी। पहले चरण में, प्रशासनिक विषयों से संबंधित दस्तावेज़ों के अनुवाद के बारे में सरल और सुगम ढंग से पाठ तैयार किए हैं और उन्हें अनुवाद-प्रशिक्षण के इच्छुक व्यक्तियों तक ऑनलाइन पहुंचाने का प्रयास किया है। इन पाठों में प्रशासन से जुड़े पत्राचार और उनके अनुवाद से संबंधित विषय शामिल हैं। छोटे-छोटे वीडियो के माध्यम से भी आसान भाषा में प्रशासनिक अनुवाद को समझाया गया है।

अनुशंसा - 4 व 5

शब्द-शास्त्रियों को हिंदी को सरल बनाने के लिए पर्यायों के बाहुल्य में थोड़ी वृद्धि करना चाहिए। संस्कृत तत्सम शब्दावली से उन्मुख होकर देशज भाषाओं के सरल शब्दों और सरलीकृत शब्दों का उचित प्रयोग करना चाहिए।

इन अनुशंसाओं पर अभूतपूर्व कार्य करते हुए वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग ने तैयार किए गए 15000 शब्दों की प्रशासनिक शब्दावली में से 5467 शब्दों को सरल कर केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो ने वैबसाइट पर उपलब्ध करा दिया है। इसके अलावा आयोग की प्रशासनिक शब्दावली मोबाइल एप (CSTT Technology) प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। इसी क्रम में केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो के

माध्यम से राजभाषा विभाग अनुवाद में भाषा की क्लिष्टता दूर करने के लिए 'बृहत राजभाषा शब्दावली' तैयार कर रहा है, ताकि अनुवाद करते समय अनुवादकों को सरल शब्दों के चुनाव का विकल्प उपलब्ध हो सके। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो ने 'बृहत राजभाषा शब्दावली' के निर्माण-संबंधी अनुसंधान कार्य जारी रखते हुए अभी तक विभिन्न डोमेन की लगभग 5,55,661 प्रविष्टियों को Word/Excel Form में संकलित कर लिया है। इनमें वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की वैबसाइट से डाउनलोड की गई 38 डोमेन की शब्दावली (प्रविष्टियों की संख्या 1,39,174); इंटरनेट में उपलब्ध विभिन्न स्रोतों से डाउनलोड की गई 7 डोमेन की शब्दावली (प्रविष्टियों की संख्या 40,731); तथा विभिन्न विभागों/संगठनों से सॉफ़्टकॉपी (Word/Excel Form) के रूप में प्राप्त 11 डोमेन की शब्दावली (प्रविष्टियों की संख्या 2,45,756) शामिल हैं। अब इन शब्दावलियों की प्रविष्टिवार जांच की जा रही है तथा इन प्रविष्टियों को Computer Programming के अनुकूल बनाने के लिए इनमें आवश्यकता के अनुसार संशोधन किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, विभिन्न विभागों से 68 विभागीय शब्दावली की मुद्रित प्रतियां प्राप्त हुई हैं, जिन पर भी कार्य किया जा रहा है।

वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग ने अब तक 1,50,000 शब्दों की शब्दावलियां तैयार कर ली हैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा लगभग 100 कोशों (हिंदी-हिंदी, विदेशी भाषा, क्षेत्रीय भाषा तथा वार्तालाप पुस्तिकाओं) को अपलोड का कार्य निदेशालय स्तर पर पूरा किया जा चुका है। इन सबके साथ-साथ अनुवाद की जटिल प्रक्रिया को कंप्यूटरीकृत तथा सरल करने के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा सी-डैक के सहयोग से एक मेमोरी आधारित अनुवाद साफ़्टवेयर 'कंठस्थ' तैयार कराया जा रहा है, जो विभागों/मंत्रालयों आदि में कार्यरत अनुवादकों को अंग्रेज़ी से हिंदी तथा हिंदी से अंग्रेज़ी में अनुवाद करने में सहायता प्रदान करेगा। यह अनुवाद-प्रणाली, स्मृति-आधारित (टीएम बीएस) होगी अर्थात की गई अनुवाद-सामग्री को संगृहीत करेगी। अनुवाद स्मृति

(टीएम) आमतौर पर स्थानीयकरण उद्देश्य के अनुवाद में प्रयोग किया जाता है। अनुवाद स्मृति (टीएम), अनुवाद में मानकीकरण/स्थिरता में मदद करता है और दोहराव वाले पाठों का अनुवाद कम करके समय बचाता है। राजभाषा विभाग द्वारा परियोजना का वेब तथा स्टैंड अलोन संस्करण बनाया जा रहा है, जो अनुवाद-प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों और अनुवादकों को उनके संबंधित स्थान पर अनुवादित दस्तावेज़ प्राप्त करने में मदद करेगा। इस सॉफ़्टवेयर को केंद्र सरकार के कार्यालयों को नि:शुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। सॉफ़्टवेयर के सही उपयोग के लिए कार्मिकों के ट्रेनिंग मॉड्यूल्स भी तैयार कराए जा रहे हैं।

अनुशंसा-6

अंग्रेज़ी में हस्ताक्षर करने के बजाय अपनी भाषा में हस्ताक्षर करने चाहिए।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की नीति सदैव से प्रेरणा, प्रोत्साहन एवं प्रशिक्षण के माध्यम से हिंदी के कार्यान्वयन एवं प्रचार-प्रसार को बढ़ाने की है और इस दिशा में विभाग प्रयासरत है कि केंद्र सरकार के कार्यालयों/बैंकों/उपक्रमों आदि में अधिकतर कार्य मूल रूप से हिंदी में ही हो। इसके लिए वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित चारों क्षेत्रीय सम्मेलनों तथा चारों तकनीकी संगोष्ठियों के उत्तरार्ध में आयोजित सचिव/संयुक्त सचिव के साथ नराकासों के समागम में केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों/बैंकों/उपक्रमों/बोर्डों के अधिकारियों/कर्मचारियों को अंग्रेज़ी के बजाय अपनी भाषा में हस्ताक्षर करने के लिए प्रेरित किया गया। इस तरह के प्रयास आगे भी जारी रहेंगे।

अनुशंसा-7

वर्तमान संदर्भ में अनुवाद के कारण भाषा क्लिष्ट होती जा रही है। परीक्षाओं में प्रश्नपत्र अंग्रेज़ी में बनते हैं और फिर उनका अनुवाद किया जाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, संघ लोक सेवा आयोग या राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में मूल रूप से प्रश्नपत्र हिंदी में बनाए जाएं।

यदि आवश्यक हो तो अंग्रेज़ी का पाठ उपलब्ध कराया जाए।

सुझाव

संघ लोक सेवा आयोग के प्रश्नपत्र मूल रूप से हिंदी में तैयार किए जाएं।

इस संदर्भ में सचिव स्तर पर सभी मंत्रालयों को पत्र लिखे गए हैं कि सभी कार्यालयों में मूल रूप से हिंदी में मसौदे तैयार किए जाएं, ताकि उनके हिंदी अनुवाद की आवश्यकता न पड़े और इसके लिए हिंदी के सरल शब्दों का प्रयोग किया जाए। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अनुवाद की गुणवत्ता पर श्री पुरुषोत्तम अग्रवाल की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। इस समिति ने 17.09.2015 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे आयोग ने स्वीकार कर लिया। रिपोर्ट के अनुसार आयोग ने प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नपत्रों के हिंदी अनुवाद को अधिक से अधिक अनुकूल बनाने का निर्णय लिया है। साथ ही, अनुवाद को सरल, सहज एवं बोधगम्य बनाने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की इस टिप्पणी को समिति द्वारा स्वीकार करते हुए इसके अनुपालन को सुनिश्चित करने को कहा गया। इसी क्रम में संघ लोक सेवा आयोग ने यह भी बताया कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नपत्रों के संदर्भ में केवल हिंदी भाषा-संबंधी प्रश्नपत्र मूल रूप से हिंदी में तैयार कराए जाते हैं। सभी प्रश्नपत्रों के लिए यह विशेषज्ञों पर निर्भर करता है कि वे किस भाषा (हिंदी अथवा अंग्रेज़ी) में प्रश्नपत्र तैयार करते हैं। तत्पश्चात, प्रश्नों का अनुवाद/रूपांतरण किया जाता है। इसके अतिरिक्त संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जिन परीक्षाओं (वर्णनात्मक) के प्रश्नपत्र हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में छापे जाते हैं, उन सभी प्रश्नपत्रों को तैयार करने के लिए माननीय मंत्री जी के निर्देश पर अमल किया जा रहा है।

वर्तमान में कर्मचारी चयन आयोग अपनी सभी बहुविकल्पीय प्रश्नपत्रों पर आधारित परीक्षाएं हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में आयोजित करता है। प्रश्नपत्र परीक्षा कराने वाली एजेंसी द्वारा तैयार किए जाते हैं तथा उनके पास अंग्रेज़ी में प्रश्न कोश तैयार किए हुए हैं। इस तरह की परीक्षाओं के लिए प्रश्न कोश

हेतु बड़ी संख्या में प्रश्नों की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये परीक्षाएं सामान्यतया दस लाख या उससे अधिक परीक्षार्थियों के लिए कई दिनों तक लगातार आयोजित की जाती हैं। इसलिए अभी ऐसी परीक्षाओं के प्रश्नपत्र पूरी तरह हिंदी में बनाना संभव नहीं हो पाया है। कर्मचारी चयन आयोग केवल विवरणात्मक परीक्षाओं के लिए प्रश्नपत्र तैयार करता है, यथा : संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा (टियर-III), संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तरीय परीक्षा (टियर-II), कनिष्ठ हिंदी अनुवादक (पेपर-II), मल्टी-टास्किंग परीक्षा (पेपर-II) तथा कनिष्ठ अभियंता परीक्षा (पेपर-II)। उनमें से कनिष्ठ अभियंता (पेपर-II) को छोड़कर बाकी सभी परीक्षाओं के प्रश्नपत्र मूल रूप से हिंदी में तैयार किए जाते हैं। परंतु कनिष्ठ अभियंता परीक्षा तकनीकी विषयों पर आधारित होने के कारण उसका प्रश्नपत्र मूल रूप से हिंदी में तैयार करना वर्तमान में व्यावहारिक प्रतीत नहीं होता। तथापि आयोग का यह पूरा प्रयास है कि उन परीक्षाओं के प्रश्नपत्र मूलतः हिंदी में तैयार कराए जाएं, जो परीक्षा लिखित रूप में आयोजित की जाती हैं।

अनुशंसा-8

विद्यालयों और महाविद्यालयों में हिंदी अनिवार्य विषय हो। बहुत से विद्यालयों में हिंदी की पढ़ाई दसवीं के बाद उपलब्ध नहीं है, निजी क्षेत्र के विद्यालयों में अधिकांश में यही है। हिंदी की पढ़ाई को सुनिश्चित किया जाए।

सुझाव

प्रबंधन विषयों में या उनकी प्रवेश-परीक्षाओं में हिंदी भी एक विषय के रूप में अनिवार्य होनी चाहिए।

हिंदी-भाषी छात्रों की शिक्षा बढ़ाने के लिए जिन विषयों में केवल अंग्रेज़ी माध्यम है, वहां छात्रों के लिए हिंदी एवं अंग्रेज़ी, दोनों भाषाओं का विकल्प दिया जाना चाहिए।

इस अनुशंसा के अंतर्गत प्रबंधन के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि 'क' क्षेत्र में स्थित संस्थानों में प्रबंधन विषयों में हिंदी को एक विषय के रूप में अनिवार्य किया जाए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 226 केंद्रीय/राज्य/मानद विश्वविद्यालयों को विधि, वाणिज्य एवं प्रबंधन विषय में हिंदी माध्यम लागू किए जाने हेतु पत्र प्रेषित किए थे, जिनमें से 46 विश्वविद्यालयों से सूचनाएं प्राप्त हुई हैं कि उन्होंने स्नातक स्तर पर विधि, वाणिज्य एवं प्रबंधन में हिंदी पढ़ाने की वैकल्पिक व्यवस्था कर ली है। आयोग द्वारा 12वीं योजना तक 52 विश्वविद्यालयों में हिंदी विभाग की स्थापना तथा 27 विश्वविद्यालयों को उन्नयन हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। आयोग द्वारा अनुदानित सभी 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से 39 में हिंदी राजभाषा प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं, जिसके अंतर्गत, न्यूनतम तीन पद (01 हिंदी अधिकारी, 01 हिंदी अनुवादक एवं 01 हिंदी टंकक) सृजित किए गए हैं। राजभाषा विभाग द्वारा भी यह प्रयास किया जाता है कि हिंदी पाठ्यक्रमों को रुचिकर बनाने तथा हिंदी एवं भारतीय भाषाओं के प्रति बच्चों में भावनात्मक रुचि पैदा करने के लिए सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्य किया जाए, जिसके लिए क्षेत्रीय सम्मेलनों, तकनीकी संगोष्ठियों तथा प्रकाशकों के साथ आयोजित की गई बैठकों में भी दृढ़तापूर्वक यह आग्रह किया गया।

अनुशंसा-9

शब्दावली आयोग को निर्देश दिया जाए कि हिंदी के शब्द-निर्माण में व्यावहारिक शब्दों पर बल दिया जाए। जहां तक हो सके बोलचाल की भाषा की शब्दावली का उपयोग किया जाए।

राजभाषा विभाग द्वारा भारतीय भाषाओं के सरल शब्दों एवं आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक क्षेत्रीय सम्मेलन एवं तकनीकी संगोष्ठी में सभी कार्यालयों/विभागों/बैठकों/उपक्रमों/बोर्डों को कहा गया ताकि अधिक-से-अधिक कामकाज हिंदी में सुगमता से किया जा सके। इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति करते हुए वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग

ने अब तक 1,50,000 शब्दों की शब्दावलियां तैयार कर ली हैं, साथ ही केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा लगभग 100 कोशों (हिंदी-हिंदी, विदेशी भाषा, क्षेत्रीय भाषा तथा वार्तालाप पुस्तिकाओं) के अपलोड का कार्य निदेशालय स्तर पर पूरा किया जा चुका है।

अनुशंसा-10

विद्यालयों से बच्चे जब हिंदी में पारंगत होकर निकलेंगे तो हिंदी में काम भी करेंगे।

राजभाषा विभाग की यही कोशिश है कि हिंदी में कार्य को बढ़ाया जाए, इसके लिए विभाग राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार के कर्मियों के अलावा साधारण नागरिकों को भी हिंदी दिवस पर पुरस्कृत करता है। राजभाषा विभाग द्वारा प्रकाशित होनेवाली पत्रिका 'राजभाषा भारती' के एक अंक में 'प्राथमिक शिक्षा में हिंदी : संभावनाएं एवं चुनौतियां' विषय पर विभिन्न भाषा-मनीषियों के विचारों को संगृहीत किया गया है। हिंदी-लेखकों के प्रोत्साहन के रूप में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने भी शिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए तकनीकी विषय पर पाठ्यपुस्तक लिखने वाले लोगों को पुरस्कार देना शुरू कर दिया है। राजभाषा विभाग द्वारा हिंदी पाठ्यक्रमों को रुचिकर बनाने तथा हिंदी एवं भारतीय भाषाओं के प्रति बच्चों में भावनात्मक रुचि पैदा करने के लिए सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों से कहा गया है एवं क्षेत्रीय सम्मेलनों, तकनीकी संगोष्ठियों सहित विभिन्न मंचों पर दृढ़तापूर्वक यह आग्रह किया गया है। साथ ही साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों के हिंदी विभागों को प्रोत्साहित करने हेतु पर्याप्त धनराशि दी जाती है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सूचित किया कि वह इस मामले में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संशोधन करने पर विचार कर रहा है।

अनुशंसा-11

अन्य प्रांत के अधिकारियों के लिए हिंदी-शिक्षण की व्यवस्था हो।

सुझाव

अन्य भाषाओं के उत्तम साहित्य को हिंदी में अनूदित करना चाहिए।

हिंदी-प्रशिक्षण के लिए ग़ैर-हिंदी-भाषी राज्यों के केंद्र स्थापित करने चाहिए।

आधुनिक तकनीकी युग में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग ने सूचित किया है कि पत्राचार पाठ्यक्रम द्वारा यूट्यूब के माध्यम से हिंदी सिखाने हेतु लिंक उपलब्ध है। हिंदी में कार्य के लिए एवं अन्य भारतीय भाषाओं को सीखने के लिए अधिकारियों/कर्मचारियों को वित्तीय प्रोत्साहन से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है ताकि अधिक-से-अधिक सरकारी कामकाज हिंदी में करने के लिए अन्य भाषा-भाषी भी प्रोत्साहित हो सकें।

अनुशंसा-12 व 18

उन्हें वह शिक्षण उन्हीं की मातृभाषा में दिया जाना चाहिए तथा प्रशिक्षण का माध्यम प्रशिक्षु अधिकारी की मातृभाषा हो।

सुझाव

भारतीय भाषाओं के सॉफ़्टवेयर 'लीला' को अद्यतित किया जाए।

अनुशंसा पर कार्यवाही करते हुए वर्तमान में केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा हिंदी का प्रशिक्षण यथासंभव क्षेत्रीय भाषाओं के शब्दों का प्रयोग करते हुए देवनागरी लिपि में ही दिया जा रहा है। केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा हिंदी- शिक्षण योजना के अंतर्गत प्रांतीय भाषाओं के जानकार/विशेषज्ञों को इस योजना से पढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि ग़ैर-हिंदी-भाषी कार्मिक अपनी भाषा के माध्यम से हिंदी का प्रशिक्षण ले सकें। केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा हिंदी के प्रचार-प्रसार हेतु अहिंदी-भाषी/हिंदी-भाषी क्षेत्रों के लिए 'पत्राचार पाठ्यक्रम' कार्यक्रम शीघ्र आरंभ किया जा रहा है।

राजभाषा विभाग द्वारा 'लीला' मोबाइल एप का निर्माण किया गया,

जिसका लोकार्पण माननीय राष्ट्रपति जी के कर-कमलों द्वारा 14 सितंबर, 2017 को 'हिंदी दिवस' के अवसर पर किया गया। इस एप के प्रचार-प्रसार हेतु अग्रेतर कार्यवाही 'हिंदी प्रौद्योगिकी संसाधन केंद्र' (Hindi Technology Resource Centre) द्वारा की जा रही है। वर्तमान युग में मोबाइल की महत्ता को देखते हुए केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा भी मोबाइल एप 'बेसिक ग्रामर ऑफ़ मॉडर्न हिंदी' परिचालन में है।

अनुशंसा-13

अल्पकालिक पारंपरिक हिंदी-शिक्षण पर ज़ोर दिया जाना चाहिए।

अनुशंसा-14

हिंदी में काम करना, बोलना, लिखना, पढ़ना सिखाया जाना चाहिए।

अनुशंसा-15

हिंदी में रिपोर्ट बनाने और प्रस्तुतिकरण के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

सुझाव

राजभाषा के उल्लघंन के लिए दंड का प्रावधान किया जाना चाहिए।

समय की आवश्यकतानुसार नए हिंदी भाषा-शिक्षण कार्यक्रम बनाए जाएं।

राजभाषा विभाग वर्षभर प्रशिक्षण-कार्यक्रमों का आयोजन करता है जिसके अंतर्गत 'केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान' द्वारा भारत सरकार के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी में प्रवीण, प्रबोध एवं प्राज्ञ स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि उनके द्वारा अधिक-से-अधिक सरकारी कामकाज हिंदी में किया जा सके। केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा सभी प्रांतों के अधिकारियों को हिंदी-शिक्षण योजना के अंतर्गत हिंदी सिखाई जाती है और संस्थान की ओर से वर्षभर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं। प्रोत्साहन के अंतर्गत श्रुतलेखन,

टिप्पण एवं आलेखन की दो योजनाओं की पुरस्कार राशि में राजभाषा विभाग द्वारा वृद्धि की गई है। राजभाषा विभाग द्वारा 15 भाषाओं के माध्यम से हिंदी सीखने का स्वयं शिक्षण कार्यक्रम 'लीला' के मोबाइल एप का निर्माण किया गया। इससे हिंदी एवं अन्य भाषा-भाषी लोगों को हिंदी सीखने और पारंगत होने में बहुत सहायता मिलेगी।

अनुशंसा-16

मोबाइल और कंप्यूटर के अनुप्रयोग को सिखाया जाना चाहिए।

सुझाव

हिंदी प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वैयक्तिक, संस्थागत और शासकीय प्रयत्नों में दोहराव से बचने, विभिन्न कार्यों को समन्वित एवं समेकित करने, दस्तावेज़ीकरण और ओपनसोर्स की व्यावहारिकता के निदान के लिए 'हिंदी प्रौद्योगिकी संसाधन केंद्र' (Hindi Technology Resource Centre) की स्थापना हो। इससे संस्थानों की बचत होगी, समय की बचत होगी और गुणवत्ता में वृद्धि होगी।

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों में कंप्यूटर और मोबाइल पर हिंदी के प्रयोग का अध्याय जोड़ जाए।

हिंदी प्रौद्योगिकी संसाधन केंद्र राजभाषा विभाग में स्थापित किया जा चुका है और वह कार्य कर रहा है। राजभाषा विभाग द्वारा 14.09.2017 को लीला मोबाइल एप माननीय राष्ट्रपति जी के कर-कमलों द्वारा लोकार्पित किया गया, जिससे 15 भाषाओं के माध्यम से हिंदी सीखी जा सकती है। लीला (Learn Indian Languages through Artificial Intelligence) प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ' हिंदी भाषा के स्वशिक्षण सॉफ़्टवेयर पैकेज है। यह पैकेज राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की पहल पर सी-डैक, पुणे द्वारा तैयार किया गया है तथा अंग्रेज़ी, हिंदी के अलावा 14 अन्य भारतीय भाषाओं क्रमश: असमिया,

बोडो, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, तमिल एवं तेलुगु में नि:शुल्क उपलब्ध है। यह पैकेज यूज़र फ्रेंडली है तथा सभी आम ब्राउज़र्स पर इसका उपयोग किया जा सकता है।

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा चलाए जा रहे भाषा-प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कंप्यूटर तथा आईटी संबंधी प्रारंभिक प्रशिक्षण जोड़ दिया गया है और नया पाठ्यक्रम जुलाई, 2016 से लागू कर दिया गया है। संस्थान द्वारा प्रतिवर्ष कंप्यूटर पर हिंदी के प्रयोग के लिए 100 प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी में रिपोर्ट बनाने एवं प्रस्तुतीकरण के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा मोबाइल और कंप्यूटर पर हिंदी का प्रयोग करना भी, प्रशिक्षण में सिखाया जाता है। केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा कंप्यूटर पर हिंदी का प्रयोग करने संबंधी पांच दिवसीय पाठ्यक्रम अलग से चलाया जाता है। संस्थान द्वारा भाषा प्रशिक्षण के सभी पाठ्यक्रमों में कंप्यूटर पर हिंदी के प्रयोग को 'यूनिकोड : एक परिचय' के नाम से जोड़ा गया है। कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य करने हेतु पांच दिवसीय पाठ्यक्रम अलग से चलाए जा रहे हैं।

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा हिंदी भाषा का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कार्मिकों के साथ-साथ जनसाधारण को हिंदी भाषा का उच्चतर ज्ञान प्राप्त कराने के लिए 'हिंदी प्रवाह' नामक एक नया पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। इस पाठ्यक्रम को भी 'लीला पैकेज' की भांति अंग्रेज़ी के अलावा 14 भारतीय भाषाओं क्रमश: असमिया, बोडो, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, तमिल एवं तेलुगु के माध्यम से जनसाधारण तक ऑनलाइन वैबवर्जन एवं मोबाइल एप के रूप में उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य किया गया है। 'लीला हिंदी प्रवाह' के वैबवर्जन एवं मोबाइल एप में पाठों से संबंधित शब्दों को समझने एवं समझाने के लिए बृहत शब्दावली की व्यवस्था भी की गई है। इस बृहत शब्दावली में पाठों में सम्मिलित शब्दों के अर्थ यूज़र द्वारा चयनित भाषा में वर्णक्रमानुसार दिए गए हैं। इस भाग की विशेषता

यह है कि इसमें शब्दों के उच्चारण के साथ-साथ रिकॉर्ड एवं कंपेयर सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई हैं। यूज़र, पाठ में आए शब्दों का अर्थ अपनी भाषा में देखने एवं जानने के अलावा हिंदी में उनका उच्चारण सुनने के बाद स्वयं उस शब्द को बोलकर रिकॉर्ड कर सकते हैं और फिर मूल शब्द एवं स्वयं द्वारा रिकॉर्ड किए हुए शब्द को एक के बाद एक सुनकर उच्चारण-संबंधी अपनी कमियों को दूर कर सकते हैं।

विदेश मंत्रालय तथा इलैक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की सहमति एवं भागीदारी से राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय में 'हिंदी प्रौद्योगिकी संसाधन केंद्र' (Hindi Technology Resource Centre) की स्थापना की गई हैं। इस केंद्र के द्वारा आधुनिक तकनीक के अनुसार राजभाषा के लिए ई-टूल्स के मानक निर्माण में सहायता, उनका निर्माण/विकास, उनका मूल्यांकन तथा प्रचार-प्रसार करना, सभी सरकारी वैबसाइट/एप्लीकेशन को राजभाषा के अनुरूप विकसित कराने में परामर्श देना तथा सरकारी संस्थानों में नॉन-यूनिकोड एनकोडिंग डाटा को यूनिकोड एनकोडिंग में बदलने-संबंधी परामर्श एवं यूनिकोड के प्रयोग को बढ़ावा देने का कार्य किया जाना है। आवश्यक संसाधन उपलब्ध होते ही यह केंद्र हिंदी में प्रौद्योगिकी आधारित अन्य टूल्स विकसित करेगा तथा प्रचार-प्रसार व प्रयोग हेतु अपेक्षित कार्यवाही करेगा तथा इलैक्ट्रॉनिक माध्यमों पर हिंदी भाषा का कंटेंट बढ़ाने पर भी कार्य करेगा। हिंदी प्रौद्योगिकी संसाधन केंद्र की स्थापना तथा तकनीकी टूल्स संबंधित मुद्दों पर दो बैठकें क्रमश: 08 जनवरी, 2018 तथा 15 मई, 2018 को हुईं। पहली बैठक की अध्यक्षता सचिव (राज-भाषा) श्री प्रभासकुमार झा ने की एवं संयुक्त सचिव (राजभाषा) डॉ. बिपिन बिहारी के अलावा प्रो. अशोक चक्रधर, सुश्री स्वर्णलता वरिष्ठ निदेशक इलैक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, डॉ. हेमंत दरबारी, सी-डैक, श्री संदीप आर्य, निदेशक, राजभाषा विभाग, डॉ. जयप्रकाश कर्दम, निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, श्री केवलकृष्ण, वरिष्ठ निदेशक तकनीकी, श्री बालेंदु शर्मा, माइक्रोसाफ्ट आदि बैठक में उपलब्ध रहे। दूसरी बैठक में भी हिंदी

प्रौद्योगिकी संसाधन केंद्र की विभिन्न कार्य-योजनाओं पर विस्तृत चर्चा की गई।

अनुशंसा-17

अन्य भाषा-भाषी प्रांतों से आए अधिकारियों के लिए हिंदी सीखने का प्रशिक्षण अनिवार्य हो।

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी-शिक्षण योजना द्वारा केंद्र सरकार के हिंदीतर भाषा-भाषी कार्मिकों को अनिवार्य सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

अनुशंसा-18 (अनुशंसा - 12 में सम्मिलित)

अनुशंसा-19

प्रशिक्षण सेंटर प्रणाली के माध्यम से हो।

वर्तमान प्रशिक्षण-व्यवस्था के अंतर्गत संचालित कक्षाओं में एक ही कक्षा में केंद्र सरकार के अनेक भाषा-भाषी कार्मिक प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, प्रशिक्षण हिंदी-अंग्रेज़ी के माध्यम से दिया जाता है।

उपर्युक्त अनुशंसाओं के अतिरिक्त प्रथम बैठक में कुछ अन्य सुझाव प्राप्त हुए, जिन पर भी राजभाषा विभाग ने संज्ञान लेते हुए आवश्यक कार्यवाही आरंभ की।

सुझाव-1

भारतवर्ष के राजभाषा अधिकारियों के वेतनमानों एवं पदनामों में एकरूपता होनी चाहिए एवं पदोन्नति के अवसर भी प्रदान करना सुनिश्चित करना चाहिए।

इस संदर्भ में राजभाषा विभाग द्वारा शीर्ष स्तर पर पत्र लिखा गया है। यदि किसी मंत्रालय/विभाग द्वारा वेतनमानों एवं पदनामों में विसंगतियों का संदर्भ राजभाषा विभाग में प्रस्तुत किया जाता है तो राजभाषा विभाग द्वारा तत्काल

संबंधित मंत्रालय/विभाग को इस विषय में उपर्युक्त सूचना के अनुसार कार्यवाही के लिए विशेष रूप से कहा जाता है।

सुझाव-2

विदेशों में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया जाए।

वर्तमान में देश के अंदर लगभग 500 नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां कार्य कर रही हैं। राजभाषा हिंदी के प्रभावी कार्यान्वयन में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विदेशों में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के गठन से विदेशों में स्थित भारत सरकार के कार्यालयों/बैंकों/उपक्रमों आदि में भी राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन को सुनिश्चित किया जा सकेगा। इसलिए माननीय गृह राज्य मंत्री ने 02 जून, 2016 को आयोजित अनुवर्ती कार्यवाही की बैठक में विदेशों में भी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के गठन पर आवश्यक कार्यवाही करने का निर्णय लिया। विदेशों में भी नराकास के कार्यालयों के बारे में विदेश मंत्रालय से कार्यवाही के लिए कहा गया। दिनांक 04 जनवरी, 2017 को आयोजित बैठक में माननीय गृह राज्य मंत्री ने, जिन देशों से सकारात्मक सूचना प्राप्त हुई है, ऐसे दो देशों में नराकास के गठन की कार्यवाही तत्काल प्रारंभ करने के निर्देश दिए। दिनांक 16 मई, 2018 को माननीय गृह राज्य मंत्री जी की अध्यक्षता में अनुवर्ती कार्यवाही की बैठक में पुनः विदेशों में नराकास गठन का कार्य विदेश मंत्रालय द्वारा करने के लिए फिजी इत्यादि किन्हीं दो स्थानों से प्रारंभ करने को कहा गया। इसके फलस्वरूप विदेश मंत्रालय द्वारा सिंगापुर एवं सुवा (फिजी) में नराकास गठन की स्वीकृति दे दी गई है। यह एक ऐतिहासिक क़दम है, जो विदेशों में मितव्ययता के साथ हिंदी के कार्यान्वयन, प्रचार-प्रसार एवं आपसी समन्वय के साथ भारतीय संस्कृति को व्यापक बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगा।

5

विधि एवं न्याय क्षेत्र में हिंदी और भारतीय भाषाएं

प्रस्तुति : डॉ. बिपिन बिहारी
संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है एवं समाज में रहता है। इस समाज में रहने के लिए उसे नियम, क़ायदे एवं क़ानून का सामान्य ज्ञान होना आवश्यक है। सामान्य नागरिक का विधि से किसी न किसी प्रकार का वास्ता पड़ता ही रहता है। अतः विधि शिक्षा तथा विधि प्रक्रिया का स्वरूप ऐसा होना चाहिए कि विधि छात्रों के अतिरिक्त अन्य सामान्य नागरिकों को भी विधि का सामान्य ज्ञान हो सके। स्वतंत्रता से पहले विधि शिक्षा में हिंदी का प्रयोग अत्यंत सीमित था। सन् 1937 में अंग्रेज़ों ने उर्दू का विधि क्षेत्र में माध्यम के रूप में प्रयोग प्रारंभ कर दिया, क्योंकि अंग्रेज़ी शासनकाल में हिंदी में विधि शब्दावलियों का नितांत अभाव था। फलस्वरूप इंग्लैंड में छपी विधि संकल्पनाओं को हिंदी माध्यम से व्यक्त करने में अक्षम थे। अतः विधि शिक्षा एवं विधान क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग नाममात्र का ही था। इस समस्या को दूर करने हेतु अंग्रेज़ी की विधि शब्दावली का उर्दू में अनुवाद किया गया। इस अनुवाद की लिपि फ़ारसी थी, किंतु बाद में नागरी प्रचारिणी सभा

काशी के प्रयत्नों से अनुवादों की लिपि में विधि में देवनागरी लिपि के प्रयोग की अनुमति प्राप्त हो सकी (संदर्भ साहित्य समाचार पत्रिका जनवरी से मार्च, 1992)

स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात 8 अक्टूबर, 1947 को उत्तर प्रदेश की भाषा के रूप में हिंदी भाषा एवं देवनागरी लिपि को अंगीकार किया गया। इसके पश्चात विधि में उपलब्ध किताबों का हिंदी अनुवाद एवं हिंदी में विधि शब्दावली तथा हिंदी माध्यम में विधि शिक्षा का मार्ग खुल गया। भारत सरकार द्वारा हिंदी भाषा में पुस्तकों का अनुवाद कराया गया, फलस्वरूप एकमात्र अंग्रेज़ी में उपलब्ध पुस्तकों का विकल्प मिल गया। वर्तमान में विधि की पुस्तकों के हिंदी अनुवाद एवं हिंदी में लिखी पुस्तकें उपलब्ध हैं। संविधान का अनुच्छेद 343 (1) हिंदी को राजभाषा घोषित करता है, अतः सारे कामकाज हिंदी में किए जाने चाहिए, क्योंकि हिंदी एक सरल, सहज, सुंदर, सर्वश्रेष्ठ एवं वैज्ञानिक भाषा है। भारत की राजभाषा होने के कारण सरकारी कामकाज के अलावा विधि एवं विधान तथा क़ानून-निर्माण की भाषा भी एक ही होनी चाहिए। साथ ही जहां तक हो सके विधि की भाषा सरल हो अर्थात् विधि निर्माण एक सर्वसम्मत सरल सहज भाषा में होना आज की महती आवश्यकता है। न्यायालय में हिंदी तथा भारतीय भाषाओं के प्रयोग के प्रश्न कई बार उठाए गए। ऐसा कहा जाता है कि हिंदी में अच्छी विधि शब्दावलियों का अभाव एवं प्रिवी कौंसिल के निर्णय की हिंदी में पुस्तकों, विभिन्न निर्देशों आदि की कमी है, लेकिन आज विधि शब्दावली का निर्माण हो चुका है, हिंदी में कई अंग्रेज़ी पुस्तकों के अनुवाद एवं हिंदी में लिखी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं।

यह भी ज्ञात हुआ है अधिवक्ता साधारणतया हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में अपने आपको सहज महसूस करते हैं और न्याय के लिए आमजन से जुड़कर उसकी बात रखने में अधिक सफल हो सकते हैं।

भोपाल में आयोजित 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन में 'विधि एवं न्याय क्षेत्र में हिंदी तथा भारतीय भाषाओं के प्रयोग' पर बात की गई तथा अनेक विद्वानों ने अपने-अपने मत देकर भारत में हिंदी भाषा के प्रभावी उपयोग पर ज़ोर देने की

बात की।

उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व हिंदी सम्मेलन के विषय 'विधि एवं न्याय क्षेत्र में हिंदी तथा भारतीय भाषाएं' गृह मंत्रालय के अधीन राजभाषा विभाग को दिए गए थे। राजभाषा विभाग की स्थापना 1975 में की गई थी एवं इस विभाग के गठन का उद्देश्य केंद्र सरकार के कार्यालयों में हिंदी का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है। विश्व हिंदी सम्मेलन में प्राप्त बिंदु पर अनुवर्ती कार्यवाही करते हुए राजभाषा विभाग संबंधित सभी मंत्रालयों/विभागों से लगातार संपर्क स्थापित कर सौहार्दपूर्ण वातावरण में अनुशंसा अनुपालना सुनिश्चित की। 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन की अनुशंसा अनुपालन समिति की दिनांक 24 अक्टूबर, 2015 को आयोजित प्रथम बैठक में माननीय गृह राज्यमंत्री को दिए गए विषय 'विधि एवं न्याय क्षेत्र में हिंदी तथा भारतीय भाषाएं' पर माननीया विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी की अध्यक्षता में अनुशंसा अनुपालन समिति की कुल सात बैठकें क्रमश: पहली बैठक 24 अक्टूबर, 2015, दूसरी 28 जनवरी, 2016, तीसरी 12 अप्रेल, 2016, चौथी 31 अगस्त, 2016, पांचवीं 23 मई, 2017, छठी बैठक 29 दिसंबर, 2017 एवं सातवीं बैठक 26 मई, 2018 को आयोजित की गई तथा माननीय गृह राज्यमंत्री श्री किरेन रीजीजू की अध्यक्षता में अनुवर्ती कार्यवाही करते हुए पांच बैठकें क्रमश: 06 नवंबर, 2015, 12 फरवरी, 2016, 02 जून, 2016, 04 जनवरी, 2017 एवं 16 मई, 2018 को हुईं। प्रथम बैठक में कुल 06 अनुशंसाएं/सुझाव प्राप्त हुए, जिन पर राजभाषा विभाग द्वारा अनुशंसा क्रम से प्रगति को आगामी पृष्ठों के प्रतिवेदन खंड में समझा जा सकता है।

प्रतिवेदन : विधि एवं न्याय क्षेत्र में हिंदी और भारतीय भाषाएं

अनुशंसा–1

उन प्रदेशों में, जहां उच्च न्यायालय में व उस प्रदेश की भाषा में वादपत्र, शपथपत्र, अभिवाचन तथा अभिलेख या तर्क प्रस्तुत करना अनुमन्य है, वहां हिंदी में भी आदेश, निर्णय व अनुज्ञप्ति दिए जाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 348 (2) की व्यवस्था में कार्य करने की अनुमति सभी उच्च न्यायालयों को तुरंत दी जाए।

सुझाव

उच्च न्यायालयों व अन्य न्यायालयों में हिंदी के प्रयोग को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

जैसा कि ज्ञात है कि उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 348 के तहत उच्चतम न्यायालय के कार्य की भाषा अंग्रेज़ी है। लेकिन अनुच्छेद 348 (2) में यह व्यवस्था है कि राज्य में प्रचलित किसी भी भाषा को माननीय राष्ट्रपति जी के अनुमोदन से उच्च न्यायालय की वैकल्पिक भाषा के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में बांग्ला के लिए, तमिलनाडु में तमिल के लिए, कर्नाटक में कन्नड़ के लिए, गुजरात में गुजराती के लिए, छत्तीसगढ़ में हिंदी को उच्च न्यायालय की वैकल्पिक भाषा बनाने के लिए मंत्रिमंडल को प्रस्ताव भेजा गया था, मंत्रिमंडल ने उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रस्ताव भेजा था, लेकिन मुख्य न्यायाधीश ने इन सब प्रस्तावों को अस्वीकृत कर दिया। इसलिए सरकार द्वारा वर्ष 1965 में मंत्रिमंडल में लिए गए निर्णय पर शीघ्र पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। इस दिशा में आगे प्रयास करते हुए राजभाषा विभाग द्वारा उच्च न्यायालयों में हिंदी एवं क्षेत्रीय भाषाओं के वैकल्पिक प्रयोग के संबंध में कैबिनेट नोट माननीय गृहमंत्री जी के अनुमोदन से प्रधानमंत्री कार्यालय को विचारार्थ भेजा जा चुका है।

अनुशंसा-2

न्यायालय में प्रयोग के लिए हिंदी का एक मानक विधि शब्दकोश शीघ्र ही बनाया जाए, जिसमें संविधान स्वीकृत सभी भाषाओं तथा अंग्रेज़ी के समानांतर तथा पर्यायवाची शब्द ही समाहित हों और उसके आधार पर हिंदी के शपथपत्रों, अभिवाचनों व अभिलेखों में प्रयोग करने के लिए अनुमन्य हो।

विधि एवं न्याय मंत्रालय तथा विधायी विभाग द्वारा भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में दी गई 22 भाषाओं के मानक शब्दकोश तैयार करने का प्रयास प्रारंभ किया गया। विधि शब्दावली-संबंधी मुद्दे पर दिनांक 02.06.2016 को माननीय गृह राज्य मंत्री की अध्यक्षता में हुई अनुवर्ती कार्यवाही बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार 22 भाषाओं में विधि शब्दावली तैयार करने के लिए राजभाषा विभाग के तत्त्वावधान में एक संयुक्त मंच का गठन किया गया। इसमें विधि और न्याय मंत्रालय, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, केंद्रीय हिंदी मंडल, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो के प्रतिनिधि शामिल हैं। संयुक्त सचिव (राजभाषा), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय इसके अध्यक्ष हैं। विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा 65000 शब्दों की विधि शब्दावली तैयार कर ली गई है और विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा विधि शब्दावली को त्रिभाषा सूत्र हिंदी-अंग्रेज़ी-संबंधित भाषा के आधार पर सात भाषाओं– गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, उर्दू तथा बांग्ला में तैयार कर लिया गया है। इसके अगले क्रम में विधायी विभाग आठवीं अनुसूची में बची 14 भाषाओं में से चार भाषाओं में यथा कन्नड़, उड़िया, मलयालम तथा असमिया में विधि शब्दावली के निर्माण का कार्य प्रारंभ करने की योजना बना ली है। बाकी 10 भाषाओं में अधिनियम उपलब्ध होने पर कार्य किया जाएगा। संयुक्त मंच द्वारा नियमित बैठकें कर इस दिशा में उपर्युक्त महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की गईं।

अनुशंसा-3

विधि शिक्षा के पांचवर्षीय पाठ्यक्रम में सभी शिक्षा संस्थाओं में अंग्रेज़ी के साथ हिंदी में शिक्षा प्रदान करने के लिए भारत सरकार के द्वारा शीघ्र क़दम उठाते हुए हिंदी माध्यम से शिक्षा दिए जाने की व्यवस्था अगले शिक्षा सत्र से प्रारंभ करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

सुझाव

विधि में हिंदी के प्रयोग को सुलभ बनाना होगा।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने बताया है कि 37 विश्वविद्यालयों (केंद्रीय) ने विधिक पाठ्यक्रम हिंदी माध्यम से पढ़ाना शुरू कर दिया है, लेकिन अधिकतर दक्षिण भारतीय विश्वविद्यालयों ने इसे स्वीकार नहीं किया है।

अनुशंसा-4

राजभाषा अधिनियम के अंतर्गत अब तक क़ानून बने सभी संकल्पों को, जो उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालयों में हिंदी को स्थापित करने के लिए संसद से पारित हो चुके हैं, समयबद्ध रूप में भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में क़दम उठाए जाएं।

वर्तमान में चार राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान के उच्च न्यायालय में हिंदी के वैकल्पिक प्रयोग की अनुमति है।

6

गिरमिटिया देशों में हिंदी

प्रस्तुति : डॉ. प्रेम जनमेजय

अनिश्चित भविष्य के साथ गए थे जहाजी

भिन्न भौगोलिक, राजनीतिक व्यवस्था, भाषा एवं सांस्कृतिक परिवेश में जी रहे गिरमिटिया भारतीय संस्कृति और हिंदी भाषा के संदर्भ में एकात्म हैं। भारतीय संस्कृति एवं भाषा उनकी जठराग्नि है, अस्मिता की पहचान और गंगाजल की तरह पवित्र आवश्यकता है। हम भारतीय उन्हें उतना नहीं जानते हैं, जितना वे हम भारतीयों की धड़कनों से परिचित हैं। सूरीनाम, फिजी, गुयाना, जमैइका, मॉरीशस, त्रिनिडाड और टुबैगो आदि ऐसे देश हैं, जहां रहनेवाले भारतवंशियों का अतीत बहुत कुछ एक जैसा है।

जिन परिस्थितियों और कारणों के साथ, स्वदेश के किनारों से दूर, समुद्र की लहरों के साथ डूबते-उतरते और हिचकोले खाते, पानी के जहाज में अनेक अजनबी चेहरों में अपनापन तलाशते, अनिश्चित भविष्य के साथ जब ये जहाजी विभिन्न द्वीपों में मज़दूर बनकर उतरे थे तो उन्होंने सोचा भी नहीं था कि कुछ वर्षों बाद वे यहां एक छोटा भारत ही बसा देंगे। विभिन्न नामों वाले जहाजों से, विभिन्न द्वीपों में क़दम रखने वाले, गन्ने के खेतों में काम करने को आए इन मज़दूरों के पास अनेक विवशताओं और विपरीत परिस्थितियों से लड़ने के लिए आस्था का ऐसा हथियार था, जिसने अपनी परंपरा, संस्कृति और भाषा को मरने

नहीं दिया। मुख्यतः भोजपुरी और अवधी भाषा के साथ इन द्वीपों पर क़दम रखने वाले भारतवंशी आर्थिक दृष्टि से विपन्न थे। अधिकांश अनपढ़ भारतीय तुलसी की 'रामचरितमानस' द्वारा शिक्षित, लोकगीतों तथा लोक संस्कृति को अपने ख़ून में बसाए मिट्टी से सोना बनाने को आए परिश्रमी थे। आए तो सब यह सोचकर थे कि एक दिन अपने देस लौटेंगे, पर धीरे-धीरे विदेस ने देस का आकार लेना आरंभ कर दिया।

एक बात आरंभ में कह दूं कि गिरमिटिया देशों में हिंदी भाषा संवाद एवं व्यवसाय का हेतु नहीं है अपितु धर्म और संस्कृति हिंदी के संवाहक हैं। हिंदी को इनसे अलग कर नहीं देखा जा सकता। हिंदी गंगाजल की तरह पवित्र है, संग्रहणीय है, पूजनीय है, अस्मिता की पहचान है एवं 'आवश्यकतानुसार' उसका सदुपयोग किया जाता हैं। हिंदी संवाद और व्यवहार की भाषा नहीं है।

मुझे याद है कि त्रिनिडाड में पहली बार 1999 में, 'हिंदी दिवस' पर, हिंदू प्रचार सभा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मैंने कहा था- 'यह एक आश्चर्यजनक विसंगति है कि लगभग 48 प्रतिशत भारतीय मूल के देश में मैं हिंदी को विदेशी भाषा के रूप में अंग्रेज़ी माध्यम से पढ़ाने आया हूं। क्या आपने सोचा कि कैसे आज विदेशी भाषा मातृभाषा और मातृभाषा विदेशी भाषा हो गई? आज भारतीय मूल की मां अपने बच्चे को अंग्रेज़ी भाषा में तुतलाना सिखा रही है।' इसपर प्रख्यात पत्रकार एवं हिंदू प्रचार सभा के अध्यक्ष रवि जी ने कहा, 'डाक्टर प्रेम कुंद्रा, इट्स नॉट सो, वुई हैव जस्ट लॉस्ट द टच।' इस बात पर उन्होंने गार्जियन में विस्तृत आलेख भी लिखा। उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि मैं त्रिनिडाड के इतिहास को पढ़ूं और जहाजी भाइयों के संघर्ष को जानूं। इसके लिए उन्होंने मुझे प्रसिद्ध इतिहासविज्ञ डॉ. ब्रिंसले समारूह, जो वेस्ट इंडीज विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में थे, से मिलने को कहा। उन्होंने मुझे विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में गेराड ब्रेसन एवं ब्रिजेट ब्रटेन द्वारा संपादित पुस्तक 'द बुक ऑफ़ त्रिनिडाड' तथा मंगल पतेसर, कॉर्ल मोहम्मद, केनेथ रामचंद आदि को पढ़ने की सलाह दी। लगभग दो वर्ष तक मैंने बहुत कुछ पढ़ा

और कुली से कुलीन होने के, जहाजी भाइयों के संघर्ष को जाना। इसी के आधार पर मैंने, रविजी के आग्रह पर 'जहाजी चालीसा' लिखा जिसकी पांडुलिपि का लोकार्पण तत्कालीन प्रधानमंत्री बासदेव पांडेय ने सन् 2000 में दीवाली नगर में किया। बाद में रवि जी ने 'जहाजी चालीसा' की 2002 में पचास हजार प्रतियां प्रकाशित कीं, मई 2002 के 'इंडिया एराइवल डे' पर केंद्र की संगीत मंडली ने इसकी धुन बनाई और गायन किया।

सन् 1845 में जब भारतीय स्वतंत्रता-संग्राम की भूमिका तैयार हो रही थी, त्रिनिडाड में गिरमिटिया अपनी अस्मिता के संग्राम की भूमिका तैयार कर रहे थे। वे दो मोर्चों पर संग्राम की तैयारी कर रहे थे- एक था जीवन-यापन के लिए तत्कालीन प्रशासन के विरुद्ध संघर्ष और दूसरा मोर्चा था अपनी अस्मिता की रक्षा का तत्कालीन पाश्चात्य सोच के विरुद्ध संघर्ष। बहुत कठिन होता है बंधुआ मजूर के लिए, परतंत्र होते हुए आजीविका, अपने धर्म, अपनी संस्कृति और भाषा की रक्षा कर पाना। जो समाज आपके पहनावे, आपके खान-पान, आपके रहन-सहन का उपहास करता हो और आपको हेय और अपरिचित दृष्टि से देखता हो तथा आपको बर्बर, लकड़हारा मात्र समझता हो, उससे लड़ने के लिए अदम्य साहस और दृढ़ इच्छाशक्ति चाहिए होती हैं। यदि मैं आपसे कहूं कि फटल रजाक से 30 मई, 1845 में पहुंचे त्रिनिडाडयन गिरमिटियों ने लगभग 13 वर्ष तक अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा तो आप बच्चों को 13 वर्ष तक शिक्षा से वंचित रखने का दोषी मानेंगे। पर यदि गहराई में उनके संघर्ष को देखें-परखें तो आप पाएंगे कि आपकी सोच सतही है।

वस्तुतः अपनी अस्मिता, संस्कृति, धर्म और भाषा को बचाए रखने के लिए यह 'पलायन' उनका सुरक्षा-कवच था। श्रीकृष्ण की तरह रणछोड़ की भूमिका थी। उन दिनों तथाकथित पब्लिक स्कूल धर्म-परिवर्तन का केंद्र थे। जहाजी भाइयों ने अपने धर्म, अपनी संस्कृति और भाषा की रक्षा के लिए यह विवेकसम्मत क़दम उठाया। और इसका परिणाम यह निकला कि इतने लंबे इतिहास में केवल 11 प्रतिशत ही धर्मांतरण हुआ। इस चुनौती से निपटने के लिए

1928 में ऑल इंडिया हिंदू महासभा नामक संगठन बना। भारतीय परंपराओं को जीवित रखने, धर्म के बचाव तथा सांस्कृतिक उत्थान के लिए शिक्षा को आवश्यक समझा गया और इसके लिए रात्रि स्कूलों की व्यवस्था की गई। संस्था के अध्यक्ष सहदेव पंडित ने ऐसे स्कूल की आवश्यकता पर बल दिया, जहां हिंदी और उर्दू, दोनों की पढ़ाई हो। स्वयं को शिक्षित करने के संघर्ष की यह एक लंबी गाथा हैं।

आर्थिक दृष्टि से संपन्न होने के बावजूद इन जहाजियों को उनकी वेशभूषा और भाषा के कारण 'कुली' कहकर ही बुलाया जाता था। जैसे भारत में अंग्रेज़ी और पश्चिमी वेशभूषा आधुनिकता तथा पढ़े लिखे होने का प्रतीक है, वैसा ही खेल यहां भी हुआ। अपनी संतान को बदलते समाज के साथ ढालने की प्रक्रिया में परिवार का रूपरंग बदलने लगा। कुली से कुलीन होने की चाह ने धन-प्राप्ति को चिड़िया की आंख बना दिया। परंतु कुछ बरस बाद, आर्थिक दृष्टि से संपन्न होने पर तथा कुछ भारतीय मिशनरियों के 'ज्ञान' ने यह सोचने पर विवश करना आरंभ कर दिया कि अपनी संस्कृति और अपनी भाषा के अभाव में हम अपनी अस्मिता खो रहे हैं।

भारतीय संस्कृति, हिंदी भाषा, फ़िल्मी गीतों तथा धर्म के आकर्षण ने एक अनन्य भूख को जन्म दिया और ये इसी भूख का परिणाम है कि इन द्वीपों में अनेक धार्मिक, सामाजिक भारतीय संस्थाओं के साथ-साथ हिंदी फ़िल्मी और उनके गीत, हिंदी भाषा को जीवंत किए हैं। त्रिनिडाड और टुबैगो में तो 'दुलारी' फ़िल्म में मोहम्मद रफी के गाए गीत, सुहानी रात ढल चुकी... को दूसरा राष्ट्रगान माना जाता है। हिंदी भाषा के प्रति, इसी भूख का परिणाम है कि भाषा और साहित्य के उच्चतम ज्ञान से स्वयं को जोड़ने के लिए अनेक अंतरराष्ट्रीय और विश्व हिंदी सम्मेलनों का आयोजन इन द्वीपों में हुआ है। त्रिनिडाड में 400 से अधिक मंदिर हैं जिनमें अधिकांश में हिंदी पढ़ाई जाती है। यहां हिंदी पढ़ाने का कार्य अधिकांशतः पंडित करते हैं। इसके अतिरिक्त हिंदू महासभा, हिंदू प्रचार केंद्र, आर्य प्रतिनिधि सभा, हिंदू सेवा संघ, त्रिनिडाड अकादमी ऑफ़ हिंदूइज़्म,

कबीर पंथ, डिवाइन लाइफ़ सोसाइटी आदि संस्थाएं हिंदी-शिक्षण का पाठ्यक्रम उपलब्ध कराती हैं। वेस्ट इंडीज विश्वविद्यालय, भारतीय उच्चायोग, भारतीय सांस्कृतिक केंद्र इस दिशा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसके साथ ही डॉ. हरिशंकर आदेश ने अपने आश्रमों के माध्यम से न केवल हिंदी-शिक्षण को आधार दिया अपितु संगीत और नृत्य की शिक्षा को भी आधार दिया, समय-समय पर विदेशों से आने वाले साहित्यकारों के लिए कवि सम्मेलन, गोष्ठियों का आयोजन करते रहे हैं।

भौगोलिक दृष्टि से त्रिनिडाड और टुबैगो चाहे हज़ारों मील दूर हैं, परंतु भारतीय मूल के त्रिनिडाडियों के हृदय के बहुत करीब हैं। भारतीय संस्कृति, धर्म, कला, हिंदी भाषा आदि के प्रति एक स्वाभाविक आकर्षण अनुभव किया जा सकता है। हिंदी को वहां सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। वहां का भारतीय मूल का व्यक्ति टूटी-फूटी हिंदी बोलकर स्वयं को सम्मानित अनुभव करता है। यही नहीं, वहां का पंडित यदि अपने अंग्रेज़ी में दिए गए प्रवचन में संस्कृत या हिंदी का प्रयोग करे तो विद्वान माना जाता है।

तुलसी ने भी अपने समय में एक लड़ाई लड़ी थी और यह लड़ाई उन्होंने शस्त्र से नहीं, शास्त्र से लड़ी थीं। जहां-जहां गिरमिटिया गए, वहां-वहां भी यह लड़ाई जारी है। यहां तुलसी एक कवच हैं। तुलसी भारतीय संस्कृति के रक्षक ही नहीं, एक ऐसे पिता भी हैं, जो अपनी संतान को निरंतर अच्छे संस्कार देते हैं, तथा एक वृक्ष बनकर निरंतर उसकी रक्षा करते हैं। यह तुलसी वृक्ष निरंतर विकसित हो रहा है। तुलसी द्वारा रचित रामकथा वह सूर्य है, जो कभी अस्त नहीं होता। कोई ऐसा पल नहीं है, जब विश्व के किसी न किसी कोने में तुलसी के दोहे और चौपाइयां गूंज न रही हों। प्रख्यात साहित्यकार विष्णुकांत शास्त्री ने अपनी एक चतुष्पदी में उचित कहा है-

हां, सतह पर दिख रहे अंतर समय सक्रिय रहा।
किंतु, मन अब भी रमा है जानकी-अवधेश में।।

तुलसीदास का 'रामचरितमानस' हिंदी-शिक्षण का एक महत्वपूर्ण माध्यम

बन सकता है। तुलसी के रामचरितमानस को गिरमिटिया देशों में हिंदी की निरंतर प्रज्वलित मशाल कहें, तो अत्युक्ति न होगी।

जैसा कि उपर्युक्त लिखा गया, भिन्न भौगोलिक, राजनीतिक व्यवस्था, भाषा एवं सांस्कृतिक परिवेश में जी रहे गिरमिटिया भारतीय संस्कृति और हिंदी भाषा के संदर्भ में एकात्म हैं। परंतु, हिंदी की स्थिति सभी गिरमिटिया देशों में एक जैसी नहीं है। सूरीनाम, फिजी, गुयाना, जमैइका, मॉरीशस, त्रिनिडाड और टुबैगो आदि देशों में हिंदी विभिन्न रूपों में उपस्थित है। हिंदी साहित्य में मॉरीशस के रचनाकारों की उपन्यास, नाटक, व्यंग्य आदि विधाओं में महत्वपूर्ण उपस्थिति है, तो त्रिनिडाड और टुबैगो में एक तरह का रेगिस्तान। अपने चार वर्ष के वेस्ट इंडीज विश्वविद्यालय में अतिथि आचार्य के रूप में कार्य करते हुए मैंने पूरे देश में हिंदी के विभिन्न स्तर देखे हैं। यहां के निवासी चाहे भारतीय मूल के हैं, रोटी, करेली, बैंगन, निमकहराम, चोखा आदि दैनिक व्यवहार में हिंदी के शब्द हैं, परंतु हिंदी उनके दैनिक व्यवहार की भाषा नहीं है। हिंदी के शब्द एफ.एम. स्टेशनों के द्वारा हिंदी फ़िल्मों के गीतों के रूप में चौबीसों घंटे हवा में तैरते हैं, परंतु उनके अर्थ समझने वाले एक प्रतिशत लोग भी नहीं हैं। हर त्योहार पर मंदिरों में लोग बड़ी श्रद्धा से भजन गाते हैं, भारतीय संगीत प्रत्येक कार्यक्रम का अभिन्न अंग है और उसकी धुन उनके हृदयों का स्पर्श अवश्य करती है, परंतु अर्थ उन तक पहुंच नहीं पाते हैं। हिंदी के अनेक ऐसे छात्र हैं, जो हिंदी के प्रति अपनी असीम भूख के कारण एक ही पाठ्यक्रम को बार-बार पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनके लिए उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम ही नहीं है। निश्चित पाठ्यक्रम पर आधारित हिंदी की नियमित शिक्षा मात्र वेस्ट इंडीज विश्वविद्यालय में दी जाती है और यह शिक्षा भी प्राथमिक स्तर की है। त्रिनिडाड में हिंदी अपनी उपस्थिति दर्ज करती है, पर टुबैगो में बिल्कुल उपस्थित नहीं है।

मॉरीशस में हिंदी साहित्य को प्रो. वासुदेव विष्णुदयाल, मुनीश्वर लाल चिंतामणि, अभिमन्यु अनत, प्रह्लाद रामशरण, सोमदत्त बखौरी, अजामिल माताबदल, रामदेव धुरंधर आदि पचास से अधिक सक्रिय भाषाविद् एवं

साहित्यकार बहुख्यात हैं। यहां के विश्वविद्यालय में हिंदी में शोध-कार्य होता हैं। फिजी में चंद्रदेव सिंह, पं. गुरदयाल शर्मा, पं. अमीचंद, जे. एस. कमल, माता प्रसाद, डॉ. सुब्रमणि, विवेकानंद आदि रचनाकारों का नाम प्रमुखता से लिया जाता हैं। सूरीनाम में भी हिंदी भाषा में लेखन हुआ है, पर वह हिंदी साहित्य में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाया है। जीतनारायण ने सरनामी हिंदी में कविताएं लिखी हैं। देवनारायण ने भोजपुरी में लिखा है। महातम सिंह ने 'सेतुबंध' पत्रिका का प्रकाशन-संपादन किया। त्रिनिडाड एवं टुबैगो में प्रो. हरिशंकर आदेश का नाम लिया जा सकता है, जिन्होंने हिंदी साहित्य में अपनी उपस्थिति रेखांकित की है। छोटकन लाल, पेगी मोहन, आशा, स्वांत:सुखाय ही लिखते हैं। जैसा हिंदी का स्वर त्रिनिडाड टुबैगो में सुनाई देता है, वैसा ही कैरेबियाई देशों में हिंदी का स्वर मुख्य रूप से सूरीनाम, गुयाना और जमैइका में सुनाई देता है तथा इसके साथ गुऑडलूप, बारबोडॉ, कुरासॉव जैसे अनेक छोटे द्वीपों में भी सुनाई देता है। अतः स्पष्ट है कि गिरमिटिया देशों में हिंदी की उपस्थिति में समानता नहीं है। इस कारण हिंदी पठन-पाठन को लेकर भिन्न दृष्टि, सामग्री और सोच की आवश्यकता है।

कुली से कुलीन होने का संघर्ष लगभग सभी गिरमिटियों का एक जैसा हैं। वर्तमान चाहे भिन्न है पर इनका अतीत एक जैसा है। इनका वर्तमान भौतिक वैभव से समृद्ध है, तो अतीत संघर्ष से समृद्ध रहा है। गिरमिटियों का संघर्ष अतुलनीय है और इस संघर्ष-प्रक्रिया को न केवल जाना जाय, अपितु आज के समय को उससे परिचित भी कराया जाए। इनका संघर्षशील इतिहास प्रवासी साहित्य पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण अंग होना चाहिए। ये इन्हीं के कारण है कि आज भारतीय संस्कृति और हिंदी का सूर्य कभी अस्त नहीं होता। गिरमिटिया न केवल मेरे हृदय से जुड़े हैं, अपितु मेरी आत्मा का भी हिस्सा हैं। इन्हें मैं जहाजी भाई मानता हूं। मैंने इनके कुली से कुलीन बनने के संघर्ष को पढ़ा, सुना और समझा है। इनके संबंध में जितना कहा जाए कम है। तुलसीदास ने कहा है—

'करन चाहुं रघुपति गुन गाहा। लघु मति मोरि चरित अवगाहा।'

प्रतिवेदन : गिरमिटिया देशों में हिंदी

अनुशंसा-1

विदेश (गिरमिटिया देश) में प्रभावी हिंदी शिक्षा के प्रसार के लिए कुशल प्रशिक्षित शिक्षकों को उपलब्ध कराना उपयोगी होगा। वहां की भाषा (बोली) के ज्ञाता शिक्षकों को वरीयता दी जाए। यही नियम भारतीय दूतावासों के कर्मचारियों पर भी लागू किया जाए।

सूरीनाम, फिजी, गुयाना, जमैइका, मॉरीशस, त्रिनिडाड और टुबैगो आदि देशों में हिंदी विभिन्न रूपों में उपस्थित है। सभी गिरमिटिया देश तकनीकी दृष्टि से संपन्न हैं। भाषा लैब जैसी व्यवस्था के माध्यम से आवश्यक सामग्री तैयार करवाई जा सकती हैं। प्राथमिक स्तर पर फ़िल्मी गीतों, बातचीत सभा, द्विभाषिक मासिक पत्रिका के माध्यम से हिंदी-शिक्षण को बढ़ावा दिया जाए।

त्रिनिडाड में 'हिंदी निधि स्वर' पत्रिका एवं बातचीत-क्लब के प्रयोग सफल रहे हैं। अतिथि आचार्य की महत्वपूर्ण भूमिका गिरमिटिया देशों में वहां के हिंदी शिक्षकों के लिए कार्यशालाएं आयोजित करने एवं नए शिक्षकों को शिक्षित करने में हो। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् एवं केंद्रीय हिंदी संस्थान इस दिशा में महत्वपूर्ण क़दम उठा रहे हैं।

इस सबंध में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् ने महत्वपूर्ण क़दम उठाए हैं। परिषद् के अनुसार विदेशों में (गिरमिटिया देशों सहित) हिंदी पढ़ाने के लिए जाने वाले शिक्षकों के प्रशिक्षण को भा.सां.सं.प. द्वारा अत्यधिक महत्त्व दिया जाता है। विषय की गंभीरता को दृष्टि में रखते हुए यह सुनिश्चित किया गया है कि पहली बार उनके प्रतिनियुक्ति पर विदेश जाने से पूर्व उन्हें अपने कार्य के संदर्भ में विशेष ज़रूरतों एवं समस्याओं के समाधान के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण दिया जाए। 7 व 8 जून, 2018 को हिंदी-शिक्षण के लिए विदेश भेजने हेतु चयनित शिक्षकों के लिए भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया।

अनुशंसा-2

संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी को स्थान दिया जाए।

संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी को स्थान दिलाने के लिए भारत सरकार के आवश्यक प्रयास सक्रिय हैं और अति शीघ्र इसके सुखद परिणाम सामने आने वाले हैं। गिरमिटिया देशों का हिंदी-प्रेम एक और सुदृढ़ आधार ग्रहण करेगा और उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। भारत में ही नहीं गिरमिटिया देशों के हिंदी विद्वानों को दुभाषियों के रूप में प्रशिक्षित किया जा सकेगा। हिंदी में रोज़गार के अनेक अवसर उपलब्ध होंगे तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी की महत्वपूर्ण पहचान विकसित होगी।

अनुशंसा-3

विदेशी हिंदी साहित्यकारों की रचनाओं का संकलन-प्रकाशन किया जाए और हिंदी साहित्य के इतिहास की मुख्यधारा से जोड़ा जाए। प्रकाशन में विश्व हिंदी सचिवालय द्वारा ई-प्रकाशन, जो कि व्यावसायिक दृष्टि से भी बहुत उपयोगी हो सकता है। गिरमिटिया देशों में भारत से जाने वाला प्रत्येक यात्री अपने साथ हिंदी की पुस्तकें लेकर जाए।

इस दिशा में अनेक महत्वपूर्ण कार्य आरंभ किए गए हैं तथा किए जा रहे हैं। केंद्रीय हिंदी संस्थान द्वारा प्रवासी जगत के साहित्य, साहित्यकार व संस्कृति पर केंद्रित पत्रिका 'प्रवासी जगत' का प्रकाशन आरंभ हुआ है। इसके पत्रिका के माध्यम से भारतीय हिंदी जगत और गिरमिटिया देशों के साहित्य के बीच एक पुल का निर्माण हो रहा है। संस्थान ने प्रवासी साहित्यकारों को दिए जाने वाले सम्मान की संख्या और राशि में भी वृद्धि की है।

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् द्वारा 'गगनांचल' नामक द्विमासिक साहित्यिक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है, जिसका उद्देश्य है विदेशों में हिंदी साहित्य का प्रचार-प्रसार करना। डॉ. हरीश नवल के संपादन में, 'गगनांचल' प्रवासी साहित्य के अंतर्गत लेख, कविताएं नियमित स्तंभों आदि को प्रमुखता से स्थान दे रहा है। इसे पिछले दिनों ऑनलाइन कर दिया है, जिससे देश-विदेश के

अनेक साहित्य, भाषा और संस्कृति प्रेमी व्यापक रूप से जुड़ गए हैं।

अंतरराष्ट्रीय सहयोग परिषद् जैसी अनेक संस्थाएं अपने स्तर पर अनेक महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का आयोजन कर रही हैं। गिरमिटिया देशों के राजदूतों को इन आयोजनों में विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता है।

आग्रह पर अनेक प्रकाशकों ने अपनी पुस्तकें इन देशों में भेजी, पर व्यावहारिक स्तर पर अनेक समस्याएं आईं। न केवल पुस्तकों को भेजना कुछ समस्याओं से युक्त है अपितु अनावश्यक पुस्तकों की वापसी भी समस्याओं से पूर्ण हैं। गिरमिटिया देशों में उच्च तकनीक की उपस्थिति एवं आधुनिक माध्यमों के प्रति अभिरुचि को देखते हुए आवश्यक है कि ई-बुक्स को प्राथमिकता दी जाए। उच्चायोग के पुस्तकालय ई बुक्स से संपन्न हों। हिंदी-शिक्षण के लिए भी ई सामग्री को प्राथमिकता दी जाए। इसके लिए संबंद्ध संस्थाओं से आग्रह किए गए।

अनुशंसा-4

हिंदी के उच्चारण की मानकता के साथ गिरमिटिया देशों की हिंदी भाषा (बोली) स्वरूप भी उनके उच्चारण लेखन के अनुरूप रखा जाए।

एकीकृत पाठ्यक्रम एवं गिरमिटियां देशों की हिंदी भाषा के स्वरूप के अनुसार उच्चारण की मानकता के साथ हिंदी-शिक्षण पर पाठ्यक्रम के लिए महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा एवं केंद्रीय हिंदी संस्थान ने आधार भूमि तैयार की है।

अनुशंसा-5

विदेश से हिंदी सीखने या हिंदी माध्यम से विविध क्षेत्र की शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों के लिए शिक्षण-संस्थानों में आरक्षण और सहयोग दिया जाए। भाषा के साथ-साथ लिपि का भी ध्यान रखा जाए। भारतीय विश्वविद्यालयों में प्रवासी लेखकों की रचनाओं पर एक प्रश्नपत्र रखा जाए। इसलिए हिंदी को संविधान में 'राष्ट्रभाषा' के पद पर आसीन किया जाए।

इस दिशा में 'केंद्रीय हिंदी संस्थान' अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। संस्थान द्वारा आरंभ अनेक नई योजनाएं हिंदी सीखने वाले अनेक विद्यार्थियों के लिए सहायक सिद्ध हो रही हैं। मेरठ विश्वविद्यालय एवं अंबेडकर विश्वविद्यालय जैसी शैक्षिक संस्थाओं में न केवल पाठ्यक्रम आंरभ किए गए हैं, अपितु इस विषय पर शोध-कार्य आरंभ किए गए है। अंबेडकर विश्वविद्यालय में 'ग्लोबल स्टडीज' के अंतर्गत हिंदी में स्नातक स्तर पर पाठ्यक्रम निर्मित किया गया है तथा इसके शीघ्र ही आंरभ होने की संभावना है। अंबेडकर विश्वविद्यालय के डॉ. सत्यकेतु तीन एम.फिल. करवा चुके हैं। इन दोनों विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त अंतरराष्ट्रीय सहयोग परिषद् जैसी संस्थाओं द्वारा प्रवासियों से जुड़े अनेक विषयों पर अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठियों के आयोजन आयोजित किए जा रहे हैं।

अनुशंसा-6

हिंदी शासन-प्रशासन की भाषा नहीं, यह शिक्षा, संचार, बाज़ार, जनसामान्य आदि की भाषा है। राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने के लिए हिंदी को संविधान में राष्ट्रभाषा का पद दिया जाए।

यह एक सदिच्छा है। वर्तमान सरकार इस दिशा में अनेक महत्वपूर्ण कार्य कर रही है एवं सजग है। हिंदी भाषा को निरंतर सम्मान मिल रहा है। हिंदी बाज़ार की एक बहुत बड़ी ताक़त बन गया है। हिंदी को सम्मान की दृष्टि से देखा जाने लगा है। अपने प्रधानमंत्री एवं मंत्रियों विदेशी राजनीयिकों से हिंदी में वार्ता करते देख जनसमान्य में हिंदी के लिए सम्मान बढ़ा है। जामिआ मिल्लिआ, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय आदि द्वारा हिंदी पत्रकारिता में नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय इस दिशा में आवश्यक क़दम बढ़ा रहा है। हिंदी ने फ़ेसबुक, व्हाट्सएप आदि को अपनी बढ़ती शक्ति से विवश किया है। हिंदी का अपना राष्ट्र दिनोंदिन विकसित हो रहा है।

7

विदेशों में हिंदी-शिक्षण : समस्याएं और समाधान

प्रस्तुति : पद्मजा,
उप-महानिदेशक
भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद्

भोपाल में 10-12 सितंबर, 2015 के दौरान आयोजित 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन के दौरान 'विदेशों में हिंदी-शिक्षण : समस्याएं एवं समाधान' सत्र का संचालन भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् द्वारा किया गया था। उक्त सत्र के दौरान पारित कुल 24 अनुशंसाओं के अनुपालन के हेतु भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् अनुशंसा अनुपालन समिति, जिसमें विदेश मंत्री कार्यालय, विदेश मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा; महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा; भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर; राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के प्रतिनिधि तथा तकनीकी विशेषज्ञ श्री बालेंदु दाधीच शामिल हैं, की कुल 8 बैठकें आयोजित की गईं। समिति द्वारा चार अनुशंसाएं और जोड़ी गईं। और अनुशंसाओं का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया गया। परिषद् द्वारा इन अनुशंसाओं और इनके अनुपालन के लिए समिति द्वारा लिए गए निर्णयों के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण आगे दिया जा रहा है।

प्रतिवेदन : विदेशों में हिंदी-शिक्षण : समस्याएं और समाधान

अनुशंसा 1

सीबीएसई की तर्ज पर अंतरराष्ट्रीय स्तर के बोर्ड का गठन हो।

बोर्ड गठन करने का उद्देश्य छात्रों को हिंदी पढ़ा लेने के उपरांत परीक्षा आयोजित करना, मूल्यांकन करना तथा प्रमाण-पत्र देना होता है, जो कि एक नीतिगत विषय है व मानव संसाधन विकास मंत्रालय के कार्यक्षेत्र में आता है। इसी आधार पर, इस अनुशंसा के संबंध में समिति द्वारा सर्वसहमति से पूर्व बैठक (08.07.2016) में निर्णय लिया गया था कि सीबीएसई की तर्ज पर अन्य किसी अंतरराष्ट्रीय बोर्ड के गठन की आवश्यकता नहीं है।

समिति ने सुझाव दिया कि इस अनुशंसा पर हुए विचार-विमर्श से मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अवगत करा दिया जाए, तदनंतर इस अनुशंसा पर परिषद् द्वारा आगे किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं होगी। समिति के सुझाव के अनुसार परिषद् द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय को इससे अवगत करा दिया गया है।

अनुशंसा 2

पाठ्यक्रम की एकरूपता हो, परंतु विभिन्न देशों की आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम निर्धारित हों।

पाठ्यक्रम की एकरूपता से संबंधित अनुशंसा के अनुपालन के संदर्भ में यह तथ्य संज्ञान में लिया जाय कि महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्व-विद्यालय, वर्धा तथा केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा द्वारा दो पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं। दोनों संस्थानों के पाठ्यक्रम एक ही प्राध्यापक समूह द्वारा तैयार किए गए हैं, अत: इनके मूलभूत ढांचे में कोई वैषम्य नहीं है।

अनुशंसा 3

समय-समय पर विदेशी हिंदी अध्यापकों के लिए हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया जाए।

इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि विदेशों में कार्यरत हिंदी शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा द्वारा 11-17 दिसंबर, 2016 के दौरान मॉरीशस के 15 हिंदी अध्यापकों, 10-12 अगस्त, 2017 के दौरान कोलंबो, श्रीलंका के हिंदी अध्यापकों व 12-18 नवंबर, 2017 के दौरान अश्गाबाद, तुर्कमेनिस्तान के हिंदी अध्यापकों व विद्यार्थियों के लिए पुनश्चर्या कार्यक्रम का आयोजन किया जा चुका है। विदेशों में स्थित शिक्षण संस्थाओं से मांग प्राप्त होने पर यथासमय विदेश स्थित हिंदी शिक्षकों के लिए पुनश्चर्या कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस विषय में निदेशक, भारतीय भाषा संस्थान मैसूर का आग्रह था कि हिंदी अध्यापकों को समय-समय पर भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर में प्रशिक्षण दिया जा सकता है और मूल्यांकन भी किया जा सकता है, क्योंकि वहां प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन दोनों की ही सुविधाएं उपलब्ध हैं। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा ने प्रस्तावित किया कि वे भी इस प्रक्रिया में सहयोग करने के लिए तैयार हैं। कार्यशालाओं का आयोजन आवश्यकता पर आधारित एक निरंतर चलनेवाली प्रक्रिया है और परिषद् द्वारा इन सभी संस्थाओं के सहयोग से इसका क्रियान्वयन होता रहेगा।

अनुशंसा-4

विभिन्न संस्थाओं के सामंजस्य के लिए स्थानीय समिति का गठन किया जाए, जो इस क्षेत्र में हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए एक-दूसरे से संपर्क करे तथा वैचारिक आदान-प्रदान करे।

अनुशंसा अनुपालन समिति द्वारा इस विषय पर किए गए विचार-विमर्श का निष्कर्ष यह था कि इस समिति में सभी महत्वपूर्ण संस्थाओं के प्रतिनिधि सदस्य हैं, जो कि समन्वय व सामंजस्य का कार्य देख रहे हैं। अतः पृथक समिति

गठित किए जाने की आवश्यकता नहीं है तथा इसी समिति को इस प्रयोजन के लिए समन्वय समिति मान लिया जाए। इस समिति में हिंदी व संस्कृत विभाग (विदेश मंत्रालय), राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय), मानव संसाधन विकास मंत्रालय, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय वर्धा, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा, भारतीय भाषा संस्थान मैसूर तथा राष्ट्रीय पुस्तक न्यास आदि सम्मिलित हैं।

अनुशंसा-5

हिंदी-शिक्षण में आधुनिक तकनीक के प्रयोग पर बल दिया जाए। इंटरएक्टिव मल्टीमीडिया पर आधारित नई शिक्षण सामग्री के निर्माण में आवश्यकतानुसार विद्यामूलक और आर्थिक सहायता प्रदान की जाए।

अगली अनुशंसा में हिंदी-शिक्षण में आधुनिक तकनीक के प्रयोग पर बल देते हुए कहा गया था कि इंटरएक्टिव, मल्टीमीडिया पर आधारित नई शिक्षण-सामग्री के निर्माण में आवश्यकतानुसार शिक्षामूलक और आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। इस संदर्भ में केंद्रीय हिंदी संस्थान द्वारा सूचित किया गया कि संस्थान द्वारा संचालित विभिन्न शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में आधुनिक कंप्यूटर–मल्टीमीडिया अनुप्रयोगों, कंप्यूटर-साधित हिंदी-शिक्षण-प्रशिक्षण, डिजिटल भाषा प्रयोगशाला का समुचित समावेश किया गया है। संस्थान द्वारा इस वर्ष अर्थात् 2018-19 में स्मार्ट क्लास एवं वर्चुअल क्लासरूम का विकास प्रारंभ कर दिया गया है। तकनीकी विशेषज्ञों के परामर्श पर मल्टीमीडिया एप्लीकेशन (मोबाइल एप) के विकास को वर्चुअल एवं स्मार्ट क्लास की योजना में समायोजित कर लिया गया है। म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा द्वारा अवगत कराया गया कि उनके यहां विदेशी छात्र आधुनिक तकनीक के माध्यम से हिंदी भाषा की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तथा विश्वविद्यालय के पास भाषा प्रयोगशाला व सभी आवश्यक उपकरण उपलब्ध हैं, जिनके माध्यम से छात्रों को भाषा-ज्ञान दिया जा रहा है। हिंदी संवर्धन हेतु हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा सॉफ़्टवेयर विकसित किया गया है। इसके अतिरिक्त सामान्यत: हिंदी भाषा के शिक्षण हेतु विभिन्न विधियों

और सामग्री का उपयोग किया जाता है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो भली-भांति प्रारंभ होकर गति पकड़ चुकी है।

अनुशंसा-6

विदेशी छात्रों के लिए पुस्तकों की भाषा को सरल और सहज बनाया जाए।

पाठ्यक्रमों को तैयार करते समय विदेशी छात्रों के प्रशिक्षण के समय आने वाली सभी समस्याओं एवं कठिनाइयों का ध्यान रखा गया है। इन्हें हमारे हिंदी अध्यापकों द्वारा स्थानीय आवश्यकतानुसार सरल, सहज और लचीला बनाकर प्रयोग किया जा सकता है। समिति द्वारा दोनों पाठ्यक्रमों को स्वीकार कर लेने का सुझाव दिया गया। परिषद् द्वारा 7-8 जून 2018 को विदेशों में प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले हिंदी अध्यापकों के लिए पहली बार हिंदी-शिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा तथा अमेरिका की कीन यूनिवर्सिटी में शिक्षणशास्त्र पर शोध एवं अध्यापन करनेवाली प्रो. गेबरिएला आदि के सक्रिय सहयोग से अध्यापकों को विभिन्न देशों में हिंदी-शिक्षण के दौरान आनेवाली समस्याओं से रू-ब-रू कराते हुए तदनुसार प्रशिक्षित किया गया। उन्हें दोनों पाठ्यक्रमों में से किसी भी एक को चुनकर उसे देश-विशेष की आवश्यकतानुसार लचीला बनाकर उपयोग करने का सुझाव दिया गया। सभी प्रतिभागियों द्वारा इस कार्यशाला की उपयोगिता को देखते हुए इसकी सराहना की गई।

अनुशंसा-7

सीबीएसई प्रणाली में परिवर्तन किया जाए ताकि विदेशों में और अधिक छात्र उच्च कक्षाओं में भी हिंदी का अध्ययन कर सकें।

परिषद् को ये अनुशंसाएं प्राप्त हुई थीं कि (i) 'सीबीएसई की तर्ज पर अंतरराष्ट्रीय स्तर के बोर्ड का गठन हो' तथा (ii) सी.बी.एस.ई. प्रणाली में परिवर्तन किया जाए ताकि विदेशों में और अधिक छात्र उच्च कक्षाओं में भी

हिंदी का अध्ययन कर सकें। अनुशंसा अनुपालन समिति द्वारा इस विषय पर समुचित विचार-विमर्श के उपरांत निर्णय लिया गया कि सीबीएसई की तर्ज पर अन्य किसी अंतरराष्ट्रीय बोर्ड के गठन की आवश्यकता नहीं है। बोर्ड गठन करने का उद्देश्य छात्रों को हिंदी पढ़ा लेने के उपरांत परीक्षा आयोजित करना, मूल्यांकन करना तथा प्रमाणपत्र देना होता है, जो कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक नीतिगत विषय है। विदेशी विद्यार्थियों हेतु सीबीएसई प्रणाली में परिवर्तन करना भी मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नीतिगत मामला है। यह कार्य परिषद् के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। इन दोनों अनुशंसाओं पर विचार-विमर्श के उपरांत, समिति के सुझाव के अनुसार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय को इस अनुशंसा एवं विचार-विमर्श के विवरण से अवगत करा दिया गया है।

अनुशंसा-8

भा.सां.सं.प. अपने वर्तमान और पूर्व शिक्षकों से संबंधित जानकारी वैबसाइट पर डाले।

इस अनुशंसा का अनुपालन करते हुए, वर्ष 2013 से अब तक के सभी शिक्षकों की जानकारी बेबसाइट पर डाल दी गई है। जब-जब शिक्षक विदेश भेजे जाएंगे, उसकी सूची वैबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। इस प्रकार इस अनुशंसा पर नियमित कार्यवाही सुनिश्चित कर दी गई है।

अनुशंसा-9

विदेशी छात्रों को हिंदी पढ़ने के लिए विदेशों में भी छात्रवृत्ति प्रदान की जाए।

इस अनुशंसा पर समिति का सुविचारित निर्णय था कि चूंकि भा.सां.सं.प. विदेशी छात्रों को भारत में पढ़ने हेतु छात्रवृत्ति देती है तथा उसके छात्रवृत्ति कार्यक्रम का उद्देश्य विदेशी छात्रों को भारत में पढ़ाई करने हेतु प्रोत्साहित करना है, न कि विदेशों में पढ़ने हेतु अत: इस अनुशंसा पर कार्य करना उचित नहीं होगा।

अनुशंसा-10

अनुवाद-भवन की व्यवस्था की जाए तथा अनुवादकों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाए।

अनुवादकों को छात्रवृत्ति प्रदान करने से संबंधित अनुशंसा के विषय में समिति ने निर्णय लिया कि अनुवाद-कार्य के लिए राष्ट्रीय अनुवाद मिशन पहले से ही स्थापित है और वह इस कार्य का निर्वहन भी कर रहा है। अत: अलग से अनुवाद भवन बनाने तथा अनुवादकों को छात्रवृत्ति प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है। अनुशंसा अनुपालन से संबंधित पहली बैठक में समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि भा.सां.सं.प. प्रतिवर्ष विदेशी भाषा में लिखित पांच पुस्तकों का हिंदी रूपांतरण प्रकाशित करेगी। इस अनुशंसा के अनुपालन की प्रक्रिया में परिषद् को सरकारी स्तर पर अनुवादकों/संस्थाओं के अभाव के कारण अत्यंत कठिनाई के साथ दो पुस्तकों (कजाकिस्तान की पुस्तक 'Book of Words' तथा लिथुआनिआ की पुस्तक 'History of Lithuania' का अंग्रेज़ी से हिंदी में अनुवाद कराया जा सका, जो इस समय प्रकाशित होने की प्रक्रिया में है। यह अनुवाद भा.सां.सं.प. के अपने प्रयासों से संभव बनाया गया, क्योंकि इसमें भारत सरकार के किसी भी संबंधित संस्थान से, बहुत अनुरोध के बाद भी कोई सहयोग नहीं मिल सका। इस पूरी प्रक्रिया में यह बात उभरकर आई कि सरकारी संस्थानों द्वारा तकनीकी विषयों की पुस्तकें अनूदित की जा सकती हैं, किंतु साहित्यिक/ग़ैर -तकनीकी विषयों की पुस्तकों के अनुवाद के साथ समुचित न्याय हो पाना संभव नहीं है। इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि अब इस अनुशंसा पर आगे कार्यवाही की अपेक्षित नहीं है।

अनुशंसा-11

भा.सां.सं.प. के द्वारा विदेशों में भेजे जाने वाले शिक्षकों को एक सप्ताह के लिए केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा में उनके ज्ञान को निखारने के लिए भेजा जाए।

अनुशंसा-12

शिक्षकों को विदेशों में जाने से पहले भारतीय संस्कृति के बारे में गहन अध्ययन करना चाहिए।

एवं

अनुशंसा-13

विदेशों में अध्यापन करने वाले शिक्षक स्थानीय शिक्षकों के लिए कार्यशाला आयोजित करें।

ये लगभग समान उद्देश्य वाली तीन अन्य अनुशंसाएं थीं– (i) भा.सां.सं.प. के द्वारा विदेशों में भेजे जाने वाले शिक्षकों को एक सप्ताह के लिए केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा में उनके ज्ञान को निखारने के लिए भेजा जाए, (ii) शिक्षकों को विदेशों में जाने से पहले भारतीय संस्कृति के बारे में गहन अध्ययन कराया जाए तथा (iii) इस अनुशंसा में हिंदी पीठों की संख्या बढ़ाने का कार्य भी शामिल किया गया। इनके अनुपालन की प्रक्रिया में जून 2016 में परिषद् ने केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा के सहयोग से हिंदी प्राध्यापकों व अध्यापकों के लिए परिषद् में दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया था।

इसके दूसरे चरण में, अगली कार्यशाला 7-8 जून, 2018 को आयोजित की गई, जिसमें परिषद् द्वारा नए चयनित हिंदी अध्यापकों के लिए, उनके प्रतिनियुक्ति पर जाने से पूर्व, पठन-पाठन शैली व पाठ्यक्रम के संचालन व परिपालन-संबंधी प्रशिक्षण दिया गया। इस तरह की कार्यशालाओं के आयोजन में एक नैरंतर्य अपेक्षित है, जिसे अब एक व्यवस्थित रूप दे दिया गया है।

जहां तक हिंदी पीठों की संख्या में वृद्धि का विषय है, परिषद् द्वारा हिंदी पीठों की स्थापना में उत्तरोत्तर वृद्धि की जा रही है। वर्तमान में पूरे विश्व में भा.सां.सं.प. द्वारा स्थापित पीठों की संख्या बढ़कर 80 हो चुकी है जिनमें हिंदी के अतिरिक्त दो संस्कृत भाषा की एवं एक तमिल भाषा की पीठ भी शामिल है।

अनुशंसा-14

इंडोलॉजी छात्रों को भारत में विशेष छात्रवृत्ति प्रदान की जाए।

इस अनुशंसा के संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाना उचित होगा कि भा.सां.सं.प. द्वारा इंडोलॉजी छात्रों को पहले से ही छात्रवृत्ति दी जा रही है। गत दो वर्षों का विवरण इस प्रकार है :

वर्ष 2016-17 में प्राप्त 100 आवेदनों में से 64 स्वीकृत हुए; उनमें से कुल 27 छात्रों ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में प्रवेश प्राप्त किया। वर्ष 2017-18 में प्राप्त 121 आवेदनों में से अभी तक 12 स्वीकृत हुए हैं, जिनमें से 9 छात्र विभिन्न विश्वविद्यालयों में प्रवेश प्राप्त कर चुके हैं।

अनुशंसा अनुपालन समिति की जनवरी 2016 में हुई दूसरी बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि भा.सां.सं.प. द्वारा 5 हिंदी विद्वानों को फैलोशिप प्रदान की जाएगी, इसके संबंध में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् द्वारा इस अनुशंसा पर कार्यवाही करते हुए जर्मनी निवासी रूसी नागरिक Prof. Tantiana Oranskaia को महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा में हिंदी व्याकरण-संबंधी अनुसंधान हेतु फैलोशिप प्रदान की गई है तथा Prof. Bayot Rakhmatov, वरिष्ठ हिंदी भाषा अध्यापक, दक्षिण एशिआई भाषा अनुभाग, स्टेट इंस्टिट्यूट ऑफ़ ओरियंटल स्टडीज़, ताशकंद को फैलोशिप स्वीकृत हो चुकी है। भा.सां. सं.प. द्वारा इस फैलोशिप के संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है ताकि अधिकाधिक इच्छुक विद्वान/आवेदक उक्त कार्यक्रम का लाभ उठा सकें। वर्तमान में इस फैलोशिप के लिए चयन-प्रक्रिया चल रही है और उपयुक्त विद्वानों का चयन होने पर उन्हें फैलोशिप प्रदान की जाएगी।

विदेशी छात्र-छात्राओं को भारत में हिंदी अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति व अन्य सहायता उपलब्ध कराया जाना चाहिए– इस अनुशंसा के संबंध में यह बताना समीचीन होगा कि यह कार्य परिषद् द्वारा लंबे समय से किया जा रहा है। इस संदर्भ में गत दो वर्षों के दौरान की गई कार्यवाही का ब्यौरा इस प्रकार है :

वर्ष 2016-17 में 12 देशों से कुल 45 आवदेन प्राप्त हुए, जिनमें से 34 आवेदकों को विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा स्वीकृति प्राप्त हो चुकी हैं। इनमें से 29 छात्र विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थानों में प्रवेश प्राप्त कर चुके हैं।

वर्ष 2017-18– 6 देशों से कुल 43 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 40 आवेदकों को विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा स्वीकृति प्राप्त हो चुकी हैं। इनमें से 36 छात्र विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थानों में प्रवेश प्राप्त कर चुके हैं।

केंद्रीय हिंदी संस्थान द्वारा संचालित अंतरराष्ट्रीय हिंदी-शिक्षण पाठ्यक्रम वर्ष 2015-16 में कुल 142 (आगरा व दिल्ली), वर्ष 2016-17 में कुल 142 (आगरा व दिल्ली) व वर्ष 2017-18 में कुल 164 (आगरा व दिल्ली) विद्यार्थियों ने इस पाठ्यक्रम में भाग लिया।

अनुशंसा-15

छात्रों में हिंदी में संवाद करने की योग्यता उत्पन्न करने हेतु 'बातचीत क्लब' जैसे प्रयोग किए जाएं।

इस अनुशंसा अनुपालन के तहत परिषद् द्वारा विदेशों में बातचीत क्लब गठित करने हेतु सभी मिशन प्रमुखों/निदेशक, भारतीय सांस्कृतिक केंद्रों को पत्र भेजकर अनुरोध किया गया था, जिसके फलस्वरूप मॉस्को, तुर्कमेनिस्तान, उजबेकिस्तान, भूटान, लुबलियाना, अस्ताना, कोलंबो, कीव, ढाका, लंदन, जार्जटाउन, खार्तूम व ट्यूनिस में बातचीत क्लब स्थापित किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त पारामारिबो में 'हलचल' नामक त्रैमासिक पत्रिका भारतीय सांस्कृतिक केंद्र सूरीनाम से पहले से ही प्रकाशित हो रही है। इसका उद्देश्य हिंदी में लेखन, वाचन और संवाद को प्रोत्साहन देना है। फीजी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ़ साउथ पैसिफ़िक और यूनिवर्सिटी ऑफ़ फीजी में भी बातचीत क्लब बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। इंदिरा गांधी भारतीय सांस्कृतिक केंद्र, मॉरीशस में साहित्य संवाद कार्यक्रम तथा साहित्य संगोष्ठी नियमित रूप से आयोजित की जाती है।

अनुशंसा-16

ई-बुक लाइब्रेरी का निर्माण किया जाए।

ई-बुक लाईब्रेरी के निर्माण की अनुशंसा के संबंध में समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि चूंकि ई-लाइब्रेरी की स्थापना महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा एवं भारतीय भाषा संस्थान मैसूर में पहले ही की जा चुकी है तथा वहां इससे संबंधित सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, अत: अलग से इसकी व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा के पास उपलब्ध लिंक हिंदी समय डॉट कॉम को परिषद् की वैबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर शामिल किया गया है। इसके ई-पुस्तकालय में पांच लाख पृष्ठों का साहित्य उपलब्ध है। केंद्रीय हिंदी संस्थान भी शीघ्र ही अपनी वैबसाइट/पोर्टल का संवर्धन एवं नवीनीकरण पूर्ण करने की प्रक्रिया में हैं। इस पोर्टल पर संस्थान द्वारा प्रकाशित पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाओं, कोशग्रंथों और शोधपरक सामग्री तथा संस्थान के शिक्षकों की प्रकाशित ज्ञान-सामग्री को ई-पुस्तकालय के रूप में उपलब्ध कराए जाने की आरंभिक कार्ययोजना तैयार कर ली गई है और संस्थान इस पर आगे कार्य कर रहा है। अब संस्थान जब भी ई -पुस्तकालय का निर्माण पूरा करेगा, उसे परिषद् की वैबसाइट के मुख्य पृष्ठ में जोड़ दिया जाएगा।

अनुशंसा-17

प्रतीयमान कक्षाओं (वर्चुअल-क्लासरूम्स) का निर्माण किया जाए।

प्रतीयमान कक्षाओं की निर्माण-संबंधी अनुशंसा का अनुपालन करने की प्रक्रिया में केंद्रीय हिंदी संस्थान ने वर्चुअल क्लास रूम का तकनीकी प्रारूप तैयार करके उस पर प्रारंभिक तैयारी शुरू कर दी है। शैक्षणिक सत्र 2018-19 में इसका पूर्ण विकसित एवं कार्यशील (ऑपरेटिव) रूप तैयार हो जाएगा। समिति के सुझाव के अनुसार मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भी परिषद् की ओर से इस संबंध में औपचारिक रूप से अवगत करा दिया गया है।

अनुशंसा-18

हिंदी भाषा के प्रचार के लिए मध्य पूर्वी देशों में भी भारतीय राजदूतावासों के अधीन हिंदी प्रचार सभा का एक केंद्र स्थापित किया जाए।

इस संबंध में संयुक्त सचिव, हिंदी व संस्कृत (विदेश मंत्रालय) के साथ चर्चा के उपरांत समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् के विदेशों में कुल 37 सांस्कृतिक केंद्र हैं, जो कि यह कार्य पूर्व से ही कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त सभी केंद्रों को अपनी कार्य-योजना में हिंदी भाषा के अधिक-से-अधिक प्रचार-प्रसार हेतु गतिविधियों को सम्मिलित करने के निर्देश दे दिए गए हैं। हिंदी प्रचार-प्रसार का कार्य हमारे सभी राजदूतावासों की भी कार्यसूची का हिस्सा है।

अनुशंसा-19

नियमित रूप से एक हिंदी पत्रिका का संपादन किया जाए। जिसमें समय-समय पर विदेशों में रहने वाले भारतवासियों के लेख प्रकाशित किए जाएं।

इस अनुशंसा के संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि परिषद् द्वारा प्रकाशित हिंदी द्विमासिक पत्रिका 'गगनांचल' में पहले से ही विदेशों में रहने वाले भारतवंशियों के लेख प्रकाशित किए जाते हैं। केंद्रीय हिंदी संस्थान के द्वारा भी 'प्रवासी जगत' नाम से एक त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया गया है जिसमें विदेशी व आप्रवासी हिंदी विद्वानों के प्रवासी लोकजीवन, संस्कृति व विदेशों में हिंदी व भारतीय भाषा-साहित्य के प्रचार-प्रसार पर केंद्रित आलेख प्रकाशित किए जाते हैं।

परिषद् द्वारा भारतीय विमानन प्राधिकरण के पुस्तक स्टालों व लाउंज के माध्यम से गगनांचल पत्रिका के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु 20 हवाई अड्डों पर 10-10 प्रतियां प्रेषित की जा रही हैं, तथा एयर इंडिया एवं भारतीय रेलवे के माध्यम से भी पत्रिका के प्रचार-प्रसार हेतु प्रयास किए जा रहे हैं।

अनुशंसा-20

विश्व हिंदी दिवस पर सभी भारतीय राजदूतावासों में हिंदी प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएं।

इस अनुशंसा के संदर्भ में उल्लेखनीय है कि विश्व हिंदी दिवस पर राजदूतावासों में पूर्व से ही हिंदी प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

अनुशंसा-21

केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा जैसी सरकारी और अनेक ग़ैरसरकारी संस्थाओं द्वारा शिक्षकों को हिंदी की मानक पुस्तकें तथा अपेक्षित सार्थक शिक्षण-सामग्री उपलब्ध कराई जाए।

इस अनुशंसा अनुपालन के संबंध में परिषद् को केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा तथा महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा का पूर्ण सक्रिय सहयोग प्राप्त हुआ। इन दोनों ही संस्थानों द्वारा अपने पाठ्यक्रमों में अध्ययन हेतु आनेवाले विदेशी विद्यार्थियों के उपयोगार्थ पाठ्य पुस्तकें व भाषा-शिक्षण की सामग्री तैयार की जाती है। इनमें से देश/विद्यार्थी समूह-विशेष की शैक्षणिक आवश्यकतानुसार उपयोगी पुस्तकों का चयन संबंधित शिक्षकगण/संस्थाओं द्वारा स्वयं किया जा सकता है। निकट भविष्य में संस्थान की पुस्तकें, पत्र-पत्रिकाएं एवं अन्य शिक्षण-सामग्री ई-बुक लाइब्रेरी में उपलब्ध हो जाएगी, तब कोई भी संस्था/व्यक्ति अपनी आवश्यकतानुसार इस सामग्री का विश्वभर में कहीं से भी उपयोग कर सकेगा।

अनुशंसा-22

नाटक और हिंदी फ़िल्मों को भाषा अध्ययन का माध्यम बनाया जाए।

यह अनुशंसा पठन-पाठन-संबंधी है, अतः इसे शिक्षकों के प्रशिक्षण का हिस्सा बनाया गया है। नाटक, फ़िल्म, धारावाहिकों के शिक्षणोपयोगी अंशों का

यथास्थान आवश्यकतानुसार महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा तथा केंद्रीय हिंदी संस्थान के पाठ्यक्रमों में समावेश कर उपयोग किया जा रहा है।

अनुशंसा-23

विदेशों में लगाए जाने वाले पुस्तक मेलों में ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी साहित्य उपलब्ध कराया जाए।

इस अनुशंसा के कार्यान्वयन में राष्ट्रीय पुस्तक न्यास (एनबीटी) का सहयोग प्राप्त किया जा रहा है, जिसके द्वारा प्रत्येक वर्ष विदेशों में लगनेवाले पुस्तक मेलों में बड़ी संख्या में हिंदी पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती हैं। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा अप्रैल, 2017 से मई, 2018 के बीच इटली, सं. अ. अमीरात, लंदन, ईरान, सिंगापुर, नेपाल, चीन, इंडोनेशिया व श्रीलंका, जर्मनी, मैक्सिको. इजिप्ट व यू.के. में पुस्तक मेलों में भागीदारी की गई है।

अनुशंसा-24

आप्रवासी लेखकों को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए।

इस अनुशंसा के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा द्वारा अंतरराष्ट्रीय हिंदी-शिक्षण पाठ्यक्रम के अंतर्गत 'हिंदी भाषा तथा साहित्य का इतिहास' प्रश्नपत्र के तहत हिंदी का अंतरराष्ट्रीय प्रचार-प्रसार और प्रमुख प्रवासी हिंदी-लेखकों एवं कृतियों का परिचय शामिल किया जाता है तथा भारत के दिल्ली विश्वविद्यालय सहित अनेक अन्य विश्वविद्यालयों में भी आप्रवासी लेखकों की कृतियां पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं।

अनुशंसा-25

भा.सां.सं.प. द्वारा 5 हिंदी विद्वानों को फैलोशिप प्रदान की जाए।

अनुशंसा अनुपालन समिति की दूसरी बैठक दिनांक 28 जनवरी, 2016 में लिए गए निर्णय के आधार पर भा.सां.सं.प. द्वारा 5 हिंदी विद्वानों को फैलोशिप

प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है।

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् द्वारा इस अनुशंसा पर कार्यवाही करते हुए जर्मनी में रहने वाली रूसी नागरिक Prof. Tantiana Oranskaia को महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा में हिंदी व्याकरण संबंधी अनुसंधान हेतु फैलोशिप प्रदान की गई है तथा Prof. Bayot Rakhmatov, वरिष्ठ हिंदी भाषा अध्यापक, दक्षिण एशिआई भाषा अनुभाग, स्टेट इंस्टिट्यूट ऑफ़ ओरियंटल स्टडीज, ताशकंद को फैलोशिप स्वीकृत हो चुकी हैं।

महानिदेशक द्वारा बताया गया कि भा.सां.सं.प. द्वारा इस फैलोशिप के संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है ताकि अधिकाधिक इच्छुक विद्वान/आवेदक उक्त कार्यक्रम का लाभ उठा सकें। वर्तमान में इस फैलोशिप के लिए चयन प्रक्रिया चल रही है और उपयुक्त विद्वानों का चयन होने पर उन्हें फैलोशिप प्रदान की जाएगी।

अनुशंसा-26

विदेशी छात्र-छात्राओं को भारत में हिंदी अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति व अन्य सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

परिषद् द्वारा वर्ष 2016-17 में हिंदी अध्ययन के लिए 12 देशों से कुल 45 आवदेन प्राप्त हुए, जिनमें से कुल 34 आवेदकों को विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा स्वीकृति प्राप्त हो चुकी हैं। इनमें से 29 छात्र विभिन्न विश्वविद्यालयों/ संस्थानों में प्रवेश प्राप्त कर चुके हैं।

वर्ष 2017-18 में हिंदी अध्ययन के लिए 6 देशों से कुल 43 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से कुल 40 आवेदकों को विभिन्न विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा स्वीकृति प्राप्त हो चुकी हैं। इनमें से 36 छात्र विभिन्न विश्वविद्यालयों / संस्थानों में प्रवेश प्राप्त कर चुके हैं।

के.हि.सं. द्वारा संचालित अंतरराष्ट्रीय हिंदी-शिक्षण पाठ्यक्रम वर्ष 2015-16 में कुल 142 (आगरा व दिल्ली), वर्ष 2016-17 में कुल 142 (आगरा व

दिल्ली) व वर्ष 2017-18 में कुल 164 (आगरा व दिल्ली) विद्यार्थियों ने इस पाठ्यक्रम में भाग लिया। यह कार्य परिषद् द्वारा पूर्व से ही किया जा रहा है, जो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।

अनुशंसा-27

विदेशों में हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए केंद्रीय स्तर पर एक संस्था की स्थापना होनी चाहिए।

पूर्व बैठक (22.12.2016) में समिति द्वारा निर्णय लिया गया था कि विदेशों में हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए एक नई संस्था बनाने के बजाय वर्तमान संस्थाओं, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् व केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा आदि को सशक्त करने की आवश्यकता है और इस पर किसी नई संस्था की स्थापना की आवश्यकता नहीं है।

अनुशंसा-28

आप्रवासी लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यशाला व लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करके उनमें से पुरस्कृत पांडुलिपियों का प्रकाशन किया जाए।

भा.सां.सं.प. द्वारा प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले शिक्षकों के माध्यम से विदेशी लेखकों के लिए कार्यशाला आयोजित कराने के लिए परिषद् द्वारा जून 2018 में शिक्षकों के लिए आयोजित की जाने वाली कार्यशाला में यह विषय कार्यसूची में शामिल किया जा रहा है। केंद्रीय हिंदी संस्थान ने अवगत कराया कि संस्थान द्वारा 'प्रवासी जगत' नाम से एक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया गया है जिसमें विदेशी एवं आप्रवासी हिंदी विद्वानों के आलेख प्रकाशित किए जाते हैं। केंद्रीय हिंदी संस्थान द्वारा विदेशी मूल के/आप्रवासी हिंदी लेखकों को प्रतिवर्ष चार पुरस्कार दिए जाते हैं। यह कार्य संस्थान द्वारा पूर्व से ही किया जा रहा हैं। यह व्यवस्था बना ली गई है कि इसमें निरंतरता बनी रहे।

8

देश और विदेश में प्रकाशन समस्याएं एवं समाधान

प्रस्तुति : प्रभात कुमार
प्रभात प्रकाशन

भोपाल में सफलतापूर्वक संपन्न हुए दसवें विश्व हिंदी सम्मेलन में 'देश और विदेश में प्रकाशन की समस्याएं और समाधान' सत्र में अनेक सुझाव-विचार आए और उनमें से व्यावहारिक और तथ्यपरक अनुशंसाओं को सम्मेलन के अंतिम दिन प्रस्तुत कर अनुमोदित किया गया। यह संभवतः पहला ऐसा विश्व हिंदी सम्मेलन था, जिसमें आयोजन के उपरांत पारित अनुशंसाओं का निरंतर अनुवर्तन किया गया, ताकि इसकी अनुपालना हो और हिंदी का पथ प्रशस्त हो। मान. विदेश मंत्री जी ने अनुशंसा अनुपालना समिति गठित की और इनकी नियमित बैठकें लीं। इन बैठकों में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को अनुशंसाओं की अनुपालना पर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी, ताकि वास्तविक प्रगति ज्ञात हो सके।

'देश और विदेश में प्रकाशन की समस्याएं और समाधान' सत्र का संयोजक मैं था, परंतु अनुशंसा अनुपालन समिति का सदस्य नहीं था। अस्तु, इन अनुशंसाओं के अनुवर्तन व अनुपालन को लेकर मेरी जानकारी सीमित है। हाल ही में प्रो. अशोक चक्रधर ने मुझसे कहा कि इस सत्र की अनुशंसाओं पर प्रतिवेदन मुझे प्रस्तुत करना है। मैं विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारी के आधार पर आगामी पृष्ठों में बिंदुशः विवरण प्रस्तुत कर रहा हूं।

प्रतिवेदन : देश और विदेश में प्रकाशन समस्याएं एवं समाधान

अनुशंसा-1

विज्ञान, प्रबंधन, वित्त, अर्थशास्त्र, चिकित्सा, अभियांत्रिकी आदि ज्ञान-विज्ञान की मौलिक और प्रामाणिक हिंदी पुस्तकों के लेखन के लिए लेखकों को परियोजना देकर इनके प्रकाशन-वितरण की व्यवस्था भी करनी चाहिए। हिंदी में प्रामाणिक शब्दकोशों और विश्वकोश का निर्माण होना चाहिए।

विभिन्न मंत्रालयों और विभागों ने अपने कार्य से संबद्ध विषयों पर पुस्तकें प्रकाशित की हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीनस्थ तकनीकी शब्दावली आयोग, राज्य हिंदी ग्रंथ अकादमियों तथा विश्वविद्यालयों ने इस क्षेत्र में काफ़ी कार्य किया है। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय ने न केवल बड़ी संख्या में पुस्तकों का प्रकाशन किया है, वरन् अनेक विषयों की पुस्तकों के हिंदी में अनुवाद का कार्य भी प्रारंभ किया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा परमाणु ऊर्जा विभाग ने भी इस दिशा में सराहनीय काम किया है और प्रामाणिक मौलिक हिंदी पुस्तकों का प्रकाशन हुआ है। विदेश मंत्रालय के अधीन 'विदेशी मामलों की भारतीय परिषद्' (ICWA) द्वारा अनेक पुस्तकों का हिंदी अनुवाद प्रकाशित किया गया है।

इन विषयों को लेकर निजी क्षेत्र के अनेक प्रकाशकों ने भी पहल की है और लेखकों से प्रामाणिक पुस्तकें लिखवाकर प्रकाशित करने की दीर्घकालीन योजनाएं बनाई हैं।

अनुशंसा-2

पुस्तक संस्कृति का विकास करने के लिए प्रभावशाली क़दम उठाने चाहिए। पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रोत्साहन कार्ययोजना बनाकर पुस्तकालयों

को सबल और सुदृढ़ करना चाहिए। ई-पुस्तकालय विकसित किए जाएं।

पुस्तक संस्कृति विकसित करने की दृष्टि से विभिन्न स्थानों पर पुस्तक मेले आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें 'राष्ट्रीय पुस्तक न्यास' की महती भूमिका है, जो सुदूर क्षेत्रों में पुस्तकों को सर्वसुलभ करवाने के लिए मेले आयोजित करता है, जहां पाठक अपनी रुचि की पुस्तकें क्रय कर सकते हैं। पुस्तकों के प्रचार-प्रसार के लिए अनेक स्थानों पर 'पुस्तक चर्चा', 'लेखकों से मिलिए', 'पाठकों से संवाद' आदि आयोजन भी शासकीय व निजी क्षेत्रों के प्रकाशकों द्वारा किए जाते हैं। ई-पुस्तकालयों को लेकर बहुत अधिक उत्साहजनक स्थिति अभी नहीं दिख रही है, संभवतः पहले मुद्रित पुस्तकों के प्रति पाठकों का आकर्षण बढ़ेगा। फिर वह रुचि परिष्कृत होकर ई-पुस्तक पढ़ने की प्रवृत्ति बनेगी।

अनुशंसा-3

हिंदी पुस्तकें शुद्ध और निर्दोष प्रकाशित हों, इस हेतु संपादन-संशोधन-प्रूफ़शोधन के विधिवत, व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध की जानी चाहिए।

हिंदी पुस्तकें शुद्ध और निर्दोष प्रकाशित हों, इस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य नहीं हुए हैं। संपादन-प्रूफ़रीडिंग का विधिवत् प्रशिक्षण न हो पाने के कारण दक्ष लोग तैयार नहीं हो रहे। इसके लिए पत्रकारिता के पाठ्यक्रम में विशेष व्यवस्था करने की आवश्यकता है; तदनंतर निरंतर अभ्यास और प्रयोग से ही इस क्षेत्र में दक्षता प्राप्त कर सकेंगे। 'राष्ट्रीय पुस्तक न्यास' प्रकाशन का कोर्स संचालित करता है, जिसमें इन विषयों का प्रारंभिक ज्ञान दिया जाता है। पर इन विषयों का अध्ययन और विस्तार व गंभीरता से करने की महती आवश्यकता है। केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा भी इस दिशा में नए पाठ्यक्रमों की संरचना कर रहा है।

अनुशंसा-4

आप्रवासी हिंदी लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यशालाएं आयोजित की जाएं। तदुपरांत विभिन्न लेखन प्रतियोगिताएं करके उनमें

से पुरस्कृत पांडुलिपियों का प्रकाशन किया जाए।

आप्रवासी हिंदी लेखकों की लेखन-क्षमता को विस्तार देने के लिए कुछ प्रभावी प्रयास हुए हैं। केंद्रीय हिंदी संस्थान जो पुरस्कार देता है, वह भी प्रोत्साहन का बहुत बड़ा स्रोत है। इस क्षेत्र में भारत के राजदूतावासों व उच्चायोगों में कार्यशालाएं संचालित करना आवश्यक है।

अनुशंसा-5

भारतीय राजदूतावास तथा उच्चायोगों के माध्यम से विदेशों में हिंदी के फ़ॉण्ट उपलब्ध कराए जाएं तथा हिंदी टाइपिंग का प्रशिक्षण भी दिया जाए।

हिंदी फॉण्ट की समस्याओं का समाधान एक सीमा तक हो गया है। यूनीकोड में टाइप करके उसे भिन्न फॉण्टों में परिवर्तित कर पाना अब सुगम हो गया है। अधिकांश लोग अब हिंदी में सरलता से टाइप कर पा रहे हैं।

इस क्षेत्र में और अनुसंधान होगा तो छोटी-छोटी बची हुई समस्याओं का भी समाधान संभव होगा। राजदूतावासों और उच्चायोगों में भी इनके प्रयोग में वृद्धि हुई हैं। फिर भी प्रशिक्षण की सुविधा मिलेगी तो कर्मी और बेहतर ढंग से हिंदी में काम कर पाएंगे।

अनुशंसा-6

भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में समन्वय हो ताकि विविध विषयों पर पुस्तकें प्रकाशित होकर प्रचारित-प्रसारित की जा सकें।

विभिन्न मंत्रालयों में समन्वित प्रयासों का सुपरिणाम दिख रहा है। विदेश मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय आदि के बीच उचित तालमेल के कारण विविध विषयों की पुस्तकों का प्रकाशन-वितरण बढ़ रहा है और अधिक प्रचार-प्रसार के लिए व्यापक क़दम उठाए गए हैं।

अनुशंसा-7

अन्य भारतीय भाषाओं की पुस्तकें और अधिक संख्या में हिंदी में अनूदित होकर प्रकाशित होनी चाहिए। इससे हिंदी पाठक वहां की संस्कृति और भाषा से परिचित होंगे और उनके कुछ शब्दों से अपनी भाषा भी समृद्ध करेंगे।

विभिन्न भारतीय भाषाओं के बीच आदान-प्रदान बढ़ा है और कई अभिनव प्रयोग हुए हैं। सरकारी स्तर पर नेशनल बुक ट्रस्ट, प्रकाशन विभाग, साहित्य अकादेमी पहले से ही यह काम कर रही हैं, पर इधर गति बढ़ी है और पुस्तकों की संख्या में आशातीत वृद्धि हुई है। पत्र-पत्रिकाओं में भी भाषाओं के अनुवाद प्रकाशित हो रहे हैं, ताकि एक-दूसरे की भाषा-संस्कृति-परिवेश का परिचय मिल सके। 'साहित्य अमृत' का 'लोक-संस्कृति अंक' इस दृष्टि से बहुत उपयोगी व लोकप्रिय रहा। निजी क्षेत्र में भारतीय ज्ञानपीठ का योगदान अपूर्व है। प्रभात प्रकाशन ने तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, ओड़िया, मराठी, गुजराती, असमिया भाषाओं की 'लोकप्रिय कहानियां' शृंखला के माध्यम से भाषाई सेतु बनाने का महत्ती कार्य किया है। कुल मिलाकर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भारतीय भाषाओं के पारस्परिक व्यवहार का दायरा बढ़ा है।

अनुशंसा-8

विभिन्न राज्य ग्रंथ अकादमियों और सरकारी प्रकाशनों की उपलब्धता सुलभ हो। उनमें पुस्तकें प्रकाशित करने की प्रक्रिया सरल की जाए।

राज्य ग्रंथ अकादमियों और सरकारी प्रकाशनों की उपलब्धता बढ़ रही है। पुस्तक मेलों, प्रदर्शनियों और ई-बुक के माध्यम से अब पुस्तकें आसानी से पाठकों को मिल पा रही हैं।

अनुशंसा-9

लंबी दूरी की यात्रा करने वाली रेलगाड़ियों, बसों में पुस्तकालय की

सुविधा उपलब्ध कराई जाए।

इस अनुशंसा के संबंध में कोई विशेष कार्यवाही नहीं हुई है। ये कार्य रेल तथा सड़क परिवहन मंत्रालयों के माध्यम से निष्पादित होंगे। वे केंद्रीय स्तर पर सभी राज्य सरकारों को निर्देश देंगे तो लंबी दूरी की रेल व बस यात्राओं में पुस्तकें तथा पत्र-पत्रिकाएं पाठकों को उपलब्ध हो पाएंगी।

अनुशंसा-10

विदेशों में पुस्तकें हवाई डाक से भेजना अत्यंत व्ययसाध्य है। अतः समुद्री डाक से पुस्तकें भेजने की जो सुविधा पहले उपलब्ध थी, उसे पुनः प्रारंभ किया जाए।

इस अनुशंसा के संबंध में भी कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई है। विदेशों में हवाई डाक से पुस्तकें भेजना महंगा है और समुद्री डाक से पुस्तकें भेजने की सुविधा स्थगित है। इस कारण चाहते हुए भी पाठक पुस्तकें नहीं ले जाते।

कुल मिलाकर निष्कर्ष यह है कि इन अनुशंसाओं का पालन एक सीमा तक ही हुआ है, इनकी अनुपालना हेतु और अधिक प्रभावी क़दम उठाने की आवश्यकता है। ये क़दम मुख्य रूप से शासकीय स्तर पर उठाने होंगे, ताकि अपेक्षित सकारात्मक परिणाम निकल पाएं।

9

हिंदी-पत्रकारिता और संचार-माध्यम में भाषा की शुद्धता

प्रस्तुति : प्रो. बृज किशोर कुठियाला
संप्रति : अध्यक्ष, हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद्, पंचकूला
पूर्व कुलपति,
माखन लाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय, भोपाल

मानव मन, संवाद और भाषा

मानव मन की चेष्टा पूरे जगत को सुनने-सुनाने, देखने-दिखाने की रहती है। भाषा का अविष्कार इस श्रृंखला की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। भाषा ने मानव संचार को पूरी तरह से व्यवस्थित बना दिया। कालांतर में भाषा के आधार पर ही पत्रकारिता जैसी विधाओं का विकास हुआ और संचार-माध्यमों ने 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की संकल्पना को मूर्त रूप दिया। वर्तमान में संचार और जनसंचार मानव समाज में संवाद के लिए अनिवार्य घटक बन चुके हैं।

जनभाषा और विश्व हिंदी सम्मेलन

किसी भी देश के लिए उसकी जनभाषा उसकी संस्कृति का प्राण और विकास मार्ग को सुगम करने का महत्वपूर्ण कारक रहती है। स्वभाषा के महत्व को

देखते हुए वर्ष 1975 में नागपुर से विश्व हिंदी सम्मेलनों का क्रम शुरू हुआ। पहले 8 सम्मेलन हिंदी भाषा और साहित्य पर केंद्रित रहे। 2012 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुए 9वें सम्मेलन में जन संचार-माध्यम में हिंदी भाषा में रेंगती विकृतियों का चलते-चलते ज़िक्र हुआ था।

भोपाल बना मील का पत्थर

2015 में भोपाल में आयोजित 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन में पहली बार 12 महत्वपूर्ण विषयों की सूची में 'पत्रकारिता एवं संचार के माध्यमों की हिंदी' विमर्श का मुख्य विषय बनी। 11 सितंबर को सम्मेलन के दूसरे दिन विद्या निवास मिश्र सभागार में 'हिंदी पत्रकारिता और संचार-माध्यमों में भाषा की शुद्धता' विषयक सत्र में विस्तृत प्रस्तुतियां एवं चर्चा हुई। विषय का प्रतिपादन करते हुए वरिष्ठ पत्रकार एवं समाजिक कार्यकर्ता श्री राजेन्द्र शर्मा ने कहा कि पूर्व में हिंदी भारतीयता की अभिव्यक्ति का साधन थी, परंतु वर्तमान में हिंदी इंडिया की बात अधिक करती है। उन्होंने कहा कि हिंदी में अन्य भारतीय भाषाओं के शब्द सहज ही आ जाते हैं, परंतु कुछ समाचार माध्यमों में अंग्रेज़ी शब्दों को ज़बरदस्ती भरा जा रहा है। चर्चा के लिए प्रश्न उठाते हुए उन्होंने कहा कि यदि समाचारों के माध्यम प्रतिदिन भ्रष्ट भाषा परोसेंगे, तो हिंदी का भविष्य चिंताजनक ही होगा।

सत्र की अध्यक्षता करते हुए वरिष्ठ साहित्यकार एवं संपादक श्रीमती मृणाल पांडे ने कहा कि हिंदी के नाम पर विलाप बहुत होता है, परंतु हिंदी पत्रकारिता में तो प्रश्न रोज़ी-रोटी का है। भाषाई पत्रकारों के साथ भेदभाव का विषय उठाते हुए उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ी के पत्रकार हवाई यात्रा करते हैं और भाषाई पत्रकारों को रिक्शा से जाने के लिए भी अनुमति लेनी पड़ती है। परंतु उन्होंने यह भी विश्वास व्यक्त किया कि हिंदी अपने आप में इतनी सक्षम है कि उसका विस्तार तो होगा ही। इसे कोई नहीं रोक सकता।

भाषाई अनुशासन

इसी संदर्भ में तीन उप-विषयों पर भी चर्चा हुई। पहला उप-विषय था 'हिंदी पत्रकारिता पर अंग्रेज़ी का बढ़ता प्रभुत्व'। जनसत्ता के पूर्व संपादक श्री

ओम थानवी ने अपने वक्तव्य में परामर्श दिया कि सत्र के विषय में शुद्धता शब्द के स्थान पर स्वच्छता शब्द अधिक प्रासंगिक है। उन्होंने हिंदी को हिन्दुस्तानी कहने के कुछ सुझावों को अनुचित बताया। श्री थानवी ने कहा कि यदि अंग्रेज़ी पत्रकारिता में अंग्रेज़ी भाषा का अनुशासन रह सकता है तो हिंदी में अंग्रेज़ी के शब्दों और व्याकरण का प्रयोग क्यों नहीं रुकना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि हमें हिंदी के नए शब्दों को गढ़ने की प्रथा को भी प्रचलित करना चाहिए। उन्होंने हिंदी के पत्रकारों को सुझाव दिया कि वे हिंदी की शुद्धता पर हठी बनें और जानबूझकर आधुनिक बनने की कोशिश न करें।

पत्रकारिता और साहित्य की दूरी

दूसरा उप-विषय 'साहित्य और पत्रकारिता की भाषा में अंतःचुनौतियां एवं समाधान' था। ख्यातिप्राप्त साहित्यकार डॉ. नरेन्द्र कोहली ने विषय रखते हुए कहा कि पत्रकारिता और साहित्य में दूरी बढ़ गई है। अब समाचार-पत्रों के माध्यम से साहित्य पाठकों तक नहीं पहुंचता। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि संचार-माध्यमों में व्याकरण विलुप्त होता जा रहा है। अंग्रेज़ी व फ़ारसी के अनेक शब्द अकारण हिंदी में आ रहे हैं। इनका तर्क शून्य है। उन्होंने माना कि हिंदी में नए शब्द आने ही चाहिए, लेकिन अनेक ऐसे उदाहरण हैं, जहां हमने अपने बहुत सुंदर शब्दों को कूड़ेदान में फेंक दिया। श्री कोहली के अनुसार अंग्रेज़ी के 'Line of Control' के संक्षिप्त रूप एल.ओ.सी. को लोसी लिखना महज मूर्खता है, जबकि इसके लिए 'नियंत्रण रेखा' शब्द सहज रूप से उपलब्ध है। उन्होंने प्रश्न उठाया कि भारत में आजीविका की भाषा भारतीय भाषाएं क्यों नहीं हैं? उन्होंने कहा कि माओत्से तुंग और मुस्तफ़ा कमाल पासा ने अपने-अपने देश की भाषा संबंधी समस्या को एक ही निर्णय से सुलझा दिया। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि यदि सरकार ने शिक्षा-नीति नहीं सुधारी, तो एक दिन देश का सामान्य जन उठेगा और देशहित में अनुकूल स्थितियां स्थापित कर लेगा।

हिंदी की हत्या

तीसरा उप-विषय था 'हिंदी पत्रकारिता और हिंदी का भविष्य'। अपने

उद्बोधन में वरिष्ठ पत्रकार श्री राहुल देव ने कहा कि उनके मन में हिंदी भाषा को लेकर पीड़ा और निराशा है। उनके अनुसार हिंदी मीडिया में जो हो रहा है, वह धीमा ज़हर है और उससे हिंदी की हत्या हो रही है। हिंदी के पत्रकारों के मन में आत्महीनता है। कॉन्वेंट में पढ़े हुए हिंदी के पत्रकारों को हिंदी में शर्म और अंग्रेज़ी से गर्व का भाव आता है। श्री राहुल देव ने कहा कि हिंदी समाज में हिंदी को लेकर जो आत्मलज्जा का भाव है, वह हिंग्लिश के रूप में प्रकट होता है।

अत्यंत विद्वत्तापूर्ण चर्चा के पश्चात् सहभागियों ने एक मत से निम्न अनुशंसाओं पर सहमति बनाई :

1. लिपि की रक्षा

यह विश्व हिंदी सम्मेलन देश के सभी संचार-माध्यम के प्रबंधकों, संपादकों और प्रमुखों से आग्रह करता है कि वे अपने संस्थानों (सभी तरह के टीवी चैनल, समाचार-पत्र, रेडियो एफ.एम. चैनल, विज्ञापन-दाता, विज्ञापन एजेंसियां, डिजिटल मंच) में हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाओं की अस्मिता के मूलरूप लिपि को कमज़ोर व खंडित करने वाली कोई भी बात न होने दें। सभी संचार-माध्यम मिलकर अच्छी, स्वस्थ, समर्थ और सुंदर भाषाएं देने में केंद्रीय भूमिका निभाएं। इस आयोग का यह भी काम होना चाहिए कि वह राष्ट्रीय जीवन के सभी क्षेत्रों के लिए एक भाषा व्यवहार बनाएं और उसका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ज़रूरी क़दम उठाए।

2. राष्ट्रीय भाषा आयोग की आवश्यकता

सम्मेलन भारत सरकार से यह अनुरोध करता है कि हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाओं की वर्तमान दशा और दिशा का वस्तुपरक आकलन करने, उनके सामने खड़ी बहुआयामी चुनौतियों और समस्याओं को समझने और उनके समाधान को ढूंढा जाए। देश की विराट भाषा-संपदा के संरक्षण, संर्वधन और विकास के लिए राष्ट्रीय भाषा आयोग का गठन किया जाए। यह आयोग देश के सभी राज्यों और भाषाओं से जुड़े सभी पक्षों के साथ समन्वय और सहयोग करके

समयबद्ध तरीक़े से योजना बनाकर काम करे। यह हर वर्ष संसद के सामने अपनी प्रगति का लेखा-जोखा भी प्रस्तुत करें।

3. प्राथमिक शिक्षा से हो रही पौध ख़राब

ध्यान में आया है कि जनसंचार-माध्यम तथा जीवन के अन्य क्षेत्रों में हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाओं के विद्रूपीकरण की शुरुआत प्राथमिक शिक्षा से हो रही है। प्राथमिक शिक्षा का माध्यम स्थानीय भाषाओं को हटाकर अंग्रेज़ी करने से बड़ा अनर्थ हुआ है। अगर यह प्रक्रिया रोकी नहीं गई तो कोई भी शक्ति भारतीय भाषाओं को बचा नहीं सकेगी।

इसलिए यह सम्मेलन भारत सरकार से आग्रह करता है कि देश के सभी निजी और सरकारी शिक्षण संस्थानों में माध्यम भाषा के रूप में मातृ/स्थानीय भाषा सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ लागू करें।

4. विज्ञापन भी बिगाड़ रहे भाषा का स्वरूप

हिंदी सहित भारतीय भाषाओं के सभी रूपों के साथ-साथ उनकी लिपियों पर भी संकट खड़ा है। समूची पीढ़ियों को उनकी लिपियों से अपरिचित किया जा रहा है। दुर्भाग्य से कई सरकारी संचार-माध्यम और उनके विज्ञापन भी ऐसा कर रहे हैं। सम्मेलन सभी सरकारी और ग़ैरसरकारी संचार-माध्यमों से यह अनुरोध करता है कि वे अपने सभी संप्रेषणों में हिंदी और सभी भारतीय भाषाओं की लिपियों का लोप न होने दें और किसी भाषा के संदेश को उसकी लिपि में ही संप्रेषित करना सुनिश्चित करें।

5. ज़िम्मेदार लोग संभालें ज़िम्मेदारी

यह सम्मेलन इंडियन ब्राडकास्टर्स फेडरेशन (आई.बी.एफ.) और ब्राडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन (बी.ई.ए.) और इंडियन न्यूजपेपर सोसाइटी (आई.एन.एस.) और उनके जैसे सभी संगठनों से अनुरोध करता है कि वे अपने-अपने माध्यमों और मंचों में भारतीय भाषाओं के अस्तित्व, अस्मिता, रूप और स्वच्छता को सुनिश्चित करें और उनके संवर्धन में योगदान दें।

6. स्वयं बनाएं अपने लिए नीति

यह सम्मेलन सभी समाचार-पत्रों और चैनलों से यह अनुरोध करता है कि वे पहले की तरह अपने-अपने संस्थानों में एक सुविचारित और स्पष्ट भाषा-शैली नीति बनाएं और लागू कराएं।

7. सरकार से भी सहयोग की दरकार

यह सम्मेलन संस्तुति करता है कि हिंदी पत्रकारिता और जनसंचार-माध्यम के सम्यक् और समग्र विकास के लिए अटल बिहारी वाजपेयी केंद्रीय हिंदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देकर कार्य शुरू किया जाए। साथ ही महात्मा गांधी अंतराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा के पत्रकारिता पाठक्रमों के केंद्र देश के अन्य राज्यों में भी स्थापित किए जाएं।

तात्कालिक रूप से इस कार्य के लिए हिंदी की शुद्धता को प्रोत्साहित करने के लिए समाचार-पत्रों, समाचार चैनलों और मनोरंजन चैनलों को पुरस्कृत करने की योजना बनाई जाए।

ऐसे हो रहा अनुपालन समिति की अनुशंसाओं का पालन

दसवें विश्व हिंदी सम्मेलन के पश्चात् माननीय विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज की नवाचारी पहल पर अनुशंसा अनुपालन समिति का गठन हुआ। सभी मुख्य विषयों पर की गई अनुशंसाओं के अनुपालन में सक्रियता बनाए रखने के लिए एक-एक व्यक्ति को दायित्व दिया गया। हिंदी-पत्रकारिता और संचार-माध्यम में भाषा की शुद्धता की अनुशंसाओं के अनुपालन का दायित्व इस प्रतिवेदन के लेखक को सौंपा गया है।

समय-समय पर अनुशंसा अनुपालन समिति की बैठकें माननीय विदेश मंत्री ने लीं। कुल 6 बैठकें हुईं, जिसमें सम्मेलन की सभी अनुशंसाओं के बारे में प्रत्येक सदस्य से जानकारी प्राप्त हुई। ऐसा नवाचारी प्रयास पहली बार हुआ।

अनुशंसा अनुपालन समिति की पहली बैठक में हर विषय की अनुशंसाओं पर विस्तृत चर्चा हुई। सहमति बनी कि संचार-माध्यम में 'भाषा की शुद्धता' विषय की अनुशंसाओं को बिंदुवार प्रस्तुत किया जाए। दूसरी बैठक में इन बिंदुओं पर चर्चा हुई और तीसरी बैठक में प्रस्तुत सभी सोलह बिंदुओं पर समिति ने सहमति प्रदान की। इस बीच विभिन्न विषयों पर अनुपालन की कार्यवाही भी शुरू कर दी गई थी। सोलह अनुशंसाओं का प्रतिवेदन प्रस्तुत है :

1. समाचार-माध्यमों में सहज और सरल हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए।
2. मनोरंजन की भाषा शालीन एवं भारतीय शब्दावलियों पर आधारित हो।
3. साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्रों से समाचार-माध्यमों की भाषा का जीवंत संपर्क बने।
4. हिंदी के समाचार-माध्यमों में अंग्रेज़ी शब्दों के प्रयोग की प्रवृत्ति को गंभीरता से रोका जाए।
5. कुछ हिंदी के समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में रोमन लिपि और अंग्रेज़ी भाषा का प्रयोग हो रहा है। यह निंदनीय है। इस पर तुरंत रोक लगनी चाहिए।
6. आम बोलचाल की भाषा का बहाना बनाकर समाचार पत्र एवं संचार-माध्यम हिंदी व भारतीय भाषाओं को विकृत न करें।
7. पत्रकारिता और संचार के माध्यम भाषा के विषय में अनुसरण न करते हुए जनमानस की भाषा निर्माण में नेतृत्व व प्रशिक्षक की भूमिका में रहे।
8. हिंदी भाषा के नियमन के लिए संविधानिक संस्था का गठन हो।
9. आवश्यकतानुसार हिंदी भाषा में नए शब्दों को सम्मिलित करने की अधिकारिक घोषणा हर वर्ष होनी चाहिए।

10. आवश्यकतानुसार हिंदी में नए शब्दों को गढ़ना चाहिए।
11. प्रशासन के द्वारा मीडिया को दी गई जानकारी हिंदी व भारतीय भाषाओं में ही हो।
12. केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और अन्य सरकारी संस्थाएं प्रेस-विज्ञप्ति केवल हिंदी में दें। अंग्रेज़ी के संचार-माध्यम उनका अनुवाद करने के लिए स्वतंत्र हैं।
13. शासकीय पत्राचार और नस्तियों में लेखन व हस्ताक्षर हिंदी या भारतीय भाषाओं में हो।
14. पत्रकारिता एवं जनसंचार के माध्यमों की शिक्षा में अंग्रेज़ी पाठक्रमों का वर्चस्व क्रमशः न्यून होने से हिंदी का प्रचलन बढ़ेगा।
15. समाचार पत्र या पत्रिका का पंजीकरण जिस भाषा के लिए है, उसमें अन्य भाषा में विज्ञापन नहीं होना चाहिए।
16. दृश्य व श्रव्य माध्यमों में जो सामग्री लिख कर प्रस्तुत होती है, उसकी शुद्धता पर विशेष प्रयास करने चाहिए।

अनुशंसा अनुपालन

अनुशंसा अनुपालन समिति की पहली बैठक में समिति की माननीय अध्यक्ष एवं विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि हिंदी में वर्तनी के मानकीकरण से संबंधित कार्य भी पत्रकारिता में हिंदी की शुद्धता के साथ ही करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें मानक और वैकल्पिक शब्द दोनों ही स्वीकार करने चाहिए। उन्होंने प्रो. बृज किशोर कुठियाला को निर्देश दिया कि लेखकों को वैकल्पिक हिंदी शब्दों के प्रयोग के संबंध में मीडियाकर्मियों और संपादकों के साथ उनकी एक बैठक का आयोजन करें।

अनुशंसा अनुपालन समिति की प्रथम बैठक में माननीय विदेश मंत्री ने निर्देशित किया कि हिंदी में तकनीकी शब्दों के मानकीकरण का कार्य भी

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय को ही दिया जाए।

माखन लाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल ने हिंदी समाचार पत्रों में अंग्रेज़ी शब्द प्रयोग विषय पर शोध करने का निश्चय किया। मई मास के सभी 31 दिनों के हिंदी के 8 लोकप्रिय समाचार पत्रों में अंग्रेज़ी शब्दों को चिह्नित किया गया। दैनिक जागरण (भोपाल संस्करण), दैनिक भास्कर (भोपाल संस्करण), नवदुनिया, पंजाब केसरी, जनसत्ता, दैनिक ट्रिब्यून, हिन्दुस्तान और अमर उजाला में प्रकाशित समाचार, लेख और संपादकीय सामग्री के शीर्षक, उप-शीर्षक, सार और विषय-वस्तु में अंग्रेज़ी के 15 हजार 737 शब्दों को चिह्नित किया गया। अंग्रेज़ी के इन शब्दों की सम्प्रेषणीयता के मूल्यांकन के लिए 6 श्रेणियां तय की गईं। इनका आकलन ख्यातिप्राप्त पत्रकार श्री राहुल देव, डॉ. विनोद पुरोहित व डॉ. संतोष मानव द्वारा किया गया। बाद में माननीय विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज के सुझाव पर हिंदी के समाचार पत्र नवभारत टाइम्स को भी शोध में शामिल किया गया। इस समाचार पत्र में जून माह के 30 अंकों में 8 हजार 934 बार अंग्रेज़ी शब्दों का प्रयोग हुआ।

इस प्रकार हिंदी के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले 9 लोकप्रिय समाचार पत्रों में सबसे अधिक प्रयोग होने वाले 600 अंग्रेज़ी शब्दों के लिए वैकल्पिक उपयुक्त शब्दों की सूची बनाई गई। इस काम को प्रो. त्रिभुवन शुक्ला, श्री राहुल देव, प्रो. राम मोहन पाठक व डॉ. परमात्मा नाथ द्विवेदी के सहयोग से संपन्न किया गया।

छ: श्रेणियों में शोध

इस शोध में हिंदी समाचार पत्रों में जिन अंग्रेज़ी शब्दों का प्रयोग हुआ, उन्हें विद्वानों की सहायता से 6 श्रेणियों में डाला गया, जो इस प्रकार हैं :-

पहले वर्ग में अंग्रेज़ी भाषा के वे शब्द रखे गए, जिनका हिंदी के समाचार-पत्रों में प्रयोग पूर्णतः उचित है, क्योंकि इसके लिए हिंदी शब्द हैं ही नहीं।

दूसरी श्रेणी में अंग्रेज़ी भाषा के वे शब्द रहे जिनका हिंदी के समाचार-पत्रों में प्रयोग पूर्णतः उचित है, क्योंकि इनके लिए हिंदी शब्द प्रचलित नहीं हैं।

तीसरे स्थान पर उन अंग्रेज़ी शब्दों को रखा गया जिनका हिंदी के समाचारपत्रों में प्रयोग उचित है, क्योंकि इनके लिए हिंदी शब्द अत्यंत क्लिष्ट हैं।

अंग्रेज़ी भाषा के कुछ शब्दों का प्रयोग हिंदी के समाचार-पत्रों में उचित माना जा सकता हैं। हालांकि, इनके लिए हिंदी का शब्द भी प्रयोग किया जा सकता था। यह शब्दों का चौथा वर्ग बना।

पांचवीं श्रेणी अंग्रेज़ी के ऐसे शब्दों के लिए रखी गई जिनका प्रयोग हिंदी के समाचार-पत्रों में प्रयोग अनुचित है, क्योंकि हिंदी में इनके सार्थक शब्द उपलब्ध हैं।

अंतिम और छठे वर्ग में अंग्रेज़ी के उन शब्दों को लिया गया, जिनका हिंदी के समाचारपत्रों में प्रयोग अत्यंत अनुचित है, क्योंकि हिंदी में इनसे बेहतर शब्द उपलब्ध हैं।

इस शोध पर आधारित एक पुस्तक का प्रारूप हिंदी के मुख्य समाचार पत्रों, समाचार समितियों एवं टेलीविज़न वाहिनियों को प्रयोग के लिए दिया गया, जिससे वे आवश्यकतानुसार अंग्रेज़ी के शब्दों के स्थान पर हिंदी के शब्दों का प्रयोग कर सकें। यह विषय भी ध्यान लाया गया कि शोध के अनुसार पिछले 7 वर्षों में पत्रकारिता में अंग्रेज़ी शब्दों का प्रयोग 13 गुना बढ़ा है।

माननीय विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज के सुझाव पर दिल्ली में पत्रकारों की दो संगोष्ठियां आयोजित की गईं। पहली संगोष्ठी में 93 वरिष्ठ पत्रकारों की सहभागिता रही। ये सभी पत्रकार समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, समाचार वाहिनियों और समाचार समितियों में वरिष्ठ स्तरों पर कार्यरत हैं। इनके सम्मुख हिंदी समाचार माध्यमों में प्रयुक्त अंग्रेज़ी के शब्दों से संबंधित शोध की प्रस्तुति की गई। इस बात को ध्यान में लाया गया कि जहां हिंदी के शब्द सहज, सरल रूप में उपलब्ध हैं, वहां भी अंग्रेज़ी शब्दों का प्रयोग कितना अतार्किक व सम्प्रेषणीयता के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन हैं। पत्रकारों ने इस शोध की सराहना की और माना कि हिंदी भाषा में अंग्रेज़ी शब्दों का प्रयोग कम से कम होना

चाहिए। पत्रकारों ने परस्पर संकल्प लेने के लिए कहा कि वे प्रयास करें कि समाचारों के माध्यम से अधिक से अधिक शुद्ध एवं स्वच्छ हिंदी जनमानस तक पहुंचे। उन्होंने इस शोध को निरंतर करते रहने का भी सुझाव दिया। 600 अंग्रेज़ी शब्दों के वैकल्पिक हिंदी शब्दों की सूची सभी को दी गई।

इसी दिन दूसरी संगोष्ठी संपादकों एवं मालिकों की सहभागिता से हुई। इस संगोष्ठी के लिए डेढ़ घंटा तय था, लेकिन माननीय विदेश मंत्री की अध्यक्षता में यह लगभग तीन घंटे चली। अंग्रेज़ी शब्दों से संबंधित शोध की प्रस्तुति के पश्चात विस्तृत चर्चा हुई और अनेक सुझाव आए। माननीय विदेश मंत्री ने मालिकों और संपादकों से आग्रह किया कि शुद्ध हिंदी के विस्तार के लिए उनको विशेष प्रयास करने चाहिए। अनेक संपादकों ने माना कि वे अनावश्यक रूप से अंग्रेज़ी के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जो उचित नहीं है। संपादकों का मत था कि संविधान में हिंदी को राष्ट्र भाषा का स्थान न देना भूल रही है। इसके बावजूद हिंदी अपने बल पर ही सशक्त जनभाषा बन गई। आवश्यकता है कि हिंदी ज्ञान, विज्ञान, शोध, न्याय और अनुवाद की भाषा भी बने। 24 घंटे चलने वाली समाचार वाहिनियों में अंग्रेज़ी का बढ़ता प्रयोग अभिशाप है। यह तथ्य भी ध्यान में लाया गया है कि हिंदी में नए शब्द गढ़ने और नए शब्दकोषों का निर्माण नहीं हो रहा है।

इस दौरान माननीय विदेश मंत्री ने दो बहुमूल्य सुझाव दिए, जिनका सभी संपादकों ने स्वागत किया। पहला सुझाव था कि नए विषयों के लिए हिंदी में नए शब्दों को गढ़ने का कार्य हिंदी के समाचार-माध्यमों को करना चाहिए। दूसरा यह कि हम कठिन शब्दों के स्थान पर हिंदी के सरल शब्दों का अधिक प्रयोग करें। उन्होंने कहा कि 'सस्टेनेबल डेवेलपमेंट' के स्थान पर हिंदी शब्द 'टिकाऊ विकास' अधिक सम्प्रेषणीय है। बैठक में सभी संपादकों और मालिकों ने आश्वासन दिया कि वे तुरंत अपने-अपने संस्थानों में अंग्रेज़ी शब्दों के प्रयोग को कम करना शुरू कर देंगे।

पत्रकारिता की भाषा शुद्ध हो जाए तो आधा काम हो जाएगा

इस विमर्श के संदर्भ में अनुशंसा अनुपालन समिति की चौथी बैठक में

माननीय विदेश मंत्री ने कहा- 'जो 12 विषय हैं, उनमें वे इस विषय को ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानती हैं। क्योंकि अगर कुछ और न भी किया जाए, सिर्फ़ हिंदी के समाचार-माध्यमों में और पत्रकारिता के माध्यमों में भाषा को शुद्ध कर दें और उनको प्रेरित कर दें कि जो वे कर रहे हैं, वह बहुत ग़लत है, तो हमारा आधा काम बन जाएगा। इसलिए इस तरह की बैठक क्षेत्रीय स्तर पर भी तय करने की सोचें।' इस पर प्रो. कुठियाला ने कहा कि चंडीगढ़ में बैठक की गई है तथा और भी चार-पांच बैठकें हुई हैं। उन्होंने बताया कि इसका लाभ मिल रहा है। शब्दों के विकल्प के लिए उनके पास फ़ोन तथा पत्र आ रहे हैं और हिंदी के विद्वानों से बात करके उनको वह विकल्प दिया जा रहा है।

उच्चारण शुद्धि

हिंदी समाचार वाहिनियों और समाचार बुलेटिन में शब्दों का उच्चारण ग़लत होता है। उसे सुधारने के लिए 18 घंटे का प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाया गया तथा इंदौर, भोपाल और चंडीगढ़ में यह प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुए।

संवाद का स्वराज

भोपाल में 17 भाषाओं के विद्वान और कोलकाता में 22 भाषाओं के विद्वानों को एकत्रित किया गया। भारतीय भाषाओं में अंतर्संवाद से शब्दों को गढ़ा जाए, ऐसा प्रयास प्रारंभिक अवस्था में है। प्रयोग के लिए यदि हिंदी में शब्द न हो तो पहला विकल्प दूसरी भारतीय भाषाओं में ढूंढ़ना चाहिए। इसके लिए अनौपचारिक रूप से लगभग 500 शब्दों को चिह्नित किया गया है।

अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला-2016 में विश्वविद्यालय ने 'एकात्म भारत के लिए संपर्क भाषा' विषय पर संगोष्ठी आयोजित की, जिसमें केरल में कार्यरत पुलिस सेवा के अधिकारी श्री सेतूरमन ने अपने शोध के आधार पर बताया कि किस प्रकार भारतीय व्यवस्थाओं में हिंदी और भारतीय भाषाओं के माध्यम से परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के साथ अन्याय होता है।

अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला 2017 में विश्वविद्यालय ने 'भाषा का स्वराज'

विषय पर संगोष्ठी आयोजित की, जिसमें पत्रकारों और साहित्यकारों ने सहभागिता की। इस विमर्श में सहमति बनी कि केंद्र और राज्यों द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्नपत्र मूलतः हिंदी और भारतीय भाषाओं में बनने चाहिए और उनका अनुवाद अंग्रेज़ी में किया जा सकता है।

देवी अहिल्या बाई विश्वविद्यालय तथा इंदौर प्रेस क्लब के सहयोग से माखन लाल विश्वविद्यालय ने 'संवाद का स्वराज एवं भाषा' के विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया। चंडीगढ़ में पंजाब विश्वविद्यालय के साथ मिलकर '4जी पत्रकारिता और हिंदी' संबंधी विमर्श का आयोजन किया। मुंबई में 'मनोरंजन का संसार, भाषा और संस्कृति' विषय पर विमर्श हुआ। कोलकाता में विश्वविद्यालय द्वारा भारतीय भाषा परिषद् के सहयोग से 'हिंदी और भारतीय भाषाओं में अंतर्संवाद' विषय पर दो दिवसीय विमर्श हुआ। इसमें 9 भाषाओं का प्रतिनिधित्व हुआ। इस दौरान विमर्श आया कि पत्रकारिता केवल सूचना का ही साधन नहीं है अपितु इसके माध्यम से विचारों का भी निर्माण होता है और भाषा के संबंध भी सार्वजनिक होते हैं। भाषा सम्प्रेषण के साथ संस्कारित भी करती है और स्वभाषा में ही अपनी संस्कृति के अनुसार धारणाओं का निर्माण होना चाहिए। हिंदी के लिए पत्रकारिता में अंग्रेज़ी शब्दों का प्रयोग आत्मघाती है। काठमांडू में 'भारत-नेपाल संबंधों में मीडिया की भूमिका' पर दो दिवसीय विमर्श हुआ, जिसमें सुझाव आया कि दोनों देशों के मीडिया परस्पर संवाद हिंदी में करेंगें, तो अधिक सहयोग और सहमति बनेगी।

इस प्रकार अनुशंसाओं में क्रमांक 1, 2, 4, 6, 7, 10, 11, 12 व 16 पर अधिक या कम कुछ न कुछ कार्य संपन्न हुआ है। माननीय विदेश मंत्री ने सूचना एवं प्रसारण मंत्री, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से कहा कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को प्रेस विज्ञप्ति हिंदी में मूलरूप से होनी चाहिए। भाषा के नियमन के लिए संवैधानिक संस्था का गठन और उसके द्वारा ही नए शब्दों के सम्मिलित करने की अधिकारिक घोषणा पर विचार तो हुआ, परंतु इसी कार्य-योजना पर सहमति नहीं बन पाई (अनुशंसा क्रमांक 8 व 9)।

समाचार-माध्यमों का शिक्षा व साहित्य के क्षेत्र (अनुशंसा क्रमांक 3) से जीवंत संबंध बनाना व हिंदी भाषा को समृद्ध करना इस कार्य के लिए अनौपचारिक कार्य तो हुआ, परंतु परिणाम निवेदन योग्य प्राप्त नहीं हुए।

हिंदी समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में रोमन लिपि का और अंग्रेज़ी भाषा का प्रयोग रोकने के लिए विधि विशेषज्ञों से वार्ता हुई, परंतु परिणाममूलक कार्य नहीं हो पाया। (अनुशंसा क्रमांक 8)

शासकीय पत्राचार नस्तियों में लेखन व हस्ताक्षर हिंदी व भारतीय भाषाओं में हो यह विषय प्रशासन में हिंदी के समूह का है। पत्रकारिता एवं जनसमाचार-माध्यमों की शिक्षा में अंग्रेज़ी पाठक्रमों (अनुशंसा क्रमांक 13) का वर्चस्व क्रमशः न्यून होना और हिंदी का प्रचलन बढ़ना यह कार्य स्वयं हो रहा है क्योंकि हिंदी पाठक-दर्शक-श्रोता तीव्र गति से बढ़ रहे हैं। (अनुशंसा क्रमांक 14)

जिस भाषा के लिए समाचार पत्र व पत्रिका का पंजीकरण है उससे अन्य भाषा में विज्ञापन नहीं होना चाहिए। यह न केवल विधि का विषय है परंतु अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मीडिया की स्वायत्तता से जुड़ा हुआ है। सभी संबंधित वर्गों में संवाद बनाने की आवश्कता है। (अनुशंसा क्रमांक 15)

10

विदेशियों के लिए भारत में हिंदी अध्ययन

--प्रस्तुति : डॉ. कमल किशोर गोयनका
उपाध्यक्ष, केंद्रीय हिंदी-शिक्षण मंडल, आगरा

प्रासंगिक परिप्रेक्ष्य और संगत समाधान

अखिल भारतीय एवं अंतरराष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी के विकास का प्रश्न अपने आप में विविध प्रकार की महत् उत्तरदायी भूमिकाओं को समाहित किए हुए है।

स्वातंत्र्योत्तर लोकतांत्रिक परिवेश में भाषाई प्रतिष्ठा, राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय आवश्यकताओं तथा भाषाओं के अंतःसंबंध के आधार पर, उदात्त राष्ट्रीय भावना के बल पर और संविधान द्वारा संदत्त शक्ति के साथ बहुभाषिक-बहुसांस्कृतिक भारत देश में संवाद, संचार एवं संपर्क की व्यापक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हिंदी से बहुआयामी भूमिकाएं धारण एवं निर्वाह करने की अपेक्षा की जाती रही है।

राष्ट्रभाषा, राजभाषा और व्यापक संपर्क भाषा के रूप में उत्तरोत्तर विकासमान हिंदी की इन भूमिकाओं का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :

प्रादेशिकता की भूमिका

हिंदी भारत के जिन प्रदेशों में स्वीकृत प्रादेशिक भाषा या प्रदेश की राजभाषा है, वहां यह भाषा के उन सभी प्रयोजनों को साधे, जिनसे शैक्षिक माध्यम के रूप में इसके द्वारा व्यक्तिगत (मानव संसाधन) विकास, समाज कल्याण तथा सांस्कृतिक समृद्धि की संप्राप्ति हो।

राष्ट्रीयता की भूमिका

हिंदी भारत संघ के सभी राज्यों के बीच राष्ट्रीय भावना को पोषित करते हुए राष्ट्रीय संप्रेषण-माध्यम के रूप में उभरे।

संघ-राज्य-प्रशासनिकता की भूमिका

हिंदी भारतीय लोक प्रशासन के परिवृत्त में संघ-राज्य के कार्यकलापों तथा अंतरराज्यीय व राज्यीय प्रशासनिक गतिविधियों के साथ संविधान-सम्मत यथोचित रूप में संलग्न रहे।

सार्वदेशिकता की भूमिका

हिंदी की उपादेयता देश के वाणिज्य, व्यापार, उद्योग तथा अन्यान्य कार्यकलापों के साथ जुड़ते हुए विस्तृत होती जाए।

जनपदीय भूमिका

जिन क्षेत्रों की अपनी कोई क्षेत्रीय भाषा विकसित नहीं है या जहां अविकसित जनपदीय भाषाओं की बहुतायत है, वहां सामाजिक, शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों की अभिव्यक्ति के लिए वह जनपदीय भाषाओं के बीच अपना स्थान बनाते हुए स्वीकृत भाषा-माध्यम के रूप में उभरे।

अंतर्प्रादेशिकता की भूमिका

हिंदी देश के विभिन्न भाषायी समाजों और समुदायों की सामासिक प्रवृत्तियों के उत्थान तथा उन्नयन के लिए सक्षम भाषा-माध्यम के रूप में उभरे।

सांस्कृतिक-सामासिकता की भूमिका

संविधान की अष्टम सूची में उल्लिखित भाषाओं के संपर्क, सहयोग तथा साहचर्य से हिंदी का देश की सामासिक संस्कृति की संवाहक भाषा के रूप में विकास करना।

अंतरर्राष्ट्रीय भारतीयता की भूमिका

हिंदी विदेशों में रहने वाले प्रवासी भारतीयों के मध्य उनका भाषा-माध्यम बन सके और आवश्यकतानुसार उनकी शैक्षिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में उभर सके।

भारतीय संस्कृति के प्रतीकत्व की भूमिका

हिंदी भारत के विभिन्न भाषा-भाषियों के बीच साहित्य, संगीत, कला आदि के द्वारा भौगोलिक वैविध्य पर आधारित प्रतीकों, प्रतिबिंबों, कल्पनाओं तथा कलाकृतियों का प्रचार माध्यम बन सके।

अंतरराष्ट्रीय माध्यम की भूमिका

भारत के साथ शेष विश्व के अंतरराष्ट्रीय संपर्क हेतु भाषा-माध्यम के रूप में विदेशीजन हिंदी को सीखने के लिए आकर्षित हों।

स्पष्ट है कि राष्ट्रभाषा, राजभाषा एवं संपर्क भाषा के रूप में हिंदी की प्रतिष्ठा और इसका प्रचार-प्रसार केवल विधायी शक्तियों और प्रावधानों के बल पर नहीं हो सकता बल्कि इसके लिए भारत राष्ट्र के विशाल जनसमूह का व्यापक समर्थन और सहज संस्वीकृति भी आवश्यक है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारत की राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार करते समय ही संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी के विकास हेतु संघ की सरकार के लिए एक व्यापक मार्गदर्शक सिद्धांत निर्देशित किया गया है, जिसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं :

1. हिंदी भाषा का राष्ट्रीय स्तर पर विकास एवं प्रसार करना।
2. भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तथ्यों को आत्मसात करते हुए उसे

राष्ट्रीय अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना।

3. मूलतः संस्कृत, हिंदुस्तानी और संविधान की अष्टम सूची में उल्लिखित भारतीय भाषाओं के भाषिक तत्वों (शब्द-राशि) को आत्मसात करते हुए हिंदी के शब्द-भंडार को इस प्रकार विकसित करना, जिससे यह आधुनिक ज्ञान-विज्ञान, प्रौद्योगिकी, व्यापार, वाणिज्य आदि की राष्ट्रीय स्तर पर अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके।

इसी विचारधारा को दृष्टि में रखते हुए भारत सरकार ने तत्कालीन शिक्षा एवं समाज कल्याण विभाग (अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग) के अधीन हिंदी के अखिल भारतीय सर्वसमावेशी शैक्षणिक विकास एवं प्रचार-प्रसार के लिए एक स्वायत्त संगठन 'केंद्रीय हिंदी-शिक्षण मंडल' के अंतर्गत केंद्रीय हिंदी संस्थान की स्थापना सन् 1961 में की। हिंदी की भारतीय राष्ट्रीय स्वाधीनता-संग्राम के दिनों से महती भूमिका रही है। उन दिनों हिंदी के प्रचार-प्रसार को राष्ट्रीय एकीकरण और समन्वित राष्ट्रीय अभिव्यक्ति का एक महत्वपूर्ण साधन समझा गया था। भावना यह भी कि अखिल भारतीय स्तर पर स्वतंत्रता-महायज्ञ से जुड़ने के लिए देश के विभिन्न प्रांत-प्रांतरों के देशभक्त, बुद्धिजीवी हिंदी की ज्योति जलाते चलें। कालांतर में केंद्रीय हिंदी-शिक्षण मंडल की स्थापना के समय यही भावसूत्र 'ज्योतित हो जन-जन का जीवन' ध्येय वाक्य के रूप में स्वीकृत हुआ।

हिंदी की ज्योति से जन-जन के जीवन को आलोकित करने की यह भावना जितनी प्रबल और पवित्र थी, व्यावहारिक धरातल पर इसके अनुप्रयोग की चुनौतियां भी उतनी ही स्पष्ट, जटिल और गंभीर थीं। हिंदी का अखिल भारतीय विकास हो, व्यापक लोक संस्वीकृति हो और शैक्षणिक प्रचार-प्रसार हो : इसके लिए हिंदी भाषा के अध्ययन-अध्यापन को व्यवस्थित रूपाकार प्रदान करना अपेक्षित था। हिंदी का विकास और प्रचार-प्रसार इस प्रकार करने की आवश्यकता थी, जिसमें सभी भारतीय भाषाओं का अस्मिताबोध सुरक्षित रह सके और हिंदी का भाषिक कलेवर तथा संप्रेषण सामर्थ्य भी संवर्धित हो। इसलिए

हिंदी भाषा के शिक्षक-प्रशिक्षणपरक, अन्य भाषा-शिक्षणपरक, शैक्षणिक अनुसंधानपरक एवं भाषा संवर्द्धनपरक आयामों को विकसित करना एक महत्तर राष्ट्रीय कर्तव्य के रूप में देखा गया।

वस्तुतः विशाल बहुभाषी राष्ट्र में 'कोई एक' अथवा 'केवल एक' भाषा के माध्यम से संवाद, संचार एवं संप्रेषण की सभी समस्याओं को हल कर पाना संभव नहीं होता है। मातृभाषा के रूप में किसी भाषा का अर्जन और अन्य भाषा के रूप में उस भाषा का अधिगम- दो भिन्न-भिन्न प्रक्रियाएं हैं। इनके अपने स्पष्ट प्रयोजनमूलक उद्देश्य और समाजभाषिक जटिलताएं होती हैं। अतः अन्य भाषा के रूप में हिंदी-शिक्षण का समन्वयन एवं संचालन अपने लक्ष्यों के संदर्भ में विशिष्ट शैक्षणिक प्रविधि की मांग करता है। इसी दृष्टि से हिंदीतरभाषी स्वदेशी एवं विदेशी विद्यार्थियों के लिए हिंदी अध्ययन-अध्यापन की चुनौतियों पर अत्यंत संवेदनशीलता और दूरदर्शिता से काम करने की आवश्यकता होती है।

दसवें विश्व हिंदी सममेलन, भोपाल का अनुशंसा सत्र 10 'विदेशियों के लिए भारत में हिंदी अध्ययन की सुविधा' विषय पर केंद्रित था। इस सत्र में हुई चर्चा और गहन विचार-विमर्श के उपरांत अग्रिम कार्यवाही के लिए विद्वत्भा द्वारा 12 अनुशंसा उपमद निर्धारित किए गए थे।

अंतरराष्ट्रीय हिंदी-शिक्षण के क्षेत्र में विगत लगभग 4 दशकों से एक प्रमुख संस्था के तौर पर सक्रिय केंद्रीय हिंदी संस्थान की भूमिका और उत्तरदायित्व भी बढ़े हैं। संस्थान ने विदेशी भाषा के रूप में हिंदी-शिक्षण के क्षेत्र में निरंतर अध्ययन-अध्यापन, अनुसंधान एवं विकास, भाषा संवर्द्धन एवं प्रोत्साहन में संलग्न रहते हुए अपनी भूमिका को गत्यात्मक तरीक़े से निभाया है। तदनुसार दसवें विश्व हिंदी सम्मेलन के अनुशंसा क्रमांक-10 में उल्लिखित विभिन्न बिंदुओं पर भी समुचित कार्यवाही की गई है, जो आगामी पृष्ठों में प्रस्तुत है।

प्रतिवेदन : विदेशियों के लिए भारत में हिंदी अध्ययन

अनुशंसा-1

मानक भाषा/वर्तनी तय होनी चाहिए ताकि विदेशी विद्यार्थियों को शब्द को पढ़ने, लिखने एवं उच्चारण में किसी भी प्रकार की दुविधा न हो।

अनुशंसा की पहली उपमद हिंदी के मानक स्वरूप के निर्धारण एवं प्रयोग से संबंधित है। निर्देशित किया गया था कि 'मानक भाषा/वर्तनी तय होनी चाहिए ताकि विदेशी विद्यार्थियों को शब्द को पढने-लिखने तथा उच्चारण में किसी प्रकार की दुविधा न हो।' इस दृष्टि से उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा हिंदी भाषा के मानकीकरण हेतु केंद्रीय हिंदी निदेशालय, नई दिल्ली, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार को अधिदेशित एवं अधिकृत किया गया है। निदेशालय द्वारा प्रस्तुत दिशा-निर्देश/मानक पूरे देश में अधिमान्य हैं तथा विविध शैक्षणिक, कार्यालयीन पत्राचार एवं प्रकाशन आदि कार्यों में इनका ही उपयोग अपेक्षित है। केंद्रीय हिंदी संस्थान द्वारा अपने विभिन्न कार्यों में निदेशालय द्वारा निर्धारित मानक का अनुपालन किया जाता है तथा अपने पाठ्यक्रम एवं विभिन्न प्रकाशनों में निदेशालय द्वारा अनुमोदित 'मानक देवनागरी लिपि एवं हिंदी वर्तनी' का उपयोग किया जाता है। यह भी उल्लेखनीय है कि संस्थान में अध्ययन हेतु आने वाले हिंदीतर भाषी एवं विदेशी विद्यार्थियों के भाषा-परिमार्जन तथा उनके भाषिक-कौशल विकास (श्रवण, भाषण, वाचन तथा लेखन) के लिए दक्ष प्राध्यापकों की देखरेख में भाषा-परिमार्जन की कक्षाओं एवं भाषा प्रयोगशाला का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार संस्थान की शैक्षणिक गतिविधियों में विद्यार्थियों की सुविधा और उनकी भाषिक दक्षता को संवर्धित करने के लिए मानक भाषा एवं वर्तनी के उपयोग संबंधी निर्देश का समुचित अनुपालन किया जा रहा है। यद्यपि संस्थान यह भी अनुभव करता है कि विगत लगभग 2-3 दशकों में हुए भाषा-तकनीकी विकास और विद्यार्थियों के अधिगम-योग्यता एवं समस्याओं के परिप्रेक्ष्य में निदेशालय द्वारा निर्धारित मानक लिपि एवं वर्तनी का

कतिपय परिवर्धन आवश्यक है। इस संबंध में समय-समय पर विभिन्न हिंदी विद्वानों, शिक्षकों एवं प्रकाशकों ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, उन सबको समाहित करते हुए यदि लिपि-वर्तनी के मानक का आधुनिक समयानुसार नवीनीकरण किया जाए तो यह हिंदी-शिक्षण एवं प्रकाशन के लिए एक उपयोगी क़दम होगा।

अनुशंसा-2

पाठ्यक्रम में यदि संबंधित देश की जानकारी भी जोड़ ली जाए तो अच्छा होगा।

दसवें विश्व हिंदी सम्मेलन की विद्वत् समिति ने यह भी सुझाव दिया था कि पाठ्यक्रम में यदि संबंधित देश की जानकारी जोड़ ली जाए तो अच्छा होगा। निश्चित रूप से भाषा-शिक्षण में स्थानीय तत्वों का उपयुक्त मात्रा में समावेश होने से अधिगम रुचि एवं स्तरीयता बढ़ जाती है। देश-विदेश में जहां भी हिंदी पढ़ाई जाती है, वहां के स्थानीय तथ्यों (देश, उसके प्रमुख नगर, स्थानीय भाषा, समाज एवं संस्कृति इत्यादि) को सम्मिलित करते हुए पाठ्यसामग्री का निर्माण एवं इसका पाठ्यक्रम में उपयोग करने से व्यापक भाषाई संस्वीकृति का वातावरण तैयार होता है। इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि केंद्रीय हिंदी संस्थान के अंतरराष्ट्रीय हिंदी-शिक्षण पाठ्यक्रम की हिंदी भाषा दक्षता प्रमाणपत्र की पाठावली पुस्तक में 'भारत देश' से संबंधित पाठ को सम्मिलित किया गया है। इसके साथ ही अनेक पाठों में भारत के विभिन्न दर्शनीय स्थानों को भी जोड़ा गया है। पाठ्यक्रम के दौरान विभिन्न शैक्षणिक प्रसंगों में प्राध्यापकों द्वारा विद्यार्थियों को भारत से संबंधित उपयोगी जानकारियां भी प्रदान की जाती हैं।

अनुशंसा-3

भाषा के साथ-साथ पाठ्यक्रम में भारतीय संस्कृति, दर्शन एवं अध्यात्म की जानकारी को सम्मिलित किया जाना चाहिए।

इसी क्रम में अगला महत्वपूर्ण अनुशंसा बिंदु है– 'भाषा के साथ-साथ

पाठ्यक्रम में भारतीय संस्कृति, दर्शन एवं अध्यात्म की जानकारी को सम्मिलित किया जाना।' यह भी पूर्णतः उपयुक्त सुझाव है। सर्वविदित है कि भाषा-शिक्षण कोई एकाश्मीय प्रक्रिया नहीं है। भाषा सीखने का अर्थ होता है : संबंधित भाषा समाज, संस्कृति और जीवन-व्यवहार को सीखना-समझना। उसके आचार-विचार और शिष्टाचार-व्यवहार के संवेदनशील पहलुओं को सक्रियता से जानना। प्रदत्त अनुशंसा के संबंध में संस्थान द्वारा सूचित किया गया कि इसके अंतरराष्ट्रीय हिंदी-शिक्षण पाठ्यक्रम में विभिन्न कक्षाओं के स्तर अनुरूप विद्यार्थियों को भारतीय संस्कृति, दर्शन, अध्यात्म एवं भारत विद्या (इंडोलॉजी) से जुड़े विषय प्रकरणों से परिचित कराया जाता है। पिछले वर्ष संस्थान ने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए 'भारतीय सांस्कृतिक प्रतीक' शीर्षक से एक पुस्तक भी प्रकाशित की है।

अनुशंसा-4

पाठ्यक्रम के साथ-साथ विभिन्न शिक्षण संस्थाओं की अर्हता एवं परीक्षा प्रणाली एवं परिणाम की योजना में भी एकरूपता होनी चाहिए।

यह अनुशंसा हिंदी के अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक प्रसार के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। विभिन्न संस्थाओं द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों और उनके प्रवेश, परीक्षा, अर्हता आदि नियमों में विविधता का नुकसान विद्यार्थी के साथ-साथ हिंदी को भी होता है। पाठ्यक्रमों का स्तरीकरण, प्रवेश-परीक्षा एवं अर्हता नियमों में एकरूपता का समावेश करने से हिंदी-शिक्षण की प्रक्रिया सरल, सुगम हो जाती है। इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि संस्थान द्वारा संचालित अंतरराष्ट्रीय हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत संस्थान मुख्यालय आगरा, दिल्ली केंद्र एवं श्रीलंका में आईसीसी कोलंबो तथा कैंडी केंद्र की कक्षाओं का संचालन किया जाता है। इनके पाठ्यक्रम, परीक्षा एवं परिणाम-संबंधी कार्य-पद्धति/नियमों एवं मानकों में यथासंभव एकरूपता का पालन किया गया है। यहां यह भी उल्लेख करना उचित होगा कि विभिन्न तकनीकी एवं व्यवहारिक/स्थानीय कारणों से पाठ्यक्रम, प्रवेश, परीक्षा, अर्हता के संबंध में शत-प्रतिशत एकरूपता ला पाना संभव और व्यावहारिक नहीं है। तथापि एक निश्चित स्तर तक एकरूपता का अनुपालन

निश्चित रूप से किया जाना चाहिए और वह संस्थान सहित अधिकतर प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थाएं करती हैं।

अनुशंसा-5

प्राथमिक के साथ-साथ भारतवर्ष में हिंदी में उच्च शिक्षा एवं शोध की दिशा में भी कार्य होना चाहिए।

केंद्रीय हिंदी संस्थान, हिंदी भाषा, भाषा-विज्ञान, तुलनात्मक भारतीय भाषा एवं साहित्य और हिंदी भाषा-शिक्षणपरक शोध-कार्यों से जुड़ा हुआ एक प्रमुख केंद्र हैं। संस्थान द्वारा हिंदी के भाषा-अनुसंधान एवं विकास से संबंधित अनेक शोध-कार्यों एवं परियोजनाओं को संपन्न किया गया है तथा उन पर आधारित विविध प्रकार की शिक्षण-सामग्री, यथा : पाठ्य पुस्तकें, सहायक पुस्तकें, अभ्यास-कार्य पुस्तिकाएं, शिक्षार्थी व्याकरण एवं कोश-ग्रंथ, शोध-प्रतिवेदन, संदर्भ-ग्रंथ आदि का प्रकाशन किया गया हैं।

हिंदी भाषा एवं साहित्य, भाषाविज्ञान, अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान, तुलनात्मक एवं व्यतिरेकी अध्ययन, भाषा एवं साहित्य शिक्षण, कोश विज्ञान, द्विभाषी कोश आदि से संबद्ध विभिन्न विषयों पर संस्थान द्वारा अब तक 200 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित की जा चुकी हैं। साथ ही विभिन्न स्तरों एवं अनेक प्रयोजनों की पाठ्यपुस्तकों तथा अध्यापक निर्देशिकाओं का भी प्रकाशन किया गया है।

हिंदी भाषा, साहित्य एवं भाषा-शिक्षण आदि के उच्चतर शोध की दिशा में संस्थान द्वारा प्रकाशित पत्रिकाओं का उल्लेख करना भी यहां उपयुक्त हैं। ये पत्रिकाएं हैं :

1. **गवेषणा** : अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान, हिंदी-शिक्षण और आलोचना की त्रैमासिक पत्रिका।
2. **संवाद पथ** : जनसंचार एवं पत्रकारिता केंद्रित त्रैमासिक पत्रिका।

3. **समन्वय पूर्वोत्तर** : पूर्वोत्तर राज्य की साहित्यिक एवं संस्कृति केंद्रित त्रैमासिक पत्रिका।

4. **समन्वय दक्षिण** : दक्षिण भारत की साहित्य एवं संस्कृति केंद्रित पत्रिका।

5. **समन्वय पश्चिम** : पश्चिम भारत की साहित्य एवं संस्कृति केंद्रित त्रैमासिक पत्रिका।

6. **प्रवासी जगत** : प्रवासी जगत का साहित्य-साहित्यकार, संस्कृति केंद्रित हिंदी में प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिका।

7. **शैक्षिक उन्मेष** : शिक्षा जगत में उन्मेष केंद्रित त्रैमासिक पत्रिका।

8. **भावक** : हिंदी साहित्य की त्रैमासिक पत्रिका (शीघ्र प्रकाश्य)।

9. **छात्र पत्रिकाएं** : हिंदी विश्व भारती (आगरा एवं दिल्ली से प्रकाशित विदेशी छात्रों की पत्रिका), समन्वय (आगरा से प्रकाशित स्वदेशी छात्रों की पत्रिका)।

10. **वेब पत्रिका** : हिंदी संस्थान वाणी।

हिंदी के बहु-आयामी भाषिक संवर्धन हेतु केंद्रीय हिंदी संस्थान द्वारा संचालित कुछ प्रमुख अनुसंधान एवं विकासपरक परियोजनाएं इस प्रकार हैं :

हिंदी विश्वकोश परियोजना : हिंदी विश्वकोश परियोजना के अंतर्गत विभिन्न विषयों से संबंधित 16 खंडों में विश्वकोश का निर्माण किया जा रहा है। पृथ्वी एवं भूगोल खंड प्रकाशित हो चुका है। गणित मुद्रण हेतु प्रेस में भेजा जा चुका है। विज्ञान की प्रेस-क़ॉपी तैयार है। अन्य विषयों, जैसे कि कला-साहित्य, सूचना प्रौद्योगिकी, इतिहास, समाज एवं जीवन, स्वास्थ्य एवं उपचार, जनसंचार धर्म एवं दर्शन, मनोविज्ञान, भारतीय उपचार पद्धतियां एवं योग, प्रशासन एवं प्रबंधन, आदि पर विश्वकोश खंडों का निर्माण किया जा रहा है।

हिंदी कॉर्पोरा परियोजना : केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा एवं भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में हिंदी की प्रकाशित पुस्तकों के माध्यम से हिंदी कॉर्पोरा परियोजना के अंतर्गत तीन करोड़ से ऊपर शब्दों का संकलन किया जा चुका है। संकलित सामग्री का शब्द-वर्ग का आधार पर ऑटोमेटिक टैगिंग किया गया है। इस संकलित सामग्री का उपयोग करते हुए संस्थान द्वारा हिंदी की आधारभूत शब्दावली और हिंदी क्रिया विशेषण शब्दकोश का निर्माण किया जा चुका हैं। वर्तमान में इस परियोजना के अंतर्गत शिक्षार्थी केंद्रित विभिन्न प्रकार के कोशों तथा हिंदी वर्तनी परीक्षक का निर्माण किया जा रहा है।

हिंदी लोक शब्दकोश परियोजना- हिंदी लोक शब्दकोश परियोजना के अंतर्गत हिंदी परिवार की 48 लोकभाषाओं के 48 खंडों में शब्द कोशों का निर्माण होना है। इस योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत भोजपुरी, ब्रजभाषा, राजस्थानी, छत्तीसगढ़ी, बुंदेली, अवधी व मालवी कांगड़ी, गढ़वाली, मगही और हरियाणवी लोकभाषाओं के त्रिभाषी यूनिकोडित डिजिटल लोक शब्दकोशों का निर्माण कार्य किया जा रहा है।

भाषा-साहित्य सी.डी. निर्माण परियोजना : हिंदी के सर्जनात्मक वैभव को हिंदी शिक्षार्थियों और हिंदी-प्रेमी आम-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से इस परियोजना के अंतर्गत हिंदी साहित्यकारों के जीवन और कृतित्व पर आधारित शैक्षणिक ऑडियो, वीडियो कार्यक्रमों के साथ-साथ हिंदी भाषाशिक्षण के मल्टीमीडिया कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं। परियोजना के अंतर्गत अभी तक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अज्ञेय, त्रिलोचन और फिराक गोरख़पुरी की रचनाओं पर आधारित ऑडियो सी.डी. तैयार की जा चुकी हैं। महादेवी वर्मा के जीवन और कृतित्व पर आधारित एक वीडियो वृत्तचित्र पंथ होने दो अपरिचित और नज़ीर अकबराबादी के जीवन और कृतित्व पर आधारित वीडियो वृत्तचित्र - 'आदमीनामा' का निर्माण किया गया है।

हिंदी के उच्चतर अनुसंधान को प्रोत्साहित करने की दिशा में संस्थान प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठियां आयोजित करता है, जिसमें

हिंदी-शिक्षण-प्रशिक्षण और अनुसंधान कार्यों में विशेषज्ञों से मार्ग-दर्शन प्राप्त कर उनके द्वारा प्रस्तुत शोध-लेखों का उपयोग संस्थान अपने विभिन्न कार्यक्रमों में करता रहता है। इसके अंतर्गत भाषाविज्ञान, हिंदी भाषा, शिक्षाशास्त्र, साहित्य, भाषा तकनीक के क्षेत्र में प्रतिष्ठित विद्वानों को आमंत्रित किया जाता है।

अनुशंसा-6

भारत में विद्यार्थियों की अध्ययन-सुविधा के साथ-साथ विदेशों में अध्ययन कर रहे हिंदी अध्यापकों के लिए पुनश्चर्या कार्यक्रम होना चाहिए।

विदेशी भाषा के रूप में हिंदी के शैक्षणिक संवर्द्धन एवं स्तरीकरण के लिए देश-विदेश में कार्यरत हिंदी शिक्षकों के शिक्षक-प्रशिक्षण एवं पुनश्चर्या कार्यक्रमों को गति तथा विस्तार देने की महती आवश्यकता है। इस दृष्टि से दसवें विश्व हिंदी सम्मेलन की समिति का सुझाव अत्यंत महत्वपूर्ण है कि भारत में विद्यार्थियों की अध्ययन-सुविधा के साथ-साथ विदेशों में अध्ययन कर रहे अध्यापकों के लिए पुनश्चर्या कार्यक्रम होने चाहिए। इस संबंध में केंद्रीय हिंदी संस्थान द्वारा विस्तृत टिप्पण के माध्यम से सूचित किया गया है :

यह कि संस्थान द्वारा (1) विदेशों में प्रतिनियुक्त होने वाले हिंदी शिक्षकों के लिए आईसीसीआर के सहयोग एवं निर्देशानुसार प्रशिक्षण कार्यशाला तथा (2) विदेशों में स्थित शिक्षण संस्थाओं से मांग प्राप्त होने पर यथासमय विदेशी हिंदी शिक्षकों के लिए के प्रशिक्षण (पुनश्चर्या) कार्यक्रमों का किया गया है, जिनका विवरण इस प्रकार है-

विदेशों में प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले हिंदी अध्यापकों के लिए आईसीसीआर के सहयोग से दि. 21-22 जून, 2016 को एक कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में प्रो. जे.एस. राजपूत, प्रो. नंद किशोर पांडे आदि विद्वानों द्वारा व्याख्यान दिए गए।

शैक्षणिक सत्र 2018-19 हेतु विदेशों में प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले हिंदी अध्यापकों के लिए आईसीसीआर के सहयोग से दि. 8-9 जून, 2018 को एक

कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें संस्थान के निदेशक प्रो. नंद किशोर पांडे एवं प्रो. बीना शर्मा, कुलसचिव सम्मिलित हुए।

विदेशी हिंदी अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु निम्नलिखित विशेष पुनश्चर्या कार्यक्रम आयोजित किए गए।

1. 11-17 सितंबर, 2016 के दौरान मॉरीशस के हिंदी अध्यापकों के लिए;
2. 10-21 अगस्त, 2017 के दौरान श्रीलंका के हिंदी अध्यापकों के लिए;
3. 12-18 नवंबर, 2017 के दौरान तुर्कमेनिस्तान के हिंदी अध्यापकों एवं उच्चतर विद्यार्थियों के लिए;

संस्थान द्वारा यह भी आश्वासन दिया गया है कि विदेशों से मांग प्राप्त होने पर विदेशी हिंदी शिक्षकों के लिए के प्रशिक्षण/पुनश्चर्या कार्यक्रम यथासमय आयोजित किए जाएंगे।

अनुशंसा-7

भारत में विदेशी विद्यार्थियों के हिंदी अध्यापकों के लिए एक अलग से प्रशिक्षण/पुनश्चर्या कार्यक्रम होना चाहिए।

विदेश में कार्यरत हिंदी शिक्षकों के प्रशिक्षण के समान ही यह भी आवश्यक है कि भारत में विदेशी विद्यार्थियों के अध्यापकों के लिए एक अलग से प्रशिक्षण/पुनश्चर्या कार्यक्रम आयोजित हों। इस अनुशंसा उपमद के संदर्भ में हिंदी संस्थान ने सूचित किया है कि विगत लगभग 40 वर्षों से केंद्रीय हिंदी संस्थान विदेशी भाषा के रूप में हिंदी-शिक्षण के कार्य से निरंतर जुड़ा रहा है। संस्थान में हिंदी अध्ययन हेतु आने वाले विदेशी विद्यार्थियों के शिक्षण-प्रशिक्षण का दायित्व दक्ष एवं अनुभवी प्राध्यापकों द्वारा निर्वहन किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय हिंदी-शिक्षण विभाग में अध्यापन करने वाले प्राध्यापक सामान्यतः संस्थान के ही विदेशी हिंदी-शिक्षण के क्षेत्र में अनुभवी वरिष्ठ विद्वानों (प्रोफ़ेसरों) के मार्गदर्शन में क्रमिक प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं।

चूंकि, भारत में विदेशी विद्यार्थियों के अध्यापक के लिए विशेषीकृत प्रशिक्षण/पुनश्चर्या कार्यक्रमों की व्यवस्था नहीं है, अतः ऐसे प्राध्यापकों के लिए व्यापक स्तर पर औपचारिक पुनश्चर्या/प्रशिक्षण भी नहीं हो सके हैं। अतः संस्थान ऐसे प्रशिक्षण/पुनश्चर्या कार्यक्रमों के आयोजन हेतु सहमति व्यक्त करता है। उल्लेखनीय है कि संस्थान के नवागत प्राध्यापकों के लिए इस प्रकार का एक औपचारिक प्रशिक्षण 'संकाय संवर्धन कार्यक्रम' के रूप में वर्ष 2007 में आयोजित किया गया था, जिसके अंतर्गत विदेशी भाषा-शिक्षण की सैद्धांतिक प्रविधियों एवं व्यावहारिक पद्धतियों के बारे में प्रतिभागी प्राध्यापकों को परिचित कराया गया था।

अनुशंसा-8

भारत में रहकर हिंदी अध्ययन कर रहे विदेशी विद्यार्थियों के लिए छात्रावास की सुविधा और बेहतर होनी चाहिए।

अनुशंसा समिति ने यह भी अपेक्षा व्यक्त की है कि भारत में रहकर हिंदी अध्ययन कर रहे विदेशी विद्यार्थियों के लिए छात्रावास की सुविधा और बेहतर होनी चाहिए। इस संदर्भ में संस्थान ने सूचित किया है कि भारत सरकार की विदेशों में हिंदी का प्रचार-प्रसार योजना (पीएचए स्कीम) के अंतर्गत प्रतिवर्ष हिंदी-शिक्षण हेतु चयनित लगभग 100 विदेशी विद्यार्थियों को संस्थान मुख्यालय आगरा में छात्रवृत्ति पर अध्ययन हेतु प्रवेश दिया जाता है।

मुख्यालय में अध्ययनकाल के दौरान इन विद्यार्थियों के स्थानीय आवास हेतु छात्राओं के लिए एक पूर्ण सुविधायुक्त अंतरराष्ट्रीय महिला छात्रावास तथा छात्रों के लिए पुरुष छात्रावास में इसी प्रकार का एक खंड/तल अधिकृत सुरक्षित किया गया है।

स्वच्छ प्राकृतिक परिवेश में स्थित छात्रावासों में विद्यार्थियों को दैनंदिन जीवन-यापन की सभी आवश्यक सुविधाएं (अटैच्ड टॉयलेट युक्त छात्रावास कक्ष, बिजली, पानी, वाइ-फाइ इंटरनेट, बिस्तर, कुर्सी-मेज, इनडोर गेम्स कोर्ट,

डायनिंग हॉल, मनोरंजन/ हॉबी क्लास हॉल आदि) प्रदान की जाती हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि संस्थान में पीएचए स्कीम के अंतर्गत आने वाले विद्यार्थियों के लिए विगत सत्र तक छात्रवृत्ति राशि रुपए 4500/- थी, किंतु आगामी शैक्षिक सत्र (2018-19) से इसे बढ़ा कर रुपए 6000/- कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त संस्थान द्वारा इन विद्यार्थियों को छात्रावास, भोजन, शैक्षिक पर्यटन, पुस्तक-खरीद, परियोजना टंकण हेतु वित्तीय सहायता की सुविधा भी प्रदान की जाती है।

अनुशंसा-9

विदेशी विद्यार्थियों के लिए तैयार पाठ्यक्रम एवं पाठ्य-सामग्री को तैयार करने हेतु नियमित रूप से कार्यशालाएं होनी चाहिए।

विदेशी विद्यार्थियों के लिए तैयार पाठ्यक्रम एवं पाठ्य-सामग्री को तैयार करने हेतु नियमित रूप से कार्यशालाएं होनी चाहिए। संस्थान द्वारा विदेशी विद्यार्थियों के लिए संचालित अंतरराष्ट्रीय हिंदी पाठ्यक्रम एवं पाठ्य सामग्री को तैयार, संवर्धित, अद्यतन करने हेतु समय समय पर नियमित रूप से विशेषज्ञ विद्वानों की कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं।

अनुशंसा-10

भारत में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों को भारतीय सांस्कृतिक विरासत से परिचित कराने के लिए सांस्कृतिक केंद्रों का शैक्षणिक भ्रमण अवश्य कराया जाना चाहिए।

भारत में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों को भारतीय सांस्कृतिक विरासत से परिचित कराने के लिए सांस्कृतिक केंद्रों का शैक्षणिक भ्रमण अवश्य कराया जाना चाहिए। संस्थान में अध्ययन करने वाले विदेशी विद्यार्थियों को शैक्षणिक पर्यटन के अंतर्गत आगरा एवं आस-पास स्थित भारतीय ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक केंद्रों का भ्रमण कराया जाता है। इसके अतिरिक्त कतिपय प्रतिष्ठित संस्थाओं (यथाः पातंजल योगपीठ, हरिद्वार, हिंदू हेरिटेज फाउंडेशन, हरिद्वार, मानस संगम, कानपुर आदि) से आमंत्रण प्राप्त होने पर इन स्थानों पर भी

विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण हेतु ले जाया जाता है।

अनुशंसा-11

विदेशी विद्यार्थियों को योग, कला, संगीत एवं भारतीय शास्त्रीय एवं लोकनृत्य के अध्यापकों का सहयोग भी लिया जाना चाहिए।

विदेशी विद्यार्थियों को योग, कला, संगीत एवं भारतीय शास्त्रीय एवं लोकनृत्य के अध्यापकों का सहयोग भी लिया जाना चाहिए। संस्थान में अध्ययन हेतु आने वाले विदेशी विद्यार्थियों को भारत विद्या (इंडोलॉजी) से संबंधित विभिन्न विषयों- भारतीय कला, दर्शन, ज्योतिष, संस्कृत, योग, संगीत एवं शास्त्रीय तथा लोकनृत्य के लिए विशेषज्ञ प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

अनुशंसा-12

भारत में विदेशी विद्यार्थियों को हिंदी का शिक्षण कराने वाले विभिन्न संस्थानों के मध्य सामंजस्य होना चाहिए।

भारत में विदेशी विद्यार्थियों को हिंदी का शिक्षण कराने वाले विभिन्न संस्थानों के मध्य सामंजस्य होना चाहिए। विश्व हिंदी सम्मेलन की अनुशंसा मद संख्या-7 'विदेशों में हिंदी-शिक्षण : समस्याएं एवं समाधान' के अंतर्गत उपमद क्रमांक 4 'विभिन्न संस्थाओं में सामंजस्य के लिए स्थानीय समिति का गठन' के संबंध में आईसीसीआर द्वारा निर्णय लिया जा चुका है कि अलग से इस प्रकार की समिति के गठन की आवश्यकता नहीं है। जो संस्थाएं यह कार्य कर रही हैं, उनके मध्य आईसीसीआर के माध्यम से संवाद-सामंजस्य किया जा सकता है।

भारत में आकर हिंदी अध्ययन करने वाले विदेशी विद्यार्थी वस्तुतः हिंदी के अंतरराष्ट्रीय राजदूत जैसे हैं। भारत से हिंदी अध्ययन कर स्वदेश लौटने के बाद ये न केवल अपने भाषा-ज्ञान एवं कौशल को अन्यान्य विद्यार्थियों को संप्रेषित करते हैं, अपितु इसे जीवन-व्यवहार एवं जीविकोपार्जन के अंतर्गत भी सम्मिलित करते हैं। भविष्य में इनमें से अनेक विद्यार्थी अपने देश-समाज की

उच्चतर जिम्मेदारियों को निभाने के लिए महत्वपूर्ण पदों पर प्रतिष्ठित होते हैं, तो इससे इनके साथ-साथ वे संस्थाएं भी गौरवान्वित होती हैं, जहां रहकर इन्होंने हिंदी सीखी और इसे वृहत्तर जीवन-प्रसंगों में सम्मिलित करने की दक्षता अर्जित की। भारत में विदेशी विद्यार्थियों के हिंदी पठन-पाठन का कार्य-संचालन इस दृष्टि से एक बड़े अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक उत्तरदायित्व का निर्वाह हैं। हिंदी शिक्षक, शिक्षार्थी, शिक्षण संस्थान, हिंदी प्रकाशन गृह, मंत्रालय-सरकार और संबंधित विदेशी दूतावास– ये सभी इसके महत्वपूर्ण पक्षकार हैं।

भारत में विदेशी विद्यार्थियों के हिंदी-शिक्षण-प्रशिक्षण में हिंदी संस्थान सहित ये सभी पक्ष अपने-अपने निर्धारित कर्तव्यों और दायित्वों का भली-भांति निर्वाह कर रहे है। भारत में आने वाले विदेशी विद्यार्थी हिंदी सीखकर संतुष्टिपूर्वक स्वदेश वापस होते हैं और वापसी के समय जब वे कहते हैं कि भारत उनका दूसरा घर है। भारत ने उन्हें दुनिया भर के दोस्त दिए हैं, हिंदी संस्थान में एक पूरा लघु विश्व आकर बसता है, तो इस दिशा में किए गए कार्य-श्रम का संतोष तो होता ही है, साथ ही आगे और भी बेहतर कार्य करने की प्रेरणा मिलती है।

11

अन्य भाषा-भाषी राज्यों में हिंदी

—डॉ. वाई. लक्ष्मी प्रसाद
पूर्व सांसद एवं उपाध्यक्ष, केंद्रीय हिंदी-शिक्षण मंडल, आगरा

भारत की राष्ट्रीय अस्मिता के विकास को दृष्टि में रखते हुए एक सुदृढ़ राष्ट्र के निर्माण के लिए सहज भाषा के रूप में भारत के अन्य भाषा-भाषी राज्यों में हिंदी का विकास किया जा रहा हैं। अखिल भारतीय अन्तःप्रांतीय व्यवहार की भाषा शुरू से ही हिंदी रही हैं। वर्तमान भारतीय समाज सूचना-प्रौद्योगिकी के बल पर विकसित हो रहा हैं। ऐसे में भारत में हिंदी-भाषी क्षेत्रों में ही नहीं अन्य भाषा-भाषी क्षेत्रों में भी हिंदी की भूमिका महत्वपूर्ण होती जा रही है। वर्तमान भारत की भाषाई आवश्यकताएं अन्य भाषा-भाषी राज्यों में हिंदी के विकास की दिशा को निर्धारित करती हैं। इस पृष्ठभूमि में सरकारी और ग़ैरसरकारी क्षेत्रों में नए सिरे से हिंदी के विकास के लिए योजनाबद्ध रूप में काम करने की ज़रूरत हैं।

वर्तमान समय में संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को भारत में सर्वव्यापी स्वीकृति मिल चुकी है। सेवा के क्षेत्र में भी हिंदी का बहुमुखी विकास हो रहा है। जहां एक ओर स्वैच्छिक संस्थाएं, अन्य भाषा-भाषी राज्यों में हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए काम कर रहीं हैं, वहां दूसरी ओर पाठशालाओं और

महाविद्यालयों में औपचारिक शिक्षा के द्वारा भी हिंदी के विकास की कोशिशें जारी हैं। अन्य भाषा-भाषी राज्यों में हिंदी के प्रचार-प्रसार के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए सरकारी और ग़ैरसरकारी संस्थाओं में हिंदी दिवस को एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। हिंदी के साथ-साथ अन्य भारतीय भाषाओं के प्रति प्रेम उत्पन्न करने की दृष्टि से प्रदर्शनियों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन इस संदर्भ में किया जाता है। भारतीय भाषाओं का प्रयोग करने की ओर प्रेरित करना और हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में प्रोत्साहित करने की दृष्टि से इन प्रदर्शनियों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का विशेष महत्त्व है। समाज के हर समुदाय के लोगों को भाषा-प्रयोग की वास्तविकताओं के प्रति आकर्षित करते हुए सहज रूप में मातृभाषाओं और भारतीय भाषाओं मुख्य रूप से राजभाषा हिंदी में काम करने की दिशा में लोगों को प्रेरणा देने के लिए प्रोत्साहन और पुरस्कार योजनाएं भी कार्यान्वित हो रही हैं। इन योजनाओं से अन्य भाषा-भाषी राज्यों की सामान्य जनता में हिंदी प्रयोग के प्रति संकोच दूर होता जा रहा है।

भारतीय भाषाओं में, विशेष रूप से हिंदी में ज्ञान-विज्ञान संबंधी पुस्तकों के प्रकाशन को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में पदार्पण करने वाले नए सामाजिक वर्गों, मुख्य रूप से दलित और बहुजन समाजों में ज्ञान के प्रचार-प्रसार के लिए हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। भारत में अधिकांश जनता के द्वारा बोली जाने वाली भाषा के रूप में हिंदी में ज्ञान उपलब्धियों को प्राप्त करना दलित और बहुजन वर्गों के लिए आसान होगा। इसलिए इन वर्गों में हिंदी सीखने के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए क़दम उठाए जा रहे हैं। इस आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए लघु अवधि की फ़िल्म बनाने से सामान्य जनता में हिंदी के प्रति रुचि उत्पन्न होगी। हिंदी सीखने की आवश्यकता का रेखांकन भी हो जाएगा। इसलिए हिंदी भाषा के विकास में भारतीय समाज के दलित और बहुजन वर्गों को भी सम्मिलित किया जा रहा है।

अन्य भाषा-भाषी राज्यों में औपचारिक शिक्षा अर्थात् पाठशाला और

महाविद्यालयों में द्वितीय भाषा के रूप में या मुख्य विषय के रूप में हिंदी का अध्ययन-अध्यापन हो रहा है। इस क्रम में विद्यार्थियों को हिंदी भाषा प्रयोग में दक्षता हासिल करने हेतु वाद-विवाद और निबंध प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। हिंदी उत्सव के अवसर पर या मातृभाषा दिवस के अवसर पर विद्यार्थियों में भविष्य की गतिविधियों में हिंदी भाषा के प्रयोग के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए इस प्रकार के आयोजनों की आवश्यकता होती है। इस क्रम में स्वैच्छिक संस्थाएं और सरकारी संगठनों में स्थानीय स्तर पर लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जाना भी आवश्यक है ताकि स्थानीय ज़रूरतों को दृष्टि में रखते हुए प्रयुक्त होने वाली हिंदी शब्दावली का परिचय हो। इन पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से दैनन्दिन जीवन की शब्दावली और सेवा के क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली शब्दावली का भी परिचय मिल जाता है।

अन्य भाषा-भाषी क्षेत्रों में हिंदी के प्रचार के लिए स्वतंत्रता के पूर्व ही भारत में ग़ैरसरकारी संस्थाओं की स्थापना की गई। आज भी कई संस्थाएं इस दिशा में निरंतर कार्यरत हैं। इन ग़ैरसरकारी संस्थाओं को वर्तमान ज़रूरतों को दृष्टि रखते हुए हिंदी प्रचार की दिशा में नए सिरे से दिशा-निर्देश करना चाहिए। पारंपरिक हिंदी भाषा प्रचार के स्थान पर संपर्क, सेवा और शिक्षा के क्षेत्र की नई आवश्यकताओं को इन ग़ैरसरकारी संस्थाओं को अवगत कराने की आवश्यकता है। हिंदी के साहित्यिक और सांस्कृतिक रूपों के साथ नई आवश्यकताओं के बल पर हिंदी को सीखने की आवश्यकता के आलोक में हिंदी संस्थाओं को पथ-प्रदर्शित करना ज़रूरी है। उदाहरण के लिए ग़ैरसरकारी संगठनों में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का विशेष महत्व है। राष्ट्रीय महत्व की इस संस्था की गतिविधियों में उत्पन्न कमज़ोरियों को दृष्टि में रखते हुए सरकार को इस संस्था की गतिविधियों की समीक्षा करते हुए भविष्य की योजना के दिशा-निर्देशन के लिए उचित कार्यवाही करने की ज़रूरत है। इस तरह की संस्थाओं की गतिविधियों को हिंदी के प्रचार-प्रसार तक सीमित रखना चाहिए। हिंदी-शिक्षण संबंधी योजनाओं

और स्नातकोत्तर स्तर पर अध्यापन की योजनाओं को दक्षिण भारतीय हिंदी विश्वविद्यालय का रूप दे कर डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में बदलें।

अन्य भाषा-भाषी राज्यों में हिंदी-शिक्षण की गतिविधियां बड़े पैमाने पर अभी भी ग़ैरसरकारी संगठनों के द्वारा चलाई जा रही हैं। इन हिंदी-शिक्षण संस्थाओं में उत्पन्न कमज़ोरियों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार को अन्य भाषा-भाषी राज्यों में होने वाली हिंदी-शिक्षण की गतिविधियों पर नियंत्रण करने की ज़रूरत है, उदाहरण के लिए तेलंगाना राज्य सरकार प्राथमिक पाठशालाओं और माध्यमिक स्तर की पाठशालाओं में नियुक्त होने वाले हिंदी पंडितों की योग्यता की स्वीकृति के संदर्भ में ग़ैरसरकारी संस्थाओं द्वारा दिए जाने वाले प्रशिक्षण की अपेक्षा सरकारी संस्थाओं के द्वारा दिए जाने वाले शिक्षण को ही मान्यता प्रदान करने लगी है। ऐसी स्थिति में अन्य भाषा-भाषी राज्यों में केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली संस्था केंद्रीय हिंदी संस्थान को महत्वपूर्ण भूमिका प्रादेशिक स्तर पर निभाने की ज़रूरत है। ग़ैरसरकारी संगठनों की अपेक्षा हिंदी-शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों को केंद्रीय हिंदी संस्थान और इसके आंचलिक कार्यालयों के माध्यम से करवाना चाहिए।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अन्य भाषा-भाषी राज्यों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से 2015 में विकल्प आधारित पाठ्यक्रम को (choice based credit system) को लागू किया किया है। इस पाठ्यक्रम में पूर्ववर्ती त्रिभाषा सूत्र के आधार पर प्रस्तावित भाषा अध्ययन प्रणाली से भिन्न अध्ययन-प्रणाली का प्रस्ताव रखा गया है। इसमें अंग्रेज़ी/हिंदी/आधुनिक भारतीय भाषाएं/पर्यावरण विज्ञान में से किसी एक विषय को ही स्नातक स्तर के विद्यार्थियों को चुनना होगा। पूर्व प्रचलित अध्ययन प्रणाली में हिंदी या अन्य आधुनिक भारतीय भाषाओं को अनिवार्य रूप में पढ़ाया जाता था ताकि अंग्रेज़ी भाषा में उपलब्ध ज्ञान का अंतरण भविष्य में हिंदी और भारतीय भाषाओं में हो। अब हिंदी और भारतीय भाषाओं को पढ़ना अनिवार्य नहीं हैं। इससे हिंदी और भारतीय भाषाओं का अहित हो रहा है। इसलिए देश-भर की शिक्षा को प्रभावित करने वाले

विकल्प आधारित पाठ्यक्रम को त्रिभाषा सूत्र के आलोक में समीक्षा करनी चाहिए। और हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं की अध्ययन-प्रणाली को सही दिशा निर्देशन किया जाना ज़रूरी है।

हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में तकनीकी शब्दावली को निर्मित करने और निर्धारित करने के लिए तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की गई है। तकनीकी शब्दावली आयोग हिंदी शब्दावली को निर्मित और निर्धारित करता है। विभिन्न ज्ञान क्षेत्रों के विशेषज्ञों की मदद से शब्दावली आयोग सभी ज्ञान क्षेत्रों की हिंदी शब्दावली का मानकीकरण करता है। इसलिए इस शब्दावली आयोग को हिंदी भाषा का प्रयोग करने वाली विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं से जुड़ना चाहिए अन्यथा शब्दावली निर्माण की प्रक्रिया सक्षम रूप में नहीं हो पाएगी।

इसके अतिरिक्त भारत में हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए स्थापित संस्थाओं के मध्य समन्वय की भी आवश्यकता है। मुख्य रूप से केंद्रीय हिंदी संस्थान, वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय अनुवाद मिशन और केंद्रीय हिंदी निदेशालय की कार्य-योजना में समन्वय की आवश्यकता है। इन संस्थाओं की कार्य-योजनाओं की वर्तमान ज़रूरतों के अनुसार पुनः समीक्षा करनी चाहिए। इधर ज्ञान का अंतरण हिंदी में हो रहा है इसलिए ग़ैर-हिंदी भाषा-भाषी राज्यों के लेखकों को ज्ञान-विज्ञान की किताबें लिखने और प्रकाशित करने के लिए अनुदान और प्रोत्साहन उचित सरकारी माध्यमों से मिलना चाहिए। ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र की किताबों का अनुवाद भी बड़े पैमाने पर अन्य भाषा-भाषी राज्यों के विद्वानों के द्वारा करवाया जाना चाहिए।

हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए भारत भर में कई ग़ैरसरकारी और सरकारी संस्थाओं और संगठनों की स्थापना की गई है। प्रायः यह देखा गया है कि हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए स्थापित सरकारी संस्थाओं का नेतृत्व हिंदी-भाषी क्षेत्रों के विद्वानों को ही दिया जाता है। उदाहरण के लिए आंध्र के हिंदी सेवी श्री मोटूरी

सत्यनारायण जी ने केंद्रीय हिंदी संस्थान की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके बाद फिर से किसी भी दक्षिण भारत के विद्वान को संस्था के निदेशक पद पर काम करने का मौक़ा नहीं मिला। इसलिए अन्य भाषा-भाषी राज्यों के हिंदी विद्वानों को हिंदी प्रचार-प्रसार के लिए स्थापित संस्थाओं के नेतृत्व प्रदान करने वाले पदों पर नियुक्त करना चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर अतिरिक्त निदेशक या संयुक्त निदेशक जैसे पदों का सृजन करते हुए अन्य भाषा-भाषी राज्यों के विशेषज्ञों को इन संस्थाओं से जोड़ना चाहिए।

भारत की युवा पीढ़ी को हिंदी भाषा के प्रयोग के प्रति आकर्षित करना और हिंदी में मौलिक लेखन को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से अन्य भाषा-भाषी राज्यों में योजनाओं को कार्यान्वित करने पर सारे देश में सृजनात्मक और ज्ञानात्मक स्तर पर मौलिक ग्रंथों का प्रकाशन हो सकता है। भविष्य के भारत की युवा पीढ़ी अपनी भाषा हिंदी में सोच-विचार कर सकती है और भारतीय अस्मिता का विकास कर सकती है और विश्व में अपनी छाप छोड़ सकती हैं। इस दृष्टि से मुख्य रूप से सामाजिक, सांस्कृतिक और वैचारिक स्तर पर सक्रिय रूप में अन्य भाषा-भाषी राज्यों मे हिंदी प्रचार-प्रसार हेतु आगामी कार्यवाही के लिए कार्य-योजनाएं बनाई जाएंगी।

12

बाल साहित्य में हिंदी

—कृष्ण कुमार अस्थाना
संपादक, देवपुत्र

भारत के हृदय-स्थल मध्यप्रदेश को गौरव प्राप्त हुआ 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन को संपन्न कराने का। प्रदेश की राजधानी भोपाल में 10 सितंबर से 12 सितंबर, 2015 तक आयोजित था यह महोत्सव। तीन दिवसीय इस कार्यक्रम में 'हिंदी जगत : विस्तार एवं संभावनाएं' विषय को मुख्य रूप से सामने रखकर अनेक सत्रों में विस्तार से चर्चाएं हुईं। मुख्य विषय को केंद्रित करके 12 विषयों पर समानांतर सत्रों में देश और विदेशों के विद्वानों ने हिंदी भाषा के प्रचार-प्रसार, संवर्धन और संरक्षण पर गहन विचार-विमर्श के बाद कुछ अनुशंसाएं पारित कीं, जिन पर अनुपालन समितियां बनाकर निरंतर काम चलता रहा है।

इनमें से ही एक विषय है 'बाल साहित्य में हिंदी'। नई पीढ़ी में राष्ट्रभाषा के प्रति आस्था और गौरव का भाव पैदा करना आज नितांत आवश्यक हो गया है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में पाश्चात्य जीवन-शैली ने केवल रहन-सहन ही नहीं बदला, उसने भाषा और संस्कृति की दृष्टि से इस पीढ़ी को स्वाभिमान-शून्य भी

बनाया है। अतः यह नितांत आवश्यक हो गया है कि इस पीढ़ी की नयी पौध प्रारंभ से अपने साहित्य के माध्यम से देश की विविध विषयक समृद्ध परंपरा को जाने और समझे।

आज आम धारणा यह है कि हिंदी में बाल साहित्य का इतिहास बहुत पुराना नहीं है, किंतु अध्येता यह जानते हैं कि हमारे स्थापित हिंदी लेखकों ने भी बाल जगत को संस्कारित करने के प्रयत्न बहुत समय पहले ही प्रारंभ कर दिए थे। यह सत्य है कि आज प्रचुर मात्रा में बाल साहित्य लिखा जा रहा है। परंतु भारतेन्दु हरिश्चंन्द्र के बाद अनेक सुप्रसिद्ध हिंदी साहित्यकारों ने बाल जगत में अपनी लेखनी से इसे समृद्ध बनाया है।

प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, मैथिलीशरण गुप्त, दिनकर, निराला, महादेवी और सुभद्राकुमारी चौहान जैसे साहित्यकारों की भी बाल साहित्य को अनुपम देन रही। बंगला साहित्य में तो यह माना जाता रहा है कि बाल साहित्य के लेखन के बिना कोई बड़ा साहित्यकार बन ही नहीं सकता। इसलिए रवीन्द्र नाथ टैगोर जैसे साहित्यकारों ने भी बाल साहित्य ख़ूब लिखा। कविता, कहानी, नाटक आदि के माध्यम से हमारे साहित्यकार बहुत पहले से बाल साहित्य को समृद्ध करते रहे हैं।

सम्मेलन में चर्चा का मुख्य विषय यह था कि हिंदी में बाल साहित्य की प्रगति और संवर्धन के लिए और क्या प्रयत्न किए जा सकते हैं? इस दृष्टि से प्रमुख रूप से 6 अनुशंसाएं प्राप्त हुईं। इन्हें ध्यान में रखकर इन तीन वर्षों में जो प्रयत्न हुए, उसके संबंध में प्रतिवेदन अनुशंसाओं के सामने क्रमशः प्रस्तुत हैं।

प्रतिवेदन : बाल साहित्य में हिंदी

अनुशंसा-1

रिपोर्टिंग सत्र के बाद सभी विद्वानों और उपस्थित लोगों ने एकमत से बाल साहित्य अकादमी की स्थापना किए जाने पर ज़ोर दिया। विद्वानों का विचार था कि बाल साहित्य अकादमी की स्थापना किए जाने से अधिकांश समस्याओं के समाधान स्वतः हो जाएंगे। साथ ही कार्यशालाओं के माध्यम से बाल साहित्य लेखन को बालोपयोगी एवं प्रभावशाली भी बनाया जाना चाहिए।

बाल साहित्य अकादमी की स्थापना का विषय बहुत पुराना है। केंद्र या राज्यों में जब-जब बाल साहित्य का विषय निकलता है, तब-तब बाल साहित्य अकादमी की बात होती है, लेकिन संयोग से अभी तक न तो इसकी स्थापना केंद्र में संभव हो पाई है और न किसी राज्य में। सिद्धांततः इसकी स्थापना के लिए सहमति है लेकिन मूर्त रूप न लेने पाने का कारण शायद संकल्प का अभाव ही है। केंद्र सरकार को ही इसके लिए पहल करना होगी।

माननीय मानव संसाधन मंत्री ने आश्वस्त किया है कि वे वरिष्ठ बाल साहित्यकारों के साथ बैठकर इस विषय पर विचार करेंगे।

इस दिशा में एक प्रयत्न निजी क्षेत्र में इंदौर में हुआ है। वहां लगभग 15 वर्षों से संचालित 'बाल साहित्य शोध संस्थान', जिसमें एक बड़ा पुस्तकालय है, और लगभग 50 शोधार्थी शोध से जुड़े हैं, ने अपने क्षेत्र का विस्तार कर अकादमी जैसे कुछ कार्य करने का निश्चय किया है। म. प्र. शासन के संस्कृति विभाग की 'बाल साहित्य सृजनपीठ' द्वारा बालकों के लिए नियमित कार्यशालाओं का संचालन भी हो रहा है।

अनुशंसा-2

बाल साहित्य में देशी-विदेशी महापुरुषों, स्वतंत्रता-सेनानियों, पौराणिक पात्रों से संबंधित जीवनियां भारतीय संस्कृति तथा मानव-मूल्य और वैश्विक साहित्य को यथासंभव स्थान मिलना चाहिए। केंद्र और राज्य सरकारों को सरकारी और निजी प्रकाशकों को स्वस्थ बाल साहित्य के निर्माण के लिए प्रेरित करने के लिए अनुदान की व्यवस्था करनी चाहिए। साथ ही साथ उनकी बिक्री संबंधी पक्ष को भी देखना चाहिए।

लेखक और प्रकाशकों से मिलकर तथा समय-समय पर देश में विभिन्न स्थानों पर आयोजित बाल साहित्यकार सम्मेलनों में संपर्क करके यह प्रयत्न किया जा रहा है कि महापुरुषों, स्वतंत्रत-संग्राम के योद्धाओं, बलिदानियों और श्रेष्ठ जीवन जीकर समाज को दिशा देने वाले राष्ट्रनायकों की भूमिका बाल साहित्य के माध्यम से प्रस्तुत हो। इस प्रयास में थोड़ी सफलता भी मिली है। 'हमारे राजर्षि', 'हमारे महर्षि', 'हमारे वैज्ञानिक', 'हमारे राष्ट्रनिर्माता', 'हमारे दिग्विजयी पूर्वज', 'हमारे कला साधक', 'हमारे नवचेतन प्रदाता' जैसी सिरीज के साथ 'महापुरुषों की छाया में', 'प्रातःस्मरणीय राजनेता', 'स्मरणीय व्यक्तित्व', 'अनुकरणीय व्यक्तित्व', 'इनसे कुछ सीखें' जैसी अनेक पुस्तकें अब बाज़ार में हैं, जो नई पौध को दिशा देंगी।

केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रकाशकों को, बाल साहित्यकारों को अनुदान के द्वारा सहायता के प्रयत्न प्रारंभ हुए हैं। केंद्र सरकार ने इसे सिद्धांतत: स्वीकार किया है।

कुछ बड़े केंद्र पर बाल साहित्य की प्रदर्शनी लगाकर बिक्री को प्रोत्साहन देने के प्रयास भी प्रारंभ हुए हैं।

अनुशंसा-3

एनसीईआरटी और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के पाठ्यक्रमों में बाल साहित्य को स्थान मिलने के साथ ही इसके निर्माण में बाल साहित्यकारों

का सहयोग लेना चाहिए।

एन.सी.ई.आर.टी एक बड़ा शैक्षणिक संगठन है, यह केंद्र सरकार का उपक्रम है। प्रयत्न किए जा रहे हैं कि उसके विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रेरक बाल-साहित्य का समावेश हो। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस प्रयास में सफलता की आशा है। कुछ पाठ्यक्रमों में तो यह अगले सत्र से ही देखने को मिल सकता है।

अनुशंसा-4

बाल साहित्यकारों की रचनाओं के प्रकाशन के लिए आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए और विशेष रूप से उन्हें भी सम्मानित किया जाना चाहिए। भारतीय भाषाओं में उपलब्ध बाल साहित्य के देवनागरी लिपि में लेखन को प्रोत्साहन देना चाहिए। साथ ही बाल साहित्य में लोक-गाथाओं, परंपराओं और लोक-संस्कृतियों को प्रमुखता से स्थान मिलना चाहिए।

बाल साहित्य के लेखन और प्रकाशन में आर्थिक सहायता का प्रश्न पूर्णतः शासन से संबंधित है। हमने अनुपालन समिति की छठी बैठक में यह विषय माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री के सामने रखा है।

अन्य भारतीय भाषाओं के बाल साहित्य को देवनागरी लिपि में प्रस्तुत करने का काम भी शासन के सहयोग से ही हो सकता है। राज्य सरकारें भी अपने अपने क्षेत्र की भाषाओं के बाल साहित्य को देवनागरी में उपलब्ध कराने में सहयोग कर सकती है। अभी इस दिश में प्रयत्न होना शेष है। जब बाल साहित्यकार का मानस ऐसा बनेगा कि बाल साहित्य केवल बाल मनोरंजन का ही विषय नहीं, अपितु प्रेरणा का भी एक अत्यंत सबल और सशक्त साधन है, तो फिर लोक-गाथाएं, लोक-संस्कृति और परंपराएं निश्चित ही उनके लेखन के विषय बनेंगे। उनके सम्मेलनों में यह मानस बनाने का प्रयत्न प्रारंभ हुआ है।

अनुशंसा-5

भविष्य में आयोजित होने वाले विश्व हिंदी सम्मेलनों के दौरान आयोजित होने वाले बाल साहित्य सत्र में विद्वानों के साथ ही बच्चों को भी

आमंत्रित किया जाना चाहिए। इसके साथ ही बच्चों में मौलिक हिंदी में लिखित बाल साहित्य के पठन-पाठन के प्रति रुचि उत्पन्न की जानी चाहिए।

आगामी विश्व हिंदी सम्मेलनों में बाल साहित्य की चर्चा वाले सत्र में बच्चे भी उपस्थित रहें, यह विषय आयोजनकर्त्ता राष्ट्र से संबंधित है। इससे केवल उपयोगिता ही नहीं बढ़ेगी अपितु सत्र रोचक भी बनेगा। बाल साहित्य के पठन-पाठन में रुचि पैदा करना यह आज पालक, अभिभावक, शिक्षक, लेखक और प्रकाशक सभी के लिए बड़ी चुनौती है, परंतु मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि उनकी भूख और प्यास को ठीक से समझकर यदि सामग्री को प्रस्तुत किया गया, तो वे उसे अवश्य रुचि के साथ ग्रहण करेंगे। उसकी जिज्ञासा और भूख को समझने के लिए आवश्यक होगा बाल-मन में उतरकर लिखना।

अनुशंसा-6

फ़िल्म सेंसर बोर्ड की भांति बाल साहित्य के मानकीकरण और दृश्य माध्यमों में दिखाए जाने वाले कार्यक्रमों के बच्चों की रुचि, आवश्यकता और योग्यता के अनुसार वर्गीकृत करने के लिए बाल साहित्य बोर्ड जैसी संस्थाओं का गठन होना चाहिए।

इस अनुशंसा पर अभी कोई कार्य नहीं हो सका है। इस विषय पर एक बड़े विमर्श की आवश्यकता है और उसके लिए, विभिन्न राज्यों में गठित बाल आयोग के पदाधिकारी, बाल मनोचिकित्सक और बाल मनोवैज्ञानिकों को मिलकर बैठना और विचार करना समीचीन होगा।

अनुशंसा-7

बाल पत्रिकाओं में प्रकाशित होने वाले साहित्य में अन्य भाषा के स्तरीय साहित्यों का अनुवाद और पुनर्लिखित साहित्यिक कृतियों को भी स्थान मिलना चाहिए। साथ ही लुप्त हो रही लोक-कलाओं को बाल साहित्य के

माध्यम से पुनर्जीवित किया जाना चाहिए। बाल साहित्य में स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम आरंभ किए जाने की आवश्कता भी है।

अन्य भाषाओं के स्तरीय साहित्य का अनुवाद अब हिंदी बाल पत्रिकाओं में दिया जा रहा है। 'देवपुत्र', 'बाल वाटिका', 'नंदन' और 'बालमन' में यह प्रयोग देखा जा सकता है।

लुप्त हो रही लोककथाओं को पुनर्जीवित करके प्रस्तुत करने का काम अलग प्रकार का है, किंतु इसे शोधार्थियों के माध्यम से किया जा सकता है। इंदौर का 'भारतीय बाल साहित्य शोध संस्थान' और उनके विशाल पुस्तक संग्रहालय को विशेष रूप में बाल साहित्य को यह दायित्व सोंप कर अपेक्षित परिणाम की आशा की जा सकती है।

बाल साहित्य में स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधियों की व्यवस्था बाल साहित्य अकादमी की स्थापना के पश्चात सुनिश्चित होगी।

और अन्त में, मैं यह कहना चाहूंगा कि बाल साहित्य में हिंदी का भविष्य अत्यंत उज्ज्वल है। हां, केंद्र और राज्य सरकारों को इसमें थोड़ी रुचि लेनी होगी। जागरुक बाल साहित्यकार इस समय साहित्य की विभिन्न विधाओं में ख़ूब लिख रहे हैं। अनुकूलता बनाने में सामूहिक प्रयत्न आवश्यक होंगे।

संकल्प हमारा पक्का हो

अनुपालन को प्यासी बैठीं
जाने कितनी अनुशंसाएं,
आड़े आती हैं शंकाएं
पीड़ित करतीं आशंकाएं।

है कौन पूर्णता का दावा
जो दावे से कर पाता है,
कितना भी कर डाले लेकिन
अनकिया बहुत रह जाता है।

चिन्हित करने के बावजूद
मंज़िल आगे बढ़ जाती है,
गति का लेखा पीछे आकर
गुपचुप-गुपचुप पढ़ जाती है।

मंज़िल हो जाय परास्त, अगर
गतिमान प्रगति का चक्का हो,
अनकिया सभी पूरा हो, यदि
संकल्प हमारा पक्का हो।

—अशोक चक्रधर